Thursday. 16 November 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 16 नवम्बर, 1967/25 कार्तिक, 1889 (शक)

No. 4, Thursday, November 16, 1967/Kartika 25. 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. NOS.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
91.	कृष्णा गोदावरी जल विवाद	Krishna Godavari Water Dispute	457—462
92.	स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया, संसद सदस्य का उपचार	Medical treatment of the late Dr. Ram Manohar Lohia, M. P.	463—464
93.	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Fertilizer Plant in Cooperative Sector	464—467
95.	दिल्ली की वृहद योजना	Master Plan for Delhi	467—469
96.	मद्य निषेध	Prohibition	469—471

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
94.	केन्द्रीय सरकार के निवृत्तिवेतन भोगियों को मंहगाई भत्ते का दिया जाना	Grant of Dearness Allowance to Central Government Pensioners	471
97.	चीन से चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं	Smuggled Chinese Goods	472
98.	बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण	Social Control of Banks	472—473
99.	घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing	473
100.	अनिवार्य परिवार नियोजन	Compulsory Family Planning	473—474

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
101.	पश्चिमी क्षेत्र के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Oil and Natural Gas Commission Workers in the Western Region	474
102.	कर प्रणाली को सरल बनाना	Simplification of Tax Structure	474—475
103.	कृषि ऋण निगम	Agriculture Credit Corporations	475
104.	शल्य चिकित्सा के औजारों का निर्माण	Production af Surgical Instruments	475—476
105.	आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery in Assam	476
106.	गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने.	Fertilizer Plants in Private Sector	476—477
107.	नानक सागर बाँध में दरार का पड़ना	Bursting of Nanak Sagar Dam	477—478
108.	आय कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	478
109.	सामान्य बीमे का राष्ट्रीकरण	Nationalisation of General Insurance	479
110.	प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण	Credit to priority Sectors	479
111.	परिवार नियोजन कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये पुरस्कार	Awards for Implementation of Family Planning Programmes	479—480
112.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक संसदीय समिति का गठन	Constitution of a Parliamentary Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	480
114.	मूल्यों को स्थिर रखना	Holding of Price Line	480—481
115.	परिवार नियोजन के लिए रूसी सहायता	Russian Assistance for Family Planning	481
116.	कांटैक्ट कैटेलिस्टस	Contact Catalysts	481
117.	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गैर सरकारी कम्पनियों के शेयरों की खरीद	Purchase of Shares of Private Companies by Life Insurance Corporation of India	482
118.	नागार्जुनसागर बान्ध के फाटक	Crest Gates at Nagarjuna Sagar Dam	482
119.	जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की मांगें	Demands of Development Officers of L.I.C.	482—483

अता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
120. आय-कर की बकाया राशि	Income-tax arrears	483—484

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. Q. Nos.

693. अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक कोलम्बो द्वारा कॉर्निया लगाने की शल्य चिकित्सा के लिए नेत्रों की सप्लाई	Supply of eyes for corneal graft operation by International Eye Bank of Colombo	484
694. सन्तति निग्रह और विश्व की आर्थिक समस्याएं	Birth Control and World's Economic Problems	484
695. सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिये राज्यों को दिया गया अनुदान	Grants given to States for Social Welfare Programmes	485
696. उर्वरक तथा रसायन उद्योगों मे सहयोग	Collaboration in Fertilizer and Chemical Industry	485—486
697. मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां	Scheduled Castes in Mysore State	486
698. घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing	486—487
699. मंत्रियों तथा अधिकारियों के बालकों द्वारा विदेशों में अध्ययन	Studies abroad by Ministers and Officers Children	487—488
700. फिल्म वालों द्वारा दी जाने वाली कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film People	488—489
701. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर का अलवाय स्थित फार्म	Farm of F.A.C.T. Alwaye	489
702. वित्तीय नियम	Financial Rules	489—490
703. अनुदान विनियोग में की गई बचत की राशि वापिस करना	Surrender of Saving within a Grant Appropriation	490
704. असैनिक सेवा विनियमों का संशोधन	Amending of Civil Services Regulations	490
705. कलकत्ता के बड़ा बाजार क्षेत्र से बरामद आभूषण	Jewellery Recovered from Bara Bazar, Calcutta	490—491
706. स्वर्णकारों को दी गई सहायता	Assistance given to Goldsmiths	491

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
707.	अविवाहित व्यक्तियों को आय कर से छूट	Exemption to Bachelors from Income-tax	491—492
708.	महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिम जातियों कल्याण पर व्यय की गई राशि	Amount spent on the Welfare of Scheduled Tribes in Maharashtra	492
709.	धीवर भोई जाति का अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल किया जाना	Inclusion of Dhiwar Bhoi Caste in Scheduled Tribes	492
710.	पैट्रोलियम तथा अन्य तेलों की कमी	Shortage of Petroleum and other Oils	492—493
711.	मोबिल आयल के आयात का लाइसेंस	Import Licence for Mobil Oil	493
712.	प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय, मेरठ के एक क्लर्क की गिरफतारी	Arrest of a clerk of Defence Accounts Office Meerut	494
713.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि०	Hindustan Insecticides Ltd.	494
714.	भारत-नैपाल सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Indo Nepalese Border	494—495
715.	स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के उपचार के लिये औषधियों का आयात	Import of Medicines for the Treatment of Late Dr. Ram Manohar Lohia	495—496
716.	अश्लील साहित्य	Obsence Literature	496
717.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains under PL 480	496
718.	दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका से बकाया राशि की वसूली	Recovery of dues by DESU from NDMC	497
719.	ऋषिकेश स्थित प्रतिजीवाणु औषधि निर्माण कारखाने में औषधियों तथा कागजातों की चोरी	Theft of Drug and documents from Antibiotics Plant, Rishikesh	497
720.	तस्कर व्यापार में ट्रकों का प्रयोग	Use of Trucks for Smuggling	498
721.	दिल्ली में आवास बस्तियां हाउसिंग कालोनीज	Housing Colonies in Delhi	498

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
722.	भारत नेपाल सीमा पर स्टेनलैस स्टील का तस्कर व्यापार	Smuggling of Stainless Steel at IndoNepal Border	498—499
723.	निषिद्ध सोने तथा वस्तुओं का चोरी छिपे लाना ले जाना	Smuggling of Contraband Gold and Goods	499—500
724.	पी० एल० 480 निधियाँ	PL 480 Funds	500—501
725.	कर अपवंचन	Tax Evasion	501
726.	मीठापुर (गुजरात) में उर्वरक उद्योगों की स्थापना	Fertilizer Complex at Mithapur (Gujarat)	501—502
727.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees	502
728.	चोरी छिपे माल लाने ले जाने में एयर इण्डिया के अधिकारी का हाथ	Air India Officer Involved in Smuggling	502—503
729.	मेडिकल कालेजों में अध्यापकों की कमी	Shortage of Teachers in Medical Colleges	503—504
731.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय	Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd. Alwaye	504
732.	कुपोषण के कारण मौतें	Deaths due to Malnutrition	504—505
733.	अस्पृश्यता	Untouchability	505
734.	हरिजन और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति	Scholarship for Harijan and Scheduled Castes Students	505—506
735.	पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employees of Multipurpose Projects in Punjab and Himachal Pradesh	506—507
736.	जीवन बीमा निगम कार्यालय, कानपुर में पालिसी होल्डरों की निलम्बित शिकायतें	Complaints from Policyholders pending at LIC Office, Kanpur	507
737.	नये उर्वरक कारखाने	New Fertilizer Plants	507—508
738.	मंदी	Recession	508—510
739.	जनसंख्या नियन्त्रण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता	UNO's Assistance for Population control	510
740.	अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी	International Aid Agency	510—511

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
741.	परिवार नियोजन के लिये उपकरण का आयात	Import of Family Planning Apparatus	511
742.	इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज को निर्मित ढांचों के आदेश	Orders for Fabricated Structures with Engineering Industries	511
743.	दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की स्थापना	Establishment of National Medical Library in Delhi	511—512
744.	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Rural Areas	512—513
745.	बी० ओ० ए० सी० के विमान से बरामद किया गया निषिद्ध सोना	Contraband Gold recovered from B.O.A.C. Plane	513—514
746.	हल्दिया तेलशोधक कारखाना	Haldia Refinary	514
747.	कांडला में उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plant at Kandla	514
748.	बंध्यीकरण के लिये प्रोत्साहन	Incentive for Sterlization	515
749.	ट्राम्बे उर्वरक परियोजना	Trombay Fertiliser Project	515
750.	कलकत्ता के पेट्रोल व्यापारी	Petrol Dealers of Calcutta	515—516
751.	स्टेट बैंक आफ इंडिया कलकत्ता	State Bank of India, Calcutta	516
752.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Central Government Employees	516
753.	डाक्टरों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा	Compulsory Rural Service for Doctors	516—517
754.	यूनाइटेड प्राविंसेज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किये गये रोड रोलर	Road Rollers supplied by UPCC	517
755.	कुवैती सहयोग से अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना	Ammonia Based Fertilizer Plant with Kuwaiti Collaboration	517—518
756.	निष्पादनाधीन ताप योजनाएं	Thermal Schemes under execution	518
757.	सीमा शुल्क अध्ययन दल	Customs Study Team	518—519
758.	बड़ौदा को गैस की सप्लाई	Supply of Gas to Baroda	519
759.	संतति निरोध के लिये देशी औषधियाँ	Indigenous Drugs for Birth Control	519

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
760.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण	Drilling by Oil and Natural Gas Commission	519—520
761.	बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling in Bombay	520
762.	पालम हवाई अड्डे पर हीरों का पकड़ा जाना	Diamonds seized at Palam Airport	520—521
763.	गैर सरकारी लोगों के पास सरकारी क्वार्टर	Government Accommodation occupied by non-officials	521—522
764.	कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowances to Employees	522
765.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	522
766.	गर्भपात को वैध बनाने के विरुद्ध अभियान	Compaign against Legalisation of Abortion	523
767.	समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजना	Integrated Child Welfare Demonstration Project	523
768.	पश्चिमी बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal	523—524
769.	सरकारी बस्तियों में लानों की देखभाल	Maintenance of Lawns in Government Colonies	524
770.	भारत में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in India	524—525
771.	अस्पतालों और दवाखानों से औषधियों की चोरी	Theft of Medicines in Hospitals and Dispensaries	525
772.	दिल्ली के चारों ओर उपनगर बसाना	Development of Ring Towns around Delhi	525—526
774.	पंजाब में उद्योगों को स्टेट बैंक की सहायता	State Bank's Assistance to Industries in Punjab	526—527
775.	कोठागुडम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant at Kothagudam	527
776.	होम्योपैथी की गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं	Unrecognised institutions for Homoeopathy	527
777.	भारत में पैरिस्टन एन औषधि का निर्माण	Manufacture of Perston-N Drug in India	527—528
778.	सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory	528
779.	गुजरात तेल शोधक कारखाना	Gujarat Refinery	528—529

अता॰ प्र॰ संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
780.	जयपुर में जाली नोटों का परिचलन	Fake currency notes in circulation in Jaipur	529
781.	विश्वायरन योगाश्रम	Vishwaiyaran Yogashram	529
782.	पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officers of Punjab National Bank	529—530
783.	इन्डेन गैस	Indane gas	530
784.	बिड़ला उद्योग समूह द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Birla Group of Industries	530—531
785.	राज्यों पर बकाया ऋण	Outstanding Loans against States	531
786.	पश्चिमी बंगाल में राजस्व आय में कमी .	Decline in Revenue Earnings in West Bengal	531
787.	पश्चिमी बंगाल में व्यापार गृहों की तलाशी	Searches of Business Houses in West Bengal	532
788.	बैंकों के सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन का भेद खुलना	Leakage of Report on Social control of Banks	532
789.	विदेशी मिशन	Foreign Missions	533
790.	गुजरात तेल शोधक कारखाना	Gujarat Refinery	533—534
791.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of L.I.C. Employees	534
793.	तेलवाहक पोतों का भाड़ा	Tanker Freight Rates	534—536
794.	जीवन बीमा निगम में औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations in Life Insurance Corporation	536
795.	भारत में अमरीकी विनियोजन	US Investment in India	536—537
796.	जीवन बीमा निगम का कारोबार	LIC Business	537
797.	विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को लाभ की राशि भेजना	Repatriation of Profits by Foreign Companies	537—538
798.	भारत में अस्पतालों में सुधार के लिये सुझाव देने के लिये समिति	Committee to Suggest Improvements in Hospitals in India	538

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
799. भारत के रिजर्व बैंक से निकाली गई अधिक राशि को वापिस करने के लिये मैसूर सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance sought by Mysore Government to discharge overdraft on Reserve Bank of India	538
800. राजस्थान में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Rajasthan	538—539
801. उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	539—540
802. आयकर निर्धारण और अपील	Income Tax Assessments and Appeals	540—541
803. बाँधों के टूटने के कारण बाढ़ें	Floods due to failure of Dams	542
804. स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मार्मिक में दिया गया विज्ञापन	Advertisement given by State Bank of India in the Marmik	542
805. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officers in Ministry of Irrigation and Power	543
806. दिल्ली में चिकित्सा कालेजों में प्रवेश	Admission to Medical Colleges in Delhi	543—544
807. पश्चिमी बंगाल सरकार का घाटा	Deficit of West Bengal Government	544
808. झुग्गी झोपड़ी योजना	Jhuggi Jhonpri Scheme	545
809. निम्न तथा मध्य आय वर्गों के लिये भूमि	Land for Low and Middle Income Groups	545
810. हल्दिया और पारादीप में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants at Haldia and Paradeep	545—546
811. परिवार नियोजन	Family Planning	546
812. विवाह योग्य आयु	Marriageable Age	546
813. कोरबा में कास्टिक सोडा तथा डी० टी० बनाने के कारखाने	Caustic Soda and DDT Plants at Korba	546—547
814. मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये दिल्ली में क्वार्टर	Accommodation for Madhya Pradesh State Government Employees in Delhi	547
815. मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in Madhya Pradesh	547
816. कोरबा में उर्वर कारखाना	Fertilizer Plant at Korba	548

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
817.	इन्दौर में अन्धों के लिये औद्योगिक वर्कशाप	Industrial Workshop for Blinds at Indore	548
818.	मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats in Medical Colleges	548—549
819.	बम्बई में छापे	Raids in Bombay	549—550
820.	विदेश जाने वाले लोगों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to persons going Abroad	550—551
821.	अपरिष्कृत तेल पर स्वामित्व (रायल्टी)	Royalty on Crude Oil	551
822.	जापान की सहायता से महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Fertilizer plant in Maharashtra with Japanese assistance	551
823.	सरकार पर विदेशी ऋण	External Public Debt	551—552
824.	काश्मीर की घाटी में गैस की खोज	Exploration of Gas in Kashmir Valley	553
825.	सामान्य भविष्य निधि में जमा राशियों पर व्याज की दर	Rate of Interest on GPF Deposits	553—554
826.	मध्य प्रदेश में अनुसंधान योजनाएं	Research Schemes in Madhya Pradesh	554
827.	मध्य प्रदेश को सिंचाई और विद्युत कार्यक्रमों के लिये सहायता	Assistance for Irrigation and Power programme to M. P.	554—555
828.	कर्मचारियों को शक सम्वत के अनुसार वेतन दिया जाना	Change over to Saka for Payment of Salaries to employees	555
829.	नई दिल्ली में इन्द्रपुरी कालोनी	Inder Puri Colony, New Delhi	556
830.	गंधक की आवश्यकता	Requirements of Sulphur	556
831.	विदेशी ऋण तथा व्याज का लौटाया जाना	Repayment of foreign loans and interest	556—557
832.	बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण	Credit by Bank to small scale industries	557—558
833.	परिवार नियोजन	Family Planning	558

अता० प्र० संख्या

U.Q.Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
834.	अस्पतालों में उपचार कराने वाले रोगियों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकर का लगाया जाना	Levy of Health cess on patients in Hospitals	558—559
835.	औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार से चिकित्सालयों तथा औषधालयों का निकाला जाना	Exclusion of Hospitals and Dispensaries from the perview of Industrial Disputes Act	559
836.	कृष्णा गोदावरी जल विवाद	Krishna Godawari Water Dispute	559—560
837.	मुंगेर (बिहार) में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Family Planning programme in Monghyr, (Bihar)	560
838.	ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति	Rural Credit Survey Committee	560—561
840.	बरौनी में सहायक एकक	Ancillary Units at Barauni	561—562
842.	बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by Banks	562
843.	आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Hill people of Assam	562—563
844.	लूप पहनने वाली महिलाओं की प्रतिक्रिया	Reaction of insertees of IUCD	563—564
845.	काकीनाडा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant at Kakinada	564
846.	भूतपूर्व शासकों की आस्तियां	Assets of Ex-Rulers	564—565
847.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	565
848.	पश्चिम निमाड़ में पैट्रोलियम के भण्डार	Deposits of Petroleum in Western Nimad	565
849.	हरयाना में कृषि भूमि की सिंचाई	Irrigation of Agricultural land in Haryana	565—566
850.	हरियाना में पश्चिमी जमुना नहर के दोनों ओर पुश्ता बांधना	Alignment of Western Jamuna Canal in Haryana	566
851.	सिंचाई के लिये बांध तथा जलाशयों के निर्माण के लिए हरियाना को वित्तीय सहायता	Financial aid to Haryana for constructing Dams and Reservoirs for Irrigation	566
852.	हरियाना द्वारा भाखड़ा के जल का उपयोग तथा प्रबन्ध	Use and Management of Bhakra Waters by Haryana	566—567

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
853.	बिक्री कर का केन्द्रीयकरण	Centralisation of Sales Tax	567
854.	गृह निर्माण वित्त निगम	Housing Finance Corporation	567
855.	प्रोफेसर काल्डर की भारत यात्रा	Prof. Kaldor's Visit to India	567—568
856.	केरल विधान सभा में तस्करी का उल्लेख	Reference to Smuggling in Kerala Assembly	568
857.	अनुसूचित जातियां	Scheduled Castes	568—569
858.	स्वर्णकारों को पुनः रोजगार पर लगाना	Rehabilitation of Goldsmiths	569
859.	कृत्रिम अंगों का कारखाना	Artificial Limbs Factory	569—570
860.	अमरीकी सहकारी उर्वरक विशेषज्ञों की रिपोर्ट	Report of American Co-operative Fertilizer Experts	570
861.	पाकिस्तान में बाँध बनाने के लिये भारतीय सहायता	India's help for Dams in Pakistan	570
862.	फिल्मों से सम्बन्धित लोगों द्वारा करापवंचन	Tax evasions by Film people	570—571
863.	एशियाई विकास बैंक से आवास के लिये निधि	Housing fund from Asian Development Bank	571
864.	फिल्मों से सम्बन्धित लोगों के पास काला धन	Unaccounted Money with Film People	571
865.	बिड़ला सार्थ समूह द्वारा गोआ में उर्वरक कारखाने	Setting up of the Fertilizer plant in Goa by the Birlas	572
866.	फिल्मों से सम्बन्धित लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Film People	572
867.	किसानों के लिये ऋण की सुविधायें	Credit Facilities to Agriculturists	572—573
868.	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा केन्द्रीय सरकार से रुपये की मांग	Claim by NDMC againt the Central Government	573
869.	कानपुर में उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Establishment of a Fertilizer Plant at Kanpur	574—575
870.	इन्वैस्टर्स ओवरसीज सर्विस, जेनेवा	Investors Overseas Service, Geneva	575

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
871.	विहार राज्य बिजली बोर्ड	Bihar State Electiricity Board	576
872.	लूप की असफलता	Failure of Loop	576—577
873.	जीवन बीमा निगम द्वारा नये पदों का बनाया जाना	Creation of Posts by Life Insurance Corporation	577
874.	जीवन बीमा निगम में प्रबन्धकों के पद	Managerial Posts in Life Insurance Corporation	577
875.	मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों के बीच सम्बन्ध	Relationship between Ministers and Public undertakings	577—578
876.	नागार्जुन सागर बांध जल विवाद	Nagarjuna Sagar Dam Water Dispute	578
877.	विदेशी तेल समवाय	Foreign Oil Companies	578
878.	भोर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना	Implementation of Recommendations of the Bhore Committee	578—579
879.	भारत में एम्पिसीलिन फैक्टरी	Amphicillin Factory in India	579
880.	मेहतरों की स्थिति	Conditions of Scavengers	579—580
881.	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये रिहायशी बस्तियां	Housing Colonies for Indians Abroad	580
882.	पश्चिमी प्रदेश में तटदूर ड्रिलिंग	Off Shore Drilling in Western Region	580
883.	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन	Haldia Barauni Pipeline	580
884.	कोचीन स्थित तेल प्रतिष्ठान	Oil Installations at Cochin	580—581
885.	घरेलू प्रयोग के लिये गैस	Gas for Domestic Use	581
887.	वित्तीय वर्ष का बदलना	Changing of Financial Year	581—582
888.	राक फास्फेट प्रयोग करने वाले उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories using Rock Phosphate	582
889.	कोयली तेल शोधक कारखाने से धुवरन बिजली घर के लिए तेल	Oil for Dhuvaran Power Station from Koyali Refinery	582
890.	तेल कम्पनियों द्वारा ईंधन तेल के उत्पादन में कमी	Reduction in production of Fuel Oil by Oil Companies	583
891.	जीवन बीमा निगम का कार्य	Working of Life Insurance Corporation	583

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
892. होम्योपैथी की प्रेक्टिस करने की शर्तों सम्बन्धी विधेयक	Bill on Conditions for Practising Homoeopathy	584
893. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अलवाये	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Alwaye	584
894. मंहगाई भत्ते के कारण संसोधनों की स्थिति में कमी	Erosion of Resources position due to Dearness Allowances	584—585
895. भारत के ऋण की अदायगी के भार के बारे में विश्व बैंक की चिन्ता	World Bank's Concern over India's Debt Service Burden	585
896. भारत और श्रीलंका के बीच तस्कर व्यापार	Smuggling Between India and Ceylon	586
897. नशीली औषधियों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	UN International Conference on Narcotic Drugs	586—587
898. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति	Central Direct Taxes Advisory Committee	587—588
899. बम्बई में घड़ियों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Watches in Bombay	588—589
900. परिवार नियोजन के लिये होम्योपैथी	Homeopathy for Family Planning	589
901. दिल्ली में पीने के लिये दूषित जल की सप्लाई	Contaminated drinking water supply in Delhi	589
902. विदेशी पर्यटकों से पकड़े गये जाली नोट	Fake Currency Notes seized from Foreign Tourists	589—590
903. दिल्ली में रहस्यमय बुखार	Mystery fever in Delhi	590
904. व्यास बांध तथा पोंग बांध के निर्माण के लिये हटाये गये व्यक्ति	Outstees of Beas Dam and Pong Dam	590
905. 1967-68 के लिये वित्तीय सहायता	Aid for 1967-68	590
906. मेडिकल कालेज, शिमला में दाखिला	Admission to Medical College, Simla	591
907. नागपुर स्थित आय कर कार्यालय	Income Tax Office at Nagpur	591—592

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
908. हांग कांग के उद्योगपति	Hong Kong Industrialists	592
909. बरौनी तेलशोधन कारखाना	Barauni Oil Refinery	592—593
911. गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery	593
912. दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम	DESU	593—594
913. इन्डियन आयल कारपोरेशन को बेरलों की सप्लाई	Supply of Barrels for Indian Oil Corporation	594—595
915. गांधी सागर बांध	Gandhi Sagar Dam	595
916. राजस्थान में पानी का जमा हो जाना	Water Logging in Rajasthan	596
917. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	596
918. मंत्रालयों का जल, विद्युत तथा टेलीफोन पर व्यय	Water, Electricity and Telephone Expenses of Ministries	596—597
919. संसद् सदस्यों के सेवकों के क्वार्टरों के शौचालयों की सफाई	Cleaning of Lavatory of Servants Quarters of M. Ps.	597
921. नर्मदा सागर बिजली परियोजना	Narmada Sagar Power Project	597
922. तूफान से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये उड़ीसा की सहायता	Assistance to Orissa for Cyclone Victims	598
923. बच्चों का कुपोषण	Malnutrition among Children	598—599
924. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में रूस द्वारा सहायता	Russian assistance in the field of health and population control	599
925. अलीगढ़ प्रेस का मुख्य मिस्त्री	Head Mechanic, Aligarh Press	599—600
926. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, अलीगढ़ के मैनेजर के विरुद्ध आरोप	Charges against Manager, Government of India Press, Aligarh	600
927. रात्रि भत्ता	Night Duty Allowance	600
928. परिवार नियोजन के तरीके	Family Planning devices	600
929. राज्यों को दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम धन	Loans and advances to States	600—601

अता० प्र०संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
930. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशें	Recommendations of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	601
931. नेताजी नगर, नई दिल्ली में खेल के मैदान	Play Grounds in Netaji Nagar, New Delhi	601—602
932. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं	Plans prepared by Delhi Development Authority	602
933. जामा मस्जिद विकास योजना	Jama Masjid Development Scheme	602
934. ओबराय इन्टरकान्टिनेन्टल होटल, न दिल्ली	Oberoi International Hotel, New Delhi	602—603
935. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondenee with Reserve Bank of India in Hindi	603
936. नगर के गन्दे पानी और कूड़े कर्कट का प्रयोग	Utilisation of city filthy water and garbage	603—604
937. घाघरा नदी में सिंचाई और बिजली की क्षमता	Irrigation and Power Potential in Ghagra River	604
938. उत्तर प्रदेश को नियत की गई राशि	Amount Allocated to UP for Irrigation Power Projects	604—605
939. भारत में गर्भनिरोधक वस्तुओं की खपत तथा उत्पादन	Consumption and production of contraceptives in India	605—606
940. खायी जाने वाली गर्भनिरोधक औषधियां	Oral Contraceptives	606
942. भारत में डाक्टरी (मेडिकल) चिकित्सा पर व्यय	Expenditure on Medical Treatment in India	606
943. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में एक आयुर्वेदिक औषधालय का खोला जाना	Opening of an Ayurvedic Dispensary at Sarojini Nagar, New Delhi	606—607
944. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के आयुर्वेदिक औषधालय	C.G.H.S. Ayurvedic Dispensaries	607
945. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries	607
946. सुन्दर नगर में गैराज	Garage in Sunder Nagar	607—608

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
947. सामान्य जनता के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना	C.G.H.S. for General Public	608
948. परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं द्वारा कदाचारण	Malpractices by Family Planning Workers	608—609
949. विधि मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Law Ministers	609
950. विश्व पुलिस संस्थापन द्वारा बिहार तथा उड़ीसा के आय-कर आयुक्त के विरुद्ध जांच	Enquiry by S.P.E. Against Income Tax Commissioner of Bihar and Orissa	609
951. पूंजी बाजार	Capital Market	610
952. चौथी योजना के दूसरे वर्ष के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Second Year of Fourth Plan	610
953. बट्टे खाते में वर्ष 1966-67 के दौरान डाली गई आयकर की बकाया राशि	Income-tax arrears written off during 1966-67	610—611
954. मध्य प्रदेश की बतारा जाति को अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल करना	Batra Community as Scheduled Tribe in Madhya Pradesh	611
955. इसराइल फाइट 'फार सर्वाइवल' नामक पुस्तक	Israel's 'Fight for Survival' Book	611
956. घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing	611—612
957. विषाक्त भोजन के मामले	Food poisoning cases	612
958. प्राशसनिक व्यय में मितव्ययिता	Economy in Administrative Expenditure	612—613
959. दिल्ली में टाइप एक के क्वार्टर	Type I Accommodation in Delhi	613
960. बिजली की दरें	Electricity Rates	614
961. पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम और रसायनों के लिये अनुसन्धान कार्य	Research work for Petroleum and Chemicals in West Bengal	614
962. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories	614—615
963. नर्मदा परियोजना	Narmada Project	615—616
964. कथाकली दल द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन	Foreign Exchange Earnings of Kathakali Troupe	616

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
965.	सरकारी कर्मचारियों को देय बकाया मँहगाई भत्ता	Arrears of Dearness Allowance due to Government Employees	616
967.	भवन निर्माण सहकारी समितियों को ऋण	Loans to Housing Cooperative Societies	616—617
968:	अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंक	Scheduled and Non-Scheduled Banks	617
969.	कोयना विद्युत् परियोजना	Koyan Power Project	617—618
970.	बैंकों द्वारा ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज दर	Rate of Interest for Borrowing charged by Banks	618
971.	शीर्ष तथा केन्द्रीय बैंक	Apex and Central Banks	618—619
972.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल लाइसेंस नई दिल्ली द्वारा की गई जांच	Enquiries undertaken by all India Institute of Medical Sciences, New Delhi	619
973.	केवल्यधाम एस० डब्ल्यू०वाई० एम० समिति लोनाबादा, बम्बई को अनुदान	Grant to Kaivalayadhama S.W.Y.M. Samiti Lonabada, Bombay	619—620
974.	आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का संवर्धन	Promotion of Ayurvedic System of Medicines	620
975.	पंजाब सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	Reserve Bank's Loan to the Punjab Government	620
976.	भारत में अंधापन	Blindness in India	621
977.	अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant based on Ammonia	621—622
978.	विदेशों की यात्रा करने के लिये दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given for Visits Abroad	622
979.	समाज कल्याण निधियों द्वारा उठाऊ (लिफट) सिंचाई योजनाएं	Lift Irrigation Schemes by Social Welfare Funds	622—623
980.	मूल रूप में सोना	Primary Gold	623
981.	अंधों के लिये दुकानें	Shops for Blinds	623
982.	अफीम की तस्करी	Smuggling of Opium	624
983.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के दिल्ली में यमुना पार औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries across Jamuna in Delhi	624—625
984.	रामकृष्णपुरम खोखा संघ	R. K. Puram Khokha Association	625

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
985. बिहार में नलकूपों के लिये बिजली	Power for Tube wells in Bihar	625—626
986. भारत सरकार के प्रेस कर्मचारियों के लिये वर्गीकरण समिति	Categorisation Committee for Government of India Press Workers	626
987. आवास नियम	Accommodation Rules	626—627
988. अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के लिये आवास	Accommodation for Employees of Quasi Government Organisations	627
989. चण्डीगढ़ में सरकारी इमारतों का किराया	Rent for Government Buildings in Chandigarh	627
990. डाक्टरी के विद्यार्थियों को वजीफे	Stipends to Medical Students	627—628
991. मेसर्स वेल्स फाइनेन्स कारपोरेशन मोटर लैण्ड, नई दिल्ली	M/s Wales Finance Corporation Motor Land, New Delhi	628
992. भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था के लिये भूमि	Land for National Rifle Association of India	628—629
993. गंडक परियोजना	Gandak Project	629
994. भारत के उर्वरक निगम के अतिथि गृह	Guest Houses maintained by Fertilizer Corporation of India	629
995. मेसर्स कनारा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by M/s Kanara Engineering Co. (Pvt.) Ltd., Bombay	629—630
996. उत्तर प्रदेश में नये मेडिकल कालेजों के लिये धन	Funds for New Medical Colleges in U.P.	630
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	630
एयर इंडिया के विमान संधारण इंजीनियरों की हड़ताल	Strike by Aircraft Maintenance Engineers of Air India	630
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	630
डा० कर्णसिंह	Dr. Karan Singh	631—633
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	633—638

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	638
छठा, सातवां श्रौर दसवां प्रति-वेदन	Sixth, Seventh and Tenth Reports	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	639
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	
याचिका समिति	Committee on Petitions	639
पहला प्रतिवेदन	First Report	
साक्ष्य	Evidence	
प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Prime Minister's Tours Abroad	639
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	
सभा का कार्य	Business of the House	639—640
राज्यों के राज्यपालों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Governors of States	640—641
श्री प० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	
नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation under Rule 357	642—647
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	
गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bill and Resolutions	647
तेरहवां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापितः	Private Members' Bill—Introduced	647
(1) संविधान (संशोधन) विधे-यक, 1967	(1) The Constitution (Amendment) Bill, 1967	648
(श्राठवीं श्रनुसूची का संशोधन) [डा० मैत्रेयी बसु का]	(Amendment of Eighth Schedule) by Dr. (Mrs.) Maitreyee Bose	648

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) (श्री सेक्वीरा का)	(2) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Erasmo DeSequeira	648
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 291,362 आदि का हटाया जाना) (श्री जार्ज फरनेन्डीज का)	(3) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Omission of Article 291, 362 etc.) by Shri George Fernandes	649
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 326 का संशोधन) (श्री जार्ज फरनेन्डीज का)	(4) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Article 326) by Shri George Fernandes	649—650
(5) समाचार पत्र (आयोजन तथा स्वतन्त्रता) विधेयक (श्री शिवचन्द्र झा का)	The Press (Planning and Freedom) Bill, 1967 by Shri Shiva Chandra Jha	650
(6) उच्चतम न्यायालय (अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना) विधेयक, 1967 (श्री मधु लिमये का)	The Supreme Court (Conferment of Additonal Power) Bill, 1967 by Shri Madhu Limaye	650
(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) (श्री मधु लिमये का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Omission of Article 314) by Shri Madhu Limaye	650—651
(8) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 100 का संशोधन) (श्री मधु लिमये का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Article 100) by Shri Madhu Limaye	651
(9) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967	The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1967	651

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	(धारा 2,38 और 43 का संशोधन) (श्री नातिराज सिंह चौधरी का)	(Amendment of sections 2, 38 and 43) by Shri Nitiraj Singh Chaudhury	
(10)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 7 और 33 का संशोधन और नयी धारा 11 ग का रखा जाना) (श्री श्रीनिवास मिश्र का)	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of sections 7 and 33 and insertion of new section 11C) by Shri Srinivas Mishra	652
(11)	लोकपाल विधेयक, 1967 (श्री प्र० के० देव का)	The Lokpal Bill, 1967 by H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo	652
(12)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967 (नई धारा 7 क और 7 ख का रखा जाना) (श्री ओ० प्र० त्यागी का)	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1967 (Insertion of new sections 7A and 7B) by Shri Om Prakash Tyagi	652—653
(13)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 156 का प्रतिस्थापन तथा नये अनुच्छेद 159 क का रखा जाना) (श्री प्र० के० देव का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Substitution of Article 156 and insertion of new Article 159A) by H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo	653
(14)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 164 का संशोधन) (श्री प्र० के० देव का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Article 164) by H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo	653
(15)	गन्ना (संशोधन) विधेयक, 1967 (श्री महाराज सिंह भारती का)	The Sugar Cane (Amendment) Bill, 1967 by Shri Maharaj Singh Bharti	654
(16)	हानिकारक पौधे नष्ट करना विधेयक, 1967 (श्री महाराज सिंह भारती का)	The Weeding of Harmful Plants Bill, 1967 by Shri Maharaj Singh Bharti	654

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(17) कम्पोस्ट विधेयक, 1967 (श्री महाराज सिंह भारती का)	The Compost Bill, 1967 by Shri Maharaj Singh Bharti	654
(18) कृषिक ऋण (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 4 का संशोधन) (श्री महाराज सिंह भारती का)	The Agriculturists Loans (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Section 4) by Shri Maharaj Singh Bharti	655
(19) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 59,66 आदि का संशोधन) (श्री स० चं० सामन्त का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Articles 59, 66 etc.) by Shri S. C. Samanta	655
(20) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 309 का हटाया जाना) (श्री स० चं० सामन्त का)	The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1967 (Omission of section 309) by Shri S. C. Samanta	655
(21) स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की सामयिक चिकित्सा परीक्षा) विधेयक, 1967 (श्री अ० कु० किस्कू का)	The Health (Periodical Medical Check up of President and Prime Minister of India) Bill, 1967 by Shri Amiya Kumar Kisku	659
(22) द्विविवाह निषेध विधेयक, 1967 (श्री कामेश्वर सिंह का)	The Prohibition of Bigamous Marriages Bill, 1967 by Shri Kameshwar Singh	659
(23) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 5 का संशोधन) (श्री कामेश्वर सिंह का)	The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Section 5) by Shri Kameshwar Singh	659
मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 2,3 आदि का प्रतिस्थापन) (श्री नीतिराज सिंह चौधरी का)	The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1967 (Substitution of Sections 2,3, etc.) Shri Nitiraj Singh Chaudhary	

अता० प्र० संख्य
U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत	Motion to introduce—negatived	
समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा 293क, 324 आदि का प्रतिस्थापन) (श्री मधु लिमये का)	Companies (Amendment) Bill (Substitution of Sections 293A, 324 etc.) by Shri Madhu Limaye	656
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	656
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	656
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	657
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	657
श्री रा० की अमीन	Shri R. K. Amin	658
उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल में आये भारी तूफान के फलस्वरूप उत्पन्न हुई भीषण स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion re. Serious situation resulting from recent cyclone in coastal areas of Orissa	660
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	660
श्री का० प्रा० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	661
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	662
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	662
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	663

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 16 नवम्बर, 1967/25 कार्तिक, 1889 (शक)
Thursday, November 16, 1967/Kartika 25, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद

+
*91 **श्री क० लकप्पा :**
श्री सिद्द्य्या :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री अगाड़ी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी जल सम्बन्धी विवाद के बारे में मैसूर, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक में किये गये निर्णय की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ 17 अगस्त, 1967 को और फिर 6 अक्टूबर, 1967 को बातचीत की थी। कृष्णा-गोदावरी विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। इस सम्बन्ध में जल्दी ही आगे और बातचीत की जाने की आशा है।

श्री क० लकप्पा : सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने बातचीत करने का निर्णय

किया था तो उनके सामने क्या तथ्य रखे गये थे, कौन कौन से मुख्य सिद्धान्तों के आधार पर चर्चा की गई थी और उस बैठक में कौन कौन से निर्णय लिये गये ?

डा० कु०ला० राव : जैसे मैंने पहले निवेदन किया है, इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिये कृष्णा नदी के पानी से सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिये प्रयोग का प्रश्न है, नदी में कुल कितना पानी है जिसका बटवारा किया जाना है और आन्ध्र प्रदेश के क्रेस्ट-गेटों का प्रश्न आदि कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिन पर चर्चा की गई है और इस से सम्बन्धित कई अन्य समस्याएं भी विचाराधीन हैं। यह एक जटिल समस्या होने के कारण इसपर अभी कुछ समय लगेगा और इस सम्बन्ध में काफी ऊँचे स्तर पर बातचीत हो रही है।

श्री क० लकप्पा : क्या यह सच नहीं है कि मैसूर के मुख्य मंत्री ने बड़े जोरदार शब्दों में तर्क दिया है कि क्रेस्ट गेटों को खोले जाने वाली बात, जो नागार्जुनसागर परियोजना के प्रथम चरण में खोलने का विचार नहीं है, ठीक नहीं है और इस बात पर आयोग सहमत है और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बैठक में इस प्रश्न पर किस रूप में चर्चा की गई और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये ?

डा० कु० ल० राव : मैंने यह पहले ही निवेदन किया है कि जिन विषयों पर चर्चा की गई थी, उनमें से यह एक था और इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

श्री सिद्द्ध्या : क्या यह सच नही है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कहा है कि यदि इस वर्ष 31 अक्तूबर तक इस विवाद को हल नहीं किया गया तो इस मामले को पंच फैसले के लिए सौंपना होगा और यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है, उन्होंने यह बात कही थी परन्तु बाद में इन बैठकों के कारण उन्होंने अपनी उक्त प्रार्थना को नहीं दोहराया।

श्री स० दा० पाटिल : जब सम्बद्ध राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस विवाद को पंच फैसले के लिये सौंपने के हेतु पहले ही प्रार्थना कर दी है फिर केन्द्रीय सरकार को ऐसे करने में क्या कठिनाई हो रही है ?

डा० कु०ल० राव : यह तो स्पष्ट बात है कि जो हल परस्पर समझौते से होगा, वह सर्वोत्तम होगा और उससे परस्पर मित्रता की भावना पैदा होगी और यदि कोई और तरीका अपनाया गया तो उसका प्रभाव इससे विपरीत होगा। अब तक हमने नदी के पानी से सम्बन्धित कोई विवाद पंच फैसले के लिये नहीं भेजा। हम सदा यही प्रयत्न करते रहे हैं कि समस्याओं का हल परस्पर समझौते से किया जाय और हम इसी तरीके को अपना रहे हैं।

श्री पे० वेंकटा सुब्बया : क्योंकि कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी के बटवारे के मामले का हल मैत्रीपूर्ण ढंग से किया जाना है जिससे विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या इन बैठकों के दौरान, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम द्वारा दिये निर्णय पर भी जो उस समय सिंचाई मंत्री थे, विचार किया गया था और उस निर्णय के अनुसार नदियों के पानी का कितना उपयोग किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम ने एक वक्तव्य दिया था । मैं उसे पंचनिर्णय नहीं कह सकता । कई लोगों द्वारा पूछ ताछ करने के फल-स्वरूप उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न सुझाव दिये गये थे । अब जबकि मैसूर और महाराष्ट्र के लिये कई परियोजनाओं की मन्जूरी दी गई है परन्तु आन्ध्र प्रदेश के लिये पिछले सात वर्षों में एक या दो तालाब बनाने के सिवाय और किसी परियोजना की मन्जूरी नहीं दी गई । हम इस समस्या को यथा शीघ्र हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री नाथपाई : डा० राव के भरसक प्रयत्नों के बावजूद यह समस्या अभी बनी हुई है और इस के कारण सम्बन्धित राज्यों में कटुता बढ़ रही है । इस समस्या में कई राज्य अन्तर्ग्रस्त है और इस समस्या का शीघ्र ही कोई समाधान ढूंढना चाहिये । इसलिये क्या मैं डा० राव को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक यह बता सकता हूँ कि यद्यपि हम यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस दिशा में काफी प्रयास किये है परन्तु हम यह भी महसूस करते हैं कि वह अपने प्रयत्नों में उतने ही असफल रहे हैं । अब जबकि राजनीतिज्ञ इस समस्या का समाधान नहीं कर सके तो क्या वह संविधान के उपबन्धों का सहारा लेकर समस्त देश के विशेषज्ञों की एक संस्था बनायेंगे, जिसे ऐसे सिद्धान्त बनाने के लिये कहा जाये जिनके आधार पर देश में विभिन्न नदियों के पानी का वितरण किया जाये और इस प्रकार शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का संतोषजनक हल ढूंढ निकालेंगे ? हालांकि वह अपने प्रयत्नों में अस-फल रहे हैं परन्तु इस समस्या का कोई हल तो निकालना ही है । यदि यही स्थिति है तो हम संविधान के उपबन्धों का लाभ उठाकर इस समस्या के समाधान के लिये विशेषज्ञों की एक स्थायी संस्था क्यों न बना दें ?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि हमें इसे विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहिये क्योंकि इस से बहुत से लोगों में परस्पर कटुता बढ़ती है । परन्तु इस बात को भी स्वीकार करना चाहिये कि अब उच्चतम स्तर पर अर्थात प्रधान मंत्री के स्तर पर प्रयास जारी हैं और हमें कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और यदि ये प्रयास असफल रहे तो अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कोई निर्णय करने से पूर्व क्या सरकार विभिन्न राज्यों को संतुष्ट करने के स्थान पर सारे देश के हित का ध्यान रखेगी ? क्या यह भी सच है कि हाल ही में अक्टूबर के महीने में इन तीन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कुछ संसद सदस्य नागार्जुन सागर देखने गये थे और उन्होंने कहा था कि क्रेस्ट गेटों पर काम आरम्भ किया जाना चाहिये और यह देश के हित में होगा कि इस कार्य में कोई बाधा उपस्थित न की जाये ?

डा० कु० ल० राव : समस्त देश के हितों का ध्यान रक्खा जाना बड़ी अच्छी बात है । परन्तु उसके साथ-साथ विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न पक्षों पर भी विचार किया जाना चाहिये और देश तथा राज्यों के हितों का एक साथ संरक्षण करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि न केवल आन्ध्र प्रदेश बल्कि मैसूर सरकार भी कोयना परियोजना में से नदियों के पानी को निकाले जाने के विरुद्ध है और क्या मैं यह पूछ

सकता हूँ कि क्या सरकार उन रिकार्डों का अध्ययन करने के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिये सहमत है जो पूना स्थित हाइड्रोलाजिकल रिसर्च इन्स्टीटयूट में रक्खे जा रहें हैं और जो इस सम्बन्ध में अध्ययन और अनुसन्धान करें जिससे नदियों में बाढ़ सम्बन्धी जल के अध्ययन में किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके किसी को लाभ पहुँचाने की कोई गुंजाइश न रहे ?

डा० कु० ल० राव : मेरे विचार में किसी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की कोई अवश्यकता नहीं है । हमारे देश में काफी सुविज्ञ और अच्छे इन्जीनियर हैं ।

श्री रंगा : हम निष्पक्ष विशेषज्ञ चाहते हैं जिन को किसी एक राज्य के हित की परवाह न हो ।

डा० कु० ल० राव : मेरा निवेदन यह है कि हमारे में देश ऐसे काफी अच्छे व्यक्ति है जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं ।

श्री रंगा : प्रश्न के दूसरे पहलू का उत्तर नहीं दिया गया जो कोयना में पानी ले जाने के बारे में था ।

डा० कु० ल० राव : मैंने कहा है कि इस प्रश्न पर भी बातचीत हो रही है और अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

श्री रंगा : मैसूर भी इसके विरुद्ध है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख: क्या सिंचाई मंत्री हमें यह बतायेंगे कि जब नागार्जुनसागर की तकनीकी मन्जूरी दी गई थी उस समय कौन से डिजाइन की तकनीकी रूप से मन्जूरी दी गई थी । उसमें विशेष कर बाँध की कितनी ऊँचाई का उपबन्ध था, क्रेस्ट गेटों और पानी जमा करने वाले तालाब का स्तर कितना रखा गया था ? क्या सिवासेलम में पानी छोड़ने की भी चर्चा हुई थी और यदि हां, तो तकनीकी मन्जूरी देते समय उस पर क्या निर्णय किया गया था ?

डा० कु० ल० राव : समस्या के सारे पहलू को देखते हुए यह एक मामूली सी बात है । जब किसी परियोजना की मन्जूरी दी जाती है, तो हम किसी बाँध की ऊँचाई या गेट आदि के बारे में विचार नहीं करते । हम पानी के उपयोग का ध्यान रख कर परियोजना की मन्जूरी देते हैं और यह भी देखते हैं कि कितना पानी कितनी भूमि की सिंचाई करेगा । गेट का प्रश्न इंजीनियरिंग से सम्बन्धित है जो निर्माण के समय की गई आगे की जांच पर आधारित होता है । फिर भी जिस समस्या का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। यह चाहे साधारण बात हो परन्तु सभा इस साधारण बात को जानना चाहती है । बाँध की ऊँचाई के बारे में कौन से डिजाइन की अनुमति दी गई थी ?

श्री रंगा : 543

डा० कु० ल० राव : इसके काफी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । नागर्जुनसागर परियोजना में जल एकत्र करने वाले तालाब के पूरे स्तर की ऊँचाई के बराबर चौड़ाई वाला

बांध बनाने की अनुमति दी गई थी। उस जलाशय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। जलाशय में पानी के स्तर को किसी निर्धारित ऊँचाई पर रखना था परन्तु बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया गया। इसी प्रक्रिया को कोयना तथा अन्य बहुत सी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपनाया गया था।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने कहा था कि तीन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी—(1) कोयना के पानी को अरब सागर में डालना, (2) पानी की मात्रा और (3) क्रेस्ट गेटों का प्रश्न। इन तीन बातों के बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि 1951 के करार के अधीन ट्राम्बे में बिजली पैदा करने के लिये अरब सागर में 67 5 टी० एम० सी० से अधिक पानी डालने की अनुमति नहीं है ? दूसरे, जहां तक पानी की मात्रा का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि तीन बार-एक बार हैदराबाद में, एक बार पूना में और तीसरी बार बंगलौर में आकार के बारे में प्रयोग किये गये और बेजवादा एनीकट पर कृष्णा नदी का जितना अधिक पानी जा रहा है, उसकी मात्रा के आंकड़ों की अनुसंधान के परिणामों की जांच की गई थी और विजयवाडा पर जो परिणाम निकाले गये थे वे इन प्रयोगों के परिणामों से मेल खाते हैं। जहां तक क्रेस्ट गेटों का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि जब नागार्जुनसागर परियोजना की मन्जूरी दी गई थी तो क्रेस्ट गेट या अरीय गेट डिजाइनों के अंग थे जिनकी मन्जूरी दी गई थी और..

श्री क० लकप्पा : इसका उल्लेख 1951 के करार में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1958 के डिजाइनों के आधार पर वर्ष 1960 में जब नागार्जुन सागर की मन्जूरी दी गई थी, तो क्रेस्ट गेट उन डिजाइनों के अंग थे और यदि ये बातें ठीक हैं तो फिर चर्चा के लिये क्या बात रह जाती है ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के सभी पहलुओं का उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि हम इस सारी समस्या का समाधान मैत्रीपूर्ण ढंग से ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और इन सभी सम्बद्ध मामलो पर विचार किया जा रहा है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि माननीय सदस्यों को हमसे अधिक सूचना प्राप्त है।

श्री दी० चं० शर्मा : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिये हैं उनके अनुसार प्रादेशिक हितों का ध्यान अधिक रखा जा रहा है और राष्ट्रीय हितों की लापरवाही की जा रही थी। हमें खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिये। यदि प्रादेशिक हितों का ध्यान रखा गया और ये विवाद अनिर्णीत पड़े रहे तो अनाज के बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे कार्यक्रम में उतनी ही बाधा पड़ेगी।

डा० कु०ल० राव : मैंने यह कहा था कि राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये परन्तु उसके साथ-साथ विभिन्न प्रादेशिक असंतुलनों पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगा कर उन्हें यथासम्भव पूरा करने का प्रयास करना चाहिये और इस प्रकार राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक दोनों हितों का ध्यान रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण, कृष्णा नदी दक्षिण भारत में है।

श्री शिव नारायण : मेरा सम्बन्ध सारे देश से है। सिचाई मन्त्री क्योंकि स्वयं एक विशेषज्ञ इंजीनियर हैं; तो तीनों मुख्य मन्त्रियों को किसी समाधान पर सहमत करने के लिये कितना समय लगेगा ? यदि वे इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी नये दल को नियुक्त क्यों नहीं कर देती ?

डा० कु०ल० राव: जैसा कि मैंने कहा कि अब इस समस्या पर प्रधान मन्त्री विचार कर रही हैं और इसलिए अब इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

Shri Tulshidas Jadhav : Will the Hon'ble Minister be pleased to state the basis on which the division of the water that is available in the catchment area, is made? What is the basis of 800 TMC, 600 TMC and 400 TMC water allocated to Maharashtra? If this water is not supplied in full quantity, the irrigative schemes of Maharashtra would not be implemented. In view of this position why this water is not being released early? The schemes are there but in the catchment areas in which water is in excess, it is not being supplied to them but instead of it is being supplied to others, I want to know the reason thereof ?

डा० कु० ल० राव: जहाँ तक पानी के वितरण का सम्बन्ध है, यह मामला बहुत बड़ा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कृष्णा नदी के मामले में कठिनाई यह है कि पानी की कुछ मात्रा का पहले ही बचन दिया जा चुका है और परियोजनाओं की मन्जूरी दी जा चुकी है। विवाद खड़ा होने तक 70 प्रतिशत पानी का पहले ही बचन दिया जा चुका था। इसलिये अब इसे एक नई नदी स्वीकार करने में कुछ कठिनाई हो रही है क्योंकि इस का अर्थ यह होगा कि प्रत्येक परियोजना का पुनर्वलोकन किया जाये जिन पर करोड़ों रुपयों की लागत आयेगी। इस लिये यह एक जटिल समस्या बन गई है। महाराष्ट्र की परियोजनाओं के बारे में सरकार की नीति यह है कि कृष्णा थाला (बेसिन) पर प्रत्येक लाभकारी सिंचाई योजना की मन्जूरी दी जायेगी और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक अधिकतम परियोजनाओं की मन्जूरीं दी जा चुकी है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Instead of leaving these disputes to the Chief Ministers and Prime Minister for a decision who cannot overlook political interests why these river water disputes are not referred to arbitration award of which should be binding on all the parties ?

डा० कु० ल० राव : मैंने यह पहले बताया था कि विवादों का बातचीत द्वारा हल किया जाना सर्वोत्तम बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री बी० एन० राव ने, जो वर्ष 1941-42 में इण्डस कमीशन के अध्यक्ष थे, कहा था कि नदी के विवादों को संतोषजनक समाधान बातचीत द्वारा ही ढूंढा जा सकता है न कि कानूनी झगड़ों द्वारा। इसीलिये मैं कहता हूँ कि मैत्री-पूर्ण ढंग से इन समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : There are prolonged disputes pertaining to allocation of water between the states such as Krishna Godavari dispute between Maharashtra, Mysore and Andhra Predesh, and Narbada Valley Project between Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and it is always said that negotiations are going on. Every State is putting forth its own argument and its seems that some States get special support from the centre. In view of this possition whether Honble Minister would form a high power committee.

अध्यक्ष महोदय : अभी यही प्रश्न पूछा गया था तथा उत्तर भी दिया गया था। उसमें केवल भाषा का अन्तर था। अब अगला प्रश्न।

स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया, संसद-सदस्य का उपचार

+

*92. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री ना० स्वा० शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या स्वास्थय तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया का संसत्सदस्य होने के नाते विशेष रूप से उपचार करना चाहिये था ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के आपरेशन में और बाद में उनके उपचार करने में लापरवाही बरती गई; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की स्थिति को देखते हुए उनका जितना अच्छा इलाज किया जा सकता था, किया गया था।

(ख) जी; हां।

(ग) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने रिकार्ड देखा था और डा० राम मनोहर लोहिया की चिकित्सा के सम्बन्ध में आपरेशन के दौरान या उसके बाद किसी प्रकार की लापरवाही नहीं देखी गई।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जो आपरेशन उनका हुआ था उसमें डाक्टरों के अनुसार सामान्य रूप से 50 मिनट लगते हैं, परन्तु डा० लोहिया के आपरेशन में $3\frac{1}{2}$ घण्टे लगे थे और जब कि सब लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि डा० लोहिया रक्तचाप के रोगी थे, उनका रक्तचाप स्थिर नहीं हो रहा था; यह दूसरा आरोप है.........

क्या इन बातों पर विचार किया गया है और क्या यह भी सच है कि पिछले महीने की 7 तारीख को जब डाक्टर लोग उस सारी चीज को खोलना चाहते थे, ब्रिगेडियर लाल तब तक कि कर्तव्यविमूढ़ अवस्था में थे जब तक डा० कोशी ने उन्हें अपने निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने पर विवश नहीं किया कि उसे खोला जाये और साफ किया जाये। सच्चाई क्या है ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : इस सम्बन्ध में हमारे पास ब्यौरेवार विवरण है। क्योंकि ऐसे प्रश्न

और भी आने की सम्भावना है, इसलिये मैं एक एक प्रश्न का अलग अलग उत्तर नहीं दे सकता इसलिए, यदि आप की अनुमति हो तो मैं सारा विवरण पढ़ दूँ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं मंत्री महोदय से कह दूँ कि वह उसे सभा पटल पर रख दें और हम किसी दूसरे दिन पर उस पर चर्चा कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Let it be taken up next time.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उसे आज सभा पटल पर रख देंगे। हम उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : प्रश्नों के समय के बाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के समय के बाद नहीं। प्रश्न के समय में ही हम इसपर विचार करेंगे। हम अगले गुरुवार को इस पर चर्चा कर सकते हैं।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना

\+
*93. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री जनार्दनन** :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सहकारी संघ के सहयोग से सहकारी क्षेत्र में एक बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस कारखाने के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां।

(ख) काण्डला में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एक पूर्ण भारतीय स्वामित्व कम्पनी मेसर्स इण्डियन फार्मर्ज फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव लि० को एक आशय पत्र जारी किया गया है। परियोजना की 215,000 मीटरी टन नाइट्रोजन, 127,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ और 66,000 मीटरी टन के$_2$ ओ की क्षमता होगी।

(ग) लागत का प्रारम्भिक अनुमान 89,25 करोड़ रुपये है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 38.17 करोड़ रुपये है किन्तु इस प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

Shri Bhogendra Jha : What are the conditions of the agreement with American Cooperative Organisation. Who would constitute management Board etc.

श्री रघुरामैया : भारत सरकार के विचार में मूल्य अधिक थे। अतः हम इन पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक अन्य शर्तों की बात है हमने मैसर्ज इंडियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड को उद्देश्य-पत्र जारी कर दिया है। इस कार्य में पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात,

राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, प्रदेश, मैसूर, मद्रास और उड़ीसा की सहकार समितियां इसमें भाग लेंगी। विदेशी मुद्रा तो ऋण के रूप में होगी। तरीकों के चयन, इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सहकार संगठन की सहायता से किया जायेगा। यह संगठन समझौते के अनुसार प्रबन्ध कार्य में भागी होगा। इस कार्य में नेपता ही आधार होगा।

Shri Bhogendra Jha : I want to know whethor this proposal of cut in expenditure has been made by American Organisation or Government is considering this as essential ?

श्री रघुरामैया : जहां तक संभव हुआ देश के इंजीनियरी, निर्माण तथा तकनीकी संसाधनों का पूरा पूरा लाभ उठाया जायेगा। वितरण कार्य सहकार समितियों द्वारा किया जायेगा जो उस समता से भाग लेंगी। मूल्य नियन्त्रण पर कोई पाबन्दी नहीं होगी।

Shri Bhogendra Jha : The hon. Minister's answer indicates that the agreement is yet to be finalised. If the conditions like-no control of Government of India on price of fertilizer and its distribution etc. have not been finalised. I think Government should consider this fully. I want to know as who constitutes the Organisation. is It an organisation of American farmers or it is a bodyo mill owners. Secondly whether we would make use of our own resources in order to save foreign exchange ?

श्री रघुरामैया : मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं होगा। आरंभ में भारत सरकार 2/3 भाग लेगी परन्तु शनैः शनैः यह कार्य सहकार समिति के पास चला जायेगा।

Shri Bhogendra Jha : Who will decide the price of fertilizer ? It is not clear from Minister's answer that the price of fertilizer would be fixed or not or there would be any control ovits price ?

Mr. Speaker : Hon. Minister has said that there would be no price control and in the beginining Government of India will have two third share in equity participation and gradually it would be entirely in Government hands.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष डा० साराभाई के हाल के इस वक्तव्य की ओर गया है कि अणुशक्ति के प्रयोग से उर्वरक के उत्पादन में कई गुना वृद्धि की जा सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि इस एकक में इससे लाभ उठाया जायेगा और क्या दूसरे टाटा द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार किया गया है?

योजना, पेट्रौलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 'जी नहीं' है और प्रश्न के दूसरे भाग कि टाटा के सुझाव पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : पश्चिमी क्षेत्र के किस तेल शोधक कारखाने से प्रस्तावित संयन्त्र को नेपता सप्लाई किया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : ब्यौरे पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : यदि अभी तक ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक नेपता आदि के बारे में अनुमान नहीं लगाया गया है तो आगे कैसे विचार कर सकते हैं ?

श्री अशोक मेहता : प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिये मैं इस समय जानकारी नहीं दे सकता हूँ।

Shri Sarjoo Pandey : Previously there was a plan for setting up in U. P. with an American Cooperative Organisation. It was later on dropped. I want to know whether a plant would be set up in U. P. also.

Shri Asoka Mehta : For the present we are setting up one plant and it would be at Kandla.

श्री श्रद्धाकार सुपाकर : विभिन्न राज्यों का पूंजी में कितना कितना भाग होगा ?

श्री रघुरामैया : पंजाब 2.5 करोड़ रुपये, हरियाना 1 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश 2.5 करोड़ रुपये, गुजरात 0.5 करोड़ रुपये, राजस्थान । करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश 0.5 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 0.5 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश 0.5 करोड़ रुपये, मैसूर 0.5 करोड़ रुपये, मद्रास और उड़ीसा के इसी के समान है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सहकार समितियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं और उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्या सरकार इस बारे में एक जांच आयोग नियुक्त करेगी ? दूसरे क्या इतना अधिक सार्वजनिक धन इस प्रकार की परियोजना में लगाना सुरक्षित है ?

श्री रघुरामैया : कांडला के बारे में निर्णय का आधार यह था कि महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश आदि में सहकार समितियां संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

Shri Randhir Singh : Fertilizer is the biggest demand of farmers of our country. I want to know when we would be self sufficient in respect of this and when Government will be in a position to supply fertilizer at concessional or subsidised rates.

श्री अशोक मेहता : हमारे वर्तमान निश्चित प्रस्तावों के अनुसार 1970-71 तक हमारी उत्पादन क्षमता 21 लाख टन होगी। अन्य प्रस्तावों जिनपर अभी विचार हो रहा है, के अनुसार 1971-72 तक हमारी उत्पादन क्षमता 30 लाख टन होगी।

Shri Maharaj Singh Bharti : I want to know whether it is a fact that we will not be using indigenous raw material and the cost of import thereof would be more than the cost on import of fertilizer itself.

Shri Asoka Mehta : It is wrong.

हम इन सभी बातों पर हम विचार कर रहे हैं। इस समय मैं व्यौरा नहीं बता सकता।

श्री स० कुन्दू : आयोजन में सन्तुलन लाने के लिये यह सुझाव दिया गया था कि कुछ उर्वरक संयन्त्र अल्प विकसित राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिये और एक प्रस्ताव था कि एक संयन्त्र पारादीप में लगाया जायेगा। क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है ? दूसरे नाइट्रोजन वाला एक नेफ्ता प्लाट लगाने का सुझाव भी.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया गया है। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री अशोक मेहता : पारादीप के स्थान पर संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। दूसरे नेफ्ता संयन्त्र के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। कई पहलुओं पर विचार किया जाना है। हमें पैट्रोलीय उत्पादों सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार करना है देखना है कि हम कितना नेफ्ता का उत्पादन कर सकेंगे। अच्छी तरह विचार करने के बाद हम निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचकर निर्णय करेंगे। यह अध्ययन कार्य चार या पांच सप्ताहों में पूरा हो जायेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बैया : इस संयन्त्र का प्रबन्ध विदेशी सहयोगी के हाथ में देने के क्या कारण हैं?

श्री अशोक मेहता : यह इसलिये किया जा रहा है क्योंकि हमारी सहकारी समितियों को संयन्त्र को चलाने सम्बन्धी अनुभव तथा जानकारी नहीं है। कुछ समय तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

दिल्ली की वहद् योजना

*95. **श्री कंवर लाल गुप्त** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की वृहद् योजना का पुनर्विलोकन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं, दिल्ली डेवलपमेंट ऐक्ट, 1957 के उपबन्धों के अनुसार जहां भी आवश्यक समझा गया वहां दिल्ली की वृहद् योजना में निर्धारित भूमि-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दे दी गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are about 210 unauthorised colonies in Delhi and there are about 55 thousand plots in them. There are about 30 thousand such plots that where houses have been constructed and about 5 thousand persons live in those houses. Most of these plots are within the areas of green belt and that is why they have not been regularised. People living in the colonies are being served notices of demolition. It means that seven or eight crores of rupees will go waste. I want to know whether some changes would be made in the Master Plan to regularise these colonies, so that houses may be constructed in these colonies.

Shri Iqbal Singh : So far unauthorised colonies are concerned, there is no proposal to revise the Master Plans. We have asked the Delhi Municipal Corporation to report as to how Master Plan can be revised. They have been asked to indicate which unauthorised colonies can be regularised. After the report is received, we would look into this matter. It cannot be said as to what will be the decision.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether the Hon. Minister is aware that when the Master Plan was formulated it was estimated that annual increase of Delhi's population would be about one lakh persons but actually the annual increase is about two lakhs. Due to this all calculations have proved wrong and all construction activity is at a stand-still. I want to know whether the Committee constituted by the Home Minister, Hon. Minister is a member of that committee—has recommended that Master Plan should be revised ? Now the Hon. Minister says that there is no such proposal. I feel that if no prompt action is taken, there would be difficulties. I want to know the details of difficulties that have come to notice.

Shri Iqbal Singh : This plan was formulated with the assumption that the population of Delhi would increase at the rate of about one lakh persons every year, but in reality the increase is about two lakhs every year. We are revising the pattern of density for this. We are constructing vertical multi-storeyed buildings in those areas, so that more people could be provided with accommodation. But it is not proper to bring about changes in the Master Plan.

Shri Kanwar Lal Gupta : I did not say that it should be changed but it should be revised and reviewed.

Shri Iqbal Singh : I cannot say about the committee. Its recommendations have just been received by Government.

Dr. Sushila Nayar : Is it not a fact that the more the relaxation is given the number of unauthorised constructions goes up ? The position of capital is becoming very ackward. What steps are being taken to check this type of construction?

Shri Iqbal Singh : There are certain people in this category who have constructed houses on Government land. They come under Jhuggi Jhonpri scheme. The Home Minister has constituted a committee about them. It has submitted its report which is under consideration. Then there are unauthorised colonies which came into being long back. We are trying to ensure that no such colonies come up again. If we want to make Delhi a livable and beautiful city, we will have to check the unauthorised constructions.

Shri Ram Charan : Most of the people who would be evicted as a result of implementation of Master Plan belong to scheduled castes or to the low income group. These people are being thrown at very far off places from the city. This is like the treatment that was meted out to the low class people in ancient days. I want to know whether this plan would be changed or not, so that the poor slum dweller is not disturbed? Delhi is under Jan Sangh rule, but this is the responsibility of the Centre which is under Congress Party.

Shri Iqbal Singh : So far as the land is concerned, about 55 thousand acres of land in Delhi, which is inhabitated by the poor and the rich is being acquired, so it can be distributed in plots. We do not want the evictions of the poor or the Harijans, but a person who is squatting on Government land, will have to be removed from there. There is no question of rich or poor in this. Last time it was alleged here that some rich people have been removed. We cannot allow unauthorised occupation of Government land.

श्री ब्रह्म प्रकाश : दिल्ली मास्टर प्लान में दो मुख्य बातें हैं । दिल्ली राज्य के क्षेत्र में जनसंख्या का ध्यान रखा गया है और दूसरे दिल्ली में जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिये निकटवर्ती जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाना आदि राज्यों के क्षेत्रों को भी विकसित किया जायेगा । इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri Iqbal Singh : So far as the concentration of population and provision of essentail facilities are concerned, we are revising the Master Plan. Similarly a powered committee has been formed and the Chief Ministers of U. P., Haryana and Rajasthan are its members. This Committee is looking into the matter of development of neighbouring towns.

Shri Balraj Madhok : The Hon. Minister has said that the population of Delhi is increasing and they are changing the pattern of density. He has admitted that changes are necessary in the Master Plan. I want to know whether a committee, consisting of representatives of Delhi Administration and Central Government, would be formed to review the Master Plan and ensure as to how the needs of the increasing population of Delhi could be met ?

Shri Iqbal Singh : This Master plan was initiated in 1956 and its conception completed in 1962. Zonal plans were prepared accordingly. About 82 Zonal plans have been prepared. Some of them are with D.D.A. and some are with the Municipal Corporation while some have bren approved by Government. If we go on changing the concept of the plan, there would be no end. There is no proposal to appoint a committee in this regard. We have to implement the plan and if there is any difficulty, Government will have to remove the difficulty, Government has got the right to make the changes etc.

श्री पीलु मोंडी: शायद दिल्ली ही देश का एक बड़ा नगर है कि जिसका मास्टर प्लान बनाया गया है परन्तु उस प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इस प्लान की कार्यान्विति का कार्य तकनीशनों के स्थान पर राजनीतिज्ञों के हाथ में चला गया है। जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि मुख्य मन्त्रियों को यह काम सौंपा गया है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्लान को पुनः तकनीशनों को सौंपा जायेगा ?

श्री इकबाल सिंह : हम तकनीशनों की मन्त्रणा पर कार्य कर रहे हैं। हम किसी प्रकार के दबाव में आकर कार्य नहीं कर रहे हैं। हम तो प्लान को कार्यान्वित करना चाहते है।

मद्य निषेध

96. **श्री वासुदेवन नायर**:

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में मद्यनिषेध को पहले ही समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन राज्य सरकारों ने मद्यनिषेध को समाप्त करने के समर्थन में क्या कारण बताये हैं ;

(ग) क्या उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुनर्विलोकन किया है; और

(घ) यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) अब तक मद्य निषेध वाले केरल के चार जिलों तथा हरयाना के एक जिले से मद्य

निषेध समाप्त किया गया है मध्य प्रदेश मद्य निषेध अधिनियम, 1938 को 1 अगस्त 1967 से निरसन कर दिया गया है।

(ख) हरयाना सरकार ने बताया है कि उन्होंने अनाचारों को दूर करने, तस्करी रोकने तथा वैध राजस्व प्राप्त करने के लिये मद्य निषेध को समाप्त किया है। केरल ने कोई विशिष्ट करण नहीं बताया है तथा मध्य प्रदेश के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वासुदेवन नायर : बहुत सी राज्य सरकारों ने यह उचित समझा है कि मद्यनिषेध समाप्त कर दिया जाये। क्या कई राज्य सरकारों ने मद्यनिषेध से होने वाली वित्तीय हानि को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी किये जाने की मांग नहीं की है। क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने जा रही है?

श्री अशोक मेहता : ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : बहुत से राज्यों को अनुभव हुआ है कि जहाँ पर मद्य निषेध लागू है वहां पर अवैध तरीके से मदिरा बनाना आदि कुप्रथाएं प्रचलित है, तो क्या केन्द्रीय सरकार यह उचित नहीं समझती कि मद्यनिषेध में ढील दे दी जाये और या इसे पूरे देश में समाप्त कर दिया जाये ?

श्री अशोक मेहता : कुप्रथाओं के बारे में भिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार के अनुभव हुए हैं। उदाहरणार्थ गुजरात तथा मद्रास राज्य का अनुभव है कि किसी प्रकार की कुप्रथा नहीं है। सरकार संविधान में दिये निर्देशात्मक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करती है।

श्री वासुदेवन नायर : वित्त मन्त्री ने चन्डीगढ़ में कहा था कि अब युवा स्त्रियां भी मद्यपान करने लगी हैं।

श्री शंकरानन्द : सभी राज्य मद्यनिषेध समाप्त करते जा रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार संविधान के निर्देशात्मक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री अशोक मेहता : मद्यनिषेध हो या न हो, यह निर्णय राज्य सरकारों को करना है। हां केन्द्रीय सरकार संविधान में दिये निर्देशात्मक सिद्धान्तों के अनुसार मद्य निषेध को लोकप्रिय बनाना चाहती है। हम वित्तीय हानि को पूरा नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई एक समिति ने अनुमान लगाया था कि हानि लगभग 65 से 70 करोड़ रुपये की होगी। मेरे विचार में यह अब 80 करोड़ रुपये हो गई होगी।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि मद्यपान से व्यक्ति की सोचने की शक्ति तेज होती है।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): यदि माननीय सदस्य की राय में मद्यपान से विचारों में तीव्रता आती है तो मुझे उनके विचारों पर खेद **है**।

डा० सुशीला नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मद्यनिषेध का शराब के अवैध रूप से बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह सिद्ध हो चुका है कि मद्यनिषेध लागू करने से वित्तीय हानि नहीं होती है, क्या सरकार समूचे देश में मद्यनिषेध लागू करने के लिये कदम उठायेगी ?

श्री अशोक मेहता : मैं नहीं जानता कि भारत सरकार किन शक्तियों के अन्तर्गत मद्यनिषेध लागू नहीं कर सकती। इस विषय में राज्य सरकारों को निर्णय करना है।

Shri Rabi Roy : I want to know whether Government is aware that in enforcing such prohibitory orders the police becomes very atrocious; if so, what steps are proposed to be taken in this direction ?

Shri Ashok Mehta : As I said the experneice in various States is varied. In Madras State the D.M.K. Government is continuing the prohibition policy of Congress Government. They did not find any tyranny in it. It is difficult for me to make a generalised statement in this regard.

— — — —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के निवृत्तवेतन भोगियों को मंहगाई भत्ते का दिया जाना

*94. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अगस्त, 1966 को भारत पेंशन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला और उन्होंने एक ज्ञापन दिया जिस पर 20 हजार से भी अधिक पेंशन प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के हस्ताक्षर थे और जिसमें यह मांग की गई थी कि उन्हें केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी वस्तुओं के काफी बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पेंशन प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के निवृत्तिवेतन में वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। प्रतिनिधि मण्डल ने उस तारीख को प्रधान मंत्री को ज्ञापनों का एक बड़ा बण्डल भेंट किया ।

(ख) पेंशनरों की महगाई भत्ते की मांग पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है परन्तु उसे स्वीकार करना, सम्भव नहीं पाया गया ।

(ग) और (घ) पेंशनरों को राहत की मात्रा बढ़ाने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। साधनों की वर्तमान स्थिति के कारण इस प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

चीन से चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं

*97. श्री क० म० सिंह देव : श्री ओं० प्र० त्यागी :
श्री म० ला० सोंधी : श्री चेंगलराय नायडू :
श्री मरण्डी : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन की बनी कई प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं नेपाल तथा पाकिस्तान की सीमा के मार्ग से चोरी छिपे भारतीय बाजारों में लायी जा रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) :

(क) चीन की बनी वस्तुएं जैसे फाउण्टेनपेन, सिगरेट लाइटर और सुइयाँ चोरी-छिपे नेपाल और पाकिस्तान से लाई जाती हैं । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों देशों से इस प्रकार का माल बड़े पैमाने पर चोरी छिपे लाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क अधिकारी चोरी-छिपे माल लाने ले जाने के हेतु सुगमता से पार करने योग्य स्थानों पर कड़ी नजर रखते हैं और देश में चोरी-छिपे माल लाने को रोकने के लिये तथा चोरी-छिपे लाये गये माल का पता लगाने के लिये विभिन्न स्रोतों से सूचना इकट्ठी करते हैं । जनवरी 1966 से जून 1967 तक की अवधि में लगभग 1.6 लाख रुपये मूल्य का चीन का बना माल पाकिस्तान और नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ा गया ।

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण

*98. श्री इंद्रजीत गुप्त: श्री हेमराज :
श्री अब्राहम : श्री प्र० न० सौलंकी :
श्री विश्वनाथ मेनन : श्री राने :
श्री अ० क० गोपालन : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री एस्थोस : श्री रणधीर सिंह :
श्री कं० हाल्दर : श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नायनार : श्री रामावतार शास्त्री :
श्री प० गोपालन : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री नम्बियार : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री चक्रपाणि : श्री राम जी राम :
श्री राम कृष्ण गुप्त : श्री स० कुन्दू :

श्री सरजू पाण्डेय: श्री बसवन्त:
श्री कंवरलाल गुप्त : श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें ये हैं कि ऋण नीतियों को विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ऋण परिषद् स्थापित की जाय और बैंकों पर कुछ मामलों में और कड़ी निगरानी रखी जाय।

(ग) संसद् के सामने इस सम्बन्ध में जल्दी ही निश्चित प्रस्ताव रखे जाँयगे।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

*99. **श्री श्रीधरन : श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्री चरण जीत राय :
डा० अ० ग० सोनार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था बहुत छोटे पैमाने पर कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में किस सीमा तक घाटे की व्यवस्था की जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले सात मास में केन्द्रीय सरकार ने कोई घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं की। यह कहना तो अपरिपक्व होगा कि बाकी वर्ष में घाटे की अर्थ व्यवस्था होगी क्योंकि बहुत कुछ इस समय राजस्व प्राप्ति तथा विदेशी सहायता पर निर्भर होगा।

Compulsory Family Planning

*100. **Shri O. P. Tyagi : Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Srinibas Misra : Shri Marandi :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) Whether Government have received any suggestions from State Governments to the effect that Family Planning should not be treated as voluntary, but it should be made applicable compulsorily to all the married couples after having a fixed number of children; and

(b) If so, whether Government propose to enforce such a law for family planning?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandra Sekhar) :

(a) and (b) Only the Government of Maharashtra recommended to the Government of India to take legal and constitutional steps to make vasectomy or tubectomy compulsory in the case of all citizens, irrespecilve of caste and creed, having 3 or more children. This recommendation has since been withdrawn by the State Government and it has been decided not to pursue it.

पश्चिमी क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*101. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री रमानी : **श्री क० लकप्पा :**
श्री विश्व नाथ मेनन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री बलराज मधोक : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के कर्मचारियों ने 11 सितम्बर, 1967 से हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ; ग्रौर

(ग) विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) तेल ग्रौर प्राकृतिक गैस कमीशन, पश्चिमी क्षेत्र के कर्मचारियों ने 12-9-67 से हड़ताल कर दी।

(ख) एक विवरण जिसमें कि कर्मचारी मजदूर सभा की 45 मांगें प्रस्तुत की गई हैं, सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1587/67**] बाद में एक नई मांग पेश की गई कि वेतन में ग्रन्तरिम सहायता के रूप में मूल वेतन की 15 प्रतिशत की वृद्धि तत्काल कर दी जावे । वेतन मान में ग्रौर ग्रधिक वृद्धि के संशोधन इसके बाद हों।

(ग) भारत सरकार ने मुख्य मुख्य मांगे ग्रधिनिर्णय के लिये राष्ट्रीय ट्रिब्युनल के समक्ष पेश कर दी हैं । जब हड़ताल वापस ली गई थी, तब यह फैसला हुग्रा था कि सम्बन्धित पक्षों की ग्रापसी बातचीत के द्वारा वेतन में संशोधन करने के प्रश्न को तय करने का प्रयत्न किया जावेगा ग्रौर यदि 2 माह के ग्रन्दर किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जाता, तो ग्रधिनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही जारी रहेगी। तदनुसार कमीशन ग्रौर कर्मचारी यूनियनों में इस समय बातचीत चल रही है ।

कर प्रणाली को सरल बनाना

*102. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर प्रणाली को सरल बनाने में ग्रौर कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस समय यह मामला किस ग्रवस्था में है; ग्रौर

(ग) यदि किसी योजना पर विचार किया जा रहा है तो उसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में 6-7-1967 तक हुई प्रगति का विवरण-पत्र प्रश्न संख्या 964 के उत्तर में दिया गया था । तब से हुई अतिरिक्त प्रगति बताने वाला विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1588/67]

(ख) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ पर टैरिफ पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट, तथा पुनरीक्षित सीमा-शुल्ल टैरिफ को अंगीकार करने के लिये दिया गया उक्त समिति का सुझाव विचाराधीन है । अप्रत्यक्ष करों से सम्बंधित कर कानूनों पर एक व्यतिक समिति (भूतलिंगम समिति) की रिपोर्ट तथा प्रत्यक्ष करों से सम्बंधित उस समिति की अतिरिक्त रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) टैरिफ पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की छानबीन पूरी होते ही पुनरीक्षित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क टैरिफ को लागू करने के लिये आवश्यक कानून संसद में पेश किया जायगा । लेकिन क्योंकि अप्रत्यक्षकरों के सम्बन्ध में कर कानूनों पर एक व्यक्तिक समिति की रिपोर्ट तथा प्रत्यक्ष करों के बारे में उक्त समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये इस समय यह बताना संभव नहीं है कि आवश्यक समझे गये परिवर्तनों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ।

कृषि ऋण निगम

*103. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कृषि-ऋण निगमों के स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) उनकी कार्य-प्रणाली क्या होगी; और

(ग) किसानों को ऋण देने के मामले में ऋण देने वाली वर्तमान संस्थाओं की तुलना में ये किस तरह अधिक कार्यकुशल तथा लाभकारी होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विचार किया गया है कि कृषि ऋण निगम, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान राज्यों में तथा मणिपुर और त्रिपुरा संघीय राज्य क्षेत्रों में स्थापित किये जायं ।

(ख) और (ग) ये निगम, उपर्युक्त राज्यों के उन क्षेत्रों में कृषि-उत्पादन के लिए छोटी और दरमियानी मीयादों के ऋणों की व्यवस्था करेंगे, जिनमें ऋण देने वाली मौजूदा सहकारी संस्थाएं कमजोर हैं और ऋण सम्बन्धी ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं ।

शल्य चिकित्सा के औजारों का निर्माण

*104. **श्री न० कु० सांघी** : **श्री रा० रा० सिंह देव** :
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री देवव्रत बरुआ** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शल्य चिकित्सा के औजार कारखानों में बनने वाले औजारों में से केवल 2 प्रतिशत की ही देश में खपत होती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) इन औजारों को बेचने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) से (ग) यह अनुमान है कि प्रश्न का सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम मेसर्स इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शल्य चिकित्सा के औजार कारखाने, मद्रास से सम्बन्ध हैं। इस कारखाने की प्रतिवर्ष शल्य चिकित्सा के औजारों में 2.2 मिलियन टुकड़ों को, जिनका लगभग 15 मिलियन रुपये मूल्य है, तैयार करने की क्षमता निर्धारित की गई है। आरम्भ से अर्थात सितम्बर, 1965 से जुलाई 1967 के अ त तक कारखाने में 315501 औजार तैयार किये तथा 19917 बेचे। यह स्पष्ट है कि कारखाने के उत्पादक-नमूनों में काफी पुनरीक्षण की आवश्यकता है और परिवर्तन के तौर पर नये मद तैयार किये जाने चाहिए। इस ओर आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इसके साथ साथ उत्पादन के निर्यात की गुंजाइश का कुछ आशाजनक सम्भावनाओं की दृष्टि से अध्ययन किया गया है।

आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना

*105. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री हेम बरुआ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा हाल में आयोजित राज्य औद्योगिक सम्मेलन में यह मांग की गई है कि आसाम में एक दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) यह विचाराधीन है।

गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

*106. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में पाँच अथवा छः उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये बातचीत कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) निजी क्षेत्र में उर्वरक प्लान्ट के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए सरकार ने आश्य-प्रत्र प्रेषित किये हैं :—

	स्थिति	मीट्रिक टन नाइट्रोजन
1.	हल्दिया	142,000
2.	वाइजैगू विस्तार	155,000
3.	गाजियाबाद	160,000
4.	मिर्जापुर	160,000

औद्योगिक लाइसेंस देने के पहले इन प्रस्तावों पर और वार्ता आवश्यक होगी। कुछ और प्रस्ताव भी आये हैं जिनका अभी तक पूर्ण ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है। ये निम्नलिखित के द्वारा हैं :—

1. वेरिया केमिकल (स्थल विशाखापत्तनम् में)
2. टाटा (उर्वरक मैरीन केमिकल्स काम्प्लेक्स मीथापुर के निकट);
3. एटलैंएिटक रिच्फील्ड (स्थान के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ) और
4. इन्टरौर (काकीनाड़ा में उर्वरक प्लांट)।

नानक सागर बांध में दरार का पड़ना

*107. **श्री राम किशन : श्री न० कु० साल्वे :**
श्री हरदयाल देवगुण : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नानक सागर बाँध में दरार पड़ने के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से जांच करने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) उसके निर्देश पद क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल के नानक सागर बाँध में 7/8 सितम्बर, 1967 की रात्रि को दरार आ जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक जाँच समिति नियुक्त की है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1.	श्री हरिश्चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा	अध्यक्ष
2.	श्री पी० एम० माने० सदस्य (डिजाइन तथा रिसर्च), केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
3.	श्री जगदीश प्रसाद, अवकाशप्राप्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. नानक सागर बांध के टूटने के क्या कारण हैं ? क्या उसकी नींव में कोई कमी थी ?
2. क्या नानक सागर बाँध को टूटने से बचाया जा सकता था ? यदि हां तो किन उपायों से ?

3. आरंभ से लेकर अबतक बांध के निर्माण में अथवा उसकी समुचित मरम्मत न करने में क्या कोई अधिकारी दोषी है । यदि हां, तो उत्तरदायित्व किन-किन पर है ?

4. क्या विभागीय अधिकारी, बांध टूटने की संभावना को जानबूझ कर छिपाए रहे और उन्होंने समय पर शासन को और अन्य प्रशासकीय अधिकारियों को सूचना नहीं दी ?

5. बांध की मरम्मत के समय क्या-क्या सावधानी बरती जाए कि दुर्घटना न हो ? जांच समिति जांच करके तीन मास के अन्दर अपना प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

आय-कर की बकाया राशि

*108. **डा० रानेन सेन :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी : **श्री मधु लिमये :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये कारगर उपाय करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही में किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) राज्य सरकारों से वसूली का कार्य क्रमशः केन्द्र में लेना । राज्य सरकारों से वसूली का कार्य दिल्ली तथा आन्ध्र प्रदेश के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप मे और आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, गुजरात तथा राजस्थान के कार्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से ले लिया गया है ।

(ii) काम के अनुसार कार्य विभाजन की एक योजना लागू करना जिसके अन्तर्गत कर की प्राप्य रकम की वसूली का कार्य पूरी तौर से इसी काम पर लगे आयकर अफसरों को सौंपा जायगा ।

(iii) वसूली के लिये बकाया पड़ी रकमों के मामलों में जिम्मेदारी नीचे बताये अनुसार अधिकारियों विशेष पर छोड़ दी गयी है :—

आयकर अधिकारी.........1 लाख रुपये से कम की बकाया पड़ी मांगों के मामले ।

निरीक्षी सहायक आयुक्त...1 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले ।

आयकर आयुक्त.........5 लाख रुपये से ऊपर की बकाया के मामले ।

(iv) विलम्ब से की गयी अदायगियों के मामले में 1-10-1967 से ब्याज को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत करना ।

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

*109. **श्री जनार्दनन :**　　　　　　　**श्री गणेश :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :　　　　　　　**श्री हेमराज :**
श्री प्र० न० सोलंकी :　　　　　　**श्री स० कुन्दू :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त विशेष अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) से (ग) बीमा सम्बन्धी काम देखने वाले वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को सामान्य बीमा (अनैतिक चलन की समाप्ति और नियत उद्देश्यों की प्राप्ति) से सम्बन्धित नीति विषयक लक्ष्य सिद्धि के सर्वश्रेष्ठ साधनों का अध्ययन करने को कहा गया था, तथा इनमें राष्ट्रीय-करण अथवा अन्य साधनों से लक्ष्यसिद्धि की संभावना का अध्ययन करना भी शामिल था। केवल सरकार के अन्दर ही अन्दर आभ्यन्तरिक जांच में सहायता पहुंचाने के लिये अभिप्रेत, इस अधिकारी के अध्ययन के परिणामों पर की जाने वाली कार्यवाही का विचार किया जा रहा है ।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

*110. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने ऐसे उपायों को अन्तिम रूप दे दिया है जिनसे कृषि, निर्यात तथा लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक ऋण मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1589/67]

परिवार नियोजन कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये पुरस्कार

*111. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परिवार नियोजन की क्रियान्विति में महत्वपूर्ण सफलताओं के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नागरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) भारत सरकार परिवार नियोजन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सफलता के लिये 1960 से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती आ रही है। अब तक प्रदान किये गये पुरस्कारों के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1590/67]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक संसदीय समिति का गठन

*112. **श्री सिद्धय्या** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में संसदीय समिति के गठन के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के क्या कार्य तथा अधिकार होंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूल्यों को स्थिर रखना

*114. **श्री मेघ चन्द्र** : **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री चरणजीत राय** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने के लिये और क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) मूल्य-वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार, खेती के काम में आने वाली वस्तुओं की और जहां आवश्यकता हो, वहां ऋण की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिये सहायता देकर कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने, राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपयुक्त पाबन्दियां लगाकर कुल मांग के दबाव को रोकने, आयात-द्वारा अन्न आदि की उपलब्धि को बढ़ाने और कम मात्रा में उपलब्ध अनाजों और दूसरी अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों और या उनके वितरण को जहां तक आवश्यक हो, नियमित करने का प्रयत्न कर रही है । सितम्बर 1967 के मध्य में सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संशोधित करने वाला एक अध्यादेश जारी किया था जिससे इस अधिनियम के दण्डात्मक उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके और इस अधिनियम को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सके ।

(ख) और (ग) हाल के सप्ताहों में मूल्यों का सामान्य स्तर नीचा हो गया है। थोक

मूल्यों का सामान्य सूचक अंक (1952-53=100), जो 14 अक्तूबर, 1967 को समाप्त हुए सप्ताह में 224.1 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, उसके बाद 3.6 प्रतिशत घट कर 28 अक्तूबर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह में (अर्थात् उस अन्तिम सप्ताह में जिसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं) 216.1 (अस्थायी) हो गया है। खाद्य पदार्थों का सूचक अंक, जो 14 अक्तूबर, 1967 को 265.3 था, 5.5 प्रतिशत घट कर 28 अक्तूबर, 1967 को 250.6 (अस्थायी) हो गया है।

Russian Assistance for Family Planning.

*115. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he visited USSR recently to seek the required assistance in family planning; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar) :

(a) and (b) The visit to USSR was not to seek any assistance for family planning. The Indian Family Planning Programme was generally discussed with the USSR health authorities and information was gathered regarding various family planning measures being used in USSR.

"कांटैक्ट कैंटेलिस्टस"

*116. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांटैक्ट प्रक्रिया से गंधक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) संशलिष्ट एमोनिया, वनस्पति घी, एमोनिया के आक्सीकरण से नाइट्रिक एसिड एलकोहल से एथिलीन बनाने तथा पैट्रोलियम शोधन कारखाने और अन्य रसायनिक कार्यों में प्रयोग के लिये कांटैक्ट कैंटलिस्टों (सम्पर्क-उत्प्रेरकों) का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त रसायनों के उत्पादन के लिए कैंटलिस्टस अत्यावश्यक पदार्थ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश में कैंटेलिस्टों के उत्पादन के लिये एक योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में आपेक्षित कैटेलिस्टस की किस्मों के निर्माण के लिए उद्योग-विद्या का विकास एवं सुविधाओं की स्थापना कर रहा है। अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों के शेयरों की खरीद

*117. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम गैर-सरकारी कम्पनियों के शेयर मुनाफे के उद्देश्य से खरीदता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील के लगभग 6 करोड़ रुपये के 62 लाख शेयर खरीद रखे हैं और इस समय उनका बाजार मूल्य लगभग $8\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये हैं; और

(ग) यदि हाँ तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इन शेयरों के न बेचे जाने तथा $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का मुनाफा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम कम्पनियों के शेयर इस उद्देश्य से खरीदता है कि उसके द्वारा लगाई गई पूँजी पर सुरक्षा के अनुरूप संतोषजनक लाभ प्राप्त हो सके ।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास किसी खास कम्पनी के कितने शेयर हैं, यह जाहिर करना लोक हित में नहीं है ।

(ग) इसका निर्णय करना पूरी तरह से निगम के अख्तियार में है ।

नागार्जुन सागर बांध के फाटक

*118 **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा महाराष्ट्र सरकारों ने नागार्जुन सागर बांध पर केस्ट फाटक लगाने पर आपत्ति की है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह आपत्तियाँ किन आधार पर उठाई गई हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि कैस्ट द्वारों का प्रतिष्ठापन नागार्जुन सागर परियोजना के द्वितीय चरण पर कार्य आरंभ करने के बराबर हो जायेगा ।

(ग) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की मांगें

*119. **श्री अब्राहम :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री भगवान दास :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों ने 30 सितम्बर 1967 तक अपनी माँगें हल न किये जाने की अवस्था में प्रबन्धकों को सीधी कार्यवाही करने की नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ;

(ग) इस समय जीवन बीमा निगम ने कितने विकास अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं; और

(घ) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इन माँगों का सम्बन्ध मंहगाई भत्ते में वृद्धि, 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले विकास अधिकारियों को मकान-किराया भत्ता देने और असंतोषजनक कार्य के लिये विकास अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी करने की कार्यवाही को स्थगित करने से है ।

(ग) 31-3-1967 को विकास अधिकारियों की कुल संख्या 8513 थी ।

(घ) निगम ने विकास अधिकारियों के महासंघ को लिखा है कि निगम तथा महासंघ दोनों के लिये सुविधाजनक किसी भी समय पर बातचीत की जा सकती है ।

Income-Tax Arrears

*120. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of arrears of income-tax for the year 1966-67;

(b) the nature of steps taken by Government to realise them; and

(c) the amount still pending out of the total arrears and the steps taken by Government to realise them ?

The Minister of the State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) :

(a) Rs. 541·71 crores.

(b) and (c) An amount of Rs. 463·69 crores was pending collections out of the above arrears as on 31st August, 1967.

Some of the important steps recently taken to realise these arrears are as under :—

(i) Gradual taking over of recovery work from the State Governments. Recovery work has since been taken over fully from the State Governments in the C. I.T.'s charges of Delhi and Andhra Pradesh and partly in the charges of C.I.T., West Bengal, Madras, Mysore, Gujarat and Rajasthan.

(ii) A scheme of functional distribution work has been introduced in 67 ranges of Inspecting Assistant Commissioners under which the work of collection of tax dues is entrusted to Income-tax Officers exclusively engaged on this work.

(iii) Responsibitity for appropriate action in cases where arrears are outstanding, has been fixed on particular officers as under :—

Income-tax Officers.	— Cases of arrears below Rs. 1 lakh.
Inspecting Assistant Commissioners.	— Cases of arrears of over Rs. 1 lakh and below Rs. 5 lakhs.
Commissioners of Income-tax.	— Cases of arrears of over Rs. 5 lakhs.

(iv) Rate of interest in case of delayed payments has been raised from 6% to 9% with effect from 1. 10. 1967.

(v) Creation of Special Recovery units in the Commissioners charges to look after the expeditious recovery of outstanding demands.

(vi) Review of cases of arrear demand exceeding Rs. 5 lakhs by the Director of Inspection (Research, Statistics & Publications).

(vii) Maintenance of arrear sheets in respect of all company cases and non-company cases if the assessed income is above Rs. 20,000.

अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक, कोलम्बो द्वारा कार्निया लगाने की शल्य चिकित्सा के लिये नेत्रों की सप्लाई

693. **श्री चपलाकान्ता भट्टाचार्य :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो के अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने कार्निया लगाने की शल्य चिकित्सा के लिये भारतीय नेत्र बैंक को नेत्रों की एक नियमित सप्लाई का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीचन्द्र शेखर) :

(क) और (ख) कोलम्बो के अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने राष्ट्रीय नेत्र बैंक को नियमित नेत्र देते रहने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है । अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक से नियमित नेत्र प्राप्त करने के लिये बातचीत चल रही है । इस विषय में अन्तिम रूप से अभी कोई समझौता नहीं हुआ है ।

सन्तति निग्रह और विश्व की आर्थिक समस्याएँ

694. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ डा० रोल प्रेबिश द्वारा व्यक्त किये गये इस मत की ओर आकर्षित किया गया है कि सन्तति निग्रह को विश्व की आर्थिक समस्याओं का एकमात्र हल नहीं समझना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीचन्द्र शेखर) :

(क) और (ख) जी नहीं । तथापि, सरकार यह जानती है कि भारत की आर्थिक समस्याओं का हल अनेक कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण । सरकार सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का अनेक उपायों द्वारा समाधान करने के लिये प्रयत्न कर रही है, जो पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये गए हैं, जिसमें परिवार नियोजन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

Grants given to States for Social Welfare Programmes

695. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) The amount of grants given to the States for the Social Welfare programmes during 1966-67 and 1967-68 so far;

(b) the programmes for which the amount was granted to the States and whether there is any Central authority which exercises checks on the expenditure by the States; and

(c) the priorities on the basis of which the said grant have been allocated to the States ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phul Renu Guha) :

(a)	1966-67	1967-68.
	Rs.	Rs.
	1,93,53,119	1,30,19,400

(b) The programmes for which grants were given are as under :—

(i) Integrated Services for Child Welfare-Demonstration Projects;

(ii) Welfare Extension Projects;

(iii) Pre-Vocational Training Scheme;

(iv) State Social Welfare Programme for Women, Children and Handicapped, etc;

(v) Social Defence (Care) Schemes;

(vi) Social, Moral Hygiene and After-Care Programme;

(vii) Pilot Project for suppression of Immoral Traffic under S.I.T. Act, 1956;

(viii) Special Employment Exchanges for the Physically Handicapped; and

(ix) Permanent Liability Homes for Displaced persons from West and East Pakistan in States.

The grants are released on patterns approved by the Government of India and the expenditure is audited by the Accountant Generals concerned;

(c) The said grants have been allocated to the States on the basis of priority given to the programmes for the welfare of children, women and the handicapped.

उर्वरक तथा रसायन उद्योगों में सहयोग

696. क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी तथा किन किन देशों की कम्पनियां भारत के पेट्रोलियम और रसायन उद्योगों में सहयोग दे रही हैं;

(ख) उनके सहयोग की शर्तें क्या हैं और यदि वे अपने देशों को वार्षिक कोई मुनाफा भेजती हैं तो कितना;

(ग) विदेशी कम्पनियों के साथ कितने नये करार किये जा रहे हैं तथा किन किन शर्तों पर;

(घ) पहले किए जा चुके और अब किये जा रहे करारों का अमोनिया पर आधारित

उद्योगों के स्थान पर देश के नेफ्था पर आधारित उद्योगों संबंधी सरकार की नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है अथवा पड़ेगा; और

(ङ) ऐसे करारों से देश को विदेशी मुद्रा का कितना लाभ अथवा हानि हो रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)

(क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां

697. **श्री सिद्दय्या** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए० एन० श्रीनिवास ने मैसूर राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कुछ जातियों की सामाजिक स्थिति के बारे में एक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची/सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय सरकार ने प्रोफेसर ए० एन० श्रीनिवास समेत अनेक सूत्रों से सूचना एकत्रित की है ।

(ख) नहीं । इस विषय पर एक विधेयक पहिले ही लोक सभा के सामने है ।

सरकार का विचार है कि इस विषय पर एकत्रित की गई कोई सामग्री प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

698. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः मास में केन्द्रीय सरकार द्वारा वास्तव में कितनी घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई है ;

(ख) इस अवधि में वास्तविक राजस्व प्राप्ति तथा व्यय आय-व्ययक अनुमानों की तुलना में कितना है;

(ग) यदि वास्तविक आंकड़ों तथा आय-व्ययक में दिये गये आंकड़ों में कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या निगमित कर से राजस्व का अनुमान लगाते समय सरकार ने वर्तमान मन्दी से निगमित क्षेत्र पर होने वाले प्रभाव पर विचार किया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) वर्तमान वर्ष के पहले छः मास में केन्द्रीय सरकार ने घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं की।

(ख) वर्तमान वर्ष के पहले छः मास में जो राजस्व प्राप्ति हुई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मद	बजट प्राक्कलन	पहले छः मास में प्राप्ति	पहले छः मास की प्राप्ति का%गत वर्ष के आंकड़े( )
1	2	3	4
सीमा शुल्क	640	260	41% (48%)
केन्द्रीय उत्पादक शुल्क	1205	545	45% (47%)
आय तथा निगमित कर	640	196	31% (32%)

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि आन्तरिक साधनों में कमी होने के कारण सिवाय मंहगाई भत्ते के लिये देने के तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये राशि निर्धारित करने के समूचे व्यय में बजट प्राक्कलन की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

(ग) आयात करों के अन्तर्गत शुल्कों में कमी का कारण आशा से कम आयात का होना है। उत्पादन शुल्क में कमी का मुख्य कारण चीनी के उत्पादन में कमी होना है। आय कर प्राप्ति में बहुत अन्तर नहीं पड़ा है।

(घ) जी हां, यद्यपि प्रभाव आशा से अधिक है।

मंत्रियों तथा अधिकारियों के बालकों द्वारा विदेशों में अध्ययन

699. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों, सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा विभिन्न मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के पुत्रों, पुत्रियों तथा दामादों के नाम तथा संख्या कितनी है जो विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं; उनके माता पिता के नाम तथा पद क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जहां वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी का नाम तथा उसे प्रतिवर्ष दी जाने वाली विदेशी मुद्रा कितनी है और मंत्रियों तथा अधिकारी वर्ग के विद्यार्थियों के इस विशेष समूह पर प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है और उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या ऐसे अध्ययन के लिये भारत में व्यवस्था नहीं थी ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर करने की नीति का निर्णय प्रतिवर्ष सरकार करती है तथा नीति के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हैं। नीति के अनुसार विभिन्न प्रकार के अध्ययन/विषय के लिये न्यूनतम शिक्षा की योग्यता–तथा–अंक–तथा-अनुभव की कसौटी है। विभिन्न देशों के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर करने का मापमान स्पष्ट रूप से रखा हुआ है। यदि विद्यार्थी निर्धारित की हुई कसौटी को पूरा करता है तो निर्धारित किये हुए मापमान के अनुसार रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा देता है और बाकी आवेदनपत्रों को रद्द कर दिया जाता है। जो रिकार्ड उपलब्ध हैं जो आंकड़े पूछे गये हैं उनका देना सुकर नहीं है। इस मामले में सामान्य नीति के होते हुए जो सब पर लागू होती है उसे देखते हुए इसके बारे में आंकड़े प्राप्त करने में जो परिश्रम करना होगा वह उसके पश्चात् परिणाम प्राप्त करने से कहीं अधिक होगा।

फिल्म वालों द्वारा दी जाने वाली कर की बकाया राशि

700. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में वार्षिक आयकर तथा सम्पत्ति कर की राशि कितनी थी, जिसका निर्धारण किया गया था अथवा जिसका निर्धारण-पूर्व भुगतान किया गया था और निम्नलिखित लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति ने कर की कितनी बकाया राशि अभी देनी है;

(एक) श्री दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खां;
(दो) फिल्मालय के श्री शशीधर मुकर्जी;
(तीन) निर्माता श्री सुबोध मुकर्जी;
(चार) श्री जय मुकर्जी;
(पांच) फिल्म युग के श्री जे० ओम प्रकाश;
(छः) संगीत निर्देशक श्री नौशादअली;
(सात) निर्माता नासिर हुसैन
(आठ) निर्माता वी० शान्ताराम;
(नौ) राजकमल कला मन्दिर;
(दस) श्रीमती सुल्ताना कारदार;
(ग्यारह) श्रीमती सायरा बानो; और
(बारह) कुमारी आशा पारीख।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति से बकाया राशि वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति पर कितना दण्ड लगाया गया और प्रत्येक व्यक्ति की कितने मूल्य की सम्पत्ति कुर्क की गई है;

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध उनके द्वारा झूठे विवरण प्रस्तुत करने पर दांडिक कार्यवाही आरम्भ की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर का अलवाय स्थित फार्म

701. **श्री विश्वम्भरन् :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के अलवाय स्थित फार्म को 1965-66 और 1966-67 में कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(ख) इस फार्म में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं और उनकी मजदूरी की दरें क्या हैं ;

(ग) इस फार्म में कितने अधिकारी सम्बद्ध हैं तथा उनके वेतन-क्रम क्या हैं ;

(घ) उपरोक्त अवधि में फार्म के श्रमिकों को कुल कितनी मजदूरी दी गई ; और

(ङ) फार्म से सम्बद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के रूप में कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) से (ङ) पूछी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

वित्तीय नियम

702. **श्री दामानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जिनमें प्रशासनिक मन्त्रालय सामान्य वित्तीय नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि इन नियमों की अवहेलना न होने पाये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) इस बात का इतमीनान करने की जिम्मेदारी मूलतः स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों की ही है कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यचालन के वित्तीय तथा विभिन्न अन्य नियामक नियमों तथा आदेशों का उचित पालन किया जाता है। इन नियमों के पालन करने में चूक होने पर साधारणतः लेखा परीक्षा द्वारा उसका पता लगाया जायगा और सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उठाया जायगा। तथा लेखा-परीक्षा-आपत्तियों के माध्यम से उनका अनुवर्तन किया जायगा। अधिक महत्वपूर्ण मामले वार्षिक लेखा-परीक्षा

रिपोर्ट में भी शामिल किये जाते हैं तथा उनकी जांच सरकारी लेखा समिति द्वारा की जाती है जिसकी सिफारिशों पर, यथावश्यकता, सरकार द्वारा उपचारी अथवा अन्य कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

अनुदान/विनियोग में की गई बचत की राशि वापिस करना

703. **श्री दामानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि नियमों के अन्तर्गत अनुदान/विनियोग की राशि में होने वाली बचत की राशि बचत की सम्भावना का पता लगते ही वापिस करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष इन नियमों का पूरी तरह पालन किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष की समाप्ति के समय अनुमानित बचतों को लगभग वापिस कर दिया जाता है। इन नियमों के सख्ती से पालन करने के बारे में आवश्यक सूचनायें जारी कर दी हैं।

असैनिक सेवा विनियमों का संशोधन

704. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक सेवा विनियम संख्या 561 में 29 जून, 1957 की अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 12 जून, 1956 से संशोधन करने के क्या कारण हैं ;

(ख) भूतलक्षी प्रभाव से इस विनियम में संशोधन करने से कितने अधिकारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विधि मन्त्रालय से सलाह ली है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) असैकिन सेवा विनियमों के अनुच्छेद 561 में संशोधन इसलिए किया गया है कि देश की परिवर्तित राजनैतिक पदप्रतिष्ठा की दृष्टि से किसी अधिकारी अथवा अधिकारी समूह को मिलने वाली पेंशन को विदेशी मुद्रा में व्यक्त करना अनुपयुक्त समझा गया। इण्डियन सिविल सरविस के सदस्यों को मिलने वाली वार्षिकी, जो अब तक स्टर्लिंग में व्यक्त की जाती थी, उसे रुपयों में निर्धारित करने के आदेश 12 जून 1956 को जारी किये गये थे। असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद 561 में उपर्युक्त आधार पर औपचारिक संशोधन बाद में 29 जून 1957 को उक्त आदेशो के जारी होने की तारीख से किया गया।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) संशोधन विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद किया गया है।

Jewellery Recovered from Bara Bazar, Calcutta

705. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7753 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) Whether the enquiry regarding jewels seized in Bara Bazar area, Calcutta in the last week of March, 1967 has since been completed;

(b) If so, the details thereof, and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) No, Sir. The investigations in the case of seizure of diamonds and precious stones by the Customs authorities in the Bara Bazar area at Calcutta on the 27th March, 1967 have not yet been completed.

(b) Does not arise.

(c) The party, from whom the seizure was made, has contended that the seized diamonds and precious stones are not smuggled goods and has produced, as evidence, certain documents issued by various firms in India in support of their contention. Scrutiny and further verification of these documents is yet to be completed.

Assistance Given to Goldsmiths

706. **Shri Nihal Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5466 on the 13th July, 1967 and state :

(a) Whether the information regarding the amount of assistance given to the goldsmiths in the various States has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :
(a) and (b) A statement is placed on the table of the House, showing :—

(i) the amounts advanced by the Union Government to the various State/Union Territory Governments for rehabilitation loan assistance to affected goldsmiths, since the introduction of the Gold Control Rules till 30.6.1967;

(ii) the amounts sanctioned out of (i) above, by the State/Union Territory Governments for disbursement during the same period, as reported by those Governments, and

(iii) out of (ii) above, the amounts sanctioned by the State/Union Territory Governments to the affected goldsmiths, after the issue of the Defence of India (Fourth Amendment) Rules, 1966 (which were notified on 1.11.1966.) upto 30.6.1967, as reported by those Governments. (**Placed in library see No. LT 1591/67**]

(c) Does not arise.

अविवाहित व्यक्तियों को आयकर से छूट

707. **श्री श्रध्दाकर सूपकार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये बच्चों वाले विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित पुरुषों एवं स्त्रियों को कर में कम छूट देने के स्थान में अधिक छूट देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के वित्तीय परिणाम क्या होंगे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सरकार को इस प्रकार के सुझाव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, पर इन्हें स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Amount Spent on the Welfare of Scheduled Tribes in Maharashtra

708. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount proposed to be spent for the Social welfare of Scheduled Tribes in Maharashtra State during 1967-68; and

(b) the schemes on which this amount is proposed to be spent ?

The Minister of State in the department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) :

(a) A sum of Rs. 17.08 bakhs and Rs. 50.20 lakhs is proposed to be spent in the State and Central sectors respectively during 1967—1968 for the welfare of Scheduled Tribes in Maharahstra.

(b) This amount will be spent on the following schemes :—

(i) Pre-matric and post-matric scholarships;

(ii) Hostels;

(iii) Ashram schools;

(iv) Tribal Development Blocks;

(v) Cooperation,

(vi) Research & Training;

(vii) Medical aid and Legal aid; and

(vii) Cottage Industries & Professions.

Inclusion of Dhiwar Bhoi Caste in Scheduled Tribes

709. **Shri Deorao Patil** :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Maharashtra Pradesh Adivasi Seva Mandal and Dhiwar Bhoi Samaj have demanded that Dhiwar Bhai caste might be included in the list of Scheduled Tribes; and

(b) if so, the decision taken by government in the matter?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) Yes.

(b) Government's decisions in the matter of revision of lists are incorporated in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill introduced in the House on 12th August, 1967.

पैट्रोलियम तथा अन्य तेलों की कमी

710. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान (एक) पैट्रोलियम, (दो) मिट्टी के तेल, (तीन) हाई स्पीड डीजल, (चार) हल्का डीजल तेल (पांच) भट्टी का तेल, (छः) मोबाइल आयल, (सात) एम० टी० ओ०, (आठ) पावरिम की कमी अनुभव की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक तेल की कितने लीटर कमी महसूस की गई थी, उसका मूल्य कितना था और उस कमी के कारण क्या थे; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां, कुछ स्थानीय कमियों की रिपोर्ट यदा-कदा की गई है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन, खपत और आयात के आंकड़े और उनका मूल्य, 'भारत रक्षा नियमावली' के अन्तर्गत नहीं बतलाये जा सकते। कमियों का मुख्य कारण है टैंकरों का (किसी कारणवश) विलम्ब से आना (अथवा बिल्कुल न आना) तथा और भी दूसरी यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां।

(ग) किसी खोज की आवश्यकता नहीं थी; परन्तु आयात द्वारा सप्लाई बढ़ाने तथा उत्पादन वृद्धि और वितरण प्रबन्ध को उन्नत करने के लिए कदम उठाए गये थे।

मोबाइल आयल के आयात का लाइसेंस

711. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में कुछ पार्टियों, फर्मों, समवायों और निगमों को मोबाइल आयल के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने आयातकों के पास सम्मिश्रण के लिये अपनी व्यवस्था है तथा कितने आयातकों ने इंडियन आयल कारपोरेशन, ब्रिटिश आयल कारपोरेशन, एस्सो तथा कालटैक्स जैसे बड़ी तेल कम्पनियों के साथ अपना प्रबन्ध किया हुआ है, और

(ग) इन आयातकों को लाइसेंस देने के क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां; यह धारणा है कि 'मोबिल आयल' का प्रयोग ल्यूबरीकेटिंग आयल के संदर्भ में किया गया है।

(ख) 5 आयातकों (मेसर्स आई० ओ० सी०, बर्मा-शैल, एसो, कालटैक्स और कैस्ट्रोल) के पास सम्मिश्रण के लिये अपनी व्यवस्था है तथा 1966-67 से 87 छोटे आयातकों ने अपने सम्मिश्रणों से प्रबन्ध किया हुआ है।

(ग) देश की आवश्यकताओं और समय समय पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये, लाइसस प्रत्येक लाइसेंसिंग अवधि में लागू आयात व्यापार नियंत्रण सम्बन्धी नियमों के अनुसार जारी किये गये थे।

Arrest of a Clerk of Defence Accounts Office, Meerut

712. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a clerk of the Defence Accounts Office, Meerut alongwith his three accomplices, who were armed, have been arrested ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard, and

(c) the source from which they had obtained those arms ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes,Sir. Two clerks of the Pay and Accounts Office (ORs) (Punjab Regimental Centre) Meerut were arrested along with 3 other youngmen. One of the clerks was arrested on the 5th September, 1967 (F.N.) and the other on the 5th. September, 1967 (A.N.) One of the clerks was later released from police custody.

(b) On receipt of information regarding the arrests both the clerks were suspended with effect from the dates of arrest. The question of reinstatement of one of the clerks, who was later released from police custody, is under consideration.

(c) The information is being collected from the concerned authorities and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स

713. **श्री एस्थोस** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं । इस के विपरीत, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1966-67 के दौरान कम्पनी के दो डी. डी. टी. कारखानों में अच्छे परिणाम रहे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार

714. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से पुरुष तथा औरतें नैपाल से भारत-नैपाल सीमा को बढ़नी नामक कस्बे (उत्तर प्रदेश जिला बस्ती) के समीप पार करके भारत में प्रवेश करते हैं और चीन के सब प्रकार के माल और साहित्य का वहाँ तस्कर व्यापार करते हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कुछ व्यापारियों ने तस्कर व्यापार करने वालों से साठ-गाँठ कर रखी है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा चीन के साहित्य के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) भारत तथा नेपाल के बीच यात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा भारत-नेपाल

सीमा के दोनों ओर के लोग नेपाल अथवा भारत में आने जाने के लिये स्वतंत्र है। तदनुसार नेपाल से लोग बढ़नी शहर के पास सीमा पार कर के भारत में प्रवेश करते हैं तथा उन में से कुछ चीन में बनी कम कीमत की वस्तुएँ लाते पाये गये थे, किन्तु चीन के माल का विशाल पैमाने पर अथवा संगठित रूप में कोई तस्कर-आयात नहीं हो रहा है। चीनी साहित्य के लगातार आते रहने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) इस क्षेत्र के व्यापारियों की चोरी छिपे माल लाने ले जाने वालों के साथ सांठगांठ होने के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) सीमा-क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है तथा उन्हें निगरानी बढ़ाने के लिये कहा गया है।

स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के उपचार के लिये औषधियों का आयात

715. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के लिये 'पेरिस्टनएन' और 'फुराडांटिन' औषधियाँ (इंजेक्शन) विदेशों से विमान द्वारा मंगवाये गये थे;

(ख) ऐसी औषधियों के भारत में न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि ये औषधियाँ उपलब्ध होती तो फ्रेंच वार्निश पी कर जो व्यक्ति हाल में बम्बई और मद्रास में मर गये थे वे बच जाते;

(घ) क्या किसी फर्म अथवा कम्पनी ने इसमें से कोई औषधि बनाने के लिये लाइसेंस माँगा है, और यदि हाँ, तो किन-किन फर्मों ने तथा कब; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) :

(क) बिलिंगडन अस्पताल के पास पेरिस्टनएन इंजेक्शन का कुछ स्टाक था, किन्तु डा० राम मनोहर लोहिया के मित्रों ने इस औषधि की कुछ अतिरिक्त मात्रा मंगा ली थी। अस्पताल अधिकारियों को यह मालूम नहीं था कि यह अतिरिक्त मात्रा कहाँ से मंगाई गई है। फुराडांटिन के इन्जेक्शन भी अस्पताल अधिकारियों के कहने पर नहीं अपितु डाक्टर राम मनोहर लोहिया के मित्रों ने ही अपनी इच्छा से मंगाये थे।

(ख), (ग) और (घ) मेसर्स वेय्रर्स (इण्डिया) को आयातित पोलिविनाइल-पाइरोलिडोन से पेरिस्टन-एन तैयार करने की अनुमति दे दी गई है। यह मालूम हुआ है कि यहाँ पर तैयार की गई औषधि शीघ्र ही बाजार में मिलने लगेगी। देश में फुराडोटिन नामक औषधि को मेसर्स स्मिथक्लिन एण्ड फ्रेन्च टेवलेट के रूप तैयार करता है। इन्होंने इसे इन्जेक्शन के रूप में मार्किट में लाने के लिये सरकार से प्रार्थना नहीं की है। 'फुराडांटिन' औषधि विशेषतया मूत्रनाल-जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए होती है। बम्बई और मद्रास में फ्रेंच वार्निस पी कर हाल ही में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी वे इस औषधि से बच जाते, यह संदेह पूर्ण है। इन्फेण्टाइल टाक्सेमिया. गर्भावस्था अतिवमन, (हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम),

हिप्नोटिक्स तथा कीटनाशकों का जहर, मूत्र रक्तता (यूरोमिया), उदरच्छदकोप (पेरिटोनिटिस), डिपथीरिया आदि जैसे गम्भीर नशे वाले मामलों में पेरिस्टन-एन लाभप्रद बतलाया जाता है । तथापि यह औषधि फ्रैंच पोलिश विष से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सहायक होती या नहीं यह बात नैदानिक राय की है । अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह औषधि इन व्यक्तियों को बचा ही देती ।

Obscene Literature

716. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether, it is a fact that obscence literature is being brought in India from foreign countries in large quantity,

(b) whether Government have received some suggestions to the effect that it should be stopped;

(c) if so, whether Government have taken any steps to stop the entry of such literature, and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The Government are not aware of any large scale importation of obscene magazines and books from foreign countries. Occasionally, however, some stray imports of such books are noticed by the Customs authorities.

(b) and (c) : The effectiveness of the measures to prevent the entry of obscene literature into the country has been considered by the Government from time to time and necessary legal provisions have already been made. Recently, on receipt of a letter from a member of the public urging the Government to take more effective steps to stop the import of obscene literature from foreign countries, the whole matter has again been reviewed. One of the measures already taken by the Government in this regard is to scrutinise the titles of magazines/journals proposed to be imported against quota licences and to issue import licences endorsing the titles of the magazines/journals for which the licences would be valid. The Government is also considering whether any further steps to prevent the importation of obscene books are called for.

(d) Does not arise.

पी० एल० 480 के अंतर्गत खाद्यान्न का आयात

717. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480, करार के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात के लिये अमरीका के साथ किसी नये करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) करार के अन्तर्गत कितना अनाज आयात किया जायेगा और उसका मूल्य क्या होगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) जी, हाँ । करार पर 12 सितम्बर, 1967 को हस्ताक्षर किये गये थे; उसकी अंग्रेजी प्रति सभा-पटल पर रखा जाती है।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1592/67]

दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका से बकाया राशि की वसूली

718. **श्री चक्रपाणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'पेट्रिअट' के 28 सितम्बर, 1967 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम ने नई दिल्ली नगरपालिका से दो करोड़ रुपये वसूल करने हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस राशि को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 285 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने एक आदेश द्वारा दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम से 1958–59 तथा 1964–65 में नई दिल्ली नगर समित्ति द्वारा खरीदी गई बिजली के दर प्रति क्लोवाट के निर्धारित किये थे। दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम का कहना है कि उक्त निर्णय के अनुसार नई दिल्ली समिति द्वारा उन्हें 59.51 लाख रु० देना है। धारा 285 के अन्तर्गत पास किये गये आदेश को कार्यान्वित करने के प्रश्न को केन्द्रीय सरकार ने नई दिल्ली नगर समिति से बात कर रही है।

ऋषिकेश स्थिति प्रतिजीवाणु औषधि निर्माण कारखाने में औषधियों तथा कागजातों की चोरी

719. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री एस्योस : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश स्थित प्रतिजीवाणु औषधि निर्माण कारखाने से एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत 'जवाहरीन' नामक कैंसर-रोधी एक नवीन औषधि का "पेटेंट" तथा अनेक कागजात गुम हो गये हैं ;

(ख) क्या इस मामले में केन्द्राय जाँच विभाग द्वारा की जाने वाली जाँच पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा कोई जाँच नहीं की गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Use of Trucks for Smuggling

720. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that anti-social elements have employed a large number of trucks in the villages near border in the frontier States in order to carry on smuggling on a large scale, and

(b) whether Government have considered any scheme in consultation with the State Governments to remove these trucks and stop them from being employed for purposes of smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Government are not aware of anti-social elements having employed a large number of trucks in the villages near the border in the frontier states for smuggling. However, some motor trucks found transporting contrabond in various parts of the country including areas adjoining the land frontiers have been apprehended and proceeded against under the Customs law.

(b) Does not arise.

दिल्ली में आवास बस्तियां 'हाउसिंग कालोनीज'

721. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और महा दिल्ली में अनेक आवास बस्तियां बन गई हैं और इनमें से कितनी अधिकृत हैं तथा कितनी अनधिकृत हैं ;

(ख) क्या इन बस्तियों में गृह-निर्माण योजनाओं को लागू किया गया है और क्या इनमें से कुछ में गृह-निर्माण का कार्य रोक दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर विवरण रख दिया जायेगा ।

भारत-नेपाल सीमा पर स्टेनलेस स्टील का तस्कर व्यापार

722. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नेपाल सरकार का एक बड़ा कारखाना स्टैनलेस स्टील के बर्तन बनाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उस कारखाने में बने सभी बर्तन कलकत्ता की मण्डी से भारत में बेचे जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मुद्रा नेपाल से होकर विदेशों में चोरी छिपे ले जाई जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रोकने का है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) सरकार को पता है कि नेपाल में बिराटनगर में एक कारखाना है जिसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं ।

(ख) उस कारखाने में बने बर्तनों का नेपाल से भारत में आयात किया जा रहा है लेकिन सरकार को इस बात का पता नहीं है कि कारखाने में बना सारा माल, कलकत्ता बाजार के जरिये, भारत में बेचा जा रहा है । भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि 1960 की शर्तों के अनुसार ऐसे आयातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ) भारत तथा नेपाल के बीच भारतीय मुद्रा के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि नेपाल से भारतीय मुद्रा अन्य देशों को चोरी छिपे रूप में ले जायी जा रही है ।

निषिद्ध सोने तथा वस्तुओं को चोरी छिपे लाना ले जाना

723. **क० प्र० सिंह देव :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : **श्री कृष्ण मूर्ति :**
श्री गार्डिलिंगन गौड़ : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निषिद्ध वस्तुओं तथा सोने को भारत में चोरी छिपे लाने के मामलों में वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चोरी छिपे लाये गये माल में से केवल 5 प्रतिशत माल का ही पता लगाया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में चोरी छिपे लाये गये सोने तथा अन्य विलास वस्तुओं के लिये धन जुटाने हेतु चाँदी की छड़ें तथा 25 और 50 पैसे के सिक्के चोरी छिपे समुद्र द्वारा फारस की खाड़ी को ले जाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) भारत में सोना तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के तस्करी आयात-निर्यात की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये कोई पूर्ण संतोषजनक आधार नहीं है ; इसलिये ठीक-ठीक यह बताना सम्भव नहीं है कि चोरी छिपे लाये ले जाने वाले माल का कितना प्रतिशत सरकारी विभागों द्वारा पकड़ा जाता है । सरकार के सामने ऐसे कोई तथ्य भी नहीं है जिनके आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि सोने अथवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के चोरी छिपे भारत में लाये जाने में सहसा प्रबल वृद्धि हुई है ।

(ग) यह सच है कि चाँदी चोरी-छिपे देश से बाहर ले जाई जा रही है जैसा कि बाहर ले जाने का प्रयास करते हुए सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा बड़ी-बड़ी मात्राओं में पकड़ी गई चाँदी से पता चलता है। तथापि, इन दिनों 25 और 50 पैसों के सिक्कों का चोरी-छिपे ले जाना देखने में नहीं आया है।

चोरी-छिपे विदेश ले जाई गई चाँदी की बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उपयोग, भारत में तस्करी-आयात के लिए सोना और अन्य माल खरीदने के लिये तथा अन्य सन्देहास्पद गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।

(घ) तस्करी-आयात-निर्यात को रोकथाम के लिये किये गए महत्वपूर्ण उपायों का एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या** एल० टी० 1593/67]

पी० एल० 480 निधियां

724. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 की निधियों तथा भारत की मुद्रा प्रणाली पर इसके प्रभाव के बारे में कोई विशेष अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) यदि पी० एल० 480 के सहायता से सम्बन्धित नीचे दिखाये गये लेन-देनों पर एक साथ विचार किया जाय, तो यह पता चलेगा कि पी० एल० 480 के अधीन प्राप्त रकमों से देश की मुद्रा-प्रणाली पर कोई मुद्रा-बाहुल्यकारी (इन्फ्लेशनरी) या अवस्फीतिकारी (डिफ्लेशनरी) प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(1) अमरीकी अधिकारियों को अन्न के आयात के लिए सरकार द्वारा की गयी अदायगी ।

(2) उपर्युक्त (1) में बतायी गयी, अमरीकी अधिकारियों द्वारा प्राप्त रकमों के विशेष प्रतिभूतियों में लगा दिये जाने से सरकार को प्राप्त हुई रकमें ।

(3) इस प्रकार आयात किये गये अन्न को देशी मंडियों में बेचने से सरकार को प्राप्त हुई रकमें ।

(4) विकास प्रायोजनाओं पर सरकार का खर्च, जो बजट में शामिल कर लिया गया है और जिसके लिये पी० एल० 480 निधि से वित्त व्यवस्था की जायगी ।

(5) ऊपर (4) में उल्लिखित विकास-प्रायोजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिये अमरीकी अधिकारियों द्वारा दिये गये ऋणों आदि से सरकार को मिलने वाली रकमें ।

(6) (क) : सरकार को ऊपर (5) में बताये गये ऋणों का भुगतान करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, अमरीकी अधिकारियों द्वारा ऊपर (2) में बतायी गयी विशेष प्रतिभूतियों के भुनाये जाने के कारण हुआ सरकार का खर्च।

(6) (ख) : अमरीकी अधिकारियों को पी० एल० 480 निधि के उनके हिस्से की अदायगी करने के लिये उपर्युक्त (2) में बतायी गयी विशेष प्रतिभूतियों को भुनाने पर हुआ सरकार का खर्च।

मद (1) और (2) में बताये गये लेन-देन, जो साथ-साथ होते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं।

मद (5) और (6) (क) भी एक दूसरे को संतुलित करते हैं। मद (3) की रकम (4) और (6) (ख) की रकमों के जोड़ के बराबर हैं।

कर अपवंचन

725. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर अपवंचन रोकने के लिये कारगर उपाय करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) करों की चोरी की समस्या तथा इसके प्रभावपूर्ण समाधान के प्रश्न पर सरकार लगातार विचार करती रहती है।

(ख) इस सम्बन्ध में किये गये उपायों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1594/67]

मीठापुर (गुजरात) में उर्वरक उद्योग की स्थापना

726. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री कृष्णमूर्ति :**
श्री पार्थसारथी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने मीठापुर में (सौराष्ट्र तट पर) एक उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) कम्पनी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव की केवल सामान्य रूपरेखा ही सरकार को प्राप्त हुई है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। प्रस्ताव के अनुसार उर्वरक और कुछ सामुद्रिक

रसायनों (मेरीन केमिकल्स) का उत्पादन कई अवस्थाओं में 10 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) (क) और (ख) में दिये हुये उत्तर को देखते हुये, कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

727. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्रीमती तारा सप्रे :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री कंवरलाल गुप्त :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के भुगतान संबंधी विवाद को निपटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की शर्तें क्या थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह समझौता हो गया है कि :

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 फरवरी 1967 से लेकर 31 अगस्त 1967 की अवधि तक देय अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की रकम उनके भविष्य निधि खातों में जमा के रूप में रखा जायगा।

(2) 1 सितम्बर 1967 से देय मंहगाई भत्ता गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिश के अनुसार पूर्णतः नकदी के रूप में दिया जायगा।

(3) उपर्युक्त (1) के अनुसार भविष्य निधि में जमा की गयी रकम अप्रैल 1968 में एक किस्त में निकलवायी जा सकती है किन्तु यदि सरकार की वित्तीय स्थिति की मांग हो तो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से — × — × —

चोरी छिपे माल-लाने ले जाने में एयर इण्डिया के अधिकारी का हाथ

728. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग ने 4 सितम्बर, 1967 को सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर 687 कलाई घड़ियों, 20 पार्कर फाउन्टेन पेनों तथा 75,000 रुपये के मूल्य की अन्य निषिद्ध वस्तुओं सहित एयर इण्डिया के जिस वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ा था उसका नाम और पद क्या है तथा उसका मासिक वेतन तथा सेवाकाल कितना है ;

(ख) क्या उक्त अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था तथा उसे जमानत पर रिहा किया गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा विधि की किस धारा के अधीन किया गया था और जमानत की रकम कितनी थी ;

(घ) पिछले पांच वर्षों में ऐसे अपराधों की संख्या कितनी है, ये किन तारीखों को किये गये, सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या हैं, प्रत्येक मामले में किस प्रकार की और कितने मूल्य की वस्तुएँ पकड़ी गयीं और ऐसे ही अपराधों के लिए एयर इण्डिया के कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कानूनी अथवा विभागीय कार्यवाही की गई ; और

(ङ) एयर इण्डिया के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) एयर इण्डिया के जिस अफसर के पास से बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों ने 4 सितम्बर 1967 को सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर लगभग 71,000 रुपये के मूल्य की 687 घड़ियाँ तथा 30 पारकर फाउन्टेन पेन और बालपाइन्ट पेन बरामद किये थे उसका ब्यौरा निम्न-लिखित है :—

नाम	श्री डी० के० चोपड़ा
पदसंज्ञा	वरिष्ठ माल सहायक (सीनियर कारगो असिस्टैन्ट)
कुल मासिक वेतन	405 रुपये
सेवा की अवधि	लगभग सात वर्ष

(ख) और (ग) जी हाँ। इस व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104 के अन्तर्गत गिरफतार किया गया था और 20,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

(घ) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ङ) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित माल श्री चोपड़ा के सामान से पकड़ा गया था एयर इण्डिया कम्पनी इसमें ग्रस्त हुई मालूम नहीं पड़ती और इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्य-वाही नहीं की गयी ।

मेडिकल कालेजों में प्राध्यापकों की कमी

729. **श्री मरंडी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स के निर्देशक ने कहा है कि मेडिकल कालेजों में प्राध्यापकों की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को स्नात-कोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करके शीघ्र ही अधिक प्राध्यापक तैयार करने चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो सुविधाओं को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उम्मीदवार विद्यार्थी तो हैं परन्तु सुविधायें न मिलने के कारण उन्हें इसका अवसर नहीं मिलता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) जी हाँ।

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) नई दिल्ली, कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा पाण्डिचेरी में स्थित चार वर्तमान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों की व्यवस्था तथा विस्तार ;

(2) मेडिकल कालिजों में स्नातकोत्तर विभाग खोलने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देना। इसमें स्नातकोत्तर छात्रों को वृत्ति देने के लिये दी गई सहायता भी सम्मिलित है। 1967-68 तक ऐसे 69 विभागों की मंजूरी दे दी गई है। चौथी योजना में देश में कुल 100 स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दन्त विभाग स्थापित करने की व्यवस्था है ।

(3) स्नातकोत्तर छात्रों को सीधे केन्द्र द्वारा वृत्ति देना। इस समय 377 केन्द्रीय वृत्तियाँ उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त स्नातकोत्तर संस्थान भी अपने विद्यार्थियों को वृत्तियाँ प्रदान करने के लिये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) उप-स्नातक मेडिकल कालेजों की कुल 11,000 (लगभग) की प्रवेश क्षमता के विपरीत स्नातकोत्तर कोर्सों के लिए 5 हजार से कुछ अधिक सीटें हैं। जैसा कि उपर्युक्त (ग) भाग में कहा गया है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड अल्वाय

731. **श्री श्रीधरन्** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड अल्वाय में कर्मचारियों की भर्ती के नियम केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की भर्ती के नियमों से भिन्न हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस व्यवस्था से कार्यकुशलता घट गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)

(क) से (ग) : पूछी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर यथासमय रक्खी जायेगी।

कुपोषण के कारण मौतें

732. **श्री श्रीधरन्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 के दौरान कुपोषण के कारण भारत में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं, और

(ख) कुपोषण के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) मृत्यु संबंधी पूरे आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह बताना कठिन है कि केवल कुपोषण से कितनी मौतें हुईं । तथापि कुपोषण से बहुत से लोगों को ऐसे रोग हो जाते हैं जिनसे बाद में मृत्यु हो सकती है ।

(ख) देश में कुपोषण की समस्या से सरकार अवगत है तथा इस दिशा में सरकार के विभिन्न विभाग अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता से समन्वित कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों में रोगानुकूल व्यक्तियों के लिये बड़े पैमाने पर अनुपूरक आहार कार्यक्रम, पोषक आहार का उत्पादन तथा वितरण, प्रत्येक संभव तरीके से अधिक अन्न-उत्पादन, पोषण शिक्षा एवं विस्तार व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम तथा रोग की प्रारम्भिक अवस्था वाले व्यक्तियों का उपचार तथा जांच सम्मिलित हैं ।

अस्पृश्यता

733. **श्री श्रीधरन् :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अस्पृश्यता निवारण के लिये अधिक कठोर कार्यवाही आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) सरकार अस्पृश्यता निवारण के लिये लगातार कदम उठाती रही है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनों में इनका ब्यौरा है। इस कार्य के लिये विशेषतः नियुक्त एक समिति द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कुछ और उपायों का अध्ययन किया जा रहा है।

Scholarship for Harijan and Scheduled Castes Students

734. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the scholarships awarded to Harijan and Scheduled Caste students are either not paid to them or paid less than the amount fixed for the purpose or are paid very late;

(b) whether any complaints have been received in this regard recently; and

(c) if so, the arrangements made by Government for disbursing the full amount of these scholarships to the students concerned in time ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) :

(a) to (c) : There have been no complaints regarding non Payment of Post-matric scholarships or reduced payments to the eligible Scheduled Caste students. Some complaints have been received regarding delays in the disbursement of these scholarships. Various procedural improvements have made from time to time for minimising the delays as for as possible, these include decentralisation of Powers, simplification of admission forms, and release of advances to institutions.

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के कर्मचारियों की हड़ताल

735. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री राम किशन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में ब्यास, भाखड़ा, सुतलज ब्यास को मिलाने वाली परियोजना जैसी बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के कर्मचारियों ने 11 सितम्बर 1967 में हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनके विवादों को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हां ।

(ख) उनकी मांगे हैं :

(i) काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी तथा क्रमबद्ध कर्मचारियों की छँटनी का बन्द होना ।

(ii) मँहगाई भत्ते के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वित करना ।

(iii) पंजाब के नमूने पर केन्द्रीय महँगाई भत्ते के लागू होने के कारण हुई अनियमितता का दूर करना ।

(iv) काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय वेतन भत्ते का लागू करना ।

(v) कर्मचारियों का पक्का करना तथा निर्धारण करना ।

(vi) हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से खाद्यान्न देना ।

(ग) (1) भाखड़ा परियोजना से छटने वाले सारे प्रवीण तथा अप्रवीण कर्मचारियों को ब्यास परियोजना में काम पर लगाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है ।

(2) क्योंकि गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट की सिफारिशों को पंजाब तथा हरयाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों पर लागू नहीं किया है इन सिफारिशों को इन राज्यों से आये कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता ।

(3) महँगाई भत्ते की अनियमितताओं को दूर करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(4) भाखड़ा तथा व्यास परियोजनाओं पर कार्य करने वाले कर्मचारी पंजाब, हरयाणा तथा हिमाचल प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं। इन कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में 1-10-67 से इनके गठित बोर्डों द्वारा विचार तथा जांच की जायेगी।

(5) पुनर्गठन से पूर्व किसी भी राज्य को न दिये गये कर्मचारियों के नियतन के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उप-समिति पहले ही गठित कर दी है।

(6) हिमाचल प्रदेश सरकार से परियोजनाओं के कर्मचारियों के प्रयोग के लिये खाद्यान्न देने के बारे में कार्यवाही की गई है।

जीवन बीमा निगम कार्यालय, कानपुर में पालिसी होल्डरों की निलम्बित शिकायतें

736. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**　　**श्री सत्य नारायण सिंह**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर 1967 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेशनल फैडरेशन आफ इंशोरेन्स फील्ड वर्कर्स के एक प्रवक्ता के अनुसार कानपुर में जीवन बीमा निगम के मध्य खण्ड कार्यालय में पालिसी होल्डरों की कई शिकायतें निलम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के प्रभागीय कार्यालयों के पास 30.9.67 तक अनिर्णीत पड़ी शिकायतों की संख्या 1267 है। ये शिकायतें पालिसियों के प्रवर्तन, कमीशन की अदायगी, बीमा-किश्तों के समायोजन, आदि के बारे में हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। शिकायतों की जांच का काम पूरी तरह निगम के अख्तियार का है।

नये उर्वरक कारखाने

737. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**　　**श्री न० कु० सोंघी :**
श्री य० अ० प्रसाद :　　**श्री अ० क० गोपालन :**
श्री सम्बन्धन :　　**श्री नम्बियार :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई सार्थी से उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो उन सार्थी के नाम क्या हैं और कारखानों की स्थापना कहां कहां की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावों की जाँच की है ;

(घ) यदि हां, तो जाँच में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या निर्णय लिए गए हैं ; और

(ङ) इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां।

(ख) प्राप्त प्रस्ताव जिन्हें औद्योगिक लाइसेन्स अभी तक जारी नहीं किये गये हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1)	मैसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी, यू० एस० ए०	— हल्दिया
(2)	मैसर्स कारोमंडल उर्वरक कम्पनी लिमिटेड	— विशाखापत्तनम (विस्तार)
(3)	मैसर्स मोदी स्पीनिंग और वीविंग कम्पनी, लिमिटेड	— गाजियाबाद
(4)	मैसर्स पिलानी इन्वेंस्टमेंट कारपोरेशन	— मिर्जापुर
(5)	मैसर्स वेरियम केमिकल्स लिमिटेड	— विशाखापत्तनम
(6)	टाटा एलाइड केमिकल्स	— मिथापुर
(7)	एटलांटिक रिचफिल्ड	— स्थान तय नहीं हुआ
(8)	मैसर्स इन्टेरोर	— काकीनाडा

(ग) जी हां, जहां तक ब्योरा उपलब्ध है।

(घ) उत्तर के भाग, 'ख' के (1) से (4) तक मामलों में आशय-पत्र जारी किये गये हैं अन्य अभी तक इस विचारार्थ स्थिति तक नहीं पहुचे कि आशय-पत्र जारी किये जायें।

(ङ) प्रतीक्षित पूर्ण सूचना की प्राप्ति तथा आवश्यक बातचीत के मुकम्मल होने पर सारे लम्बित मामलों की और कार्यवाही की जायेगी।

मंदी

738. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने मन्दी को रोकने तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण विनियमित करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) मन्दी की वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में कुछ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों अर्थात् निर्यात, छोटे उद्योगों तथा कृषि और इंजीनियरी सम्बन्धी उद्योगों के लिए ऋण की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 1967-68 के अधिक काम काज के मौसम के लिए, अपनी नीति के अंग के रूप में, जुलाई-अगस्त 1967 में और हाल में ही नवम्बर 1967 के शुरू में कुछ उपाय किए हैं। इनमें से कुछ मुख्य मुख्य उपाय ये हैं :–

(1) रिजर्व बैंक इंजीनियरी सम्बन्धी और धातुकर्मक वस्तुओं के निर्यातकों को जहाज पर माल लादने से पहले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की तर-जीही दर पर और दूसरे माल के निर्यातकों को दिये जाने वाले अग्रिमों तथा माल के जहाज पर लादने के बाद की सभी मुद्दती हुंडियों के सम्बन्ध में 6 प्रतिशत की दर पर पुनर्वित्त की व्यवस्था करेगा। पहले के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 10 प्रतिशत के ब्याज के मुकाबले इन अग्रिमों पर अब बैंक क्रमशः 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं ले सकेगा (चाहे पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाओं का उपयोग न किया गया हो)। इन प्रयोजनों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करते समय सम्बन्ध बैंकों की नकदी और नकदी जैसी वास्तविक परिसम्पत्तियों (नेट लिक्विडिटी) की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जायगा।

(2) वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे कृषि सम्बन्धी उत्पादन, विपणन और विकास के लिए अधिक अग्रिम दें।

(3) किसी बैंक की नकदी और नकदी जैसी वास्तविक परिसम्पत्ति के अनुपात का हिसाब लगाने के लिये किसी बैंक द्वारा जुलाई-अक्तूबर 1966 की अवधि में (1967 के मन्दी के मौसम) और नवम्बर 1966 से अप्रैल 1967 तक की अवधि (1967-68 के अधिक कामकाज के मौसम) में दिए जाने वाले अग्रिमों में कृषि सम्बन्धी पैकिंग ऋणों के रूप में दिये गये अग्रिमों, माल को जहाज पर लादने के बाद के निर्यात बिलों में और छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों के, जिनकी गारंटी ऋण गारंटी संगठन द्वारा दी जाती है, औसत की अपेक्षा जो वृद्धि होगी वह हिसाब में नहीं ली जायगी।

(4) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनाज की वसूली/वितरण/संग्रह के लिए राज्य/सरकारों/उसके अभिकरणों/भारतीय खाद्यनिगम को दिये जाने वाले अग्रिम और रासायनिक खाद तथा हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं के सम्बन्ध में वित्त की व्यवस्था करने के लिये दिये जाने वाले अग्रिम (जिनमें इन वस्तुओं की बिक्री के सम्बन्ध में उत्पादकों को वित्त पोषण के लिए दिये गये ऋण भी शामिल हैं) बैंक दर पर पुनर्वित्त व्यवस्था के अधिकारी होंगे। इसके अलावा 1967-68 के अधिक कामकाज के मौसम में दिये जाने वाले ऐसे अग्रिमों में जो वृद्धि होगी उसे बैंकों की नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात निकालते समय हिसाब में नहीं लिया जायगा।

(5) उत्पादन बढ़ाने और बैंकों के आसामियों की वास्तविक वित्तीय कठिनाइयों को, जो साल के दौरान किसी समय करों की अधिक अदायगियों या कपास, सोयाबीन के तेल और

और मक्का तथा मांड के इकट्ठे आयात आदि के कारण पैदा हुई हों, दूर करने के लिए जरूरतमन्द बैंकों को बैंक दर पर पुनर्वित्त व्यवस्था के रूप में 1967-68 के अधिक कामकाज के मौसम में ऐच्छिक सहायता दी जायगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपनी मध्यावधिक निर्यात सम्बन्धी पुनर्वित्त योजना में दिये गये सुधारों से और विलम्बित अदायगी के आधार पर देश में बनी मशीनों की बिक्री के सम्बन्ध में प्राप्त हुंडियों/प्रामिसरी नोटों को भुनाने से सम्बन्धित योजना से, उपर्युक्त उपायों को सुदृढ़ बनाया गया था। सितम्बर 1967 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक नयी योजना भी चलाई है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र में सड़क परिवहन परिचालकों को बेची गयी मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में हुंडियों के पुनः भुनाने की सुविधाएं देने की व्यवस्था है।

(ग) इन उपायों के परिणामों-अन्दाजा इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता।

जनसंख्या नियन्त्रण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता

739. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को देश के जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए अग्रेतर सम्भव सहायता देने के लिये तैयार था;

(ख) क्या इस पेशकश पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) इसका किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) से (ग) जी हां। कुछ समय पहले राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों से इस मामले पर बातचीत की गई थी और इसके प्रस्तावों की आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी

740. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारतीय परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या चौथी योजना अवधि में कोई ऐसी सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी और किन शर्तों पर; और

(ग) इससे किन परियोजनाओं को लाभ होगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 'अन्तर्राष्ट्रीय सहायता अभिकरण' नामक कोई संगठन नहीं है। इसका आशय शायद अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से है, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कुछ विशेष प्रायोजनाओं के लिए कुल 39.3144 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण दिये थे।

(ख) से (ङ) चौथी पंच वर्षीय आयोजना की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अब तक दो ऋण दिये हैं। एक रेलवे की प्रायोजनाओं के लिए 6.80 करोड़ डालर का ऋण और दूसरा ब्यास उपकरण प्रायोजना के लिए 2.30 करोड़ डालर का ऋण। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण

50 वर्ष की अवधि में (इसमें 10 वर्ष की वह अवधि भी शामिल है जिसमें कोई रकम अदा नहीं की जायगी) चुकाये जायेंगे और इन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा लेकिन इन पर 3/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार लगेगा।

परिवार नियोजन के लिये उपकरण का आयात

741. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के लिये आयात किये गये उपकरणों पर विदेशी मुद्रा के रूप में अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) परिवार नियोजन सम्बन्धी उप-करणों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) रबड़, गर्भ-निरोधक और मशीनरी के आयात के लिएं अब तक 1.67 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) परिवार नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) रबड़ गर्भ-निरोधकों के तैयार करने के लिए अनेक फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं तथा एक फर्म की क्षमता बढ़ाने का लाइसेंस दिया गया है।

(2) भारत सरकार भी रबड़ गर्भ-निरोधक तैयार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित कर रही है।

(3) रासायनिक गर्भ-निरोधक पूर्णतः अब देश में ही तैयार किये जाते हैं।

इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज को निर्मित ढांचों के आदेश

742. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज को जिसकी उनकी बनी वस्तुओं की मांग के अभाव के कारण मन्दी का सामना है, निर्मित ढांचों के लिए आर्डर दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की स्थापना

743. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री कं० हाल्दर :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की स्थापना अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली, के अहाते में की जायेगी । इस परियोजना पर 50 लाख रुपये के करीब खर्च आने की संभावना है । परियोजना पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा राकफैलर प्रतिष्ठान द्वारा वहन किये जाने की संभावना है । राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय संसार के जीव चिकित्सा साहित्य को प्राप्त करके और उसका प्रसार करके औषधि तथा स्वास्थ्य संबंधी शास्त्रियों की प्रगति करने में सहायता देगा। राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय :--

(1) सभी भाषाओं के तथा विश्व की चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सा साहित्य का भण्डार रखेगा ।

(2) विशेषकर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साहित्य की पाण्डुलिपियां एकत्र करेगा ।

(3) पत्रिकाओं पाण्डुलिपियों, अप्राप्य ग्रन्थों इत्यादि की सूची तैयार करेगा।

(4) अन्तर्राज्यि तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सहयोग को बढ़ावा देगा ।

(5) सन्दर्भ तथा ग्रन्थ सूची सम्बन्धी सेवाए उपलब्ध करेगा ।

(6) माइक्रोफिल्म बनाने तथा फोटो कापियां बनाने सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करेगा ।

(7) चिकित्सा पुस्तकाध्यक्षता का प्रशिक्षण देगा ।

(8) देश में प्रभावशाली चिकित्सा लाइब्रेरी सेवा आरम्भ करने के लिये, क्षेत्रीय, राज्य तथा स्थानीय चिकित्सा लाइब्रेरियां स्थापित करके उस दिशा में कदम उठायेगा ।

स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन केन्द्रीय चिकित्सा पुस्तकालय को राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय घोषित करके इस दिशा में पहला कदम उठाया गया है ।

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के भवन के निर्माण के लिये भी 23;16,525 रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी

744. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर)

(क) जी हाँ।

(ख) स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन समिति की सिफारिश के अनुसार 3500 की आबादी के पीछे एक डाक्टर की व्यवस्था करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में मेडिकल कालेजों की संख्या जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 30 थी, 1967 में बढ़ाकर 91 कर दी गई है। वर्तमान मेडिकल कालेजों में भी 2303 सीटें बढा दी गई हैं। इससे मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता भी 2,500 से बढ़ कर 11,000 से अधिक हो गई है। राज्य सरकारों ने कुछ कदम पहले ही उठा लिए हैं और नये चिकित्सा स्नातकों को देहाती क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वे आगामी उपायों पर विचार कर रही हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सेवा की शर्तों में उदारता बरतना, निवास की व्यवस्था नान-प्रेक्टिसिंग भतों की व्यवस्था, निवृत्ति प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाना तथा उन्हें दुबारा रोजगार देना, चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा को बढ़ाना, प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले डाक्टरों की सेवाओं का अंशकालिक आधार पर उपयोग करना आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग उपाय बरते जाते हैं जो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों तथा उन उपायों की व्यावहारिकता पर निर्भर करते हैं। फिर भी यह एक दीर्घ-कालीन समस्या है जिसका कोई ठोस हल ढूंढ निकालने में काफी वक्त लग जायेगा।

बी० ओ० ए० सी० के विमान से बरामद किया गया निषिद्ध सोना

745 **श्री न० कु० सांघी :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री राम चरण :
श्री हेम बरुआ :
श्री कृष्णमूर्ति :
श्री रा० रा० सिह देव :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री सीताराम केसरी :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने गत सितम्बर में पालम हवाई अड्डे पर बी० ओ० ए० सी० के एक विमान से 32 मन निषिद्ध सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हाँ, तो नियमों का उल्लघन करने के लिये इस विमान कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सीमाशुल्क तथा सम्बन्धित कानूनों की आरोपित अनियमितताओं के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पालम हवाई अड्डे पर 15 सितम्बर, 1967 को भारत गुजरते हुए बी०ओ० ए० सी० के एक हवाई जहाज में ले जाये जा रहे सोने के कुल 1218.599 किलोग्राम वजन के दो जत्थे पकड़े गये।

(ख) इस मामले में जांच-पड़ताल चल रही है। हवाई जहाज कम्पनी के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जानी हुई तो उसका निर्णय जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर किया जायगा। सोना ले जाने वाले हवाई जहाज को जांच-पड़ताल होने तक हवाई जहाज कम्पनी द्वारा इस आशय का बचन

दिये जाने पर कि हवाई जहाज को सीमाशुल्क कानून के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये जैसे ही और जब भी आवश्यक होगा, प्रस्तुत किया जायगा, आगे जाने दिया गया।

हल्दिया तेलशोधक कारखाना

746 **श्री न० कु० सांधी :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य०अ०प्रसाद : **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री वेद व्रत बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो किस देश के साथ और समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है और इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया)

(क) जी हाँ।

(ख) फ्रांस और रूमानिया की फर्मों ने भारत सरकार को हल्दिया में पैट्रोलियम तेल शोधनशाला की स्थापना के लिये तकनीकी और वित्तीय सहयोग देने की पेशकश की है। शोधनशाला में प्रारम्भ में प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल तैयार होगा और अन्य रूढ़ उत्पादों कैनवेंशनल प्रोडक्ट्स के अतिरिक्त तरलीकृत पैट्रोलियम गैस विमानन टरबाईन ईधन, ज्यूट वैचिंग आयल, एस्फाल्ट और लुब्रीकेटिंग तेल के उत्पादन की सुविधायें भी होंगी।

(ग) शोधनशाला के 1970 के मध्य तक 46 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से पूरा हो जाने की संभावना है।

कांडला में उर्वरक संयन्त्र

747. **श्री न० कु०सांधी :** **श्री रा० रा०सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री वेद व्रत बरुआ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला के सहकारी क्षेत्र में 70 करोड़ रुपये की लागत का एक दूसरा उर्वरक संन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी हां। यह सहकारी क्षेत्र में प्रथम उर्वरक परियोजना है।

(ख) इसकी क्षमता 315,000 मीटरी टन नाईट्रोजना, 127,000 मीटरी पी$_2$ ओ$_5$ और 66,000 मीटरी टन के$_2$ ओ की है। यह परियोजना, नैपता और आयातित फोसफोरिक ऐसिड का एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगी। इसकी अनुमानित लागत 89.25 करोड़ रुपये हैं जिसमें 38.17 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का अंश है।

बंध्यीकरण के लिय प्रोत्साहन

748. **श्री राम किशन:** **श्री स० चं० सामन्त:**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2 अथवा 3 बच्चे हो जाने के बाद बन्ध्यीकरण कराने के लिये सहमत होने वाले दम्पत्तियों को एक ट्रांजिस्टर रेडियो मुफ्त देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) और (ख) जी हाँ। उन व्यक्तियों के लिए जो दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने को सहमत हो जाए, प्रयोगात्मक आधार पर, सीमित क्षेत्र के लिए, एक प्रायोगिक योजना पर विचार किया जा रहा है।

ट्राम्बे उर्वरक परियोजना

749. **डा० रानेन सेन:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिय गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी विस्तार कार्यक्रम के लिये धन प्रदान करने के लिये सहमत हो गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने की उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी काम कब से आरम्भ होने की आशा है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया):

(क) से (ङ) 229,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 124,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 1000 मीटरी टन अमोनिया संयन्त्र की स्थापना द्वारा ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए सिद्धांत रूप में निर्णय किया गया है। उक्त अमोनियम संयन्त्र की स्थापना में अनुमानित लागत लगभग 51 करोड़ रुपये होगी जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 25 करोड़ रुपये होगा। यह योजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी की सहायता के लिए रखी गई है। ज्योंही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का आश्वासन मिलेगा त्योंही परियोजना का कार्य शुरू हो जायेगा।

कलकत्ता के पैट्रोल व्यापारी

750. **डा० रानेन सेन:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के पैट्रोल व्यापारियों और तेल कम्पनियों के बीच

जिनमें भारतीय तेल निगम भी शामिल है, व्यापारियों को दिये जाने वाले कमीशन के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है और व्यापारियों ने अपने पैट्रोल पम्प बन्द कर दिये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी हां। व्यापारियों ने 23.9.67 से 25.9.67 तक कार्य बन्द रखा।

(ख) व्यापारियों की संख्या और तेल कम्पनियों को अपने विचार प्रस्तुत करने और कमीशन की दरों में वृद्धि की मांग की आधार-सामग्री भेजने की प्रार्थना की गई है। अभी तक सब पार्टियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता

751. **डा० रानेन सेन:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों ने जिनमें वरिष्ठ कर्मचारी भी थे, अपनी शिकायतें रखने के हेतु बड़े पैमाने पर आकस्मिक छुट्टी ली थी; और

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई):

(क) अखिल-भारतीय भारतीय राज्य बैंक पर्यवेक्षण-कर्मचारी संघ के कहने पर बैंक के कलकत्ता तथा अन्य केन्द्रों के अधिकतर पर्यवेक्षण कर्मचारी 1 सितम्बर, 1967 को आकस्मिक छुट्टी के आवेदन-पत्र देकर अपने काम पर गैर-हाजिर रहे।

(ख) संघ ने बैंक के प्रबन्धकों को यह आश्वासन दिया है कि इसके सदस्य सभी आन्दोलनकारी काम बन्द कर देंगे और प्रबन्धक, बैंक के पर्यवेक्षण-कर्मचारियों की सेवा-सम्बन्धी शर्तों के बारे में संघ द्वारा पेश की गयी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में उससे बातचीत करने के लिए राजी हो गये हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

752. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों जिनको सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हुए हैं तथा मकान किराया भत्ता मिलता है, के मकान किराये भत्ते की वर्तमान दरों को परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक्टरों के लिय ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा

753. **डा० रानेन सेन**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में हुई मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों तथा डीनों की एक बैठक में डाक्टरों और विद्यार्थियों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य बनाने के लिये प्रस्ताव पारित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यूनाइटेड प्राविंसेज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किये गये रोड रोलर

754. **श्री जनार्दनन् :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री बालमीकि चौधरी : **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने यूनाइटेड प्राविंसेज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा रोड रोलरों की सप्लाई के बारे में विभिन्न आरोपों की इस बीच जाँच पूरी कर ली हैं :

(ख) यदि हाँ, तो उसके जांच-निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कुवैती सहयोग से अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना

755. **श्री जनार्दनन् :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धर्म से मोरारजी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है कि वह आयात किए गए तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक संयंत्र कुवैती कैमिकल्स तथा फर्टिलाइजर्स के सहयोग से स्थापित कर ले ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किसी और निजी कम्पनी ने आयात किए हुए तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है ;

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्ताव भेजने वाली कम्पनी का नाम क्या है ;

(ङ) प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(च) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव जो कि अमोनिया आयात के अन्तर्गत और गंधक की कम प्रदाय दीर्घकालीन अवधि पर आधारित है, लाभदायक नहीं विचारा गया।

(ग) दो और प्रस्ताव जिनमें अभी तक पूरे विवरणों की कमी है सरकार को पेश किये गये हैं।

(घ) टाटा केमिकल्स लिमिटेड और दि अटलांटिक रिचफील्ड आयल कम्पनी।

(ङ) दोनों में से पूर्ण विवरण अभी तक किसी का भी प्राप्त नहीं हुआ।

(च) मामले अभी निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुँचे।

निष्पादनाधीन ताप योजनाएं

756. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यों में जो विभिन्न ताप योजनाएं निष्पादित की जा रही हैं, उनका व्योरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के कब तक पूरी होने की सम्भावना है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी किस हद तक दूर हो जायेगी ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) मांगी गई सूचना साथ के लगे विवरण में दी हुई हैं।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1595/67]

(ग) 1971 में बिजली उत्पन्न करने वाली कुल क्षमता, जिसमें तापकीय, पनबिजली तथा आणविक भी शामिल है, लगभग 2 करोड़ किलोवाट है। औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धित विकास के कार्यों के कारण उत्पन्न होने वाले बोझ तथा 1970-71 के अन्त तक उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, आन्ध्र-प्रदेश, मद्रास, गुजरात, मध्य-प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में कुल मिलाकर 400 मेगावाट की कमी का अनुमान है।

सीमा शुल्क अध्ययन दल

757. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अध्ययन दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सीमाशुल्क अध्ययन दल की रिपोर्ट (भाग I और II) की प्रतियाँ 8 अगस्त 1967 को सदन की मेज पर रख दी गयी थी। अध्ययन दल ने रिपोर्ट के भाग I में 210 और भाग II में 167 सिफारिशें की थीं।

(ख) भाग 1 की 210 सिफारिशों में से, 159 सिफारिशें कुछ संशोधन करके अथवा विना संशोधन किये स्वीकार कर ली गयी हैं तथा 18 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गयी हैं। अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। एक सूची स्वीकार की गयी सिफारिशों की तथा दूसरी सूची अस्वीकार की गयी सिफारिशों की, स्वीकार नहीं करने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 1596/67]। भाग II की सिफारिशों पर विचार

करने के लिये नियुक्त अधिकारान्वित समिति ने इन सिफारिशों पर अभी विचार करना समाप्त नहीं किया है ।

बड़ौदा को गैस की सप्लाई

758. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बड़ौदा में और उसके आस पास स्थित उद्योगों को गैस देना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस आयोग के पास कुल कितनी गैस उपलब्ध है और उसमें से कितनी बड़ौदा को सप्लाई की जारही है; और

(ग) शेष गैस को किस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) इस समय आयोग गुजरात राज्य को प्रतिदिन लगभग 12·5 लाख घन मीटर संघटित और असंघटित गैस सप्लाई करने की स्थिति में है । इस में से गुजरात राज्य उर्वरकों बड़ौदा के उद्योगों और बड़ोदा नगर निगम के लिये प्रतिदिन लगभग 4·78 लाख घन मीटर रक्षित है । शेष गैस उत्तारण और धुवारन विद्युत केन्द्रों को सप्लाई की जानी है ।

संतति निरोध के लिये देशी औषधियां

759. **श्री अमृत नाहटा :** **श्री अगाड़ी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म दर पर नियंत्रण रखने हेतु देशी दवाइयों का प्रयोग किये जाने के बारे में विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसने क्या सिफारिश की है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं । यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1967 तक पेश करेंगी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण

760. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में प्रस्तावित 502 तेल के कुओं का छिद्रण-कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कुओं की संख्या क्या है जिनमें तेल पाया गया है ;

(ग) अन्य कितने कुओं के लिये उपबन्ध किया गया है ; और

(घ) इस समय देश में तेल का वार्षिक उत्पादन क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) से (ग) अगस्त, 1967 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 502 कुओं के बेधन कार्य को पूरा किया। इनमें 251 तेल-युक्त, 43 गैस-युक्त, तथा 112 शुष्क कुएं सिद्ध हुए। शेष कुओं में से 18 जल अन्तर्क्षेपण कुएं थे और 78 परीक्षण पर थे।

(घ) 1967-68 के दौरान में लगभग 5·90 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है।

बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार

761 : **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समुद्री तथा निवारक डिवीजन और बम्बई सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों को 21 सितम्बर, 1967 को एक अरब नाव को रोकने के लिये, जो घड़ियाँ तथा सोना ले जा रही थीं, समुद्र में गोली चलानी पड़ी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी घड़ियाँ पकड़ी गई थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अरब तस्कर व्यापारियों ने सोना समुद्र में फेंक दिया था ;

(घ) यदि हाँ, तो उस सोने को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बम्बई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय तथा साथ ही बम्बई सीमाशुल्क गृह के समुद्री तथा निरोधक प्रभाग के अधिकारियों को 22 सितम्बर, 1967 के बड़े सबेरे भागते हुए एक अरब जलयान को रोकने के लिये गोली चलानी पड़ी। इस जलयान पर निषिद्ध माल को ले जाने का सन्देह था।

(ख) इस कार्यवाही में कुल करीब 3 लाख रुपये मूल्य की 2515 कलाई घड़ियाँ तथा 150 घड़ियों के विदेशी फीते पकड़े गये।

(ग) और (घ) कुछ बण्डल समुद्र में डाल दिये गये थे जिनमें से एक बण्डल समुद्र में तैरता हुआ सीमाशुल्क अधिकारिओं द्वारा बरामद किया गया और उसमें घड़ियाँ पाई गई। कोई दूसरे बण्डल बरामद नहीं किये जा सके क्योंकि उन्हें गहरे समुद्र में डाला गया था। अरब जलयान के चालकों द्वारा जलयान से फेंके गये अन्य बण्डलों की वस्तुओं के बारे में जानना सम्भव नहीं है। परन्तु यह सन्देह किया जाता है कि समुद्र से निकाले गये बण्डल की तरह उनमें घड़ियाँ थीं।

(ङ) पकड़े गये जलयान के चालक दल के दस सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और अरब जहाज को पकड़ लिया गया है। मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

पालम हवाई अड्डे पर हीरों का पकड़ा जाना

762. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 17 सितम्बर, 1967 को पालम

हवाई अड्डे पर टोकियो जाने वाले एयर फ्रांस के विमान से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के हीरों के 11 पैकेट पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह दूसरा अवसर है जब सीमा-शुल्क अधिकारियों ने इतनी बड़ी मात्रा में हीरे पकड़े हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये कुछ उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) टोकियो जाते हुये एयर फ्रांस के एक हवाई जहाज से 18 सितम्बर 1967 को पालम हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपये मूल्य के हीरों के 11 पैकेट इस कारण रोके लिये गये कि उक्त पैकेट मालसूची में ठीक तरह दर्ज नहीं किये गये थे । बाद में यह लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि भारत से नहीं गुजरने वाली एक पिछली उड़ान से टोकियो को भेजे जाने वाले उक्त पैकेट परिचालन सम्बन्धी कारणों से पेरिस में हवाई जहाज से उतार दिये गये थे और बाद की उड़ान से भेजे जा रहे थे, ये पैकेट जहाज कम्पनी को आगे भेजने के लिये 7 अक्तूबर 1967 को वापस दे दिये गये ।

(ख) 26 अगस्त 1967 को लगभग 2,50,000 रुपये मूल्य के हीरों के जिन चार पैकेटों को पहले पुनर्निर्यात के लिये रोक लिया गया था, उनको इस कारण पकड़ लिया गया कि वे हीरे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जब्त करने योग्य थे । आगे जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) और (घ) माल के इन दो जत्थों का पकड़ा जाना माल, यात्री तथा कागजातों की उनसे सम्बन्धित नियमित छानबीन के कारण हुआ जो निर्धारित कार्य विधि का एक भाग है ।

गैर-सरकारी लोगों के पास सरकारी क्वार्टर

763. **श्री चन्द गोयल : श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री शारदानन्द :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोगों के नाम क्या हैं जो इस समय न तो संसद् सदस्य हैं और न ही सरकारी कर्मचारी हैं परन्तु वे दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के पूल में से लिये गये सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में अलग अलग क्या कारण हैं जिनके आधार पर उनको सरकारी क्वार्टरों में रहने की अनुमति दी गई है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितना किराया लिया जा रहा है और यदि किराया बाकी है तो वह कितना है;

(घ) ऐसे व्यक्ति कौन कौन हैं जिनसे क्वार्टर खाली करने के लिये कहा गया है परन्तु वे फिर भी वहां रह रहे हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

764. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिमास 449 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन वर्गों के कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति अन्य तरीकों से की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस तरीके से ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) जी, नहीं। चूंकि महंगाई भत्ता आयोग ने केवल 449 रुपये तक के वेतन स्तरों के लिये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 12 मासिक औसत संख्या 185 और 195 पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की सिफारिश की है इसलिये 449 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किसी प्रकार की वृद्धि का विचार करने का कोई अवसर नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल पैदा ही नहीं होता।

Family Planning Programme

765. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any additional measures ure under consideration to make the family planning programme extensive and satisfactory, and

(b) if so, the time by which final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) and (b) Yes, in addition to the Intensive Family Planning Programme already launched which, inter alia includes providing extensive Motivation, Education and Publicity for creating awareness about this problem and an urge in favour of a small family norm and making available services for I.U.C.D. insertions, sterilization and supply of conventional contraceptives; the following additional measure are under consideration:

(i) Liberalisation of abortion law.

(ii) Raising of minimum age at marriage for boys and girls.

(iii) Incentives for small families and disincentives for large families.

Final decision on the measures contemplated at (i) and (ii) above will be taken after obtaining the views of the State Governments. As regards (iii) above, a Committee styled as "Small Family Norm Committee" has been formed to examine the various proposals and to submit its report by the end of March, 1968.

Campaign Against Legalisation of Abortion

766. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Women's Welfare Society, social workers, doctors and spiritual leaders have drawn up a scheme to start a countrywide campaign against legalisation of abortion.

(b) whether Government have been apprised of the scheme :

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Health Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) No such scheme has come to Government's notice.

(b) to (d) Do not arise.

समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजना

767. **श्री विश्वम्भरम :**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजना को बन्द करने अथवा उसके रूप को **बदलने** के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस परियोजना के अन्तर्गत चालू की गई संस्थाएँ बिना किसी बाधा के तथा उत्साह से काम करती रहें और इन परियोजनाओं में काम कर रहे कार्मचारियों को नौकरी से न हटाया जाये ।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह):

(क) जी हाँ; समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजना को "परिवार तथा बाल कल्याण" की नई परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा ।

(ख) इन परियोजनाओं के अधीन शुरू की गई संस्थाओं के बिना रुकावट चलते रहने के लिए तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाए जाने के बारे में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। "परिवार" के लिए सेवाएँ शामिल करके परियोजनाओं का विस्तार बढ़ा दिया गया है।

पश्चिमी बंगाल को सहायता

768. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के अनेक जिलों में इस वर्ष वार्षिक सूखे तथा कन्टाई सब डिवीजन और मिदनापुर जिले के अन्य भागों में तथा राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों में बिनाशकारी बाढ़ के कारण जिन से लगभग दस लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, पश्चिमी बंगाल सरकार के संसाधनों पर अत्याधिक दबाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सूखा तथा सहायता कार्यों पर बहुत राशि व्यय करनी पड़ी और इसके कारण राज्य सरकार की बजट की स्थिति पर बड़ा बोझ पड़ा है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) बाढ़ सहायता व्यय के लिये राज्य सरकार के लिये 50 लाख रु० पेशगी के रूप में मंजूर कर दिया है । आगे राशि केन्द्रीय अधिकारियों के दल के प्रतिवेदन पर दिया जायेगा जिन्होंने 23 तथा 26 अक्तूबर को राज्य का दौरा किया था ।

सरकारी बस्तियों में लानों की देख भाल

769. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागबानी विभाग द्वारा दिल्ली । नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में 'लान्स' की देखभाल के लिये इस समय कितने अधिकारी तथा कर्मचारी रखे हुए हैं; और

(ख) ऐसी बस्तियों की संख्या कितनी है जिन में 'लानों' में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध नहीं है और उन बस्तियों में इन कर्मचारियों से किस प्रकार काम लिया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) 4 अनुभाग अधिकारी तथा 290 कार्यप्रभारित कर्मचारी ।

(ख) पानी सभी बस्तियों में उपलब्ध है, यद्यपि गर्मियों में इसकी कमी हो जाती है ।

भारत में डाक्टरों की कमी

770. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में डाक्टरों की कितनी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) राज्यवार कितने औषधालयों में छः महीने से अधिक समय से कोई डाक्टर नहीं है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) चौथी योजना के प्रारूप में सम्मिलित परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुमानतः 1971 तक देश में 22,000 डाक्टरों की कमी रहेगी । 1,44,000 डाक्टरों की मांग के स्थान पर 1971 तक केवल 1,22,000 डाक्टरों के उपलब्ध होने की संभावना है ।

डाक्टर बनाने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये जो कदम उठाये गए हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(1) वर्तमान 91 मेडिकल कालेजों के अतिरिक्त चौथी योजना में कुछ और मेडिकल कालिज खोलना;

(2) वर्तमान मेडिकल कालिजों में जो राज्य योजना सीलिंग में नहीं आते, दाखिलों की संख्या बढ़ाने के लिये आपत्कालीन विस्तार योजना का चालू रखना;

अधिक डाक्टर उपलब्ध कराने के लिये उठाये गए अन्य कदमों में से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(1) डाक्टरों तथा विशेषज्ञों की सेवा निवृत्ति आयु का बढ़ाना;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को विशेष सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन देना;

(3) जहाँ नितान्त आवश्यक हो वहाँ प्राइवेट डाक्टरों से पार्टटाइम कार्य लेना।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1597/67]

अस्पतालों और दवाखानों से औषधियों की चोरी

771. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के अस्पतालों में तथा दवाखानों से बड़ी मात्रा में औषधियों की चोरी हो रही है और क्या इस प्रकार के किन्हीं विशिष्ट मामलों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच पड़ताल का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) दिल्ली के अस्पतालों और औषधालयों में बड़ी मात्रा में औषधियों की कोई चोरी प्रकाश में नहीं आई है। तथापि अस्पतालों से चीजों के चोरी चले जाने और स्थानीय मार्केट में उनके बेचे-जाने की छुट पुट शिकायतें मिली हैं। कुछ मामले जो ध्यान में आये हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) स्टोर की चीजें देने तथा उनके उपयोग में चौकसी बरतने की हिदायतें दी गई हैं। इन हिदायतें पर अमल किया जा रहा है।

दिल्ली के चारों ओर उपनगर बसाना

772. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के चारों ओर उपनगर बसाने की योजना को क्रियान्वित करने में दिल्ली प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश तथा हरियाना सरकारें सहयोग करने के लिए सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन सरकारों से किस रूप में सहयोग मिल रहा है;

(ग) क्या पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाना के परामर्श से इस योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या हरियाना सरकार ने ग्रीन-फील्ड्स तथा दिल्ली-हरियाना सीमा पर अन्य बस्तियों के नक्शे के प्रारूपों को, जो दिल्ली रिहायशी भूमि के भार को हल्का करेंगी स्वकृति नहीं दी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) मैट्रोपोलीटन क्षेत्र (चारों ओर के उपनगर शामिल हैं) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपीटल रीजन) का समन्वयात्मक तथा आयोजनात्मक विकास करने के लिए; जिसमें आयोजनाओं (प्लान्स) का बनाना, उनकी क्रियान्विति के लिए समुचित निधियों की व्यवस्था करना तथा बदली हुई आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार आयोजनाओं में तरमीम करना भी शामिल है; एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड की स्थापना की गई है जिसमें औरों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाना राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं :

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(घ) और (ङ) : यह मामला हरियाणा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ।

पंजाब में उद्योगों को स्टेट बैंक की सहायता

774. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक ने पंजाब में छोटे पैमाने के कारखानों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, कुछ और सुविधायें देने के बारे में, हाल ही में कुछ कार्यवाही की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : केवल पंजाब में ही कोई खास योजना नहीं चलायी जा रही है । छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में गारंटी देने की सरकारी योजना, जिसका राज्य बैंक द्वारा पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है, और उन दस्तकारों और अन्य योग्यता प्राप्त उद्यमियों को, जो छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी पूंजी नहीं है, धन उपलब्ध करने की राज्य बैंक की नयी योजना पंजाब में और देश के अन्य भागों में भी चलायी जा रही है । राज्य बैंक की योजना के अन्तर्गत उपयुक्त प्रायोजनाओं के लिए, जिन्हें सफलतापूर्वक अमल में लाया जा सकता है, धन की व्यवस्था राज्य बैंक द्वारा, उद्यमी के चरित्र, ईमानदारी और तकनीकी योग्यता के आधार पर की जायगी, भले ही उसके पास

प्रारम्भिक पूँजी जुटाने के साधन न हों ; लेकिन शर्त यह होगी कि बैंक की सहायता से अथवा उसके बिना, व्यापार द्वारा जो परिसम्पत्ति बनेगी उस पर बैंक का भी हक (चार्ज) पहुँचेगा ।

कोठागुडम में उर्वरक कारखाना

775. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोठागुडम में सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) मामला परीक्षाधीन है ।

होम्योपैथी की गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं

776. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत सी गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएँ हैं, जो होम्योपैथी की शिक्षा दे रही हैं ; और

(ख) होम्योपैथी की शिक्षा को विनियमित करने और उसका स्तर निर्धारित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) :

(क) जी हाँ ।

(ख) (i) होम्योपैथी शिक्षा के डिप्लोमा और डिग्री स्तर के कोर्सों की अवधि तथा पाठ्य विषय को उचित स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने जो पाठ्यचर्या और पाठ्य विषय तैयार किये थे उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ।

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की जिसमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है, एक केन्द्रीय परिषद् बनाने के सम्बन्ध में कानूनी ब्योरा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गयी है जो शिक्षा, परीक्षा और योग्यताओं का स्तर निर्धारित करेगी ।

भारत में पैरिस्टन-एन औषधि का निर्माण

777. **श्री अब्राहम** : **श्री भगवान दास** :
श्री उमानाथ: **श्री चक्रपाणि** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विदेशी फर्म ने भारत सरकार से पैरिस्टन-एन औषधि भारत में बनाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस फर्म का नाम क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि फर्म द्वारा उक्त औषधि का मूल्य अत्यधिक बताये जाने के कारण उसका उत्पादन अभी तक रुका पड़ा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो मूल्य निश्चित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ ।

(ख) मैसर्ज बेयर (इंडिया) लिमिटेड बम्बई ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) उत्पादन इत्यादि की लागत के बारे में और विवरण माँगे गये हैं और वे विचाराधीन हैं।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

778. **श्री अब्राहम :** **श्री प० गोपालन:**
श्री विश्वनाथ मेनन: **श्री अ० कु० गोपालन:**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री नम्बियार :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच उत्पादन लाभांश और लाभ बटवारा बोनस के संबंध में हाल ही में कोई विवाद चल रहा था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस विवाद को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) विवाद के हल किये जाने की क्या शर्तें हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) उत्पादन लाभांश और लाभ बटवारा बोनस की अदायगी के बारे में चल रहे विवाद का फैसला हो गया था जब प्रबन्धक 33 दिन के कुल बोनस की अदायगी के लिए सहमत हो गये जिसमें 1966-67 का सांविधिक बोनस एवं उत्पादन बोनस शामिल था ।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

779. **श्री अब्राहम :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तेल शोधक कारखाने के दो एककों में एक एकक अगस्त, 1967 में बन्द हो गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) पुनः उत्पादन आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ, लगभग 5 दिनों के लिये ।

(ख) नयी वार्षिक अनुरक्षण के लिये यूनिट को बन्द रखा गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Fake Currency Notes in Circulation in Jaipur

780. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that fake ten-rupee currency notes are in circulation in abundance in Jaipur ; and

(b) If so, the details of the steps taken by Government to ascertain the causes there of ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Only 14 forged ten-rupee notes were detected in Jaipur and reported to Reserve Bank of India during the period 1.1.1967 to 31.10.1967 .

(b) Such cases are investigated by the State Police . A report has been called for from them . .

Vishwaiyaran Yogashram

781. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Shri Dhirendra Brahmachari of Vishwaiyaran Yogashram is being provided land near Irwin Road and Bangla Sahib Road, New Delhi for the construction of a Yogashram; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Government has sanctioned allotment of land measuring 1.866 acres near Gold post Office to Vishwayaran Yogashram, a registered body under the Societies Registration Act, 1860, for construction of Yogashram and ancillary buildings.

(b) The Yogashram has been rendering good service in the field of physical education for the benefit of the community. Hence it has been allotted land for construction of permanent buildings for improvement and expansion of its activities.

पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

782. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में का जा रही जाँच में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) सरकार को प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) प्रतिवेदन देने में देरी के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) से (ग) : जांच एक अग्रिम स्थिति में है तथा शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

'इन्डेन गैस'

783. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डेन गैस का दिल्ली के लिये निश्चित मूल्य बर्मा शैल तथा अन्य कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले गैस के मूल्यों से कुछ अधिक है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने घरेलू उपभोग के लिये गैस के मूल्य घटाने की कोई योजना बनाई है ;

(ग) क्या उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज दिया जाता है और यदि नहीं तो इससे क्या कारण हैं ; और

(घ) घरेलू उपभोग के लिये इन्डेन गैस का मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं । भारतीय तेल निगम द्वारा दिल्ली / नई दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले " इण्डेन " गैस की कीमत बर्माशैल और एस्सो के गैस से 86 पैसे प्रति 14·5 किलो० कम है । वास्तविक विक्रय मूल्य, बिक्री-कर समेत, इस प्रकार हैं :

(1) बर्मा-शैल	21·91 रु० प्रति 14·5 किलो०
(2) एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टर्न इंक	19·34 रु० प्रति 12·8 किलो०
(3) भारतीय तैल निगम	21·78 रु० प्रति 15 किलो०

(ख) जी नहीं ।

(ग) इण्डेन गैस के उपभोक्ताओं से निम्न-लिखित रकम, वापस होने योग्य जमानत के रूप मे ली जाती है :

(1) प्रत्येक 15	किलोग्राम सिलिण्डर	=40.00 रु०
(2) ,,	दबाव नियन्त्रक	=10.00 रु०
	जोड़	—50.00 रु०

इस जमानत पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता क्योंकि निगम के द्रव-पाराफिन् गैस वितरण यन्त्र पर विनियोजन में परिणामतः कमी बिक्रय दर में प्रतिबिम्बित होती है ।

(घ) इण्डेन् गैस का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि जिससे वह किसी विशेष बाजार में दूसरे प्रतिस्पर्धियों की कीमत के मुकाबले ठहर सके ।

"Evasion of Excise Duty by Birla Group of Industries"

784. **SHRI S. D. BASWANT** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether an enquiry was held in respect of the Birla Group of Industries situated in Maharashtra and Gujarat in connection with the evasion of exise duty;

(b) if so, the number of industries in respect of which such an enquiry was held along with names thereof ; and

(c) the result of the enquiry ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c) : Investigation is being made in respect of 11 concerns belonging to Birla Group in Maharashtra and Gujarat. This is not yet complete.

A statement showing the names of the concerns is placed on the Table of the House.

Statement

1. M/s. Vallabh Textile Mills, Kalwa, Thana.
2. M/s. Bharat Commerce & Industries Ltd. (Kiran Spinning Mills), Kolshet, Thana.
3. M/s. Indian Plastics Ltd. Kandivali.
4. M/s. Kores (India) Ltd., Thana—(L—6 licensee)
5. M/s. Indian Smelting and Refining Ltd., Bhandup, Bombay, (Farrous Dn. Thana).
6. M/s. Zenith Steel Pipes Ltd., Khopoli.
7. M/s. Shri Digvijay Woollen Mills, Jamnagar.
8. M/s, Saurashtra Chemicals, Porbandar.
9. M/s. Century Mills, Bombay.
10. M/s. New Swadeshi Mills, Ahmedabad.
11. M/s. Manjushree Textiles, Ahmedabad.

राज्यों पर बकाया ऋण

785. **डा० अ०ग० सोनार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य पर ऋण बकाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) तथा (ख) राज्य सरकारों की ओर 31 मार्च 1967 को जो ऋणों की राशि राज्य सरकारों की ओर बकाया थी उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1599/67]

पश्चिमी बंगाल में राजस्व आय में कमी

786. **श्री जु० कि० मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में श्रम अशान्ति, घेराओं तथा तालाबन्दी के परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों में, जिनमें कलकत्ता और हावड़ा भी शामिल हैं, आयकर, अधिकर, सीमा शुल्क तथा अन्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों तथा करों आदि की संभावित कमी का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी कमी होने का अनुमान है ; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिमी बंगाल में व्यापार गृहों की तलाशी

787. **श्री जु० कि० मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 अगस्त 1967 से 15 अक्तूबर, 1967 तक हावड़ा तथा कलकत्ता में केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा जिन व्यापार-गृहों की तलाशी ली गई थी उनका व्योरा क्या है ;

(ख) उक्त व्यापार गृहों द्वारा विभिन्न प्रकार के कदाचार करने के कारण क्या अपराधरोपक साक्ष्य मिले हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) 16 अगस्त, 1967 से 15 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा अर्थात् सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क/स्वर्ण नियन्त्रण, प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर अधिकारियों द्वारा तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को द्वारा हावड़ा तथा कलकत्ता में जिन व्यापार-गृहों की तलाशी ली गई उनके नामों तथा ठिकानों का एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०**1600/67]

(ख) और (ग) 63 मामलों में से 5 मामलों में कोई दोषारोपणीय प्रमाण नहीं मिला। छः मामलों में पकड़ी गई वस्तुओं / दस्तावेजों से प्राप्त प्रमाण से जूट के माल का (3 मामलों में) अनधिकृत निर्यात, सीमा-शुल्क कानून तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन करते हुए न्यून मूल्यांकन (एक मामला); स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन में शुद्ध सोने का अनधिकृत परिष्करण (एक मामला), तथा जायज सीमा से अधिक मात्रा में शुद्ध सोना प्राप्त करना (एक मामला) प्रकट हुआ। शेष 52 मामलों में जाँच-पड़ताल जारी है। जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, सम्बन्धित कानूनों के अधीन, जहाँ कहीं भी अपेक्षित होगा, न्याय निर्णय सम्बन्धी तथा/अथवा मुकदमा दायर करने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जाएगी ।

बैंकों के सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन का भेद खुलना

788 **श्री नायनार : श्री प० गोपालन :**
श्री नम्बियार : श्री चक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन का भेद खुल गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने मामले की जाँच की है ;

(ग) इस के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) कुछ समाचारपत्रों में जो समाचार आये हैं वह संभवतः डा० पाई पानानडिकर की सामाजिक नियंत्रण सन्बन्धी प्रतिवेदन के कुछ भागों पर आधारित है ।

(ख) से (घ) सरकार इस मामले की जाँच करना आवश्यक तथा उचित नहीं समझती ।

विदेशी मिशन

789. **श्री नायनार : श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्थित कुछ विदेशी मिशनों ने अपने भारतीय कर्मचारियों के बारे में वार्षिक विवरण नहीं भेजे हैं अथवा वेतन देते समय कर नहीं काटा है ।

(ख) इन मिशनों के नाम तथा इस मामले से अन्तर्ग्रस्त भारतीय कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) इन विदेशी मिशनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) आय-कर विवरण न देने के लिये इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) 41 विदेशी दूतावास अपने भारतीय कर्मचारियों के नामों की वार्षिक विवरणियाँ नहीं भेज रहे हैं जिनमें इसलिये इस मामले में ग्रस्त भारतीय कर्मचारियों की कुल संख्या का पता नहीं है । इन विदेशी दूतावासों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1601/67**]

(ग) आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन, वेतनों पर आय-कर की कटौता नियोजक द्वारा स्रोत-पर करनी होती है । स्रोत पर कर काटने के विदेशी दूतावासों के प्रश्न पर विधि मंत्रालय के साथ परामर्श कर के विचार किया गया था तथा यह राय दी गई थी कि यदि कोई विदेशी दूतावास कर की कटौती स्त्रोत पर नहीं करे तो, दूतावासों को प्राप्त राजनयिक-उनमुक्ति के कारण, उससे कर की वसूली करना सम्भव नहीं होता । बहुत से दूतावसों ने स्रोत पर कर की कटौती करने में अनिच्छा व्यक्त की है । हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा दूतावासों को फिर से लिखा गया है कि वे अपने भारतीय कर्मचारियों को दी जाने वाली उपलब्धियों के बारे में वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करें ।

(घ) दूतावासों के जो कर्मचारी वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करते हैं किन्तु स्रोत पर कर की कटौती नहीं करते, उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अलग-अलग मामलों में कर-निर्धारण करने तथा कर वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है । जो दूतावास कर्मचारियों की वार्षिक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं करते , उन्हें विदेश मंत्रालय ने ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिये फिर से लिखा है , जिससे आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के मामले में कर-निर्धारण की कार्यवाही की जा सके ।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

790. **श्री नायनार : श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधक कारखाने के तीसरे एकक का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है ;

(ख) क्या धुवारन ताप बिजली घर में यांत्रिक खराबी के कारण इस तेल शोधक कारखाने के तीसरे एकक को चालू करने में विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

791. **श्री नायनार : श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री नम्बियार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1967 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जीवन बीमा एजेंट संघ के प्रधान तथा उपप्रधान श्री पी० एस० भाष्यम और श्री के० जी० राव ने जीवन बीमा निगम के चेयरमैन से बिना विलम्ब उनकी 47 माँगें स्वीकार करने के लिये कहा था अन्यथा सारे देश में एजेंट एक दिन कारोबार बन्द दिवस मनायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य माँगें क्या हैं ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने जीवन बीमा एजेंट संघ से बातचीत की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) : संघ ने 1964 में 47 माँगें पेश की थीं ; उनकी मुख्य माँगों का सम्बन्ध कमीशन की दरों में वृद्धि, भविष्य निधि योजना लागू करने और वरिष्ठ एजेन्टों का संवर्ग बनाने से था । निगम ने एजन्टों के संघ को उत्तर दे दिया है ।

(ङ) यह निगम का काम है कि अपने एजेन्टों से समझौता करे ।

तेलवाहक पोतों का भाड़ा

793. **श्री रमानी : श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण तेलवाहक पोतों का भाड़ा बढ़ गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना ;

(ग) भाड़े में वृद्धि हो जाने के कारण क्या सरकार का विचार आयातित पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्तावित वृद्धि कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ ।

(ख) वृद्धि दर विदेशी सप्लाई बन्दरगाह व भारतीय गन्तव्य बन्दरगाह की दूरी के अनुसार भिन्न भिन्न होती है । तथापि परसियन गल्फ से बम्बई बन्दरगाह तक आने वाले मुख्य पेट्रोलियम पदार्थों पर, जिस पर कि आयात समानता की नीति के अनुसार हमारी कीमतें जुड़ी हुई हैं , वृद्धि दर नीचे दी गई है अर्थात आवादान 10.9.67 तक और बन्दर माहशर 11.9.67 से :—

	रु० में मीट्री टन बम्बई तक	
	आवादान से (10.9.67 तक)	बन्दर माह-शर से (11.9.67 से)
जुलाई 1967 में	3·91	—
अगस्त 1967 में	8·27	—
सितम्बर 1967 में	9·01	8·79
अक्तूबर 1967 में	—	9·64

जून 1967 के मुकाबले 1·7·67 से किये गये आयात में कच्चे तेल के भाड़े में हुई वृद्धि इस प्रकार है :

	(रु० में/मीट्री टन) कच्चा माल बम्बई तक		
	आगाजारी (खर्गद्वीप) से	कुवैट (मिलन अहमदी) से	अरेबियन मिक्स (रास टनूरा) से
जुलाई 1967 में	1·97	0·03	1·06
अगस्त 1967 में	3·55	4·36	5·04
सितम्बर 1967 में	7·85	7·28	7·58
अक्तूबर 1967 में	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं		

(ग) और (घ) भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप, उपभोक्ताओं को थोक में बेची जाने वाला शोधित पैट्रोलियम पदार्थों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों में फिलहाल वृद्धि करने का कोई इरादा

नहीं है। भाड़े की ऐसी वृद्धियां "कीमत और भाड़ा समयोजन लेखा" में जमा करने की इजाजत दे दी जाती है जो कि कम्पनियाँ सरकार के पास रखते हैं। तथापि पक्के माल और मूल तेल आदि की आयातित मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिए जो कि देश में ही समिश्रित (blended) होती हैं क्योंकि कम्पनियाँ इन उत्पादों के मूल्य वास्तविक कीमत के अनुसार ही निर्धारित कर सकती हैं, ल्यूबरीकेटिंग तेल और ग्रीस आदि के विक्रय मूल्य में 17.8.67 से निम्न वृद्धि कर दी गई है :

(1) आयातित मूल तेल (Base oil) आदि से देश में ही बनाये गये ल्यूबरीकेटिंग तेल	3 पैसे / लिटर
(2) स्थानीय रूप से बनाये गये ग्रीस	2 पैसे / किलोग्राम
(3) ट्रांसफार्मर आयल	9 पैसे / लिटर
(4) अन्य आयातित ल्यूबरीकेंट्स	10 पैसे / लिटर
(5) आयातित ग्रीजिज	15 पैसे / लिटर

उपर्युक्त वृद्धियों में आयात कर में वृद्धि भी शामिल है जो कि वर्तमान समय में मूल्यानुसार (advalorem) ली जाती है।

जीवन बीमा निगम में औद्योगिक सम्बन्ध

794. **श्री रमानी :** **श्री भगवान दास :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री उमानाथ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में औद्योगिक सम्बन्ध खराब होते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत में अमरीकी विनियोजन

795. **श्री रमानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 सितम्बर, 1967 को उन्होंने अमरीकी उद्योगपतियों को कहा था कि भारत ने अपनी कुछ आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर दिया है तथा उनके द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी सुरक्षित है और उसका स्वागत है,

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने यह भी कहा था कि भारत ने उन प्रतिबन्धों तथा नियन्त्रणों को वस्तुतः हटाने के लिये कदम उठाया है जो देश में विदेशी पूंजी लगाये जाने में बाधक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) से (घ) सम्भवतः इसका सम्बन्ध न्यूयार्क में दूर-पूर्व सम्बन्धी अमरीकी परिषद (फारईस्ट अमेरिका कौंसिल) में 14 सितम्बर, 1967 को दिये गये मेरे भाषण से है। भाषण के सम्बद्ध उद्धरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1602/67**]

जीवन बीमा निगम का कारोबार

796. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम का कारोबार 1966-67 में पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हो गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) 27.52 करोड़ रुपये।

(ग) से (ङ) निगम के अध्यक्ष ने पिछले सितम्बर में निगम की वार्षिक बैठक में अपने वक्तव्य में बताया था कि कारोबार में यह गिरावट आर्थिक स्थिति, अनावृष्टि तथा अकाल जैसे प्राकृतिक प्रकोपों एवं निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन जैसे कारणों से हुई है। सरकार ने कारणों की जांच-पड़ताल नहीं की है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को लाभ की राशि भेजना

797. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कम्पनियों को 1966-67 में अपना लाभ अपने अपने देशों को भेजने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों को लाभ की राशि विदेशों को भेजने की अनुमति दी गई थी तथा कितनी राशि भेजने की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या यह राशि इन कम्पनियों द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा में से भेजी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा के कमाने तथा उसे विदेश भेजने के बीच क्या अनुपात है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हां।

(ख) 1966-67 में भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों ने चालू और संचित लाभ की 14.7 करोड़ रुपये की रकम बाहर भेजी थी। जिन कम्पनियों ने लाभ की रकमें बाहर भेजी हैं उनकी संख्या के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार, विदेशी कम्पनियों को भारतीय करों की अदायगी के बाद लाभ की रकमें बाहर भेजने की खुली छूट है और ये रकमें उन कम्पनियों को निर्यात से होने वाली आमदनी से पृथक हैं और उसके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

भारत में अस्पतालों में सुधार के लिये सुझाव देने के लिये समिति

798. **श्री क० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में अस्पतालों में सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिये श्री ए० पी० जैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन देगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) :

(क) जी हां।

(ख) यह समिति सम्भवतया, 31 दिसम्बर 1967 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

भारत के रिजर्व बैंक से निकाली गई अधिक राशि को वापिस करने के लिये मैसूर सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

799. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से जो अधिक रुपया निकाला था उसको वापिस करने के लिये सरकार से लगभग 9 करोड़ रुपये मांगें हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी ताकि गत वर्ष के अन्त तक जो रिजर्व बैंक से अधिक रुपया निकाला था उसे दिया जा सके। 1.50 करोड़ रुपया का ऋण पहले ही मंजूर किया जा चुका है। यदि आवश्यक हुआ तो आगे सहायता देने के प्रश्न पर राज्य सरकार तथा केन्द्र के साधनों को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

राजस्थान में सिंचाई योजनायें

800. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बड़ी सिंचाई योजनाओं में प्रगति धीरे धीरे हो रही है और प्रायः रुक गई है;

(ख) इस समय क्रियान्वित योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) खाद्य उत्पादन में अविलम्बता को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में चालू की जाने वाली और योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) वित्तीय नियमन के मामले में राजस्थान को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये क्या प्राथमिकता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) वित्तीय साधनों की कमी के कारण राजस्थान सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति धीमी है परन्तु यह बिल्कुल रुकी हुई नहीं है ।

(ख)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित खर्च	लाखों रु० में 1967-68 तक अनुमानित व्यय
1.	राजस्थान नहर चरण I	8012	5050
2.	ब्यास परियोजना एकक II	6763×	3154×
3.	भाखड़ा नंगल परियोजना	2259×	2185×
4.	चम्बल परियोजना (चरण I)	2436×	1720×
5.	चम्बल परियोजना (चरण II)	650	597×
6.	गुड़गांव नहर	302	159.36
7.	माही परियोजना (सिंचाई का भाग)	495	112

×राजस्थान का भाग

(ग) और (घ) 1968-69 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

उर्वरकों का उत्पादन

801. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के उत्पादन के लिये 20 लाख टन नाइट्रोजन पैदा करने का लक्ष्य त्याग दिया गया है और वर्ष 1970-71 के अन्त तक इसका वास्तविक उत्पादन बहुत कम होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने की अत्यावश्यकता के बावजूद इस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि उर्वरक सन्यन्त्र पूरी क्षमता से काम करें ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) यद्यपि सरकार का ध्येय चौथी योजना के अन्त तक 20 लाख टन नाइट्रोजन तैयार करने का है' किन्तु अब 1970·71 के अन्त तक 1·7.15 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन की सम्भावना है ।

(ख) इस बात को देखते हुए कि रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में काफी रकम खर्च होगी, जिन पार्टियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हें भारत तथा विदेश में ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के साथ बात-चीत करनी थी । इन बात-चीतों में जितने समय की सम्भावना थी उसमें अधिक समय लगा और उसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में देरी हुई ।

(ग) और (घ) : कुछ फैक्टरियों में उत्पादन क्षमता से कम है। इस कम उत्पादन के कारण तथा पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

सिन्द्री : घटिया दर्जे के कोयले और जिपसम का संभरण, लीन गैस के उत्पादन और कोक ओवन गैस के उत्पादन में कमी के कारण फैक्टरी में उत्पादन कम हुआ। यद्यपि अच्छे स्तर के कोयले के सम्भरण के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु जिपसम के स्तर में सुधार करना सम्भव नहीं हो सका है। लीन गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए दो अतिरिक्त लीन गैस उत्पादनों की स्थापना की गई है। कोक ओवन गैस के उत्पादन में कमी के लिए एक छोटा नेष्था संशोधन संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया गया है जिसमें प्रति दिन 60 मीटरिक टन अमोनिया उत्पादन के बराबर संश्लेषण गैस तैयार होगी। इस संयंत्र की स्थापना के लिए अनुबन्ध कर लिया गया है।

ट्राम्बे : संयंत्र की प्रारंभिक कठिनाइयाँ अभी चल रही हैं और एक तकनीकी समिति की सहायता से अब इन कठिनाइयों का पता लगाना सम्भव हो सका है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

राउरकेला : स्टील प्लान्ट में कोक ओवन गैस की कमी फैक्टरी में कम उत्पादन का मुख्य कारण है। कोक ओवन गैस की कमी को एक नेप्था गैसिफिकेशन प्लान्ट स्थापित करके पूरा करने का विचार है और इसके लिए एक अनुबंध कर लिया गया है।

निवेली : आरम्भिक कठिनाइयों के कारण उत्पादन कम था। प्लान्ट के संचालन और रख-रखाव की जाँच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था जिसने बहुत से उपाय सुझाये हैं। इन पर अमल किया जा रहा है।

फेक्ट उद्योग मण्डल : पावर की कमी, अक्सर पावर फेल हो जाना, वाल्टेज में कमी और पावर चली जाना कच्चा माल जैसे सल्फर और रोक फोस्फेट की कमी, कम उत्पादन के कारण थे। इनपर काबू पा लिया गया है और शीघ्र ही इसके पूरी क्षमता प्राप्त कर लेने की सम्भावना है।

आयकर निर्धारण और अपील

802. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्षित निदेश के अन्तर्गत, आयकर अधिकारी दिये गये निश्चित कोटे को पूरा करने के प्रयत्न में अधिक कर निर्धारण करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिक कर निर्धारित किये गये मामलों में जब करदाता द्वारा अपील की जाती है तो अधिकतर मामलों में करदाताओं के पक्ष में छूट दी जाती है ;

(ग) यदि हाँ, तो करदाताओं द्वारा पिछले पांच वर्षों में आयकर विभाग के विरुद्ध अधिक कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में कुल कितनी अपीलें की गयीं और कितने प्रतिशत अपीलों में करदाताओं को छूट दी गई।

(घ) जान बूझ कर अधिक कर निर्धारण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) करदाताओं को इस परेशानी से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं । कर-संग्रह का लक्ष्य, आयकर अधिकारी के कार्य क्षेत्र के स्वरूप के अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसका प्रयोजन यह इतमीनान करना होता है कि आयकर अधिकारी कुशलतापूर्वक अपना कार्य करें ।

(ख) जी हाँ । अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा निर्णीत अपीलों में से अधिकांश में कर निर्धारितियों को राहत दी गई । परन्तु जिन मामलों में कर निर्धारितियों द्वारा अपीलें दायर की जाती हैं, वे सब आवश्यक रूप से अधिनिर्धारण के मामले नहीं होते हैं ।

(ग) कर निर्धारितियों द्वारा अपीलीय सहायता आयुक्तों के पास दायर की गई अपीलों की कुल संख्या तथा सफल अपीलों के अनुपात का प्रतिशत इस प्रकार है :—

वर्ष	दायर की गयी अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	अपीलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारितियों के हक में फैसला हुआ	सफल अपीलों का प्रतिशत
1962-63	1,12,352	1,19,801	77,626	65
1963-64	1,23,450	1,18,610	75,684	64
1964-65	1,50,134	1,20,352	75,415	63
1965-66	1,82,645	1,37,927	88,224	64
1966-67	1,96,288	1,94 080	1,29,655	66

(घ) यदि निरीक्षक अधिकारी किसी अधिकारी में सापेक्ष भावना की कमी पाता है तो वह उस अधिकारी की चरित्र-पंजी (करेक्टर रोल) में इसका उल्लेख कर देता है ।

(ङ) थोड़ी आमदनी के मामलों में सरकार ने करनिधारितियों द्वारा दायर की गई आयकर-बिवरणियों को स्वीकार करने की नीति अपना ली है । क्षेत्रीय अधिकारियों को बार-बार जोर देकर कहा गया है कि वे संतुलित कर-निर्धारण करें जिससे अनावश्यक अपीलों से बचा जा सके ।

बांधों के टूटने के कारण बाढ़ें

803. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री न० कु० साल्वे :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों के कारण हुआ भारी नुक्सान को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने बाँधों के टूटने के कारणों की जाँच करना वांछनीय समझा है।

(ख) क्या सरकार ने एक ऐसा संगठन बनाने की व्यावहारिकता पर भी विचार किया है जिसमें केन्द्र तथा राज्य दोनों के प्रतिनिधि हों और जो इन बांधों की देख-रेख तथा रख रखाव का काम करेगा और समय समय पर इनकी जाँच करेगा तथा बांधों को रोकने के लिये मेढ़ों को बनाने के संबंध में सलाह भी देगा ; और

(ग) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) से (ग) निर्माण के समय उचित एवं नियमित जाँच द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाढ़ तथा अन्य कारणों से बांध की सुरक्षा को कोई हानि न हो तथा रख-रखाव के समय जाँच करने का प्रश्न पहले ही सरकार के विचाराधीन है तथा राज्य सरकारों की सलाह से इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में एक विशेष एकक का गठन करने का प्रस्ताव है। विस्तृत व्योरा तैयार किया जा रहा है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा "मार्मिक" में दिया गया विज्ञापन

804. **श्री अ० कु० गोपालन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने शिवसेना के मुख-पत्र "मार्मिक" में दो पृष्ठ का विज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके लिये उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों का पता लगाने के लिये कोई जाँच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "मार्मिक" उन बहुत-से समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में से एक है, जिनमें राज्य बैंक की उन महत्वपूर्ण नयी योजनाओं में से, जिनके बारे में प्रचार करना आवश्यक है, एक योजना के बारे में, सामान्य रूप से, बैंक का विज्ञापन छपा था। इस पत्र को, विज्ञापन के मामले में कोई विशेष रियायत या सुविधा नहीं दी गयी है। इस पत्र की ग्राहक संख्या लगभग 40,000 बतायी जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में अधिकारियों की नियुक्ति

805. श्री राम चरण:

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के कुछ सेवा-निवृत्त अधिकारियों को अपने मंत्रालयों के अधीन विभिन्न बोर्डों तथा आयोगों में परामर्शदाता सदस्य/सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया है ;

(ख) क्या उपरोक्त अधिकारी विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या ये अधिकारी सलाहकार/सदस्य/परामर्शदाता के रूप में उनके मंत्रालय के खर्च पर बार-बार भारत आते रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष में इस प्रकार इन अधिकारियों में विदेशों से आकर भारत में बैठकों में भाग लेने के कारण उनकी यात्रा तथा दैनिक भत्ता आदि के रूप में विभिन्न आयोगों बोर्डों को कुल कितना खर्च उठाना पड़ा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री डा० क० ल० राव) :

(क) जी हां ।

(ख) एक अधिकारी जो कि इंजीनियरिंग सेवाओं के निदेशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में मेंकांग (कम्बोडिया) पर कार्य कर रहा है, को फराक्का बांध नियन्त्रण बोर्ड द्वारा टेक्नीकल परामर्श समिति पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

(ग) यद्यपि भारत सरकार को बैंकाक से दिल्ली तक हवाई जहाज का वापसी किराया देना है परन्तु विशेष रूप से इस कार्य के लिये इस अधिकारी को बुलाने का अवसर नहीं आया। फिर भी जब वह भारत में था तो फरक्का नियंत्रण बोर्ड की टेक्नीकल परामर्श समिति की कुछ बैठकों में भाग लिया था।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा गत एक वर्ष में यात्रा तथा दैनिक भत्ते पर कोई व्यय नहीं करना पड़ा ।

Admission to Medical Colleges in Delhi

806. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Health and Family Planning be** pleased to state :

(a) the total number of applications received for seeking admission in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and Maulana Azad Medical College, Delhi from the various States in 1967;

(b) the number of applicants admitted and the number of students from the various States studying there;

(c) the number among them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(d) whether the instructions regarding relaxation of 5 per cent marks and reservation of 20 percent seats were observed while giving admission, and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar)) :

(a) The total number of applications received in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and Maulana Azad Medical College, New Delhi, are as follows:—

(i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.		1540
(ii) Maulana Azad Medical College, New Delhi.		810
	Total:	2350

(b) 50 and 123 students have been admitted in M.B.B.S. course in the All India Institute of Midical Sciences and the Maulana Azad Medical College respectively during the year 1967. Their Statewise break-up is as under:

Delhi	21	Delhi	106
Punjab	10	Himachal Pradesn	8
Haryana	5	Chandigarh	2
Chandigarh	2	Nagaland	1
Rajasthan	2	Jammu & Kashmir	2
Uttar Pradesh	3	Madras	1
Himachal Pradesh	1	Rajasthan	1
Bihar	1	Foreign Students	2
Foreign students	5		
	50		123

(c) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Nil

Maulana Azad Medical College, New Delhi 3 (Scheduled Caste)

(d) Yes.

(e) Does not arise.

पश्चिम बंगाल सरकार का घाटा

807. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में छः महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने 36 करोड़ रुपये का घाटा पूरा नहीं किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस घाटे का परिणाम यह होगा कि या तो भारत के रिजर्व बैंक से अनधिकृत ओवर ड्राफ्ट करना पड़ेगा या केन्द्र को कानूनी बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख): यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने जून 1967 में जो बजट पेश किया था उसमें उस वर्ष के लेन-देन के कारण 36·41 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान लगाया था। यदि इस घाटे को पूरा करने के लिये उचित कार्यवाही नहीं की तो यह परिणाम हो सकता है कि भारत के रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट करना पड़े अथवा राज्य सरकार अपने सारे वचनों को पूरा न कर सके जिसमें वह राशि भी शामिल है जो उसे केन्द्रीय सरकार को देनी है।

(ग) राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह अपना व्यय उन साधनों तक सीमित रखे जो उन्हें साफ दिखाई दे रहे हैं

झुग्गी झोपड़ी योजना

808. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने नई झुग्गी झोपड़ी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) और (ख) गृह मंत्री की अध्यक्षता में 5 अगस्त, 1967 को हुई बैठक में, जिसमें कि दिल्ली का प्रतिनिधत्व करने वाले संसद सदस्य भी उपस्थित थे, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी समस्या पर विचार किया गया था। बैठक में निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में इस समस्या का अध्ययन करने तथा इसे सुलझाने के लिए सुझाव देने को एक स्टैडो ग्रुप नियुक्त किया गया था। इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह सरकार के विचाराधीन है।

निम्न तथा मध्य आय वर्गों के लिये भूमि

809. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित रिहायशी प्लाटों को लाटरी निकालकर निम्न तथा मध्य आय वर्गों के व्यक्तियों को आवंटित करने के प्रस्ताव को दिल्ली प्रशासन ने अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ग) निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने की योजना पहले ही से लागू है। मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लाट के आवंटन का प्रस्ताव अंतिम चरण में विचाराधीन है। फिलहाल, देरी को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवेदन-पत्र के आमंत्रण का विज्ञापन जिसमें योजना का मुख्य विवरण दिया गया है, कर दिया है। विज्ञापन की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 1603/67]

हल्दिया और पारादीप में उर्वरक कारखाने

810. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री मरंडी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिये हल्दिया में एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; :

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या पारादीप में एक अन्य उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) अभी नहीं । यह केवल सिद्धान्त रूप में ही स्वीकार किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

परिवार नियोजन

811. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्य की प्रगति में अफवाहें कहाँ तक बाधक सिद्ध होती है, इसका अनुमान लगाने के लिये क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान ने कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर):

(क) जी हां, दिल्ली में केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान ने लूप सम्बन्धी अफवाहों का अध्ययन किया जिसमें 100 व्यक्तियों से भेंट की गई ।

(ख) केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान से प्राप्त सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम अनुबन्ध में दिए गए हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1604/67]

विवाह योग्य आयु

812. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये लड़कों तथा लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसे किस तरह क्रियान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) से (ग) लड़कों और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

कोरवा में कास्टिक सोडा तथा डी० डी० टी० बनाने के कारखाने

813. **श्री रामावतार शर्मा** : **श्री गं० च० दीक्षित** :
श्री लखनलाल गुप्त :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राज्य क्षेत्र में कोरवा में कास्टिक सोडा, डी० डी० टी० और बी० एच० सी० लिंडानी कारखाने लगाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

क्योंकि चौथी योजना अवधि में माँगों को पूरा करने के लिए पहले से ही डी० डी० टी०, बी० एच० सी० और लिंडानों (Lindane) के लिए लाइसेंस युक्त / अनुमोदित क्षमताएँ पर्याप्त हैं; मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० को क्लोरीन के इस्तेमाल करने के लिए वैकल्पिक योजनाओं को तैयार करने के लिए सलाह दी गई है। उन योजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये दिल्ली में क्वार्टर

814. **श्री रामावतार शर्मा : श्री गं च० दीक्षित :**
श्री लखन लाल गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 22 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रहने वाले मध्य प्रदेश के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के सम्बन्ध में सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की कोई प्रार्थना मिली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया किन्तु पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए सामान्य पूल वास की अत्यधिक कमी होने के कारण, दिल्ली में तैनात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सामान्य पूल रिहायशी वास में से आवंटन देना संभव नहीं हो सका। प्रसंगतः, मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी पारस्परिक व्यवस्था भी नहीं है।

मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खण्ड

815 **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खण्डों के लिये अधिक अनुदान दिये जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रार्थना मिली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है और क्या राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) हां।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

कोरवा में उर्वरक कारखाना

816. **श्री रामावतार शर्मा : श्री गं० च० दीक्षित:**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरवा में कोयला-आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : कोयला-आधारित सन्यन्त्र से सम्बन्धित एक तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन पर, जिसे भारतीय उर्वरक निगम ने हाल ही में तैयार किया है, सरकार छानबीन कर रही है।

इन्दौर में अन्धों के लिये औद्योगिक वर्कशाप

817. **श्री रामावतार शर्मा : श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विकलांग व्यक्तियों के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता" की योजना के अन्तर्गत इन्दौर में अन्धों के लिये एक औद्योगिक वर्कशाप स्थापित करने के लिये हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के क्या निर्णय किया गया है और क्या राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक अन्तरिम उत्तर राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। निर्णय शीघ्र प्रेषित किए जाने की आशा है।

मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण

818. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा मेडिकल कालेजों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मेडिकल कालेज कौन कौन से हैं और उन में से प्रत्येक कालेज में कितने स्थान आरक्षित है;

(ग) ये स्थान किस वर्ग के लोगों के लिये आरक्षित रखे जाते हैं; और इस वर्ष उन में से प्रत्येक वर्ग के कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है;

(घ) क्या इन आराक्षित स्थानों पर तदर्थ आधार पर किन्हीं उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया था; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर हां में है तो ये विद्यार्थी कौन कौन से हैं, दाखिले के लिये जिन चार विषयों का विचार किया जाता है उनमें से ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को कितने-कितने प्राप्त हुए थे और तदर्थ उम्मीदवारों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों के लिये विभिन्न राज्यों के मेडिकल कालजों में इस मंत्रालय द्वारा सीटें आरक्षित की जाती हैं :—

1. संघ क्षेत्र (जहां मेडिकल कालेज नहीं हैं) हिमाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड,

2. विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी विशेषज्ञ एजेन्सियों में विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों के पुत्र तथा पुत्रियां।

3. सेना में कार्य करने वाले या सेना के मृत कर्मचारियों के पुत्र तथा पुत्रियां।

4. सिक्किम तथा भूटान के विद्यार्थी।

5. जम्मू तथा काश्मीर राज्य के नामित छात्र,

6. सांस्कृतिक छात्र विदेशों में रहने वाले भारतीय प्राइवेट छात्र तथा प्राइवेट विदेशी छात्र।

7. अपेक्षतया कम विकसित राष्ट्र मण्डलीय देशों के छात्र,

8. कोलम्बो योजना के अन्तर्गत टी० सी० एस० तथा

9. विशेष राष्ट्र मण्डलीय अफरीकी सहायता योजना के छात्र।

(ख) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1605/67]

(ग) जिन वर्गों के छात्रों के लिये सीटें आरक्षित की जाती हैं वे उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये हैं। कितने छात्र इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिल किए गये इस विषय में सूचना अभी उपलब्ध नही है।

(घ) और (ङ) आरक्षित सीटों पर केन्द्रीय सरकार ने कुल 68 तदर्थ छात्रों का चयन किया। यह चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई चयन समिति द्वारा किया गया है और उसने अधिक पात्र समझे जाने वाले छात्रो का चयन किया है। तदर्थ नामजद छात्रों के नामों तथा उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत (जहां उपलब्ध हैं) का विवरण संलग्न है।

बम्बई में छापे

श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालामल, दीपक महल; मेरीन ड्राइव, बम्बई, नामक किसी व्यक्ति अथवा फर्म पर सितम्बर, 1967 के अन्त में सरकार की जाँच एजेंसियों द्वारा छापा मारा गया था तथा उसकी तलाशी ली गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस डालामल को दिये गये नोट को जब्त कर लिया गया है जिसमें उसे चार किलो सोना देने को कहा गया था।

(ग) क्या यह भी सच है कि छापे के दौरान केन्द्रीय जाँच एजेंसियों द्वारा अनेक ट्रांजिस्टर, रेडियों, विदेशी मुद्रा दस्तावेज और कागजात जब्त किये गये थे; और

(घ) यदि हाँ तो उक्त व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बम्बई तथा राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय

नई दिल्ली के अधिकारियों ने 30 सितम्बर, 1967 को श्री वाधुमल दालामल रामानी, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई के रिहायशी मकान पर छापा मारा ।

(ख) इस छापे में एक छोटी पर्ची पकड़ी गई जिसमें "हासामल, बम्बई से 4 किलो-ग्राम सोना पाया" लिखा था और इस पर किसी हरीश के हस्ताक्षर थे तथा 30/9 तारीख दी हुई थी ।

(ग) छापे के कारण निम्नलिखित वस्तुएँ पकड़ी गईं :

(i) लगभग 7000 रुपये मूल्य के 7 ट्रांजिस्टर रेडियो और 3 टेपरिकार्डर;

(ii) 200 अमरीकी डालर,

(iii) बैंक आफ जमैका के एक-एक पौंड के दो नोट :

(iv) 7 रेडियो-लाइसेंस; और

(v) 2 लाकर की चाबियाँ ।

(घ) मामले की जांच अभी भी चल रही है ।

विदेश जाने वाले लोगों के लिये विदेशी मुद्रा

820. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि जो भारतीय नागरिक अपने मित्रों से मिलने या स्वास्थ्य परीक्षा के लिये विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें 'पी' फार्म अथवा विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दे दी जाती है ;

(ख) क्या 'पी' फार्म उन लोगों को दिया जाता है जो अपने आवेदनों या पत्रों द्वारा सरकार को यह आश्वासन दे देते हैं कि विदेशों में रहने वाला उनका अमुक मित्र उन की यात्रा पर भावी खर्च को बहन करने के लिये तैयार है;

(ग) यदि वह व्यक्ति जिससे भारतीय नागरिक की विदेश यात्रा पर आने वाले खर्च को बहन करने की आशा की गयी थी ऐसा करने में असमर्थ रहता है, और बाद में यह बताया जाता है कि खर्च किसी अन्य व्यक्ति ने बहन किया है, तो क्या इससे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन होता है;

(घ) क्या अक्तूबर, 1967 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षो में सरकार का ध्यान ऐसे उल्लंघनों या वचन-भंग के मामलों की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत केवल मित्रों से मिलने हेतु जाने के लिये विदेशी मुद्रा या 'पी' फार्म नहीं दिया जायेगा । नियमों के अधीन केवल डाक्टरी इलाज के लिये ही विदेशी मुद्रा दी जा सकती है । यदि विदेशों में मित्र खर्च दे तो 'पी' फार्म दिया जा सकता है ।

(ग) विनियमों का उल्लंघन करने की धारणा बनाने से पहले प्रत्येक मामले से सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करना होगा। प्रत्यक्षतः यदि मेजबान भी अनुमोदित श्रेणी में है तो इसमें कोई उल्लंघन नहीं होगा या विदेश यात्रा ऐसे कारणों पर है जिनके लिये रिजर्व बैंक अन्यथा विदेशी मुद्रा दे सकता था।

(घ) और (ङ) यदि उल्लंघन के कोई मामले हुए तो उनके सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

अपरिष्कृत तेल पर स्वामिस्व (रायल्टी)

821. **श्री अरमुगम :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और गुजरात सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि अपरिष्कृत तेल पर रायल्टी की दरों में संशोधन किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)

(क) जी हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

जापान की सहायता से महाराष्ट्र में-उर्वरक संयंत्र की स्थापना

822. **श्री अरमुगम :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी फर्म मेसर्स टोक्यो इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने देश के उपलब्ध नैपथा के आधार पर महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)

(क) महाराष्ट्र कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा कुछ जापानी फर्मों के सहयोग से (टोक्यो इंजीनिरिंग कारपोरेशन नहीं) नेप्थां पर आधारित, एक सोडा राख, एमोनियम क्लोराइड संयत्र के लगाने का प्रस्ताव है अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सहयोग की शर्तें अभी तय होनी हैं। विस्तृत प्रस्तावों की महाराष्ट्र कोआपरेटिव फर्टीलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड से प्रतीक्षा है।

सरकार पर विदेशी ऋण

823. **श्री पार्थसारथी :** **श्री मेघचन्द्र:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार पर इस समय कुल कितना विदेशी ऋण है;

(ख) निर्यात से कमाई हुई विदेशी मुद्रा में से कितनी राशि सूद के रूप में दी जाती है; और

(ग) ऋण की अदायगी की अवधि बढ़ाये जाने और ब्याज का भुगतान न किये जाने के कारण भारत सरकार का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़ता जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार पर 31 जुलाई 1967 को 4005.05 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण था।

(ख) विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी और व्याज तथा सेवा सम्बन्धी खर्चों की अदायगी, निर्यात से होने वाली आमदनी में से सबसे पहले करनी होती है । पिछले दो वर्षों में निर्यात से होने वाली आमदनी और विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में की गयी अदायगियों का ब्योरा इस प्रकार है :

	निर्यात से हुई आमदनी (करोड़ रुपयों में)	विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में की गयी अदायगियां (करोड़ रुपयों में)
1965–66	1275.1	216.5
1966–67	1168.3	240.8

(ग) पिछले पांच वर्षों में विदेशी ऋणों की बकाया रकम, मूलधन और सेवा सम्बन्धी खर्चों की अदायगियों और ऋणों की बकाया रकम की तुलना में इन अदायगियों के प्रतिशत का ब्योरा इस प्रकार है :

	वर्ष के अन्त में बकाया विदेशी ऋण (करोड़ रुपयों में)	मूलधन व्याज और सेवा सम्बन्धी खर्चों के सम्बन्ध में वर्ष में की गयी अदायगियां (करोड़ रुपयों में)	कालम 1 की तुलना में कालम 2 का प्रतिशत
	1	2	3
1962–63	1798.6	148.3	8.2
1963–64	2254.6	152.3	6.7
1964–65	2789.8	216.5	7.8
1965–66	3374.1	216.5	6.4
1966–67	3819.6	240.8	6.3

टिप्पणी : विदेशी ऋणों और उनकी अदायगियों से सम्बन्धित आंकड़ों में पी० एल० 480 कार्यक्रम के आंकड़े शामिल नहीं हैं । सभी आंकड़े अवमूल्यन के बाद की परिवर्तन-दरों के हिसाब से दिखाये गये हैं ।

कश्मीर की घाटी में गैस की खोज

824. **श्री अरुमुगम :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर की घाटी में प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और राज्य सरकार उसका लाभ उठाने के लिये अत्यधिक इच्छुक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग ने वहां ऐसी कोई परियोजना चालू नहीं की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि काश्मीर घाटी में प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है। राज्य सरकार घाटी के प्राकृतिक गैस भण्डारों की खोज से लाभ उठाने के लिये अत्यधिक इच्छुक है।

(ख) और (ग) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने घाटी में 9 कम गहरे कुंओं की खुदाई की परन्तु इतनी मात्रा गैस नहीं मिली जिसका व्यापारिक रूप में लाभ उठाया जा सके। अधिक दित्ता इकट्ठा करने के लिये 1968 में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

सामान्य भविष्य निधि में जमा राशियों पर ब्याज की दर

825. **श्री मणीभाई जे० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी कर्मचारी अपनी भविष्य निधि की राशि में वृद्धि करने की अपेक्षा अपनी बचत को बैंकों में जमा करना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि बैंक निश्चित काल के लिये जमा राशियों (फिक्स डिपाजिट्स) पर कहीं अधिक ब्याज देते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सामान्य भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी सामान्य भविष्य निधि में और अधिक राशि कटवायें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं। तथापि, सामान्य भविष्य निधि में राशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने के लिये सरकार को समय-समय पर प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं और इनका आधार यह दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंकें ब्याज की अधिक दर देती हैं।

(ख) सामान्य भविष्य निधि में राशियों पर ब्याज इस धारणा पर दिया जाता है कि रुपया भारत सरकार की प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। इसके अनुसार ब्याज की दर केन्द्रीय सरकार की रुपया प्रतिभूतियों पर पिछले तीन वर्षों की औसत आय के आधार पर प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। पिछले वर्ष ब्याज की दर 4.60 प्रतिशत थी और इसे इस वर्ष बढ़ा कर 4.80 प्रतिशत कर दिया गया है और यह दर सम्पूर्ण बकाया राशि पर लागू होती है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर के साथ इसकी तुलना करने से पहले हमें इन बातों को भी मद्देनजर रखना चाहिये कि भविष्य निधि की राशि कर मुक्त होती है

तथा वहाँ से पैसा विभिन्न प्रयोजनों के लिये सुगमतापूर्वक निकाला जा सकता है और उसकी कुड़की भी नहीं हो सकती है।

मध्य प्रदेश में अनुसन्धान योजनायें

826. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में मूलभूत तथा आधारभूत अनुसन्धान योजना के अधीन मध्य प्रदेश के लिये कोई अनुसन्धान योजना नियत की गई है;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) योजानाएँ वर्षवार आवांटित नहीं की जाती हैं; परन्तु अनुमोदित अनुसन्धान योजनाओं के लिये प्रति वर्ष उपबन्ध किया जाता है। अध्ययन के लिये मध्य प्रदेश को निम्न समस्यायें दी गई हैं जो कि 1967-68 में भी चालू रहेंगी :—

I. **सिंचाई (अनुसन्धान योजनायें)**

(एक) नालों तथा जलाशयों में जमी हुई मिट्टी का अध्ययन—गांधी सागर जलाशय।

II. **विद्युत (अनुसन्धान योजनायें)**

(एक) ज्वाइंटिड वुड पोल्ज का अध्ययन।

(दो) 'फेरी लोडर' का अध्ययन।

(तीन) तापीय बिजलीघरों में राख के निपटान का अध्ययन तथा अधिक राख वाले कोयले के जलने का अध्ययन।

(ग) कार्य की अब तक की प्रगति इस प्रकार है :—

(एक) नालो और जलाशयों में जमी मिट्टी का अध्ययन–गांधी सागर जलाशय;

गांधी सागर झील में यह अध्ययन पानी के आवागमन की मात्रा को माप कर किया जा रहा है। मुख्य पांच नालों पर झील के चारों ओर वेधशालाएँ स्थापित की गई हैं और वहाँ से लिये गये नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। जहां तक झील की तह के वास्तविक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है यह कार्य प्रगति पर है।

2. विद्युत

तीनों समस्याओं पर अध्ययन अभी चल रहा है।

मध्य प्रदेश को सिंचाई और विद्युत् कार्यक्रमों के लिये सहायता

827. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने सिंचाई और विद्युत् कार्यक्रमों के लिये वित्त की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय सरकार से ऋण/सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के साथ वार्षिक योजना सम्बन्धी चर्चा के प्रकाश में मध्य प्रदेश की निम्न सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये 1967-68 के दौरान निम्न केन्द्रीय ऋण सहायता निश्चित की गई है :—

परियोजना/कार्यक्रम का नाम	1967-68 के लिये नियत की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (रुपया लाखों में)
1. चम्बल परियोजना	360
2. बाग सिंचाई परियोजना	50
3. सतपुरा तापीय बिजलीघर	290
4. बाढ़ नियन्त्रण	5
5. ग्राम्य विद्युतीकरण	217

2. मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये लगभग 2 करोड़ रु० की अतिरिक्त ऋण सहायता भी माँगी है। यह प्रार्थना विचाराधीन है।

कर्मचारियों को शक सम्वत के अनुसार वेतन दिया जाना

828. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक सम्वत के अनुसार जिसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों में अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने की मान्यता दी गई है, कर्मचारियों को मासिक वेतन तथा भत्ते देने में क्या लाभ तथा हानि है;

(ख) क्या सरकार इस परिवर्तन पर तदनुसार विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (घ) कुछ विशिष्ट सरकारी प्रयोजनों के लिये ही शक सम्वत को ईसवी सम्वत के साथ अपनाया गया है।

इस समय सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते वित्तीय वर्ष के आधार पर दिये जाते हैं जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। शक वर्ष मार्च के उत्तरार्ध में आरम्भ होता है और इस प्रकार दोनों वर्षों के आरम्भ होने में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जबकि वेतन महीने के आधार पर दिये जाते हैं, कर्मचारियों को इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उनको वेतन शक सम्वत के महीनों के अनुसार दिया जाता है या ईसवी सम्वत के अनुसार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष में परिवर्तन किये बिना वेतन के भुगतान की तिथि में कोई परिवर्तन करने से कई उलझनें खड़ी हो जायेंगी जैसे कि आयकर का हिसाब लगाया जाना आदि।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई दिल्ली में इन्द्रपुरी कालोनी

829. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पूसा इंस्टिट्यूट के निकट इन्द्रपुरी कालोनी में कुल कितने प्लाट हैं;

(ख) 1 नवम्बर, 1967 तक कितने प्लाटों पर मकान बनाये गये थे अथवा बनाये जा रहे थे;

(ग) कितने प्लाटधारियों द्वारा विकास शुल्क का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) उस बस्ती में मल निस्सारण व्यवस्था किये जाने की कितनी सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गंधक की आवश्यकता

830. **श्री सम्बन्धन : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि अगले पांच वर्षों में उर्वरक बनाने के लिये कुल कितनी गंधक की आवश्यकता होगी; और

(ख) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) अगले पाँच वर्षों में उर्वरक उद्योग के लिये गंधक की आवश्यकताओं का अनुमान निम्न प्रकार है :—

1968-69 ..	425,000	मीटरी टन
1969-70	485,000	,, ,,
1970-71	600,000	,, ,,
1971-72	700,000	,, ,,
1972-73	800,000	,, ,,

(ख) सरकार दीर्घ-कालीन समझौते करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । देश में पाइराइटस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं ।

विदेशी ऋण तथा ब्याज का लौटाया जाना

831. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा आगामी दो वर्षों में कितना विदेशी ऋण तथा ब्याज लौटाया जाना है;

(ख) ऐसे ऋणों तथा उनकी वापसी की अवधि को पुनः निश्चित करने के लिये भारत के अनुरोध का सहायता देने वाले देशों ने क्या उत्तर दिया है; और

(ग) ऋणों को लौटाने के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था किस प्रकार करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में मूल रकमों और देय ब्याज का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	मूल रकम	ब्याज	जोड़
1967-68	214	122	336
1968-69	203	189	392
1969-70	273	213	486

(ख) सहायता देने वाले देशों से ऋण की वापसी की अवधि को पुनः निश्चित करने के सम्बन्ध में जो सुविधायें प्राप्त की गयी हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) **कनाडा** :—(1) भारत द्वारा कनाडा को देय 7.68 लाख कनाडियन डालर की मूल रकम की वापसी का 31 मार्च, 1968 तक स्थगित किया जाना ।

(2) 1958 के गेहूँ ऋण के सम्बन्ध में 1967-68 में कनाडा को देय 13 लाख कनाडियन डालर की वापसी का रद्द किया जाना ।

(2) **ब्रिटेन** :—ब्रिटेन द्वारा दिये गये 120 लाख पौण्ड के सामान्य प्रयोजन ऋण में, ऋण-शोधन सम्बन्धी सहायता के रूप में दिये गये 116 लाख पौण्ड की रकम शामिल है जो पहले के ऋणों के सम्बन्ध में मूल और ब्याज के रूप में 31 मई और पहली जुलाई, 1967 को लौटायी जानी थी ।

(3) **जापान** :—जापान द्वारा दिये गये 450 लाख डालर के सातवें यैन ऋण में 61.10 लाख डालर की रकम शामिल है जो पहले यैन ऋण और भारतीय शिपिंग कारपोरेशन को दिये गये ऋण की मूल रकमों की द्योतक है और जिनकी वापसी सितम्बर, 1967 और मार्च, 1968 के बीच की जानी थी ।

(4) **पश्चिम जर्मनी** :—पश्चिम जर्मनी ने, पहले दिये गये राऊरकेला ऋणों की लगभग 72.50 लाख डालर की मूल रकम को, जो 1967-68 में देय है, स्थगित करने की अनुमति दे दी है । अब विभिन्न ऋण वापसी की वर्तमान अवधि के एक वर्ष बाद चुकाये जायेंगे ।

(5) **विश्व बैंक** :—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने बैंक द्वारा पहले दिये गये ऋणों की उन मूल रकमों के बराबर की विदेशी मुद्रा, जो 1967-68 में जब भी अदा की जायेगी, भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष खाते में रखना स्वीकार कर लिया है । इससे हमें लगभग 5 करोड़ डालर तक की मुक्त विदेशी मुद्रा की सहायता मिलने की आशा है ।

(ग) निर्यात से होने वाली हमारी आय और विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होने वाली अन्य रकमों से, पूर्व प्रभारों के रूप में, देय ऋणों की वापसी की जाती है और भविष्य में भी की जाती रहेगी ।

बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण

832. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि छोटे तथा नए उपक्रमियों को वाणिज्यिक बैंक आवश्यक धन उपलब्ध करें ; और

(ख) क्या ऐसी अग्रिम राशियों को वसूल करने में असमर्थता के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा के लिये सरकार ने कोई योजनाएँ बनाई हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) छोटे पैमाने के उद्योगों की उत्पादन सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार तथा रिजर्व बैंक ऋण संस्थानों की ऋण देने सम्बन्धी नीतियों और ऋण देने के तरीकों का निरन्तर रूप से पुनर्विलोकन करते रहे हैं। अनुसूचित बैंकों को यह आज्ञा दे दी गई है कि वे, शुद्ध नकदी अनुपात का हिसाब लगाने के लिये रिजर्व बैंक से लिये गये कुल ऋण में से, ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को दी गई अपनी गारन्टी प्राप्त पेशगियों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त की औसत राशि में जो वृद्धि हुई है उसको निकाल सकते हैं। औद्योगिक विकास बैंक ने, आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनों की बिक्री के लिये बनाये गये बिलों पर पुनः बट्टा काटने के लिये अपनी योजना को उदार बना दिया है, अर्थात्, अब कृषि औजारों के मामले में निम्नतम राशि को हटा दिया गया है और अन्य मशीनों के मामले में सीमा को 50,000 रु० से घटा कर 10,000 रु० कर दिया गया है। भारत के स्टेट बैंक ने नये उपक्रमियों के लिये सहायता देने की एक नई योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत नया कारखाना स्थापित करने के लिये आरम्भ में जितनी पूँजी की आवश्यकता होगी वह दी जायेगी, अर्थात् मशीनों के लिये ऋण किस्तों में दिया जायेगा और अन्य अचल आस्तियों और दीर्घकालीन कार्यकारी पूँजी के लिये मध्यकालीन ऋण दिया जायेगा।

(ख) 1960 में सरकार ने विशिष्ट बैंकों और ऋण संस्थाओं द्वारा, छोटे पैमाने के उद्योगों को दी गई पेशगियों की गारन्टी देने की योजना चालू की थी जो कि चालू है। इस योजना के अन्तर्गत दी गई पेशगी के कम से कम 64 प्रतिशत की गारन्टी दी जाती है और अधिकतम राशि दो लाख रु० है। इस योजना के अन्तर्गत 64 विशिष्ट ऋण संस्थाओं को सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

परिवार नियोजन

833. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी: श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समुदाय धार्मिक अथवा अन्य बातों के कारण परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे लोगों में परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्पतालों में उपचार कराने वाले रोगियों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकर का लगाया जाना

834. **श्री इसहाक साम्भली : श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अस्पतालों में उपचार कराने वाले रोगियों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकर लगाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जहाँ तक केन्द्र सरकार का संबन्ध है इस संकल्प में दिये गए सुझाव विचाराधीन हैं । यह संकल्प राज्य सरकारों को भी भेजा जा रहा है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार से चिकित्सालयों तथा औषधालयों का निकाला जाना

835. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद ने सिफारिश की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाये जिससे इसके क्षेत्राधिकार से चिकित्सालयों, औषधालयों तथा परिचर्या गृहों को निकाला जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी हाँ ।

(ख) सरकार के कहने पर यह मामला स्टैण्डिग लेबर कमेटी के 24वें अधिवेशन के द्वारा नियुक्त एक समिति को सौंप दिया गया था । इस कमेटी का मत था कि अस्पतालों के औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये अस्पतालों को इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से अलग करना उचित कदम नहीं है किन्तु कोई संयुक्त सलाहकारी संस्था बनाने जैसे कतिपय उपायों को बरत कर देखा जा सकता है । इस उप-समिति के सुझाव राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजे गये थे । कुछ सरकारों से उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कृष्णा गोदावरी जल विवाद

836. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 13 जुलाई, 1967 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा महाराष्ट्र की सरकारों ने केन्द्र से इस बीच यह अनुरोध किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 262 के अन्तर्गत बनाये गये अधिनियमों के उपबन्धों को लागू करके कृष्णा नदी जल विवाद को निपटाने के लिये एक न्यायाधिकरण की स्थापना करे ; और

(ख यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जुलाई, 1967 में मैसूर सरकार ने अनुरोध किया था कि यदि तीन महीने के अन्दर विवाद का निपटारा न हो पाये तो अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जाये । महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री की दो बैठकें हुई हैं। सरकार को आशा है कि इस विवाद को बातचीत द्वारा निपटाया जा सकता है और सरकार इस दिशा में अपना प्रयत्न कर रही है।

मुंगेर (बिहार) में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

837. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंगेर जिले के उत्तरी भाग से परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) परिवार नियोजन की प्रगति के आंकड़े पूरे जिले के लिए संकलित किए जाते हैं, न कि उसके अलग-अलग भागों के। मुंगेर जिले से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :

		1966-67	1967-68 (जुलाई, 1967 तक)
1. नसबन्दी		7407	291
2. लूप का प्रयोग		2861	125
3. परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों द्वारा प्रचलित गर्भ-निरोधकों का वितरण।	(1) निरोध	376	960
	(2) झागदार गोलियाँ	821	642
	(3) जेली ट्यूब	27	9

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति

838. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री वेंकटापय्या की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं ;

(ग) क्या बैंक को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) किस सीमा तक ग्रामीण लोगों को इसका लाभ होने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय ये हैं—सामान्य रूप से चौथी पंचवर्षीय आयोजना के सन्दर्भ में और विशेष रूप से कृषि-उत्पादन के जोरदार कार्यक्रम की आवश्यकताओं के संदर्भ में, ग्रामीण लोगों को ऋण देने की व्यवस्था की समीक्षा करना और उस समीक्षा के आधार पर जाँच के सामान्य दायरे में आने वाले सभी विषयों और विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना :

(1) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों में जिन विभिन्न अभिकरणों का उल्लेख किया गया हो, उनके द्वारा ग्रामीण लोगों को ऋण दिये जाने के कार्य में हुई प्रगति ;

(2) उत्पादन-कार्यक्रमों को देखते हुए, रासायनिक खाद, सुधरे हुए बीज, हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं आदि के लिए तथा परिष्करण, संग्रह और विपणन आदि के लिए, सहकारी बैंकों और समितियों के अलावा संस्थाओं और दूसरे स्रोतों जैसे भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना ;

(3) फसल ऋण प्रणाली का क्रियान्वित होना, ऐसे वाउचरों या कार्डों की प्रणाली की व्यवहार्यता जिनसे ऋण लेने वाले व्यक्ति कृषि के काम आने वाली वस्तुएं प्राप्त कर सकें ;

(4) आमतौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की प्रगति और महत्व तथा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति, भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों के प्रारम्भिक केन्द्रों और एक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले बैंक-कार्यालयों की योजना की प्रगति और महत्व; इस सम्बन्ध में आगे उठाये जाने वाले कदम ;

(5) कुछ राज्यों के लिये प्रस्तावित कृषि ऋण निगमों के सम्बन्ध में और कृषि ऋण की संस्थागत व्यवस्था से सम्बन्धित, रिजर्व बैंक के अनौपचारिक दल द्वारा सुझाये गये अन्य उपायों के सम्बन्ध में हुई प्रगति; इस सम्बन्ध में आगे उठाये जाने वाले कदम ;

(6) विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सम्बद्ध अधिकरणों के बीच, समन्वय, उदाहरणार्थ, खंड-स्तर पर, एक ओर सामुदायिक विकास कर्मचारियों और दूसरी ओर सहकारी संगठनों के या प्रस्तावित ऋण-निगमों के बीच (जब वे कुछ क्षेत्रों में स्थापित हो जायं) समन्वय; और

(7) ऐसे अन्य विषय जो रिजर्व बैंक समिति के पास भेजे ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बरौनी में सहायक एकक

840. **श्री विभूति मिश्र :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अगस्त 1967 के 'दि पेट्रिआट' में प्रकाशित इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के इस कथन कि "इंडस्ट्रियल ब्लेम्ड–फेल्योर टू सेट अप अन्सीलियरी यूनिट एट बरौनी" शीर्षक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कौन से सहायक एकक हैं जिनकी वहाँ स्थापना हो सकती थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार के लोग विभिन्न सहायक एकक स्थापित करना चाहते हैं परन्तु उनका उत्साह नहीं बढ़ाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :
(क) जी हाँ।

(ख) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Loans given by Banks

842. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the percentages of the amount advanced as loan by the scheduled and the non-scheduled banks to agriculturists, persons carrying on business in small villages and to big industrialists, separately;

(b) the amount of loans advanced to each category and the rates of interest charged thereon by these Banks during the period from 1960 to November, 1967; and

(c) whether it is also a fact that these banks have now started thinking in terms of lending money to agriculturists also since the idea of nationlisation of banks is gaining strength?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : At the end of March, 1966, scheduled commercial banks advances to agriculture, including plantations, amounted to Rs. 56.5 crores or 2·4% of their total advances, the corresponding figures of agricultural credit alone being Rs. 4·65 crores and 0·2%. No statistics are avilable regarding bank credit to 'persons carrying on business in small villages'. As regards bank credit to 'big industrialists', advances granted by the first 15 Indian banks (other than the State Bank of India. and (its subsidiaries) to 194 concerns under 30 big business houses amounted to Rs. 213·37 crores or 18·3% of their total advances at the end of 1966. The rate of interest in these cases will vary with the type of advance, the nature of security available and the credit-worthiness of the borrowing party. At present, the interest charged by most of the banks vary between 8% and 10%.

(c) The cooperative institutions are recognised as the primary agencies to look after the financial needs of agriculture and the commercial banks have played a relatively smaller part in this field. However, of late the Reserve Bank has been impressing upon the commercial bank to increase their assistance, either directly or indirectly, to agriculture sector for production, marketing and there are indications that they will step up their investment in development and agriculture and allied sectors.

आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा आयकर का भुगतान

843. **श्री हेम बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आयकर देने से छूट दी गई है;

(ख) अखिल भारतीय स्तर के कौन-कौन से अन्य करों से उन्हें छूट दी गई है;

(ग) क्या अब तक इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि सरकार द्वारा दी गई इस रियायत से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को तथा वहां के राजनैतिक नेताओं को, जो व्यापार करते हैं, कितना लाभ पहुंचा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ। संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में यथा-परिभाषित अनुसूचित जातियों के जो सदस्य, संविधान की छठी सूची की कण्डिका 20 में संलग्न सारणी के भाग (क) अथवा (ख) में निर्दिष्ट, असम राज्य के किसी भी जन जातिक्षेत्र में रह रहे हैं और जो

सरकार की सेवा में नहीं है, वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) के अन्तर्गत निम्नलिखित स्रोतों में उनको प्राप्त अथवा अर्जित किसी भी आय पर कर की अदायगी से मुक्त हैं:

(i) उपर्युक्त क्षेत्र में किसी भी स्रोत में, अथवा

(ii) प्रतिभूतियों पर लाभांश अथवा व्याज के रूप में;

(ख) ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के सदस्य अखिल भारतीय अन्य किन्हीं भी करों की अदायगी से मुक्त नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लूप पहनने वाली महिलाओं की प्रतिक्रिया

844. **श्री शशि भूषण बाजपेयी:** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था ने लूप पहनने के बाद की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है जिससे कि लूप पहनने के कुछ महीने बाद उसके प्रति लूप पहनने वाली महिलाओं की प्रतिक्रिया का पता लग सके;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर):

(क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान ने अपने क्लिनिक में कुछ अध्ययनों का संचालन किया था और लूप पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया था जिसमें सारे देश से आये अनुसंधान-कर्ताओं, जो या तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत काम कर रहे थे या चिकित्सा संस्थानों से सम्बन्ध रखते थे और या विदेशों से आए थे, ने भाग लिया था। उन्होंने लूप पहने हुई लगभग एक लाख स्त्रियों पर अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया।

लूप का प्रयोग करने वाली 20,695 स्त्रियों के आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से और देश के विभिन्न भागों में स्थापित 19 केन्द्रों द्वारा इनका अनुवीक्षण करने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले हैं:—

(1) इन अध्ययनों में लूप का प्रयोग (स्वीकर्ताओं में) करने वाली लगभग 60 प्रतिशत स्त्रियां 25 से 34 वर्ष के आयुवर्ग की थी। स्वीकर्त्ताओं की लूप पहनने की माध्यिकायु 28,8 निकलती थी।

(2) स्वीकर्त्ताओं के चौथाई से भी अधिक भाग के 2 या कम जीवित बच्चे थे। अध्ययन यह भी स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियों ने इस उपाय को बिना लिंग भेद के अपने जीवित बच्चों में कालान्तर लाने के लिए स्वीकार किया है।

(3) लगभग 50 प्रतिशत स्वीकर्त्ताओं को इस सम्बन्ध में कुछ भी शिकायत नहीं थी। 24.5 प्रतिशत शिकायतें रक्त स्राव की थी जिसके साथ साथ 16 प्रतिशत मनोवैज्ञानिक शिकायत थीं। छोटी शिकायतों के बावजूद भी काफी संख्या में स्त्रियों ने लूप को नहीं निकाला। 12 और

24 महीनों के बाद लूप को निकालने की दर 100 पहनाए गए लूपों में से क्रमशः 23 और 46 थी। ये आंकड़े अन्य देशों के ऐसे आंकड़ों की तुलना में बहुत सतोषजनक हैं।

(5) उच्च शिक्षित स्त्रियों ने कम शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अधिक संख्या में लूप स्वीकार किया है।

(6) लूप पहनने के समय कम शिक्षित स्त्रियों के उच्च शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अधिक जीवित बच्चे थे।

काकीनाडा में उर्वरक कारखाना

845. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा में उर्वरक का एक कारखाना खोलने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कारखाना किस के सहयोग से खोला जा रहा है; और

(ग) इस कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री रघुरामैया**):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

Assets of Ex-rulers

846. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Ex-rulers whose assets have been looked into;

(b) whether this includes the assets of the Nizam of Hyderabad also;

(c) if so, the result of the enquiry and the details of the assets;

(d) if no such enquiry has been conducted, the reasons therefor and the action Government propose to take in this regard;

(e) wheather Government have received complaints regarding the assets of of some other Ex-rulers also; and

(f) if so, the names of the rulers and the action taken in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The information in respect of all the Ex-rulers who were assessed to Wealth-tax under the Wealth-tax Act, 1957, is not readily available. The number of Rulers and their consorts who are wealth-tax assessees and who had either returned net wealth of Rs. 20 lakhs or more or whose assessment was completed on a net wealth of Rs. 20 lakhs or more, as on 31-3-66, is 57.

(b) to (d) The Nizam of Hyderabad was also assessed to Wealth-tax. The details of his assessable wealth for the assessment year 1960-61 are as under :—

(1)	Immovable Assets	15185454
(2)	Cash and Bank balance	1169829
(3)	Shares and securities	47424534
(4)	Jewellery and other valuables	11375390
(5)	Other assets	25212490

(6)	Total	100367697
(7)	Less debts and other liabilities	18094050
(8)	Net wealth assessed	82273647

The assessments for 1961-62 and later years are still under examination.

(e) and (f) The collection of this information from various Wealth-tax circles in the country would involve considerable time and labour. Wherever any information is received, action is taken to verify that information at the time of completion of assessment.

Bharat Sewak Samaj

847. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government have issued directions to the Welfare Departments in the States asking them not to extend any help to the Bharat Sewak Samaj;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the grants given so far to the Bharat Sewak Samaj ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Deposits of Petroleum in Western Nimad

848. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to State :

(a) whether Government have recieved any report regarding the deposits of patroleum and other chemicals in the Western Nimad (Madhya Pradesh); and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) and (b) According to a report received by the O.N.G. Commission, indications of presence of oil existed in the streams located in the area of Nimad District between Narbada and the Tapti rivers. The reported occurrences were examined by the O. N. G. C. and the tests made did not confirm the presence of oil.

हरियाना में कृषि भूमि की सिंचाई

849. **श्री रणधीर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य-उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य की कमी को पूरा करने के लिये हरियाना राज्य की कृषि योग्य काफी एकड़ बंजर भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने का कोई खास प्रस्ताव सरकार की दृष्टि में है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) हरयाना सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

हरियाना में पश्चिमी जमुना नहर के दोनों ओर पुश्ता बांधना

850. **श्री रणधीर सिंह :** क्या सिचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हरियाना राज्य में उपजाऊ जमीन को पानी जमा होने से बचाने के लिये उक्त राज्य में पश्चिमी जमुना नहरों के दोनों ओर पुश्ता बांधने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) संयुक्त पंजाब की भूतपूर्व सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये एक दीर्घकालीन योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत मुख्य नहरों के कुछ मार्गों के निर्धारण का उपबन्ध किया गया था। इसमें पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र में जल निमज्जन विरोधी उपायों की क्रियान्विति का भी उपबन्ध था । नहरों के मार्ग निर्धारण के लिये राज्य सरकार से अभी तक कोई विशिष्ट योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) भूतपूर्व पंजाब राज्य में आरम्भ की गई अन्तिम जल निमज्जन विरोधी योजनाओं के आधार पर अभी कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है।

सिचाई के लिये बांध तथा जलाशयों के निर्माण के लिए हरियाना को वित्तीय सहायता

851. **श्री रणधीर सिंह:** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने सबीबी नदी, मारकंडा, ड्रेन संख्या 8, घग्गर नदी तथा यमुना नदी के पानी को उपयोग में लाने के बारे में हरयाना सरकार की वित्तीय सहायता की कोई योजना विचाराधीन है ताकि उस राज्य में सिचाई के लिये पानी मिल सके;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है तथा उन सुझावों को कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हरियाना सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

हरियाना द्वारा भाखड़ा के जल का उपयोग तथा प्रबन्ध

852. **श्री रणधीर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना सरकार ने भाखड़ा के पानी के उपयोग तथा प्रबन्ध के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) उन प्रस्तावों को स्वीकार करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० क० ल० राव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिक्री कर का केन्द्रीयकरण

853. **श्री दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर के केन्द्रीयकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय ली गई है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

गृह निर्माण वित्त निगम

854. **श्री दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जरूरतमन्द लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण देने हेतु एक गृह निर्माण वित्त निगम स्थापित करने की योजना लम्बे समय से निलम्बित है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) साधनों की कमी और सामान्य आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस समय गृह-निर्माण वित्त निगम स्थापित करना उचित नहीं समझा जाता। इसलिए यह प्रस्ताव अभी स्थगित कर दिया गया है।

प्रोफेसर काल्डर की भारत यात्रा

855. **श्री दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के निमंत्रण पर प्रोफेसर काल्डर भारत आये थे;

(ख) क्या उनसे कर व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कहा गया था और क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) प्रोफेसर निकोलस काल्डर, पिछले दिनों, भारतीय सांख्यिकी संस्था के बुलाने पर भारत आये थे, भारत सरकार के निमंत्रण पर नहीं।

(ख) जी, नहीं। उनको हमारी कर-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये नहीं कहा गया था और उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल विधान सभा में तस्करी का उल्लेख

856. **श्री एस्थोस:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े पैमाने पर होने वाली तस्करी के बारे में केरल विधान सभा में जो उल्लेख किया गया था क्या सरकार को उसका पता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिये की गयी महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में से कुछ का विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है :

विवरण

तस्करी को रोकने के लिये किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ उपाय ये हैं :—

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसके पीछे लगे रहना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की खाना-तलाशी, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार करने योग्य भागों की गश्त और सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन भारी दण्ड लगाने के अलावा उपयुक्त मामलों में मुकदमें चलाना तथा विभागीय न्याय-निर्णयों के मामलों में निषिद्ध वस्तुओं की जप्ती, जिन मामलों में पकड़े गये माल का बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक होता है उनमें मुकदमे की कार्यवाही के पश्चात सीमाशुल्क अधिनियम में अब कारावास के अधिक भारी दण्ड की व्यवस्था की गई है । सोना, हीरे तथा घड़ियों के अभिग्रहण के मामले में सीमाशुल्क अधिनियम में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि माल के चोरी छिपे न लाये जाने का सबूत देने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति पर डाल दी जाय जिसके पास से माल पकड़ा गया हो। यह उपबन्ध हाल ही में निम्नलिखित वस्तुओं पर भी लागू कर दिया गया है :

(i) सौन्दर्यवर्धक वस्तुएं

(ii) मेकेनिकल लाइटर तथा उसके लिए चकमक पत्थर

(iii) ताश; और

(iv) सेफ्टी रेजर की ब्लेडें ।

अनुसूचित जातियां

857. **श्री एस्थोस: क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ज्ञापन मिला है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि कुटुम्बी, पेरुवन्नन, चावलार तथा वेला जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पहले ही सदन के सामने है। सरकार के अब तक के निर्णय विधेयक में समाविष्ट हैं।

स्वर्णकारों को पुनः रोजगार पर लगाना

858. **श्री अगाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के बाद स्वर्णकारों को पुनः रोजगार पर लगाने के लिये राज्यों को अनुदान तथा सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू किये जाने से अब तक प्रतिवर्ष सभी राज्यों को पृथक-पृथक कितनी राशि का नियतन किया गया और उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वर्णकारों को पुनः रोजगार दिलाने के लिये मैसूर राज्य के प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत रकमों का एक विवरण पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1606/67**]

(ग) स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए मैसूर सरकार का कोई प्रस्ताव अनुमोदन स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं पड़ा है। समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों को उचित रूप से मंजूर किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृत्रिम अंगों का कारखाना

859. **श्री गणेश** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम अंगों को तैयार करने के लिये एक नया कारखाना लगाने तथा चार पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कहां लगाया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना खर्च आयेगा ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चौथी योजना प्रस्तावों में पांच पुनस्थापन केन्द्रों और शरीर के अच्छी किस्म के कृत्रिम अंग तथा उन्हें बनाने के औजार बनाने के लिए एक कारखाने की व्यवस्था है। ये कहां पर खोले जायेंगे इसका निर्णय प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक पुनः स्थापन केन्द्र और कारखाने पर अनुमानतः क्रमशः 62 लाख और 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च होंगे ।

अमरीकी सरकारी उर्वरक विशेषज्ञों की रिपोर्ट

860. **श्री गणेश :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ समय पूर्व परियोजना का अध्ययन करने के सम्बन्ध में भारत का दौरा करने वाले तीन अमरीकी सहकारी विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें दी हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां ।

(ख) 'टीम' ने 215,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 127,000 मीट्रिक टन पी$_2$ ओ$_5$ और 66,000 मीट्रिक टन के$_2$ ओ$_5$ क्षमता वाले प्रथम सहकारी उर्वरक प्लाण्ट की कांडला में स्थापित करने के लिए सिफारिश की है ।

(ग) सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और मे० इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड् को कांडला में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक आशय-पत्र दिया गया है ।

पाकिस्तान में बांध बनाने के लिये भारतीय सहायता

861. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को उसकी दो सब से बड़ी बान्ध परियोजनाओं को पूरा करने के लिये भारत सहायता दे रहा है जिससे पाकिस्तान की जल की कमी 1975 तक पूरी हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये सरकार ने कितनी धनराशि दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा 62,060,000 पाऊंड का निधारित अशंदान उन कार्यों को पूरा करने की लागत में दिया जाना आपेक्षिक है जिनसे पाकिस्तान की उन सिचाई नहरों में फिर से पानी आ जायेगा जो कि 15 अगस्त 1947 को पूर्वी नदियों के पानी पर निर्भर करती थीं । इन कार्यों में झेलम नदी पर एक बांध बनाना भी शामिल था ।

फिल्मों से सम्बन्धित लोगों द्वारा करापवंचन

862. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मों से सम्बन्धित उन लोगों के नाम क्या हैं जिनकी गत पांच वर्षों में एक लाख रुपये से अधिक आय थी ; और

(ख) उनसे आयकर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

एशियाई विकास बैंक से आवास के लिये निधि

863. **श्री ओंकार सिंह :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक से आवास निधियाँ प्राप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्मों से सम्बन्धित लोगों के पास काला धन

864. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म वितरकों के कार्यालयों पर हाल ही में छापा मारा गया था तथा बम्बई में फिल्म उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को दिये गये काले धन सम्बन्धी कुछ अपराधारोपक दस्तावेज पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो फिल्मों में पूँजी लगाने वाले व्यक्तियों तथा उन कलाकारों के नाम क्या हैं जो इसमें शामिल हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जून 1967 में आयकर विभाग द्वारा दो छापे मारे गये थे — एक फिल्म निर्माता के मामले में और दूसरा बम्बई के फिलमों में पूंजी लगाने वाले के मामले में । इन छापों में, फिल्मी कलाकारों को दिये गये लेखा-वाह्य धन से सम्बन्धित दस्तावेज पकड़े गये थे। बाद में अगस्त 1967 में प्रवर्तन निदेशालय ने फिल्म उद्योग से सम्बन्धित कुछ पार्टियों के यहाँ छापे मारे तथा दस्तावेज पकड़े, जिनकी जाँच की जा रही है।

(ख) फिल्मों में पूंजी लगाने वाले का नाम मेसर्स युनाइटेड एण्टरप्राइसर्स है। फिल्मी सितारों के मामलों में जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है, इसलिए इस समय उनके नाम जाहिर करने से जाँच-पड़ताल में बाधा आयेगी।

(ग) फिल्मों में पूंजी लगाने वाले तथा फिल्मी सितारों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल चल रही है।

बिड़ला सार्थ समूह द्वारा गोआ में उर्वरक कारखाने की स्थापना

865. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री गणेश घोष :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये बिड़ला सार्थ समूह को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस का नवीकरण कर दिया गया है ; **और**

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री रघुरामैया**): (क) जी, **हाँ** ।

(ख) कम्पनी ने फैक्ट्री की स्थापना के लिए प्रभावकारी कदम उठाए हैं और गोआ परि-योजना की कार्यान्विति अग्रिम स्थिति में पहुँच गई है ।

फिल्मों से सम्बधित लोगों के द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

866. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में फिल्मों में काम करने वाले बहुत से लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों का उल्लंघन किए जाने का पता लगा है ; **और**

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर कुल कितना दण्ड लगाया गया है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रश्न में यह नहीं बताया गया है कि सूचना किस अवधि के बारे में चाहिये । प्रवर्तन निदेशालय ने 1964 में बम्बई में फिल्म उद्योग से सम्बन्धित सात व्यक्तियों के यहाँ तथा 1967 में आज तक पाँच व्यक्तियों/फर्मों के यहाँ तलाशी ली । 1964 के मामलों में से विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम का उल्लंघन श्री राज कपूर, फिल्म कलाकार के एक मामले में सिद्ध हो चुका है, जिस पर प्रवर्तन निदेशक द्वारा 3000 रुपये का दण्ड लगाया गया है । 1964 के छ: अन्य मामले, जहाँ तक प्रवर्तन निदेशालय का सम्बन्ध है, समाप्त कर दिये गये हैं क्योंकि उनमें विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन का उल्लंघन ग्रस्त नहीं है । 1967 के मामलों की अभी जाँच की जा रही है ।

किसानों के लिये ऋण की सुविधायें

867. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक-व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को ऋण देने की सुविधायें पहले की तरह ही अपर्याप्त हैं ;

(ख) वर्ष 1966-67 में गैर सरकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण की पूरी राशि कितनी है ; और

(ग) कृषि कार्यों के लिये बैंकों से आवश्यक ऋण प्राप्त हो सके, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहकारी अभिकरणों को प्राथमिक संस्थान समझा जाता है और वाणिज्यिक बैंकों ने इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम कार्य किया है।

(ख) मार्च, 1966 के अन्त पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिया गया कुछ ऋण 4·65 करोड़ रु० था।

(ग) रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से अनुरोध किया है कि वे उत्पादन, विपणन तथा विकास के लिये कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अपनी सहायता में वृद्धि करे। रासायनिक उर्वरकों और कीट नाशी औषधियों के वितरण का वित्तपोषण करने के लिये बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त देने के लिये राजी हो गया है।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा केन्द्रीय सरकार से रुपये की मांग

868. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने अपनी 18 अगस्त, 1967 को हुई बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार संघ सरकार से 1·80 करोड़ रुपये का दावा किया है ;

(ख) क्या 1·80 करोड़ रुपये के इस दावे में से 1·30 करोड़ रुपये मकान कर के रूप में तथा शेष अन्य शुल्कों के रूप में बकाया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस दावे को निपटाने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) इस मंत्रालय को नई दिल्ली नगरपालिका की 18 अगस्त, 1967 की किसी बैठक के विषय में कुछ पता नहीं।

(ख) हाउस टैक्स । सर्विस चार्ज के कारण नई दिल्ली नगरपालिका के क्लेम की जानकारी इस मंत्रालय को है। इस क्लेम के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(i) नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा भेजे गये बिलों की राशि	420·14 लाख रुपये
(ii) जाँच के बाद पाई गई बिलों की देय राशि	381·32 लाख रुपये
(iii) सरकार के द्वारा किया जा चुका भुगतान	317.40 लाख रुपये
(iv) नई दिल्ली नगरपालिका को देय कुल राशि	63·92 लाख रुपये

(ग) हाउस टैक्स / सर्विस चार्जेज के कारण नई दिल्ली नगरपालिका की 63·92 लाख रुपये की राशि के क्लेम के विरुद्ध, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नई दिल्ली नगर पालिका से पारिश्रमिक सेवा (76·79 लाख रुपये) तथा बागबानी के कार्य (18·11 लाख रुपये) के लिए कुल 94·90 लाख रुपया लेना है। इन मामलों पर बातचीत चल रही है।

कानपुर में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

869. श्री भोगेन्द्र झा: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो विश्व बैंक से संबद्ध है, इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज को कानपुर में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये 11·9 मिलियन डालर तथा जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता को कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने के लिये 1·15 मिलियन डालर शेयर पूंजी तथा ऋण देने के लिये राजी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इन स्थापित होने वाली फर्मों में भारतीयों के कितने अंश होंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने साम्य शेयर एवं स्वीकृत-ऋण में निम्नलिखित कम्पनियों में भाग लेने का फैसला किया है :

(1) इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लि० (जिसमें इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज का नियंत्रण है) को कानपुर में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए ।

(2) मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लि०, कलकत्ता को उड़ीसा में गंजम नामक स्थान पर एक कास्टिक सोडा प्लांट के लिए ।

(ख) इन फर्मों की शेयर अंश-पूंजी और ऋण-पूंजी का विवरण इस प्रकार है :

इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड :

(क) साम्य शेयर	(रुपये)		
	विदेशी	**स्थानीय**	**कुल राशि**
1. आई० सी० आई०, लंदन	76,000	—	76,000
2. भारत-राष्ट्रपति	—	19,000	19,000
3. भारत-जनता	—	50,300	50,300
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	21,500	—	21,500
	97,500	69,300	166,800
(ख) दीर्घकालीन ऋण			
1. भारत सहजीविता-ऋण (consortium loan)	—	190,000	190,000
2. प्रदायक ऋण से	79,800	—	79,800
3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	64,500	--	64 500
	144,300	190,000	334,300
(ग) अधिविकर्ष सुविधायें (overdraft)	--	30,000	30,000

(घ) इंटरनल कैसे जनरेशन	—	87,500	87,500
कुल राशि (क,ख,ग,घ)	2,41,800	376,800	618,600

(2) मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड :

1. साम्य शेयर।		
बन्गुर ब्रादर्स और साथी		5,100,000 रुपये
जनता		4,900,000 रुपये
2. पूर्वाधिकार अंश—जनता		3,000,000 रुपये
3. जनता के लिए बेचे गये ऋण पत्र		3,000,000 रुपये
4. स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ऋण		5,450,000 रुपये
5. भारत औद्योगिक वित्त निगम से 195,300 डालर का ऋण		1,462,000 रुपये
6. बेंगुर ब्रादर्स से या उनके द्वारा ऋण		1,045,000 रुपये
7. प्रदायक-ऋण		15,248,000 रुपये
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विनियोजन :		
840,000 डालर का ऋण		6,300,000 रुपये
210,000 डालर के ऋण-पत्र		1,575,000 रुपये
105,000 डालर के साम्य शेयर		787,500 रुपये
	कुल	47,867,500 रुपये

इंवेस्टर्स ओवरसीज सर्विस, जेनेवा

870. **श्री उमानाथ**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर 1967 के ब्लिटज में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि इन्वैस्टर्स ओवरसीज सर्विस जेनेवा के अधिकारी तथा एजेन्ट प्रायः भारत का दौरा करते रहते हैं और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने के लिए जिम्मेदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी. हां।

(ख) प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Bihar State Electricity Board

871. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Bihar State Electricity Board is incurring a loss of five crores of rupees annually;

(b) whether State Government have apprised the Central Government of the situation; and

(c) if so, the details thereof and the suggestions given by the Central Government to avoid losses ?

The Minister of State in the Ministry Irrigation and Power (Dr. K.L. RAO)

(a) The year-wise figures of losses as reported by the Government of Bihar are as follows :—

	Rs. in lakhs
1958-59	81.58
1959-60	201.59
1960-61	107·27
1961-62	88.45
1962-63	87.45
1963-64	138.77
1964-65	257.30
1965-66	200.83
1966-67	273.59

(b) The annual statements of accounts have been sent by the Bihar State Electricity Board to the Central Water and Power Commission.

(c) The losses have arisen as the Board has not been able to earn revenue sufficient to cover operation and maintenance charges, depreciatian, general reserve and interest charges on loan capital. On the basis of the recommendations of the Venkataraman Committee, the Central Government has urged State Electricity Boards in the first instance to aim at higher revenues sufficient to cover operation and maintenance charges, contribution to the general and depreciation reserves and interest charges on loan capital and to keep the cost of generation, transmission and distribution including overheads as low as possible.

Failures of Loop

872. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the use of loop device has proved unsuccessful and a large scale retrenchment is being effected in the loop manufacturing factory at Kanpur;

(b) whether Government propose to introduce any other device in this regard ; and;

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No, the loop has not proved unsuccessful. However, for various reasons there has been some fall in the rate of loop insertions. Corresponding to the reduction in the number of loop insertions, the number of loops and insertors purchased by the Government of India from the IUCD factory, Kanpur, have been reduced. This factory is run by the U. P. Government and they decide its staff requirements in the light of the offtake of the loops etc. and other relevant factors.

(b) and (c) Studies covering over 20,000 cases of IUCD show that aobut 54% of IUCD

users had no complaints whatsoever. There were minor complaints in the remaining cases. The total number of expulsions and removals after 12 months is not more than 25%. Research for minimising such complaints and studies on other loops are being undertaken and it is hoped that an IUCD more suitable to Indian conditions than the present one in use will be found. Field studies on oral pills for use by those women who do not find IUCD acceptable have also been started. Conventional contraceptives like condoms, are also recommended for use by couplet where the I.U.C.D. is expelled or removed.

जीवन बीमा निगम द्वारा नये पदों का बनाया जाना

873. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को कोई निर्देश दिये हैं कि वह 2250 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन वाले पदों को बनाने के लिये सरकार की अनुमति प्राप्त करे ताकि सरकारी उपक्रमों में समानता लाई जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सरकारी उपक्रम समिति ने इस प्रकार की सिफारिश की थी । सरकार के विचार समिति को बता दिये गये थे । सरकारी उपक्रमों पर समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है ।

जीवन बीमा निगम में प्रबंधकों के पद

874. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में विद्यमान अधिकारियों की पदसोपान पद्धति का पुनर्विलोकन किया गया है, जिससे वरिष्ठ प्रबन्धक पदों में पर्याप्त कमी की जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रम समिति ने इस सम्बन्ध में एक सिफारिश की थी। सरकार के अभिमत सरकारी उपक्रम समिति को बता दिये गये थे । सरकारी उपक्रम समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है ।

मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों के बीच सम्बन्ध

875. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों और मंत्रालयों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई सिद्धान्त बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) मंत्रालयों और सरकारी प्रतिष्ठानों के पारस्परिक सम्बन्ध का विकास इस प्रकार किया गया है कि राजस्व व्यय सहित आन्तरिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिष्ठानों को उनकी अपनी अपनी

आवश्यकता के अनुसार पूरे अधिकार प्राप्त हैं । प्रतिष्ठानों को स्वीकृत प्रयोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूँजीगत व्यय करने के लिए भी पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं । सामान्यतः मंत्रालय केवल सामान्य नीति के मामलों, उच्चतम कार्यकारी और वित्तीय पदों पर नियुक्तियां करने और ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में, जो सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत नहीं हैं, निर्धारित सीमा से अधिक पूँजीगत व्यय करने के सम्बन्ध में नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन करते हैं ।

नागार्जुन सागर बांध जल-विवाद

876. **श्री रवि राय :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्रीमती तारा सप्रे : **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने नागार्जुन सागर बांध के जल का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा करनाटक राज्यों में वितरण करने की समस्या पर बातचीत करने के लिये वहां के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) 17 अगस्त, 1967 को प्रधान मंत्री मैसूर तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों से मिली थीं और फिर 6 अक्तूबर, 1967 को मिली थीं । कृष्णा-गोदावरी विवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी । आग्रेतर शीघ्र ही होने की आशा है ।

विदेशी तेल समवाय

877. **श्री रवि राय :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने विदेशी तेल समवाय हैं :

(ख) उनके नाम क्या हैं; और उन का कुल कितना धन यहां लगा हुआ है ;

(ग) ये समवाय प्रति वर्ष मुनाफे के रूप में देश से बाहर कितनी धनराशि ले जाते हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) से (ग) प्रचुर मात्रा में परिष्कृत उत्पादनों को तैयार करने और बिक्री करने वाली तेल कम्पनियों से सम्बन्धित वर्ष 1965 की अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र मे दी गई है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1607/67] । वर्ष 1966 के मुकम्मल आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भोर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

878. **श्री रवि राय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि हमारे देश में अस्पतालों में चिकित्सा तथा दवाइयों के क्षेत्र में अत्यन्त खराब स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार क्या तरीके अपनाने का है ताकि भोर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रम भोर समिति तथा तत्पश्चात् मुदलियार समिति के सुझावों पर आधारित है ।

तीन योजना अवधियों में अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या में वृद्धि हुई है । 1950–51 में इनका संख्या 8,600 थी जो 1965–66 में बढ़कर 14,600 हो गई । इसी प्रकार पलंगों की संख्या भी 113,000 से बढ़कर 240,100 हो गई । भविष्य में प्रगति धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगी ।

अब बहुत से भेषज तथा औषधियाँ देश में तैयार की जा रही हैं ।

भारत में एमिफसीलिन फैक्टरी

879. **श्री रवि राय :** क्या पेट्रोलियम रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक एमिफसीलिन फेक्टरी स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस औषधि के मानव शरीर पर अच्छे प्रभाव को देखते हुए सरकार का विचार भारत में एक ऐसी फेक्टरी स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) से (ग) गत समय में इस एण्टीबायोटिक्स की सीमित माँग को ध्यान में रखते हुए जानकारी (' know-how) आदि के आयात द्वारा एमिफसीलिन के नियतन उत्पादन की मांग को अत्यावश्यक नहीं समझा गया । फिर भी लघु मांगों को पूरा करने के लिए कुछ एमिफसीलिन के आयात की अनुमति दी गई थी और अब भी अबाध अनुमति है । इस के साथ-साथ हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स लि० पिम्परी पेंसिलिन उत्पादन के हिस्से को एमिफसीलिन में परिवर्तित करने की दृष्टि से इसके उत्पादन के लिए अपनी जानकारी को विकसित करने में प्रोत्साहित किया गया है ।

मेहतरों की स्थिति

880. **श्री रवि राय :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश के मेहतरों की दशा सुधारने के लिए जो विशेष समिति स्थापित की गई थी, उसके प्रतिवेदन के आधार पर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

मेहतरों की दशा सम्बन्धी जाँच समिति द्वारा दिसम्बर, 1960 में पेश की गई रिपोर्ट के प्रकाश में विष्ठा को सिर पर लाद कर ले जाने की प्रथा को समाप्त करके मेहतारों के काम की दशा को सुधारने के लिये उन्हें हाथ गाड़ियाँ/व्हील बैरो, औजार तथा सुरक्षा-यन्त्र खरीद कर

देने के लिए भारत सरकार राज्यों को सहायक अनुदान देती रहती है। उनके रहने-सहने की दशा को सुधारने के लिए भी गंदी बस्तियों को हटाओ/कम आय ग्रुप आवास योजनाओं के अधीन-मकान बनवाने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये रिहायशी बस्तियां

881. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** **श्री क० हल्दर :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये देश के बड़े-बड़े शहरों में रिहाशी बस्तियां बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) जी हाँ, इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, किन्तु उसका ब्योरा आदि अभी तैयार किया जाना है।

पश्चिमी प्रदेश में तटदूर ड्रिलिंग

882. **श्री काशी नाथ पांडे :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल के लिये पश्चिमी प्रदेश में तटदूर ड्रिलिंग करने हेतु विभिन्न पक्षों से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो जिन पक्षों से बातचीत हो रही है उनके नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया

(क) जी जहां।

(ख) (1) टेन्नेको इंटरनेशल ग्रायल कम्पनी (2) फ्रांस, जर्मन और अमरीकन तेल कम्पनियों के एक कांसारिटम और (3) अमेरिकन इंटरनेशनल आयल कम्पनी।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

883. **श्री काशी नाथ पान्डे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल-रानी गंज क्षेत्र में हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन की 93 किलोमीटर लम्बी चक्करदार लाइन बनाने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के फैसले से उठने वाले मामले विचाराधीन हैं।

कोचीन स्थित तेल प्रतिष्ठान

884. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित तेल कम्पनियों ने अपने प्रतिष्ठानों को सरकार को सौंप देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अगर इसके बारे में कोई समझौता हुआ है, तो उसका व्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) कोचीन की तेल कम्पनियों का अपने अधिष्ठापनों को सरकार को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

घरेलू प्रयोग के लिये गैस

885. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधक कारखाना गुजरात तेल क्षेत्रों से निकली गैस की सप्लाई घरेलू प्रयोग के लिये कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बिक्री से प्रतिवर्ष कितना लाभ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जब बड़ौदा नगरपालिका आन्तरिक वितरण के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेंगी, तब तेल व प्राकृतिक गैस आयोग बड़ौदा नगर से घरेलू उपभोक्ताओं को गुजरात के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से उत्पादित गैस सप्लाई करेगी । गुजरात शोधक शाला ने मार्केटिंग डिवीजन के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को नवम्बर 1967 से तरल पेट्रोलियम गैस सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) तेल व प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम दोनों के ही वार्षिक लेखे उनके अपने वार्षिक परिचालन के समस्त लाभ को प्रतिबिम्बित करते हैं । उत्पादानुसार लाभ निर्धारित नहीं किया गया है ।

वित्तीय वर्ष को बदलना

887. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से कुछ ही पहले मूल्य बढ़ने लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष को किसी अन्य महीने से आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) वित्तीय वर्ष की वर्तमान अवधि को बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) एक वित्तीय वर्ष की किसी विशिष्ट अवधि के साथ मूल्य सूचकांक का सीधा सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता, परन्तु यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है । अतः वित्तीय वर्ष से पूर्व की किसी मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध किसी वित्तीय वर्ष से जोड़ना ठीक नहीं है ।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष बहुत समय से चला आ रहा है और कोई परिवर्तन करने से

सांख्यिकीय निरन्तरता टूट जायेगी और विभिन्न समस्याएँ खड़ी हो जायेंगी। वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने के प्रश्न पर कई बार विचार हो चुका है और हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इससे कोई बड़ा लाभ न होगा। फिर भी, इस पहलू पर प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो मामले पर फिर विचार किया जायेगा।

Fertilizer Factories Using Rock Phosphate

888. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of fertilizer factories in the country producing fertilizers by using rock phosphate with hydrochloric acid without Sulphur;

(b) the number of such factors which Government propose to set up in the country keeping in view the world-wide shortage of sulphur; and

(c) whether it is also a fact that in view of heavy deposits of rock phosphate in Dehra Dun, Government have taken a decision to set up such a factory there ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) There is no such factory in the country at present.

(b) Four schemes in the Private Sector have been approved for the production of phosphotic fertilizer without the use of sulphur.

(c) No, Sir. The deposits of rock phopshate in the Dehra Dun area are still in the stage of exploration.

Oil for Dhuvaran Power Station from Koyali Refinery

889. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under some unilateral agreement between Koyali Refinery and Dhuvaran Power House regarding the supply of fuel oil, it is obligatory on the part of Koyali Refinery to sell fuel oil in specified quantity at cheap rates and it has been left to the discretion of the Power House to purchase or not to purchase or to purchase any quantity;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that due to some defect in Dhuvaran Power House, Koyali Oil Refinery had to burn its gas and use fuel oil instead and if so, the extent of loss sustianed so far; and

(d) whether it is also a fact that lesser quantity of oil was refined in the Refinery due to lesser quantity of fuel oil purchased by the Power House and if so, the extent of total decline in the production of nephtha, petrol, Kerosene, Diesel Oils so far, as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Prtroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah):

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) Yes; to enable the refinery to process more crude with a view to produce more petroleum products needed by the consumers. On overall basis, flaring of additional refinery gases should not be considered as a loss.

(d) Yes. The shortfall in crude throughout due to poor upliftment by Dhuvaran during July to September 1967 was approximately 100,000 tonnes.

तेल कम्पनियों द्वारा ईंधन-तेल के उत्पादन में कमी

890. **श्री यशपाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि स्वेज नहर के बन्द होने के बाद कुछ तेल कम्पनियों ने, जो भारत में व्यापार कर रही हैं, ईंधन-तेल का अपना उत्पादन कम कर दिया है और इस प्रकार भारत की विदेशी मुद्रा की आय को कम कर दिया; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के उत्पादन में यथासंभव अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिये कदम उठाये गये हैं। यदि जरूरी हुआ तो अन्य उपायों, जिनमें ईंधन-तेल की आयात शामिल है, को अपनाया जायेगा।

जीवन बीमा निगम का कार्य

891. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद 'जीवन बीमे' का कार्य वांछित स्तर का नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन कम्पनियों का उल्लेख किया है; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) से (ग) दिल्ली इंश्योरेंस इंस्टीच्यूट में 10 अक्तूबर 1967 को अपने भाषण के दौरान मैंने कहा था :

"हमने 10 वर्ष से भी अधिक पहले बीमा—जीवन बीमा—का राष्ट्रीयकरण किया और उससे हमें जो आशाएं थीं, जो राष्ट्रीयकृत संस्थाओं से पूरी होती हैं, वे पूरी नहीं हुई हैं, और यह इसलिए है कि काम जिस प्रकार किया जाना चाहिए उस प्रकार नहीं किया जाता है।... ... इसलिए जीवन बीमा कराने तथा कई आकस्मिकताओं के लिए सामान्य बीमा करवाने की आवश्यकता के बारे में लोगों को समझाने की जरूरत है। और यद्यपि, जिन लोगों को सामान्य बीमा लेने की जरूरत होती है, वे उसे लेते हैं, जीवन बीमा अभी उतना प्रचलित नहीं हुआ है जितना होना चाहिए।"

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद के जीवन बीमा व्यवसाय का उल्लेख स्थूल रूप में ही हुआ था। किन्हीं विशेष खामियों की, और उनका सुधार करने के उपायों की भाषण में चर्चा नहीं की गई थी। प्राक्कलन समिति ने तथा बाद में सरकारी उपक्रम समिति से जीवन बीमा निगम के कार्यचालन की जांच की थी और सिफारिशें की थीं। अब प्रशासनिक सुधार आयोग (जिसने हाल ही में जीवन बीमा निगम पर एक अध्ययन दल नियुक्त किया है) और 'मोरारका समिति' जीवन बीमा निगम के कार्यचालन की विस्तारपूर्वक जांच कर रहे हैं।

होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने की शर्तों सम्बन्धी विधेयक

892. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने की शर्तों को नियमित करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने पर विचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो यह कब पुरस्थापित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) :

(क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की, जिनमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है, एक केन्द्रीय परिषद् बनाने सम्बन्धी कानूनी ब्योरा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। तैयार करने के काम के पूरे होते ही एक विधेयक पेश कर दिया जायेगा।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड अलवाय

893. **श्री अदिचन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम के चौथे प्रक्रम का काम आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम के चौथे प्रक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) कार्यक्रम पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) 50,000 किलोवाट से 30,000 किलोवाट तक बिजली की मांग को कम करने की दृष्टि से वर्तमान इलैक्ट्रोलैटिक हाईड्रोजन प्लांट के स्थान पर एक आधुनिक नैफथा स्टीम रिफार्मिंग प्लांट की स्थापना।

(2) प्रतिदिन अमोनिया के उत्पादन को 250 मी० टन से 340 मी० टन तक बढ़ाना।

(3) एक फास्फोरिक एसिड प्लांट (सांद्रित) की व्यवस्था जिसकी प्रतिदिन 20:20 ग्रेड अमोनियम फास्फेट की 150 मी० टन उत्पादन की क्षमता हो।

(ग) प्लांट और मशीनरी को खरीदने के लिए आदेश दिये गये हैं। अमोनिया फास्फेट और आक्सीजन प्लांट से सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

(घ) लगभग 500 लाख रुपये।

महंगाई भत्ते के कारण संसाधनों की स्थिति में कमी

894. **श्री पार्थसारथी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में योजना के मसौदे के प्रकाशन के पश्चात, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में प्रस्तावित वृद्धि के फलस्वरूप संसाधनों में कितन कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुमानतः कितना व्यय करना पड़ेगा।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) अगस्त 1966 में चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप के प्रकाशन के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महँगाई भत्ते की दरों मे दो बार वृद्धि की घोषणा की गई है— पहली बार 19 अक्तूबर 1966 को और दूसरी बार 11 सितम्बर 1967 को। महँगाई भत्ते की दरों में की जाने वाली इन वृद्धियों से 1966-67 में 32 करोड़ रुपया (पूरे वर्ष में 39.50 करोड़ रुपया) और 1967-68 में 53 करोड़ रुपया (पूरे वर्ष में 58 करोड़ रुपया) खर्च होने का अनुमान है। 1967-78 में 29 करोड़ रुपया नकदी के रूप में दिया जायेगा और 24 करोड़ रुपया 31 मार्च, 1968 तक राज्य भविष्य निधि में रखा जायगा। इन दोनों वृद्धियों से 1970-71 तक की पांच वर्षों की अवधि में, मोटे तौर पर, 430 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी आयोजना के प्रारूप के प्रकाशन के बाद बहुत से राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि की घोषणा की है और अनुमान है कि 1970-71 के अन्त तक की पांच वर्षों की अवधि में इन वृद्धियों के कारण 530 करोड़ रुपया खर्च होगा। अतिरिक्त खर्च के इन अनुमानों में गजेन्द्रगड़कर आयोग के मई 1967 के फैसले के अनुसार कुछ राज्यों द्वारा घोषित की गई वृद्धियों को शामिल नहीं किया गया है। अस्थाई तौर पर अनुमान लगाया गया है कि अगर सारे राज्य अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महँगाई भत्ता दें तो 1970-71 को समाप्त होने वाली अवधि में 300 करोड़ रुपये से अधिक रकम खर्च होगी।

भारत के ऋण की अदायगी के भार के बारे में विश्व बैंक की चिन्ता

895. **श्री पार्थ सारथी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने अपने 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन में भारत के ऋण की अदायगी के बढ़ते हुए भार पर चिंता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका कारण कम निर्यात, अधिक ऋण और कम विकास तथा आयात के लिए सीधे धन जुटाने में हमारी असमर्थता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विश्व बैंक ने 1966-67 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, विकासोन्मुख देशों के ऋण-भार में हुई वृद्धि और विदेशी ऋणों की अदायगी की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए, भारत के ऋण चुकाने सम्बन्धी दायित्व में हुई वृद्धि का उल्लेख उदाहरण के रूप में किया है।

(ख) तिजारती माल के निर्यात के अनुपात के रूप मे, भारत द्वारा देय ऋण (ब्याज और मूल-धन) की अदायगी का प्रतिशत जो 1962 में 10 प्रतिशत था, 1966 में बढ़ कर 22 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि ऋण-परिशोधन सम्बन्धी दायित्वों में 84 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुई है, जबकि निर्यात में केवल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत और श्रीलंका के बीच तस्कर व्यापार

896. **श्री मयाबन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से बड़े पैमाने पर चोरी छिपे वस्तुयें श्रीलंका ले जाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये वस्तुयें कहां से चोरी छिपे ले जाई जा रही हैं; और

(ग) भारत से उन वस्तुओं की चोरी छिपे ले जाने के मामलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि भारत से श्रीलंका को सूती कपड़े, बीड़ियों तथा औषधियों जैसी कुछ वस्तुओं का तस्कर-निर्यात हो रहा है। यह तस्कर व्यापार भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट से किया जाता है।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारी सतर्क हैं। समुद्री-तट के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की नियमित गश्त लगाने के अलावा इस प्रकार के माल को श्रीलंका ले जाने वाले जलयानों को मार्ग में रोकने तथा पकड़ने के लिए लांचों का भी प्रयोग किया जाता है।

नशीली औषधियों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

897. **श्री मयाबन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नशीली औषधियों सम्बधी संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अक्तूबर 1967 में नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर बातचीत हुई थी;

(ग) उसमें क्या क्या निर्णय किए गए थे;

(घ) इस सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था; और

(ङ) क्या इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विचार गोष्ठी 9 अक्तूबर से 21 अक्तूबर 1967 तक नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) जिन विषयों पर विचार गोष्ठी में चर्चा हुई उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है (अनुबन्ध—क) [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1608/67]

(ग) विचार गोष्ठी का उद्देश्य, एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग के क्षेत्र के अफीम तथा तज्जन्य अन्य नशीली वस्तुओं के नियंत्रण से सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना था। इसलिए विचार गोष्ठी द्वारा कोई निर्णय किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, विचार गोष्ठी ने नशीली वास्तुओं पर नियंत्रण को अतिरिक्त रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं सिफारिशों की प्रतिलिपि अभी अधिकृत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय से प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सिफारिशों का जैसा सारांश, विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों की रिपोर्ट से प्राप्त हुआ है, वह (अनुबन्ध ख के रूप में) सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1609/67]।

(घ) 23 देश ।

(ङ) जी, नहीं ।

विचार गोष्ठी में चर्चित विषयों की सूची

(1) अफीम-पोत, उसकी खेती और उत्पाद-प्राप्ति

(2) अफीम और उसका निर्माण

(3) अफीम-पोस्त के अन्य उत्पाद

पोस्त के डोडों के छिलके, खसखस और अफीम से अथवा पोस्त के डोडों के छिलकों से प्राप्त ऐलकालायड ।

(4) वैध अफीम उत्पादन के राष्ट्रीय नियंत्रण सम्बन्धी उपाय ।

(5) अफीम पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण ।

(6) अफीम से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी समस्यायें ।

(7) अफीम तथा उससे प्राप्त उत्पादों का अवैध व्यापार ।

(8) अफीम का उपभोग :

(क) अफीम का उपभोग, अफीम का औषधवत् प्रयोग तथा अफीम का दुरुपयोग ।

(ख) अफीम की लत का उपचार :

(9) तकनीकी सहयोग ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति

898. **श्री मयाबन**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समिति के सदस्य तथा कार्य क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति में नामजद संसद सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा उनकी संसद सदस्यता की अवधि का, दोनों में से जो भी पहले खतम होने वाला हो, वह रहता है । अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है । पहले 1964 में नामजद संसद सदस्य 1967 के प्रारम्भ में संसद के भंग हो जाने पर संसद के सदस्य नहीं रहे । गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होने से उनका कार्यकाल भी बढ़ाना पड़ा । इसे 31-3-1967 तक बढ़ाया गया । चूंकि संसद सदस्यों तथा गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, इसलिए समिति का पुनर्गठन करना पड़ा । इसका पुनर्गठन 8-10-1967 को किया गया ।

(ग) समिति की संरचना निम्न प्रकार से है :—

(1) अध्यक्ष	उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री
(2) उपाध्यक्ष	मंत्री (राजस्व तथा व्यय)

(3) चार संसद सदस्य :

(i) श्री एम० बी० कृष्णाप्पा

(ii) श्री एस० डी० पाटिल

(iii) श्री एन० के० सोपानी

(iv) श्री उमाशंकर दीक्षित

(4) दो पदेन सदस्य :–

(i) प्रेसीडेण्ट, फेडरेशन ग्राफ इण्डियन चेम्बर्स ग्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (श्री एल० एन० विड़ला)

(ii) प्रेसीडेण्ट, एसोशियेटेड चेम्बर्स ग्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ग्राफ इण्डिया (श्री सी० ए० पिट्स)

(5) छः अन्य गैर सरकारी सदस्य :–

(i) श्री बी० ग्रार० मोहन,
उप प्रबन्ध निदेशक, मोहन मिग्रकिन ब्रूवेरीज लिमिटेड, लखनऊ;

(ii) श्री कस्तूरभाई लाल भाई,
उद्योगपति, ग्रहमदाबाद;

(iii) श्री के० एस० दत्त,
चेयरमैन, ग्रान्ध्र बैंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम्

(iv) श्री के० एस० मुखर्जी;
प्रबन्ध निदेशक, नेशनल रबर मेन्यूफेक्चार्स लिमिटेड, कलकत्ता;

(v) श्री ग्रार० ठाकुर,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नई दिल्ली।

(vi) श्री जे० एस० ठाकुर
गुजरात राज्य के महान्यायवादी, ग्रहमदाबाद।

(6) तीन सरकारी सदस्य :–

(i) सचिव वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ।

(ii) ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

(iii) सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के सचिवों में से एक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है ।

समिति करदाताओं तथा ग्रायकर विभाग के बीच पारस्परिक सद्भावना एवं सहयोग को सुगम बनाने के उरायों पर तथा प्रशासनिक ग्रौर कार्यविधि सम्बन्धी सामान्य प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार को सलाह देती है ।

बम्बई में घड़ियों का तस्कर व्यापार

899. **श्री मयावन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 ग्रक्तूबर, 1967 को सेन्ट्रल बम्बई में 10 लाख रुपए के मूल्य की चोरी-छिपे लाई गई कलाई घड़ियां पकड़ी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कांड से कोई विदेशी राष्ट्रजन सम्बन्धित हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं;

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या घड़ियों को बेच दिया गया है अथवा वे अभी तक सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास हैं; और

(च) उनको बेचने मे सरकार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अब तक की गई पूछ ताछ से यह नहीं पता चला है कि इसमें किसी विदेशी राष्ट्रिक का हाथ है।

(ग) तीन भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ङ) सभी घड़ियां अभी भी सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास पड़ी हुई हैं।

(च) भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लिये होम्योपैथी

900. **श्री मयावन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली अपनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को भी ऐसा करने की सलाह दी गई है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के कुछ पक्षों में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की सहायता प्राप्त करने के एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

(ख) इस विषय में राज्य सरकारों को इतनी जल्दी सलाह नहीं दी जा सकती।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Contaminated Drinking Water Supply in Delhi

901. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the water being supplied in Delhi is contaminated these days and consequently many diseases have broken out;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the remedial steps being taken in this regard ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Fake Currency Notes Seized From Foreign Tourists

902. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two British tourists have recently been arrested at the New Delhi Railway Station, as they were in possession of fake one hundred rupee notes; and

(b) if so, the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Ministor of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Yes Sir.

(b) The case is under investigation by the Central Bureau of Investigation.

Mystery Fever in Delhi

903. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it it a fact that the mystery fever is spreading widely in the Capital at present; and

(b) If so, the causes thereof and the preventive steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) Records obtained from the Hospitals and Health Organisations in the Capital indicate that there has been a slight increase in the incidence of fevers of unknown origin. It is difficult to state categorically whether these cases are due to viral infection.

(b) As the exact cause of the disea-e is not known, it is difficult to specify the pracise made of spread of this fever. However, all steps have been taken to alert the medical and health organisations in the Capital to watch the incidence, treat the patients and try to assess the cause of such infections.

व्यास बांध तथा पोंग बांध के निर्माण के लिये हटाये गये व्यक्ति

904. **श्री हेम राज :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री 1 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध और सतलज व्यास नदी सम्पर्क के निर्माण के लिये हटाये लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी समिति का इस बीच पुनर्गठन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा क्या इस समिति की बैठक बुलाई जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके पुनर्गठन में कितना समय लगने की संभावना है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत 1.10.1967 से व्यास निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया हैं । समिति के पुनर्गठन के प्रश्न पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

1967-68 के लिये वित्तीय सहायता

905. **श्री हेम राज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये वर्ष 1967-68 में सार्थ संघ के देशों ने देशवार कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1610/67]

मेडिकल कालेज, शिमला में दाखिला

906. **श्री हेम राज :** (क) मेडिकल कालेज शिमला में केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशन के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं और उस कालेज में दाखिले के लिये कौन सी अर्हताएं निर्धारित हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितने विद्यार्थियों का नाम निर्देशन किया था तथा उनमें से कितने विद्यार्थियों ने दाखिला ले लिया हैं और उनकी डिवीजन क्या है अथवा उन्होंने कितने अंक प्राप्त किये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति);

(क) हिमाचल प्रदेश मेडिकल कालेज, शिमला में 1967-68 में 20 सीटें आराक्षित की गई थीं ।

इस कालेज में प्रवेश पाने के लिए छात्र के गत अर्हक परीक्षा (मेडिकल ग्रुप) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा अथवा पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों । बोर्डों की किसी अन्य समकक्ष परीक्षा के अनिवार्य विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिये तथा अथवा बी० एस०सी० प्रथम श्रेणी होना चाहिये अथवा अनिवार्य विषयों में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए बशर्ते :

(अ) छात्र ने पुराने विनियमों के अनुसार बी० एस० सी० अंग्रेजी विषय लेकर पास किया हो अथवा नये विनियमों के अनुसार बॉटनी जूलाजी, केमिस्ट्री, फीजिक्स, फीजियोलाजी ह्यूमन एनाटामी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई तीन विषय लेकर पास किया हो ।

(ब) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्टरमीडियेट (मेडिकल ग्रुप) परीक्षा अथवा कोई समकक्ष प्रीमेडिकल परीक्षा पास की हो ।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन्हें दिये गये अधिकारों के अनुसार मनोनीत छात्रों की संख्या का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1611/67**]

नागपुर स्थित आय-कर कार्यालय

907. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर स्थिति आय-कर कार्यालय अब भी उसी इमारत में काम कर रहा है जिसमें लगभग एक वर्ष से मनुष्य के न रहने योग्य घोषित किया गया है;

(ख) क्या उस इमारत का एक भाग अथवा उसका प्लास्टर कुछ समय पहले गिर गया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ नुक्सान हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यालय को किसी उपयुक्त इमारत में ले जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) नागपुर में आयकर कार्यालय जिन दो इमारतों में स्थिति है, उनमें से एक इमारत को केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के अधिकारियों ने वास के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है ।

(ख) इमारत की छत की एक सिल्ली ढीली हो गयी थी और गिर पड़ी थी परन्तु कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) नागपुर के आयकर आयुक्त को दूसरा उपायुक्त स्थान प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयास करने के लिये कहा गया था, वह एक इमारत का पता लगाने में सफल हो गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के परामर्श से किराये का फैसला करने के बाद इमारत को पट्टे पर ले लिया जायगा।

हांग कांग के उद्योगपति

908. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हांग कांग के सैकड़ों उद्योगपति तथा पूंजीपति ऐसे सुरक्षित स्थानों को ढूढ रहे हैं जहां वे अपने कारखानो को और पूंजी को ले जा सकें तथा यह बताया जाता है कि फिलीपिन, सिंगापुर तथा इण्डोनेशिया सरकारों ने उन्हें आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उन्हें आमंत्रित करने का है ताकि बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा तथा औद्योगिक उपक्रम इस देश में लाये जा सकें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है।

(ख) हांगकांग के कुछ भारत-मूलक निवासी भारत में धन लगाने में दिलचस्पी प्रकट करते हैं। यदि उनके सुझावों का अमली रूप दिया गया तो उन्हें वही सुविधाएं दी जायेंगी जो सामान्य रूप से भारत मूलक अ-निवासियों को दी जाती है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

909. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूकम्पीय कारणों तथा भूमि का स्तर नीचा होने के कारण इंजीनियरी दृष्टि से रूसी विशेषज्ञ बरौनी तेल शोधन कारखाने के स्थान के पक्ष में नहीं थे;

(ख) यदि हाँ, तो अन्तिम रूप से इसी स्थान का चयन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निर्धारित समय के अन्तर से इस बात का अध्ययन किया जाता है कि बरौनी तेल शोधन कारखाने के विभिन्न एककों की बुनियाद सुदृढ़ रहे और उनमें किसी प्रकार क्षरति के चिन्ह न दिखाई दें तथा भीषण बाढ़ तथा भूकम्पों से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके; और

(घ) क्या यह भी सच है कि बरौनी से माल की निकासी का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है और क्या तेल-शोधन कारखाना विभाग तथा क्रय-विक्रय विभाग के कार्यों में इन दो एककों के कार्यों का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए, समन्वय की कोई व्यवस्था है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हाँ, प्रारम्भ में।

(ख) यह सोचा गया कि त्रुटियों को उपचारी उपायों से दूर किया जा सकता है।

(ग) बरौनी तेल शोधन कारखाने के विभिन्न यूनिटों की बुनियाद को सुदृढ़ रखने के लिये अपेक्षित अध्ययन किये जायेंगे ।

(घ) तेल शोधक कारखानों के उत्पादन को मारकिट की मांग के अनुसार नियंत्रित किया जाता है । परन्तु मांग के अचानक घटने-बढ़ने के कारण या कुछ अप्रत्याशित कठिनाई के कारण उत्पादों की निकासी के कार्य को कभी-कभी रोक दिया जाता है ।

निगम के तीनों विभागों अर्थात रिफाइनरीज, मारकिटिंग तथा पाइपलाइन्ज, का समन्वय मासिक समन्वय बैठक में, जिस में तीनों विभागों के सदस्य उपस्थित होते हैं, निगम के अध्यक्ष द्वारा, किया जाता है । इन बैठकों में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, मारकिटिंग और निकासी के कार्य से सम्बन्धित हर महीने की कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया जाता है और संयुक्त निर्णय लिये जाते हैं ।

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

911. **श्री जो० ना० हजारिका : श्री हेम बरुआ :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोहाटी तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता कितनी है;

(ग) प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता के लिए कुल कितना धन व्यय होगा; और

(घ) यदि इसके लिए किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) जी हाँ । आसाम सरकार के परामर्श से यह परीक्षणाधीन है ।

(ग) और (घ) अभी तक निश्चित नहीं हुआ ।

D. E. S. U.

912. **Shri Nanja Gowder** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 2,000 workers of the Delhi Electricity Supply Undertaking demonstrated at the Prime Minister's residence on the 10th August, 1967 ;

(b) if so, what were their demands; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) There was a demonstration by Members of the Delhi State Electricity Workers' Union at the Prime Minister's residence on 10 August, 1967.

(b) The Union represented that 38 demands which were agreed to had not been implemented in full and that there were about 42 demands which were to be discussed and settled. It was also alleged by the Union that one of their Vice Presidents was placed under suspension and office-bearers and active workers of the Union were transferred by the Management.

(c) The good offices of the Ministry of Irrigation and Power were made available for expediting departmental enquiries involved and for ensuring expeditious settlement of accepted demands. 28 demands have been accepted by the Undertaking, out of which 16 have been implemented. Those include payment of **ex-gratia**, revision of pay scales, conveyance allowance, payment of overtime, absorption of 830 work-charged mazdoors as regular mazdoors. The remaining demands, the more important of which relate to provision of residential accommodation, publication of seniority lists, recruitment and promotion rules, gratuity and pension schemes, are under consideration of the Delhi Electric Supply Undertaking. In regard to the 42 demands which are to be discussed, the General Manager has requested the Union to discuss the matter. The departmental enquiry against the junior mistry who also happened to be the Vice President of the Union has been completed. He was awarded punishiment and re-instated with effect from 5-10-67. The dispute regarding the transfers of two workers has been referred by the Administration to the Additional Industrial Tribunal in Delhi and is pending before the Tribunal.

इण्डियन आयल कारपोरेशन को "बैरलों" की सप्लाई :

913. **श्री सीताराम केसरी : श्री समर गुह :**
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स खैतान ब्रादर्स जिनके विरुद्ध करापवंचन के आरोप लगाये गये हैं, का सम्बन्ध, कलकत्ता की एक फर्म मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग ऐण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड से है जिसके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसने इण्डियन आयल कारपोरेशन को कोल्ड रोल्ड शीट से बैरल की बजाय हाटरोल्ड शीट से तैयार किये गये बैरल सप्लाई किये थे, परन्तु बिल कोल्ड रोल्ड शीट से बने बैरलों के दिये थे और इस प्रकार सरकार को कई लाख रु० की हानि पहुंचाई थी;

(ख) क्या सरकार ने कथित फर्म के विरुद्ध आरोपों की कोई जांच कराई है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि फर्म के विरुद्ध जांच सम्बन्धी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था और 45 गैलन के तेल के बैरलों के निर्माण के लिये फर्म की क्षमता को मान्यता दे दी गई थी जब कि फर्म वर्जित सूची में थी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) और (ख) मैसर्स हिन्दी गैलवनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लि० ने, जिसने निदेशकों के बोर्ड में श्री एस० जी० खैतान और श्री जी० एन० खैतान का नाम शामिल किया हुआ है, भारतीय तेल निगम लि० को बैरलों की सप्लाई की है। क्रय आदेश में अनुबद्ध (stipulated) था कि बैरल कोल्ड रोल्ड स्टील से बनाये जायेंगे। सही तौर पर यह मालूम हुआ था कि हाट रोल्ड स्टील के बैरलों की सप्लाई की गई थी क्योंकि इन बैरलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता था और आवश्यकता थी, उक्त सप्लाई को स्वीकार किया गया और इनके मूल्य के निर्णय के बारे में मध्यस्थ को लिखा गया था। पंचाट के अनुसार बैरलों का मूल्य

विरचक द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त इस्पात के मूल्य के अनुसार हो। भारतीय तेल निगम पंचाट के अनुसार अदायगी की व्यवस्था कर रहा है; जो क्रय आदेश में मूलतः स्वीकृत मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य है। अतः भारतीय तेल निगम को किसी प्रकार की हानि पहुँचने का प्रश्न नहीं है अथवा इस कारण न ही किसी प्रकार के जांच की आवश्यकता है।

(ग) मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी, प्राइवेट लि० कलकत्ता ने जो पहले ही छोटे ड्रमों तथा भारी ड्यूटी बैरलों को बनाने के लिए रजिस्टर्ड थी, तेल-बैरलों के निर्माण की अनुमति के लिए प्रार्थना की जिसके लिए वे सज्जित होने का दावा करते थे। जांच पड़ताल से यह मालूम हुआ कि वर्तमान मशीनरी से उनके लिए तेल-बैरलों को भी बनाना सम्भव था। क्योंकि 1963-64 में रक्षा एवं तेल-शोधनशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन बैरलों की अधिक मांग थी; यह फैसला किया गया कि इस उपलब्ध निर्माण क्षमता को रजिस्टर्ड किया जाए यद्यपि यह एक मद था जिसके बारे में नई क्षमता के लिए प्रार्थना-पत्रों को सामान्यतः अस्वीकार किया जाता है। हिन्द गैलवनाइजिंग एंड इन्जीनियरिंग कम्पनी (पी०) लि० वर्जित सूची में नहीं है।

Gandhi Sagar Dam

915. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the extent of water stored in Gandhi Sagar Dam this year and the quantum of power being generated therefrom ;

(b) whether any cut has been effected in the supply of power to the factories; and

(c) if so, the extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The highest water storage in Gandhi Sagar Reservoir was 2.1225 M. A. ft. at plus 1276.50 on the 20th September, 1967.

From 18th September to 30th September, 1967, actual average generation was 6.5 lakh units per day and from 1st October, 1967 it was 7.22 lakh units per day.

(b) & (c) No cut has been effected in the supply of power to factories in Madhya Pradesh. In Rajasthan, the extent of cut is as indicated below :

(i) Large industries having load upto 5 MW in Chambal as well as Bhakra Regions.	35%
(ii) Large industries having load over 5 MW In Kotah Region.	60%

In the case of small and medium industries, there is no cut except that they have to limit their consumption of power to the extent of their average consumption prior to the introduction of cuts in 1964-65.

The position in regard to the extent of power cut would be reviewed after the first unit of 62.5 MW at Satpura is commissioned in November-December, 1967.

Water-Logging in Rajasthan

916. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many villages in Rajasthan are water-logged even now as a result of the recent floods ;

(b) if so, the nature of the aid extended by Central Government in this regard; and

(c) the preventive steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (**Dr. K. L. Rao**) :

(a) No ; by the end of October 1967 practically all flooded areas, except some small pockets of low lying areas, had been cleared of flood waters.

(b) and (c) Due to heavy rains in different part of the State in the last week of August and first week of September, severe floods were experienced in the districts of Bharatpur, Alwar and Pali. In Bharatpur district the existing drainage system was unable to cope with the heavy inflow, due to which extensive areas were under flood for a considerable period. I inspected the flood affected areas of the Bharatpur district and had discussions with the Minister for Irrigation and Power and officials of the Central and State Governments on the immediate steps to be taken to meet the situation and also the future measures for preventing a recurrence of the situation. At an inter-state meeting subsequently held by me with the concerned State Ministers on 11th November, 1967, it has been decided to remodel the inter-State Ujjina-Pahari Kaman-Goverdhan Drainage system to accommodate 1600 cusec from Haryana, 1000 cusec from Rajasthan and 1000 cusec from Uttar Pradesh. The request of the State Government for additional financial assistance for restoration of damage due to floods etc., is under consideration.

The State Government are also taking steps to repair the Ghaggar diversion Channel.

Rajasthan Canal Project

917. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved lift Irrigation in the Rajasthan Canal Project;

(b) if so, whether orders have been issued to the State Government in this regard;

(c) whether it is also a fact that State Government have no extra funds for this purpose; and

(d) whether the Central Government have drawn-up any scheme to provide the additional funds for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (**Dr.K.L.Rao**) :

(a) and (b) ; The question of taking up certain lift irrigation schemes as parts of Rajasthan Canal Project is under the active consideration of Rajasthan Government.

(c) Yes.

(d) Due to tight financial position, it may not be possible to provide additional funds for this year:

Water Electricity and Telephone Expenses of Ministries

918. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount spent by the Central Ministries, Ministry-wise, by way of electricity, water and telephone charges since August,1967 to-date ; and

(b) whether Government are considering the question of bringing down their expenditure ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information for such a current period will become available to the Ministries only after the relevant bills are received from the Municipal and Telephone authorities and this will take some time. The required information will be collected from the Ministries and laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

(b) As regards economy in telephone expenditure, instructions have recently been issued to Ministries requiring them to make a strict review of their requirements of telephones, both office and residential, so as to restrict their number to the minimum necessary. The provision of telephones at residences if Junior level officials is also being reviewed in this connection. In the case of residential telephones provided by Government, the officers concerned will in future have to pay for calls made in excess of 1500 per quarter (excluding the free calls allowed by the P.&T. Department) in addition to meeting charges for private trunk calls as usual.

In regard to charges for electricity and water consumed in offices, the question will be taken up if and when instances of extravagance come to notice. Ordinarily, there is not much scope for reduction.

Clearing of Lavatory of Servants Quarters of M.P.s.

919. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Works, Housing ond Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have made any arrangements for cleaning lavatory, bathroom, ete. of servant quarters allotted to the Members of Parliament;

(b) Whether it is a fact that private sweepers have been provided for cleaning these qnarters;

(c) whether Government propose to appoint Government sweepers for cleaniug these quarters; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes. Arrangement exist for cleaning lavatories, bath rooms and courtyards of the Servants' quarters allotted to the Members. Living rooms are, however, to be cleaned by the residents.

(b) No .

(c) C.P.W.D. employees do the cleaning of lavatories and bathrooms .

(d) Does not arise .

Narmada Sagar Power Project

921. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 5522 on the 13th July, 1967 and state :

(a) whether the report on Narmada Sagar Power Project has since been received by the Central Government from the Madhya Pradesh Government ;

(b) if so, the details thereof , and

(c) if not; when it is likely to be received ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Government of Madhya Pradesh has been requested to expedite submission of the Project report.

तूफान से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये उड़ीसा को सहायता

922. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में अभी हाल में तूफान आने के कारण जो जन-धन की हानि हुई है उसका दुर्घटना स्थल पर अध्ययन करने के लिए एक दल उड़ीसा भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तूफान से पीड़ित लोगों को फिर से बसाने के लिये सरकार ने कितनी तथा किस प्रकार की सहायता दी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (**श्री मोरार जी देसाई**):

(क) राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय अधिकारी दल ने तूफान से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिये और सहायताकार्य के लिए अपेक्षित धन का अनुमान लगाने के लिये उड़ीसा का दौरा किया था ।

(ख) दल के प्रतिवेदन का संक्षेप सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1612/67] दल के प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार सहायता कार्यों और सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत के लिये 175 लाख रु० की आवश्यकता होगी।

(ग) तूफान सहायता व्यय के लिये राज्य सरकार को 50 लाख रु० की राशि दे दी गई है । अग्रेत्तर राशियां पिछले व्यय को देखकर आवश्यकता अनुसार दी जायेंगी ।

बच्चों का कुपोषण

923. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 80 प्रतिशत बच्चों का कुपोषण होता है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री ब०सू० मूर्ति :**

(क) हालांकि देश के शिशु समुदाय में कुपोषण व्यापक रूप से फैला है फिर भी कितने प्रतिशत बच्चे इससे प्रभावित हैं यह निश्चित रूप से बतलाना कठिन है । किन्तु देश के विभिन्न भागों में किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में 50 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार के कुपोषण अथवा अल्पपोषण से पीड़ित हैं ।

(ख) संक्रमण, दूषण तथा अपने बच्चों को पोष्टिक आहार देने में उपलब्ध सस्ते भोजन के समुचित उपयोग के बारे में माता-पिता की अज्ञानता जैसे अन्य कारणों के अतिरिक्त इस कुपोषण का मुख्य कारण मात्रा तथा गुण दोनों की दृष्टि से भोजन की अपर्याप्ता हैं।

(ग) बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए नीचे लिखे उपाय बरते गये हैं :—

(1) विभिन्न एजेन्सियों की सहायता से चलाये जा रहे नीचे लिखे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपूरक खाद्यों की व्यवस्था की जाती है ।

(क) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन;

(ख) बाल वाड़ियों के माध्यम से भोजन बांटना;

(ग) 'केअर' आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध बांटना।

(घ) यूनिसेफ कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध बाँटना।

(2) माताओं को पोषण विषयक शिक्षा देना ताकि आमतौर पर उपलब्ध सस्ते भोजनों में से वे अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकें।

(3) प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का उपचार करना।

(4) खाद्य विभाग ने बाल-आहार, मल्टी परपज फूड वीपिंग-फूड आदि जैसे अच्छे प्रोटीन वाले आहार तैयार करने की परियोजनाएं चला कर बच्चों तथा अन्य रोगानुकूल वर्गों में प्रोटीन विषयक कुपोषण को रोकने के लिए कदम उठाये हैं।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में रूस द्वारा सहायता

924. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य में रूसी विशेषज्ञों की सेवायें लेने के लिये सोवियत संघ से प्रार्थना की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार नई दिल्ली, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी स्थित स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसन्धान संस्थाओं के विकास के लिये अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(घ) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय म उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान के विकास के लिए चण्डीगढ़ और पान्डिचेरी के स्नातकोत्तर संस्थानों के सम्बन्ध में विदेशों से सहयोग मांगा जा रहा है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली अपने विभिन्न विशेषज्ञता के कार्यों के लिए विदेशी सरकारों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से अनुदान तथा तकनीकी सहायता ले रहा है।

(ग) और (घ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पाण्डिचेरी के लिए (1) भारत फ्रांस सांस्कृतिक समझौता 1966 के अधीन फ्रांस सरकार से तथा (2) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत वेस्टर्न आस्टेरियों विश्वविद्यालय से सहयोग मांगने के प्रस्ताव विचाराधीन है। स्नातकोत्तर संस्थान चन्डीगढ़ और लन्दन, हैमरस्मिथ के रायल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल के बीच सहयोग के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त किसी भी प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Head Mechanic, Aligarh Press

925. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5533 on the 13th July, 1967 and state :

(a) whether the enquiry in to the charges levelled against the Head Mechanic of the Government of India Press, Aligarh has since been completed , and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) No, the enqniry is still under way.

Charges Against Manager, Government of India Press. Aligarh

926. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5534 on the 13th July, 1967 and state :

(a) whether an enquiry in to the charges of adulteration in medicines and forged, cash memos pending against the former Manager of the Government of India Press Aligarh has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) As already stated in answer to the Unstarred Question referred to, there is no charge against the former Manager regarding adulteration in medicines. Enquiry into the allegation regarding irregularities in the submission of medical claims is still in progress.

Night Duty Allowance

927. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Quertion No. 5566 on the 13th July, 1967 and state.

(a) whether enquiry into the payment of Night Duty Allowance to those Government employees who attend their duty at night has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) No Sir. The details are being collected and the information wil be laid on the Table of the House very shortly.

Family Planning Devices

928. **Shri Y.S.Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons who have resorted to family planning devces since 1962 state wise ;

(b) their number in each State, community-wise ; and

(c) the amount spent thereon, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and urban Development (Dr.S. Chandrasekhar) :

(a) and (b) Two Statements, No. 1-showing the number of persons sterilised since 1962 and inserted with Loop since 1965 when Loop programme was started and No. 2-indicating the number of conventional contraceptives issued since 1963-64 (data for 1962-63 not being available) are laid on the Table of the House. [**Placed in Library, See No LT-1613/67**] Community-wise data for the purpose is not compiled .

(c) Separate Details of amounts spent State-wise on the devices are not maintained.

Loans and Advances to States

929. **Shri R.S. Vidyarthi**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loans and advances given by the Central Government to the State last year;

(b) whether it is a fact that the amount sanctioned this year is less than that of the preceding year;

(c) whether Government propose to increase the same;

(d) if so, the extent of the increase likely to be made; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) and (b) The provision for Loans and Advances to State Government in the current year is Rs. 827·51 crores as against Rs. 916·15 crores last year. The larger provision last year was mainly due to the fact that **ad-hoc** loans amounting to Rs. 108 crores were sanctioned to the States in that year for clearing their overdrafts.

(c) and (d) There is no proposal at present to increase the provision for loan assistance to States this year.

(e) The Budgetary position at the Centre does not permit of any increase at present in the amonnt of Loan and Advances to the States.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशें

930. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को तेजी से क्रियान्वित करने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में उन्होंने सितम्बर, 1967 में कई संसद सदस्यों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से अनौपचारिक रुप से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) : हाँ । इस सम्बन्ध में और आगे बढ़ा जा रहा है। राज्यों के मन्त्रियों से शीघ्र ही परामर्श किया जाने वाला है ।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में खेल के मैदान

931. **श्री बलराज मधोक:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लगभग 1600 क्वार्टर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों के बच्चों के लिये इन क्वार्टरों के आस पास बच्चों का कोई पार्क तथा खेल का मैदान नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों के चारों ओर काफी खुला स्थान है जिसमें पार्क और खेल के मैदान बनाये जा सकते हैं किन्तु अब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार पार्क तथा खेल के मैदान कब तक बनाने का विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नेताजी नगर में क्वार्टरों की संख्या 1432 है।

(ख) से (घ): पार्कों और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना नगर निगम का उत्तरदायित्व है। क्वार्टरों के आस-पास खुली जमीन है किन्तु स्थानीय निकाय द्वारा इसका विकास नहीं किया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भी इसका किफायत से विकास नहीं कर सका है क्योंकि यह क्षेत्र पथरीला है तथा बगैर साफ हुए (अनफिल्टर्ड) पानी की सप्लाई अपर्याप्त है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसके विकास का प्रश्न विचाराधीन है।

Plans Prepared by Delhi Development Authority

932. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of draft Zonal Plans prepared by the Delhi Development Authority upto 21 st October, 1967;

(b) the number out of them approved by Government; and

(c) the number of plans likely to be prepared further and the time by which they ar likely to be ready ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) Eighty-two.

(b) Seventeen.

(c) In all,fifty-four draft zonal development plans now remain to be prepared/finalised. As preparation of the zonal development plans is a time consuming process, it cannot be said when all of them will be prepared or finalised. Nevertheless, all efforts are being made to complete the Job within the minimum time possible.

Jama Masjid Development Scheme

933. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the time by which Jama Masjid Re-development Scheme will be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

The Scheme for redevelopment of the Jama Masjid Area is to be executed by the Municipal Corporation of Delhi and the Delhi Development Authority. The works to be executed by the Delhi Municipal Corporation have yet to be started. The works to be executed by Delhi Development Authority are in hand and a major portion is expected to be completed by the end of March 1968.

Oberoi Intercontinental Hotel, New Delhi

934. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Oberoi Intercontinental Hotel built in private sector is attracting more Indian and foreign tourists as compared to the Public Sector, Ashoka Hotels, Ltd., New Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether there is any scheme to make the Ashoka Hotels more attractive?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) Constant efforts are being made to improve the standards of service and comforts for the clients in the Ashoka Hotel. Some of the measures taken recently are the installation of high speed passenger lifts and the improvement of the air-conditioning system. Telephones have been installed in the bath rooms and the installation of piped music in under way. A drive-in-restaurant was opened in January 1967 and a new restaurant (Rouge et noir) started functioning in February 1967. A banquet cum convention hall with seating capacity for 2500 persons and a revolving sky restaurant are under construction.

Correspondence with Reserve Bank of India in Hindi

935. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chief Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Administration and Personnel had sent a letter to the Secretary to the Minister of Finance, U.P. stating that no action would be taken on the letters written in Hindi unless an English translation of the same is attached therewith and the English version only will be treated as authentic ;

(b) whether the Finance Minister of U.P. has addressed to him a letter in this regard; and

(c) if so, whether instructtons have been issued to the Reserve Bank of India that no bank should neglect letters written in Hindi and in other regional languages and prompt action should be taken on them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai);

(a) The Reserve Bank had, in fact, acted on the letter of the Government of U.P. written in Hindi before requesting them that, in future, letters relating to monetary transactions should preferably be in English or, if they were in Hindi, should at least be accompanied by an English translation which could be taken as authentic.

(b) Yes.

(c) Instructions have been issued to the Reserve Bank to accept and deal with all letters received in Hindi.

Utilisation of City filthy Water and Garbage

936. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the filthy water of the cities is drained out into the rivers and garbage is used for filling up the pits;

(b) if so, whether Government are contemplating to devise any scheme for utilising filthy water garbage etc. for manure; and

(c) if so, the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) Liquid wastes from many towns and cities are discharged into natural water courses

without adequate treatment. Town Refuse is also used as a landfill as it is an approved and economic method of disposal.

(b) and (c) Under the National Water Supply and Sanitation Programme it is intended to introduce sewerage schemes for all the towns and cities. The Programme is being implemented according to the availibilty of funds. Under this Programme, sewage effluent after primary or secondary treatment, will be used for agricultutal purposes wherever possible. The digested sludge can be used as manure. In order to encourage the use of sewage effluent for agriculture, the Government of India have recently decided to assist the Local Bodies with 25% subsidy, to be equally shared by the Centre and the State Governments concerned, provided the effluent is used for agricultural purposes.

Garbage is composted alongwith night soil and made into manure where the towns and cities have service type latrines. It is the policy of the Government to completely eliminate manual removal of night soil by introducing flush-out latrines. This will be possible only when all the towns and cities are provided with adequate water supply as well as sewrage facilities.

Irrigation and Power Potential in Ghagra River

937. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased tostate :

(a) whether it is a fact that there is much power and irrigation potential in the Ghagra river of Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether a survey has been made in this regard ; and

(c) if so, whether there is any scheme under consideration of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

Amount Allocated to U. P. for Irrigation and Power Projects

938. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount allocated by the Centre to the Uttar Pradesh in the four Five Year Plans for irrigation and power projects, seperately ;

(b) whether this amount was allocated for some specific projects ; and

(c) the amount being allocated to Uttar Pradesh during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The outlays during the First, Second and Third Five Year Plans of Uttar Pradesh on irrigation and power projects were as follows :—

	Irrigation	Power	Total
Rs.	(in crores)		
First Plan (actuals)	28.4	16.9	45.3
Second Plan (actuals)	25.4	56.8	82.2
Third Plan (actuals)	55.1	157.9	213.0

Outlay for the Fourth Plan is yet to be finalised.

(b) In each Plan, the amounts are allocated for projects included in the Plan. Earmarked Central loan assistance was given for Gandak, Rihand and Ramganga Projects, for Flood Control Schemes ; and for Rural Electrification Schemes as indicated below :

	Gandak	Rihand	Ramganga	Flood Control	Rural Electrification	Remarks
	1	2	3	4	5	6
		(Rs. in lakhs)				
First Plan	—	389.00		—	60.00	For the programme of expansion of power facilities for increasing employment opportunities.
Second Plan	—	2108.00	—	414.00	175.00	
Third Plan	230.00	420.45	—	638.42	1134.56	
Fourth Plan (1966-67 only)	370.00	—	...	100.00	1500.00	

(c) The Plan provision for 1967-68 as approved by the Planning Commission is as follows :—

	(Rs. crores)
Irrigation	15.75
Flood Control	1.25
Power	58.55
	75.55

Out of this, the amounts earmarked for the Projects/Programmes mentioned in the reply to part (b) are as follows :—

Gandak	Rihand	Ramganga	Flood Control	Rural Electrification	Remarks
	(Rs. in lakhs)				
531.00	7.00	1087.00	125.00	750.00	

भारत में गर्भनिरोधक वस्तुओं की खपत तथा उत्पादन

939. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गर्भनिरोधक वस्तुओं की कुल आवश्यकता कितनी है और उनका देश में कहाँ तक उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) पिछले वर्ष गर्भनिरोधक वस्तुओं का कुल आयात कितना किया गया था और इस वर्ष कितना आयात करने का विचार है; और

(ग) गर्भनिरोधक पदार्थों के आयात पर देश को संभवतः कब तक निर्भर करना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) रबड़ गर्भनिरोधक के अतिरिक्त सभी प्रचलित गर्भनिरोधकों का अपेक्षित सीमा तक देश में ही उत्पादन किया जाता है । रबड़ गर्भनिरोधकों की वर्तमान आवश्यकता लगभग 25 करोड़ गर्भनिरोधक है । देश में वर्तमान वार्षिक उत्पादन लगभग 3 करोड़ गर्भनिरोधक है ।

(ख) निरोध की संख्या

1966-67	1,77,57,000
1967-68	20 करोड़

(ग) मांग के अनुमान और उत्पादन-क्षमता के विकास के आधार पर और तीन से चार वर्ष तक आयात जारी रखने की सम्भावना है।

खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियाँ

940. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाई जा सकने वाली किसी गर्भनिरोधक औषधि की सफलतापूर्वक परीक्षा की जा चुकी है अथवा की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो परीक्षाधीन गर्भनिरोधक औषधि का स्वरूप और व्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक प्रयोग किस हद तक सफल रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी हाँ।

(ख) खाने वाली जिन गर्भ-निरोधक औषधियों की जांच की गई है और जाँच की जाने का सुझाव है वे हारमोन-सम्बन्धी चीजें हैं। ये गोलियाँ विभिन्न नामों से बाजार में मिलती हैं।

(ग) अब तक किए गये क्लीनिकल परीक्षण अधिकतर सफल रहे हैं।

Expenditure on Medical Treatment in India

942. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on medical treatment per head on urban population yearly ; and

(b) the expenditure incurred on medical treatment of rural population per head yearly ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) and (b) The available information is given in the annexures,

[Placed in Library **See No. LT—1614/67**]

Opening of an Ayurvedic Dispensary at Sarojini Nagar, New Delhi

943. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to open one or two Ayurvedic dispensaries in Sarojini Nagar, New Delhi ;

(b) if so, whether it is also a fact tha these dispensaries are not being opened for want of accommodation ;

(c) if so, whether it is also a fact that when the decision to open an Allopathic dispensary in 'G' Block was taken, some quarters of 'G' Block were got vacated by Government; and

(d) if so, the reasons for not getting the quarters vacated for opening Ayurvedic Dispensaries there ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planniag and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

C.G.H.S. Ayurvedic Dispensaries

944. **Shri Molau Prasad** : Will the Minister of **Health and Family** Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that patients are not given effective medicines in Ayurvedic Dispensaries being run under the Central Government Health Scheme in the Capital and the patients visiting from for off places have to go back without getting medicines or getting ineffective medicines;

(b) whether it is also a fact that there is no arrangement of drinking water for patients in these dispensaries and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps proposed to be taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Devlopment (Dr.S. Chandrasekhar):

(a) There is an adequate stock of the midicines required and the temporary shortage that existed towards the beginning of the year has been made good.

(b) Drinking water is available in all the C.G.H.S. Dispensaries.

(c) Does not arise.

C.G.H.S. Dispensaries

945. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family** planning be pleased to state:

(a) the number of Allopathic Dispensaries being run under the Central Government Health Scheme in Delhi at present;

(b) the averge number of doctors posted in each of these Dispensaries;

(c) the total amount of expenditure incurred in each of these Dispensaries on doctors and medicines; and

(d) the average number of patients coming to these Dispensaries daily?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family planning and Urban Development (Dr.S. Chandrasekhar) :

(a) 52 static and 3 mobile dispensaries.

(b) The average number of doctors posted to a dispensary works out to 4..

(c) The expenditure incurred on Doctors and medicines in each of the allopatnic dispensaries under the C.G.H.S, during 1966-67 is given in the statement laid on the Table of the House. (**Placed in Library, See No L.T. 1615/67**)

(d) The daily average number of patients attended to in these dispensaries 1966-67 was 23,056.

सुन्दर नगर में गैराज

946. **श्री घुलेश्वर मीना** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुन्दर नगर, नई दिल्ली में कुछ गैराजों का प्रयोग कार रखने के अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस बस्ती के निवासियों ने दिल्ली विकास निगम तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से उन्हें हटाने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : जी हाँ, दिल्ली नगर निगम तथा भूमि तथा विकास अधिकारी के द्वारा केवल एक परिसर (प्रेमिसेज) के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है तथा परिसर के स्वामी और दखलकार को अभियोजित करने के लिए निगम द्वारा कार्यवाही आरंभ की गयी है।

सामान्य जनता के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना

947. **डा० पं० मंडल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के दायरे को बढ़ाने तथा सामान्य जनता के लाभ के लिये इसका विस्तार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस योजना का विस्तार करने में यदि कोई कठिनाइयाँ और बाधायें हैं तो वे क्या हैं;

(ग) इस योजना को दिल्ली और अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों में समूची आबादी पर कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या कुछ राज्यों द्वारा इस योजना को राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है, और यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) इस समय दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की 52 एलोपैथिक, 2 आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी काम कर रही हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय सरकारी पेन्शनरों और कतिपय अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। इनमें से आम जनता के लिए केवल 14 डिस्पेन्सरियां ही उपलब्ध की गई हैं। 1968-69 में इस संख्या को बढ़ाने का विचार है।

जन शक्ति की कमी, गैर सरकारी रिहायशी क्षेत्रों में पर्याप्त स्थान के अभाव और मौजूदा आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस योजना को आम जनता के लिए चरणवार खोला जा रहा है।

(ग) यह मुख्यतया पैसे और जनशक्ति की उपलब्धिता पर निर्भर करेगा।

(घ) इस योजना का सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया था किन्तु अभी तक उन्होंने इसे अपनाया नहीं है ।

परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं द्वारा कदाचरण

948. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि परिवार नियोजन का काम करने वाले कुछ व्यक्ति प्रति

आपरेशन 40 रु० कमाने के उद्देश्य से निर्दोष व्यक्तियों को 10 रु० प्रति दिन पर आपरेशन के लिये काम में ला रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन त ा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जैसे प्रश्न दिया में गया है ऐसे किसी मामले की हमारे पास सूचना नहीं आई है, लेकिन नसबन्दी के एक बड़े जनसमुदाय के कार्यक्रम में, जिसमें लगभग 30 लाख केस किए जाचुके हैं, गलत तरीके के कुछ थोड़-से उदाहरण मिले हैं जैसे कुछ वृद्ध या बिल्कुल नौजवानों के आपरेशन कर दिए गये ।

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले की सम्बन्धित राज्य सरकार की सहायता से प्रबल रूप से खोज-बीन की जाती है ताकि दोषी व्यक्तियों को पहचाना जा सके और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और अधिक सावधानी बरतने के लिए अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

(ग) पूछताछ करने पर कुछ मामले समाप्त किये जा चुके हैं क्योंकि उनके बारे में शिकायतें झूठी थी । कुछ अन्यों के बारे में आगे छान-बीन की जा रही है और राज्य सरकारों से उनका शीघ्र निर्णय करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

विधि मन्त्रियों का सम्मेलन

949. **श्री सम्बन्धन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में मद्रास के विधि मंत्री से हिन्दी का विरोध करने से पहले विधान मण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिये कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने ऐसा किस अधिकार से कहा था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : उप प्रधान मंत्री ने मद्रास के विधि मंत्री का ध्यान संघ की भाषा के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों की ओर दिलाया था और उनको इस बात पर विचार करने के लिये कहा था कि क्या उनके द्वारा संविधान के आदेशात्मक उपबन्धों में से कुछ का विरोध उनकी पद-शपथ के अनुरूप होगा ।

विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा बिहार तथा उड़ीसा के आयकर आयुक्त के विरूद्ध जांच

950. **श्री चरणजीत राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा बिहार तथा उड़ीसा के आयकर आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच आरम्भ की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समय जाँच कार्य की क्या स्थिति है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा दुराचार के आरोपों पर प्रारम्भिक जांच शुरू की गयी थी ।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

पूंजी बाजार

951. **श्री चरणजीत राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आयव्ययक में उनके द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपाय पूंजी बाजार को बढ़ावा देने में **सफल रहे हैं; और**

(ख) यदि नहीं, तो आयव्ययक के उप-स्थापन के पश्चात शेयरों का मूल्य सूचकांक कितना घटा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद परिवर्तन-शील लाभांश वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचक अंक (आधार 1961-62) 4.5 प्रतिशत कम हो गया, अर्थात् 20 मई, 1967 को जो 79.8 प्रतिशत था, वह 28 अक्टूबर, 1967 को 76.2 हो गया। परन्तु यह कमी केवल बजट प्रस्तावों के कारण नहीं हुई, बल्कि पश्चिमी एशिया की स्थिति, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मन्दी की आशंका, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आशंका आदि भी इसके कारण हैं।

चौथी योजना के दूसरे वर्ष के लिये विदेशी सहायता

952. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **वित्त-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दूसरे वर्ष के लिये कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) क्या सहायता की उक्त राशि योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है,

(ग) यदि नहीं, तो इस अन्तर को किस प्रकार पूरा किया जायेगा; **और**

(ग) क्या विदेशी सहायता की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना का समायोजन और लक्ष्यों को नया रूप देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) विदेशों के साथ 1967-68 में (31 अक्टूबर, 1967 तक) कुल मिला कर 335.83 करोड़ रुपये के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। आशा है 1967-68 के तक कुछ और करारों पर भी हस्ताक्षर किये जायंगे।

(ख) से (घ) वार्षिक आयोजनाएं तैयार करते समय, रुपया साधनों और विदेशी मुद्रा अर्थात् दोनों की सम्भावित प्राप्यता को ध्यान में रखा जाता है। 1967-68 के लिए बनायी गयी वार्षिक आयोजना में अभी तक किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

बट्टे खाते में वर्ष 1966-67 के दौरान डाली गई आयकर की बकाया राशि

953. **श्री कृ० भा० कौशिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में आयकर की कोई बकाया राशि बट्टे खाते में डाली गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उन पक्षों के नाम क्या हैं जिनके आयकर की राशि बट्टे खाते डाली गई थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, हां।

(ख) 22, 90,652 रुपये।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

मध्य प्रदेश की बतरा जाति को अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल करना

954. **श्री कु० मा० कौशिक :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बतरा जाति को अनुसूचित आदिम जातियों में वर्गीकृत किया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में इस जाति को आदिम जातियों में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) भतरा जाति को मध्य प्रदेश के भागों में तथा यवतमाल जिले की कालापुर, वानी तथा यवतमाल तहसीलों समेत महाराष्ट्र के भागों में अनुसूचित आदिम जाति समझा जाता है। लोक सभा में 12 अगस्त 1967 को पेश किए गए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में इस जाति को समस्त महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जाति उल्लिखित करने का प्रस्ताव है।

'इसराइल्स फाइट फार सर्वाइवल नामक पुस्तक'

955. **श्री चरण जीत राय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क विभाग ने कई सप्ताह से राबर्ट जे० डोनोवन की "इसरायल्स फाइट फार सर्वाइवल" नामक पुस्तक रोक रखी है और देश में उसके निर्वाध वितरण की मनाही कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) : रावर्ट जे० डोनोवन द्वारा लिखित "सिक्स डेज़ इन जून इजराइल्स फाइट फार सरवाइवल" नामक पुस्तकों की पार्सलें बम्बई में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा यह जाँच करने के लिये रोक ली गई थी कि क्या वह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन जारी की गई निषेधात्मक अधिसूचनाओं की सीमा- परिधि में आती हैं। जाँच के बाद पुस्तक को देश में आने देने की अनुमति देने का निर्णय किया गया, और तदनुसार इन पुस्तकों की पार्सलें छोड़ दी गई।

घाटे की अर्थ व्यवस्था

956. **श्री मी० रु० मसानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अपनाई गई घाटे की अर्थ व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसकी व्यवस्था किये जाने के क्या कारण हैं जबकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि घाटे की अर्थ व्यवस्था का तरीका नहीं अपनाया जायेगा ;

(ग) क्या इस संबंध में उनका ध्यान 11 अक्तूबर, 1967 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित यूनाइटिड न्यूज ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है; और

(घ) क्या घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कोई घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस समय यह बताना कठिन है कि क्या शेष वित्तीय वर्ष में कोई घाटे की अर्थ व्यवस्था की जायेगी क्योंकि राजस्व से प्राप्ति और विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

विषाक्त भोजन के मामले

957. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के मंडूर ताल्लुक के मनंचन्हल्ली नामक स्थान पर विषाक्त भोजन से एक ही दिन में 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र द्वारा दिये गये गेहूँ में विष मिला हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में विषाक्त भोजन के मामलों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) एक होटल में नाश्ता करने से 22 व्यक्तियों पर असर पड़ा जिनमें से 16 की मृत्यु हो गई ;

(ख) जी नहीं। होटल में नाश्ते के लिये केवल चावल के बने खाद्य पदार्थ ही दिये गये थे।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले गेहूँ में कोई विषैला पदार्थ नहीं मिलाया जाता। कीड़ों से बचाव के लिये जो कीटनाशक इतनी मात्रा में प्रयोग किये जाते हैं ताकि वे अनाज में शेष न रहें जिनसे मनुष्यों के स्वास्थ्य को कोई हानि हो नहीं सकती। विष अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत कीटनाशकों तथा कन्तक नाशकों के प्रयोग के विनियमन के लिए नियम बनाये गए हैं।

प्रशासनीय व्यय में मितव्ययिता

950. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने आय व्ययक प्रस्तुत करते समय आश्वासन दिया था कि इस वर्ष व्यय में अत्यधिक मितव्ययिता की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक व्यय में किस हद तक मितव्ययिता की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सदन को आश्वासन दिया गया था कि व्यय में, कार्य-दक्षता के अनुकूल अत्यधिक मितव्ययिता का लक्ष्य प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

(ख) संभावित मितव्ययिता का पता लाने के लिये इस मंत्रालय में बजट के बाद एक विशेष समीक्षा की गई थी जिसके कारण कुछ क्षेत्रों के लिये बजट में की गई व्यवस्था में कटौतियां की गई। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च में बचत करने के लिये कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में यात्रा भत्ता बजटों में 5 प्रतिशत की कटौती, कर्मचारियों के नियतक्रमिक स्थानान्तरणों का स्थगन, टेलीफोन सम्बन्धी व्यय में मितव्ययिता तथा वेतनमानों के संशोधन पर रोक जारी रखना शामिल है। कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा कर्मचारी-निर्धारण-अध्ययन का काम भी अधिक सूक्ष्मता से किया जा रहा है। किन्तु इन उपायों के कारण होने वाली मितव्ययिता सरकारी कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता मंजूर मिये जाने से बहुत हद तक प्रतिसन्तुलित हो जायगी। सम्पूर्ण स्थिति मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे 1967-68 के संशोधित अनुमानों में प्रतिलक्षित होगी।

दिल्ली में टाइप एक के क्वार्टर

959. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पंचकुई रोड, राजा बाजार, अलीगंज आदि में दो कमरों वाले टाइप एक के क्वार्टर किस आधार पर दिये जाते हैं ;

(ख) इन क्वार्टरों के पात्र व्यक्तियों की अन्तिम प्राथमिकता तिथि, जिस तक उन्हें क्वार्टर दिये गये हैं, क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक कमरे वाले क्वार्टर वालों को, उसकी प्राथमिकता के न होते हुए भी, बदल कर यह क्वार्टर भी दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) नई दिल्ली क्षेत्र में पंचकुइयां रोड, राजा बाजार, अलीगंज आदि में दो कमरे के टाइप 1 क्वार्टर सामान्यतः उन एक कमरे के आवंटियों को आवंटित किये जाते हैं जो कि दो कमरे के क्वार्टरों के वासके लिये बदली (चेन्ज) का आवेदन करते हैं। उस दशा में जब कि बदली-सूची (चेन्ज लिस्ट में कोई नाम शेष नहीं रहता तो दो कमरे वाले क्वार्टर सामान्य सूची के आधार पर कर्मचारियों को उनकी पारी के अनुसार आवंटित कर दिये जाते हैं। बदली (चेन्ज) के लिए वरिष्ठता उस तारीख से शुमार की जाती है जिस तारीख को संपदा निदेशालय में बदली का आवेदन प्राप्त होता है, न कि सामान्य प्रतीक्षा सूची में अग्रिमता की तारीख के आधार पर।

(ग) और (घ) कुछ मैडीकल तथा गंभीर मामलों में एक कमरे के क्वार्टरों से दो कमरे के क्वार्टर में बदली मंजूर की गयी है।

बिजली की दरें

960. **श्री कं० हाल्दर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दर शहरों की अपेक्षा लगभग दुगुनी है ;

(ख) क्या गांवों में घरेलू खपत के लिये बिजली की दरों को सरकार का विचार घटाने का हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग के लिये प्रशुल्क लगभग एक सा ही है । कुछ राज्यों के कुछ शहरों में ऐतिहासिक कारणों की वजह से घरेलू उपभोग पर प्रशुल्क ग्रामीण तथा अन्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ कम है । जहां पर अन्तर विद्यमान है, घरेलू उपभोग की दरों को शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये धीरे धीरे एक ही कर दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में पैट्रोलियम और रसायनों के लिये अनुसन्धान कार्य

961. **श्री कं० हाल्दर :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम और रसायनों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में विभिन्न भागों में अनुसंधान कार्य हो रहा है : और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों में अनुसंधान कार्य हो रहा है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, हां ।

(ख) इंडियन इंस्टीटयूट आफ टैक्नोलोजी खरगपुर के सहयोग से इंडियन इंस्टीटयूट आफ पैट्रोलियम भट्टियों में नेफथा को ईंधन के रूप में प्रयोग करने का अध्ययन कर रहा है ।

उर्वरक कारखाने

962. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन कुल कितना है और उर्वरकों की वास्तविक माँग कितनी है ;

(ख) क्या देश में और उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो ये कारखाने किन राज्यों में लगाये जायेंगे और किस आधार पर ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) सन् 1966-67 में उर्वरक का उत्पादन निम्नलिखित है :—

(I) नाइट्रोजनी उर्वरक : 308,000 मीट्रिक टन एन्

(II) फास्फेटिक् उर्वरक :　　144,893 मीट्रिक टन पी$_2$ ओ$_5$

1966-67 में उर्वरक की निम्नलिखित आवश्यकताएं थीं :—

(I) नाइट्रोजनी उर्वरक　　1,000,000 मीट्रिक टन एन्

(II) फास्फेटिक उर्वरक :　　370,000 मीट्रिक टन पी$_2$ओ$_5$

(ख) जी, हाँ ।

(ग) उर्वरक की स्थिति के निर्णय करने में कई बातें ध्यान में रखना पड़ती हैं जैसे कच्चे माल के स्रोत का निकट तथा प्राप्य होना, जमीन, पावर जल तथा उत्पाद के वितरण के लिए परिवहन की सुविधा का प्राप्य होना, और उर्वरक की आवश्यकता।

निम्न सारिणी में राज्यों के नाम, (उर्वरक की) स्थिति तथा इनकी स्थापना जिन मुख्य तथ्यों से प्रभावित हुई, दिये जाते हैं :—

(1) नामरूप (आसाम)	प्राकृतिक गैस की उपलब्धि
(2) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	जमीन की उपलब्धि, और मांग
(3) विशाखापटनम् (आन्ध्र प्रदेश)	कच्चे माल की उपलब्धि, परिवहन व पत्तन सुविधाएँ तथा मांग।
(4) एन्नोर (मद्रास) का विस्तार ..	मांग
(5) दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	धरती और परिवहन की उपलब्धि और माँग ।
(6) कोचीन (केरल)	माँग, धरती की उपलब्धि तथा परिवाहन सुविधाएँ ।
(7) मद्रास (मद्रास) ...	माँग और कच्चे माल की उपलब्धि।
(8) बरौनी (बिहार) ...	कच्चे माल की उपलब्धि ।
(9) नामरूप (आसाम) का विस्तार	प्राकृतिक गैस की उपलब्धि।
(10) ट्राम्बे विस्तार (महाराष्ट्र)	कच्चे माल की उपलब्धि ।
(11) कोटा (राजस्थान)	मांग, धरती व पावर की उपलब्धि।
(12) कानपुर (उत्तर प्रदेश) ...	मांग
(13) गोआ ...	मांग व पत्तन सुविधाएँ ।
(14) मंगलूर (मैसूर) ...	मांग तथा पत्तन सुविधाएं ।
(15) हल्दिया (पश्चिम बंगाल) ...	कच्चे माल की निकटता और पत्तन सुविधाएँ ।
(16) गुजरात विस्तार (गुजरात) बड़ोदा	मांग तथा कच्चे माल की निकटता ।
(17) काण्डला (गुजरात)	मांग और पत्तन सुविधाएं।

नर्मदा परियोजना

963. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या सिंचाई और बिजली मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा परियोजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्री किसी हल या समझौते पर पहुँचे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस परियोजना पर शीघ्रता से कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) 23 मई और 22 जून, 1967 को मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य मंत्रियों के बीच इस विषय पर बातचीत हुई थी । 26 अक्तूबर, 1967 को मध्य प्रदेश के सिंचाई और विद्युत मंत्री भी संघीय सिंचाई और विद्युत मंत्री से मिले थे । समस्या का हल ढूंढने के लिये शीघ्र ही सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक करने का विचार है ।

कथाकली दल द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

964. **श्री जनार्दनन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल कलामंडलम कथाकली दल द्वारा विदेशों में अभी हाल में किये गये यात्रा कार्यक्रम से कितनी शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : केरल कलामण्डलम कथाकली दल सरकार द्वारा मोंट्रियाल में एक्सपों 67 में भाग लेने के लिये भेजा गया था । यह एक सांस्कृतिक यात्रा थी बाद में उसने वाणिज्यिक आधार पर यूरोप और पश्चिम एशिया की यात्रा की । वह सितम्बर, 1967 के अन्त में भारत लाटा और पैरिस के इम्प्रेसेरियों से जिसने यात्रा का प्रबन्ध किया था दल का हिसाब निपटाना है । हिसाब निपटाने के पश्चात ही विदेशी मुद्रा के अर्जन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी ।

सरकारी कर्मचारियों को देय बकाया मंहगाई भत्ता

965. **श्री वासुदेवन नागर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी से नवम्बर 1967 तक केन्द्रीय कार्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की बकाया राशि कितनी है । और

(ख) सरकार का विचार इस राशि को कब तक केन्द्रीय कार्मचारियों में बांट देने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : मंहगाई भत्ते में वृद्धियों के कारण (जो केन्द्रीय कर्मचारियों को 1/2/1967 तथा 1/6/1967 से मंजूर की गयी थीं) 1/2/1967 से लेकर 31/8/1967 तक की अवधि के लिये देय बकाया रकम का अनुमान लगभग 24 करोड़ रुपये है । यह रकम कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा के रूप में रखी जायेगी तथा इसे वे अपनी मर्जी से अप्रैल 1968 में निकलवा सकते है ।

मंहगाई भत्ते में 1/9/1967 से मिलने वाली वृद्धियों कर्मचारियों,को हमेशा की तरह उनके मासिक वेतन के साथ पूर्णतः नकदी में देय हैं । सितम्बर से नवम्बर 1967 (दोनों मास सहित) की अवधि में सम्बन्ध में मंहगाई भत्ते में वृद्धियों के कारण देय रकमें अनुमानतः । 14.50 करोड़ रुपये के लगभग होगी ।

भवन निर्माण सहकारी समितियों को ऋण

967. **श्री लो०बो० प्रभु** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम ने मैसूर राज्य तथा अन्य राज्यों में भवन निर्माण सहकारी समितियों को ऋण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक

968. **श्री राणे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अननुसूचित तथा अनसूचित बैंकों की संख्या 1965 में 566 थी जो घट कर 109 रह गई है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) बैंकों की इस कमी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या 1951 के अन्त में 566 थी और यह 1965 के अन्त में घट कर 109 हो गई; वर्तमान संख्या 96 है।

(ख) सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई बैंकों के एकीकरण सम्बन्धी नीति के कारण ऐसा हुआ है।

(ग) इससे आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ बैंकों के विकास में सहायता मिली है और उनकी लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता बढ़ी है।

कोयना विद्युत् परियोजना

969. **श्री राणे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयना विद्युत परियोजना सम्पूर्ण रूप से कब तक पूरी होगी;

(ख) इसकी वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हैं और परियोजना के पूरा होने पर इसकी कुल विद्युत-उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ग) इस परियोजना पर कुल अनुमानित लगात क्या आयेगी और सितम्बर, 1967 तक इस परियोजना पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी गयी है और गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने कितनी राशि दी है; और

(ङ) परियोजना को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगीं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आशा है कि 1971-72 तक कोयना परियोजना के सभी चरण पूरे हो जायेंगे।

(ख) पूरा होने पर कुल अधिष्ठापित क्षमता 860 मेगावाट होगी। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 540 किलोवाट है।

(ग) कुल अनुमानित लागत 88.33 करोड़ रु० है । सितम्बर, 1967 के अन्त तक 56.87 करोड़ रु० व्यय किये गये हैं ।

(घ) और (ङ) कोयना परियोजना के पहले दो चरणों के लिये पैसा निर्धारित केन्द्रीय सहायता से दिया जा रहा है । इसपर अनुमानतः 56.44 करोड़ रु० व्यय होगा । परियोजना के तीसरे चरण का व्यय महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।

बैंकों द्वारा ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर

970. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का रक्षित बैंक $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज देता है जबकि वह ऋण लेने वालों से $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज लेता है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऋण लेने वालों को सस्ती दरों पर वित्त उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) इस समय बैंक दर 6 प्रतिशत है, यद्यपि रिजर्व बैंक विशेष कृषि प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को और निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों को बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ से 2 प्रतिशत तक कम दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध करता है । सबसे अन्त में ऋण लेने वाले व्यक्तियों से लिये जाने वाले ब्याज की दरें एक सी नहीं हैं, और ये विभिन्न स्रोतों से जुटाये जाने वाले साधनों के औसत खर्च, प्रतिष्ठान और पर्यवेक्षण सम्बन्धी व्यय की आवश्यक व्यवस्था तथा अन्य बातों जैसे ऋण लेने वाली पार्टी की साख, जमानत के रूप और ऋण की रकम तथा अवधि आदि पर निर्भर करती है । सामान्यतः वाणिज्यिक बैंक 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं ।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीति यह है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ब्याज की उचित दरों पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो । हाल ही में, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे इंजीनियरी और धातुओं के सामान के निर्यातकों को दिये जाने वाले पैकिंग ऋणों पर 6 प्रतिशत से अधिक और अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए दिये जाने वाले पैकिंग ऋणों पर 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें ।

शीर्ष तथा केन्द्रीय बैंक

971. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एपेक्स और सेण्ट्रल बैंकों ने अपने अस्तित्व को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिये अशोध्या ऋणों (बैड डेट) को चुका दिया है और जिम्मेदारी ग्रहण कर ली है ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि शीर्ष और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अशोध्या ऋण स्वयं चुका रहे हैं । किन्तु शीर्ष और केन्द्रीय बैंक अशोध्य ऋणों के भार को संभालने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करते हैं । इस बारे में उन 22 राज्य सहकारी बैंकों

और 360 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, 30 जून, 1965 को इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपयों में)

	अशोध्य और संदिग्ध ऋण (अनुमानित)	अशोध्य ऋणों के लिए प्रारक्षित निधि
राज्यीय सहकारी बैंक	2·21	2·63
केन्द्रीय सहकारी बैंक	3·97	5·74

आल इण्डिया इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा की गई जांच

972. **श्री रमेशचन्द्र व्यास :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने गत पांच वर्षों में कितनी बार जाँच की है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी बार जाँच कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया तथा इसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) 1962–63 से 1966–67 तक भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने कुल 1349 जांच कार्य किये हैं ।

(ख) इस अवधि में 246 जाँच कार्य छोड़ दिये गए । इनमें से 186 को परिषद् के विशेषज्ञ दल ने इसलिये छोड़ दिया कि इस में से कुछ का या तो निष्कर्ष निकल चुका था अथवा उनमें से कुछ में आगे लाभदायक सूचना प्राप्त होने की सम्भावना नहीं थी । 60 जाँच कार्य इस लिये भी छोड़ने पड़े क्योंकि सम्बद्ध अधिकारियों का या तो दूसरी जगह स्थानान्तरण हो गया था या वे शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रतिनियुक्ति पर विदेश चले गये थे । सहायक तकनी की कार्यकर्त्ता या आयात लाइसेंस इत्यादि नहीं मिलने के कारण भी कुछ कार्यों को छोड़ना पड़ा है ।

कैवल्यधाम एस० डब्ल्यू० वाई० एम० समिति लोनावाला, बम्बई को अनुदान

973. **श्री रमेशचन्द्र व्यास :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैवल्यधाम एस० डब्ल्यू० वाई० एम० समिति लोनावाला, बम्बई को अनुसन्धान कार्य करने के लिये वर्ष 1967-68 में कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) समिति को गत वर्ष कितनी सफलता मिली थी; और

(ग) उक्त अवधि में कितने रोगियों को ठीक किया गया था ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) कुछ नहीं ।

(ख) और (ग) गत वर्ष इस समिति को कोई अनुदान न दिये जाने के कारण उसकी उपलब्धियों अथवा उसके द्वारा उपचार किये गये रोगियों की संख्या के बारे में समिति से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का संवर्धन

974. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के संवर्धन के लिए और आगे क्या निर्णय किये गये हैं;

(ख) क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अनुसन्धान के लिए कुछ प्रबन्ध करने का विचार है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की उन्नति का कार्य एक निरन्तर चलता रहने वाला काम है और उसका विकास पहले से निर्धारित आधार पर हो रहा है ।

(ख) और (ग) लगभग पचास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर अनुसंधान कार्य हो रहा है ।

Reserve Bank's Loan to thc Punjab Government

975. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has recentty agreed to give a loan of Rs. 35 crores to the Punjab Government;

(b) whether it is also a fact that out of the above amount Rs. 23 crores would be spent on the distribution of fertilizers to the farmers;

(c) if so, whether any directive has been issued to the State Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai):

(a) No, but credit limits totalling Rs. 30·49 crores have been sanctioned to the Punjab State Cooperative Bank for the year 1967-68.

(b) A credit limit of Rs. 5 crores has been sanctioned to the Punjab State Cooperative Bank specifically for purchase and distribution of chemical fertilizers. However, short-term credit limits of Rs.20·24 crores have also been sanctioned for financing seasonal agricultural operations (which may include purchase of fertilisers) or marketing of crops.

(c) No.

(d) Does not arise.

भारत में अंधापन

976. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश व्यक्ति रोहों, चेचक, कुपोषण और चोट के कारण अंधे हो जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को अंधा होने से रोकने के लिये सरकार ने कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०श्री०चन्द्र-शेखर) :

(क) 1958-63 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन ट्रैकोमा नियंत्रण मार्ग-दर्शी परियोजना द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान संकलित आंकड़ों पर आधारित परिणामों के अनुसार देश में लगभग 45 लाख अन्धे व्यक्ति थे ।

(ख) जी हां । अन्धेपन के मुख्य कारण रोहे, चेचक, पोषणाभाव और आघात ही पाये गये । इनमें मोतिया बिन्दु सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह बीमारी इलाज से ठीक हो जाती है ।

(ग) खास अन्धेपन के नियंत्रण के लिए ही सरकार का कोई अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है । हां, ट्रैकोमा, चेचक और पोषकीय त्रुटियों के नियंत्रण के लिए अलबत्ता राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं । अन्धेपन की रोक-थाम के लिए बहुत सी स्वैच्छिक संस्थायें काम कर रही हैं जैसे राष्ट्रीय अन्धापन निवारण सोसाइटी और राष्ट्रीय आन्ध्र संघ ।

अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना

977. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा आयात किये हुए अमोनिया पर आधारित एक कारखाना गुजरात में लगाने की पेशकश को ध्यान में रखते हुए, उर्वरक बनाने के लिये, कच्चे माल-के आयात के बारे में नीति में परिवर्तन कर दिया गया है ;

(ख) आगामी दस वर्षों में नेफ्था के उपयोग और उपलब्धि सम्बन्धी अनुमानित आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) अरब क्षेत्रों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए फासफेट उर्वरक उद्योग के लिये राक फास्फेट को समय पर उपलब्धि के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं । टाटा से अभी तक कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) 1975-76 तक नेफ्था की सप्लाई और मांग के अनुमान लगाये जा रहे हैं । 1970-71 तक देश में नेफ्था का उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से बढ़ जायेगा, ऐसी आशा है ।

(ग) जी हां ।

विदेशों को यात्रा करने के लिये दी गई विदेशी मुद्रा

978. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने भारतीयों को विदेशों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है और ऐसे दौरों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ;

(ख) उनमें से कितनी महिलायें थीं तथा उनको कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ग) उनकी यात्रा के कारण क्या थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिये पिछले तीन वर्षों में दी गई कुल राशि इस प्रकार है :

1964	10.34 करोड़ रु०
1965	11.34 करोड़ रु०
1966	12.10 करोड़ रु०

यह जानकारी उबलब्ध नहीं है कि कितने व्यक्तियों को विदेश जाने के लिये विदेशी मुद्रा दी गई। यह जानकारी रिजर्व बैंक को अपने स्थानीय कार्यालयों के अधिकृत डीलरों आदि से प्राप्त करनी होगी ।

(ख) और (ग) महिलाओं की यात्रा के लिये कोई पृथक या विशेष नीति नहीं है। महिलाओं की यात्रा के बारे में पृथक जानकारी नहीं रखी जाती है। सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए इस जानकारी को इकट्ठा करना कोई लाभकर न होगा क्योंकि इसको प्राप्त करने में बहुत अधिक खर्च आयेगा ।

समाज कल्याण निधियों द्वारा उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई योजनाएं

979. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आँध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी और श्री काकुलम तथा विशाखपत्तनम के एजन्सी क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में सभी मौसमों में पानी रहता है ;

(ख) क्या उनके विभाग द्वारा बिजली से उठाऊ सिंचाई योजनाओं को चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के हेतु चालू वर्ष में अनुमानतः कितना धन दिया गया है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) इन क्षेत्रों में कुछ चिरस्थायी नदियाँ हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मूल रूप में सोना

980. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि 31 अगस्त 1967 के बाद कोई भी व्यक्ति मूल रूप में सोना नहीं रख सकता ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में मूल रूप में सोना सरकार के पास जमा किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कितना ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार द्वारा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है। भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1966 के नियम 9 में, इन नियमों के लागू होने की तारीख से लेकर छः महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, निजी तौर पर शुद्ध सोना रखने का निषेध करने का उपबन्ध है । उक्त नियम 8, 1-3-1967 से लागू हुआ ; तदनुसार लाइसेंस-प्राप्त परिशोधक व्यापारी, प्रमाणपत्र-प्राप्त स्वर्णकार अथवा लाइसेंस-प्राप्त परिशोधक को छोड़ कर 31-8-1967 के बाद कोई भी व्यक्ति न तो शुद्ध सोने का मालिक हो सकता है और न ही उसे अपने अधिकार, अभिरक्षा अथवा नियन्त्रण में रख सकता है ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Shops for Blinds

981. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government grants the facility of alloting shops, on priority basis, to the disabled and the blinds who want to earn their livelihood by doing some work ;

(b) if so, the number of such persons from whom applications were received during the last five years ;

(c) the number of persons out of them who were allotted shops or provided with means of earning their livelihood ; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor?

Thr Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) New Shopping Centres coming up in Government Colonies are primarily intended to provide a facility to the occupants of quarters in those colonies. If this facility is to be fruitful, shops should normally be allotted to such persons only as are already in the trade.

अफीम की तस्करी

982. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रसायन प्रक्रिया द्वारा 10 किलो अफीम से एक किलो मारफीन का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उससे बनी मारफीन के एक 'शाट' अथवा हीरोइन का मूल्य संयुक्त राज्य अमरीका में 5 से 10 डालर है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अफीम की तस्करी का व्यापार एक लाभदायक व्यापार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको समाप्त करने के लिये क्या कठोर कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) भारतीय अफीम में मारफीन की मात्रा 7 से 15 प्रतिशत के बीच रहती है परन्तु सामान्यतः यह लगभग 10 प्रतिशत रहती है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में मारफीन अथवा हीरोईन की एक खुराक के मूल्य के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अवैध बाज़ार में अफीम का मूल्य काफी ऊँचा होने से कुछ व्यक्तियों के अफीम का तस्कर व्यापार करने की कोशिश करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(घ) अवैध यातायात का निरोध करने वाली केन्द्रीय तथा राज्य-दोनों सरकारों की सभी प्रवर्तन एजेन्सियां, जैसे सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क पुलिस तथा नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी हमेशा सतर्क रहते हैं। यह सतर्कता देश के भीतरी भागों में तथा साथ ही बन्दरगाहों और सीमावर्ती स्थानों में भी बरती जाती है।

C. G. H. S. Dispensaries Across Jamuna in Delhi

983. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Dispensary under the Central Government Health Scheme has been provided for Government Servants residing in Gandhi Nagar and Geeta Colony across the Jamuna in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that mobile dispensary goes there for which patients have to stand for a long time ,

(c) if so, whether Government propose to open a dispensary there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) One static dispensary and a Mobile Van have been provided under the C. G. H. S. to cater to the medical needs of the Central Government employees residing in the following areas :

(i) New Salimpur bounded by G. T. Road and Mariginal Bund Area bounded by

G. T. Road Salimpur Inspection House Road taking off from G. T. Road upto Babarpur Bridge and the road leading to Naveen Shahdara upto its junction with G. T. Road including Basti Petrol Tanki and entire Baharpur village.

(ii) Kabul Nagar, Ram Nagar, Balbir Nagar upto the drain crossing Loni Road.

(iii) Residential areas situated along the G. T. Road between the drain referred to under (ii) above upto the crossing of G. T. Road with Shahdara Salimpur Light Railway Track as the Eastern most boundary.

(iv) Old Shahdara lying between G. T. Road and Pandav Road and areas known as Kailash Nagar, Gandhi Nagar, Jhil Khuranja, Geeta Colony, Radhey Puri, Krishan Nagar and Salimpur village.

(b) The Mobile Van caters to the needs of Gandhi Nagar, Krishan Nagar and Geeta Colony in view of the distance of these colonies from the static dispensary. All the patients are attended to by the Mobile Van within the scheduled time.

(c) No.

(d) According to the approved norm for opening a dispensary under the C. G. H. Scheme, one dispensary is opened for 2000 to 2500 Central Government servants. So far, the registered number of cards for Gandhi Nagar, Krishan Nagar and Geeta Colony is approximately 1700 which does not justify the opening of a separate dispensary under the C. G. H. S. for these areas.

R. K. Puram Khokha Association

984. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to allot shops to the Ramakrishnapuram Khokha Association ;

(b) whether it is also a fact that these shops are not being allotted to persons who are not members of this Association although they settled there prior to the members of the said Association ;

(c) if so, whether Government propose to allot shops to them also ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) No.

(b) to (d) Do not arise.

Power for Tube-Wells in Bihar

985. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of tube-wells sunk and the number of wells for which power connections were given by the Government of Bihar during the period from August, 1947 to March, 1967 ;

(b) the number of tube-wells sunk and the number of wells for which power connections were given by the Government of Bihar during the period from March, 1967 to September, 1967 ;

(c) whether the State Government have asked for any financial assistance from the Central Government with a view to speed up this work ; and

(d) if so, the amount asked for and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The total number of tube-wells (including open boring with strainers) up to

March, 1967, was 5,377. The number of wells for which power connections were given up to March. 1967, is 24,568. The number of power connections includes power connections given to pumpsets which are installed in other types of wells also.

(b) 1545 tubewells were sunk and power connections to 10,622 pumpset,tube wells were given.

(c) The State Government have asked for additional funds for the energisation of tubewells pumpsets,

(d) The Bihar State Electricity have Board requested for an additional allocation of Rs. 5.75 crores. The request is under consideration.

भारत सरकार के प्रेस कर्मचारियों के लिये वर्गीकरण समिति

986. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के वर्गीकरण सम्बन्धी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि समिति ने अपने प्रतिवेदन में ज्येष्ठ प्रूफ रीडरों के लिये नये वेतनक्रम की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो नये वेतन-क्रम क्या हैं और इसे कब से लागू किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं। सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने की तारीख भी विचाराधीन है।

आवास नियम

987. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रसाशन तथा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को सरकारी आवास के जनरल पूल से क्वार्टर देने के लिये संपदा निदेशालय नई दिल्ली के अधीन सामान्य क्वार्टरों के आवंटन के लिये पात्रता सम्बन्धी नियमों में समय-समय पर संशोधन किया गया है;

(ख) जनरल पूल से क्वार्टरों के आवंटन के लिए दिल्ली छावनी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसके लिए पात्र न समझने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन सरकारी संगठनों, संस्थापनों के नाम क्या हैं जिनके कर्मचारियों को आरम्भ में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन से वंचित किया गया था परन्तु बाद में उन क्वार्टरों के आवंटन के लिए पात्र हो गये थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली कैन्ट में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को सामान्यरूप में रिहायशी वास के आवंटन के प्रयोजन के लिए 'पात्र कार्यालय' घोषित नहीं किया गया है क्योंकि वे इस प्रयोजन के लिए निधारित आवेदन क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1616/67]

अर्ध-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के लिये आवास

988. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या **निर्माण, अवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नई दिल्ली में कौन-कौन से अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी अथवा राज्य सरकारों के संगठनों प्रतिष्ठानों के कर्मचारी इस समय सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली के नियन्त्रणाधीन सामान्य पूल में से सरकारी आवास में रह रहे हैं;

(ख) दिल्ली राज्य की सीमा से कौन-कौन से केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों कार्यालयों के कर्मचारियों को सम्पदा निदेशालय नई दिल्ली के नियन्त्रणाधीन सामान्य पूल में से रिहायशी आवास देने पर पाबन्दी है;

(ग) क्या सरकार इस कार्यवाही सम्बन्धी नियमों, विनियमों तथा अथवा आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(घ) सरकारी आवास की कुल कितनी इकाइयां इस समय ऐसे कर्मचारियों अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों को दी गई हैं ; और

(ङ) क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को सामान्य पूल से आवास देने सम्बन्धी नियमों की, अब तक संशोधित एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चण्डीगढ़ में सरकारी इमारतों का किराया

989. **श्री वाल्मीकि चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा प्रयोग की जा रही इमारतों का किराया निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार ने अब तक कितना किराया दिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) और (ख) : मामला अभी तक विचाराधीन है।

डाक्टरी के विद्यार्थियों को वजीफे

990. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7856 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 और 1967-68 में एम० बी० बी० एस० के कितने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये वजीफे दिये गये थे ;

(ख) उक्त विद्यार्थियों को कितना-कितना वजीफा दिया गया ;

(ग) क्या विद्यार्थियों को एक सी दर पर वजीफा दिया जाता है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या मनीपुर सरकार छात्रवृत्ति की दर तथा उनके देने सम्बन्धी शर्तों में राष्ट्रीय छात्र-वृत्ति योजना की पद्धति का अनुसरण करती है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो मनीपुर में इस योजना को किस तिथि से लागू किया गया है अथवा इसका विस्तार किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मुर्ति)

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स वेल्स फाइनेन्स कारपोरेशन, मोटर लैण्ड, नई दिल्ली

991. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स वेल्स फाइनेन्स, कारपोरेशन मोटर लैण्ड, जनरल फाइनैन्सियर एण्ड कालोनाइजर्स, 1 से 17, झंडेवालान, लिंक रोड, नई दिल्ली द्वारा भूमि की बिक्री में किये जाने वाले कदाचार का पता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो छोटे खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) कालोनाइजर्स की इस फर्म का कोई विशेष कदाचार सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था के लिये भूमि

992. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था ने राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र बनाने के लिये दिल्ली में भूमि के अलाटमेंट के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो संस्था को कितनी भूमि की आवश्यकता है तथा भूमि की मंजूरी देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिह):

(क) जी हां।

(ख) एसोसियेशन को सरकार ने यमुना के उस पार पटपड़गंज के निकट लगभग 10 एकड़ भूमि दी थी। 14 अक्तूबर, 1967 को 16 से 20 एकड़ तक भूमि की मांग आई थी, जिसका परीक्षा (जांच) की जा रही है।

गंडक परियोजना

993. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब तथा अवमूल्यन के फलस्वरूप इस परियोजना की क्रियान्विति सम्बन्धी लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गई है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित राज्य धन की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने की स्थिति में है ; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना की क्रियान्विति में कितना विलम्ब होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गंडक परियोजना की लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने का कारण भूमि, श्रम और सामग्री की लागत में वृद्धि होना और परियोजना के क्षेत्र का बढ़ना है। अवमूल्यन के कारण लागत में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जहाँ तक संभव होता है नियत सहायता के रूप में तथा राज्य योजना की राशियों में से निधियां दी जाती हैं।

भारत के उर्वरक निगम के अतिथिगृह

994. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक निगम का बम्बई में कोई अतिथि गृह है;

(ख) इस अतिथि गृह को बनाये रखने का क्या उद्देश्य है और इसका किराया कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों में बम्बई के अतिथि गृहों में जो व्यक्ति रहे हैं उन के नाम तथा पद नाम क्या है; और

(घ) वे व्यक्ति कितने-कितने समय तक इसमें रहे तथा कितना किराया वसूल किया गया है

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी हां, एक।

(ख) ट्राम्बे में उर्वरक कारखाने के दौरे पर आये हुये निगम के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को ठहराने के लिये। वर्तमान किराया 1200 रुपये प्रतिमास है।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1617/67]

मैसर्स कनारा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा कर अपवंचन

995. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनारा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा करापवंचन के बारे में असिस्टैंट डायरेक्टर आफ इन्स्पैक्शन (इन्टैलीजैंस) बम्बई को कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) क्या कम्पनी के परिसर में कोई छापा मारा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले थे ;

(घ) क्या कम्पनी द्वारा करापवंचन के बारे में जाँच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कोई छापा नहीं मारा गया था किन्तु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133क के अधीन इस कम्पनी के व्यापार स्थान का सर्वेक्षण किया गया था तथा बही-खातों और अन्य कागजातों पर पहचान-चिह्न अंकित किये गये थे। बाद में इन कागजातों को मंगवा कर इनकी जाँच की गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नये मेडिकल कालेजों के लिये धन

996. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बरेली और फैजाबाद डिवीजनों में दो मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये धन देने से इनकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) नये मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता एक निर्धारित ढांचे के अनुसार दी जाती है। कालेज कहाँ पर खोले जायेगे उसका निश्चय सम्बन्धित राज्य सरकार करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बरेली और फैजाबाद डिविजनों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए धन का नियतन करने से इनकार कर दिया है भारत सरकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एयर इण्डिया के विमान संचारण इंजीनियरों की हड़ताल

श्री श्रद्धाकर सुपाकर (सम्भलपुर) : मैं पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री का ध्यान

अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"एयर इण्डिया के विमान संधारण के इंजीनियरों की हड़ताल,"

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इसी विषय पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्थगन प्रस्ताव मुझे आज 10.40 पर मिला था। इसलिए मैं इस मामले में आपकी सहायता नहीं कर सकता।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एयर इंडिया मेंटिनेंस इंजीनियरों द्वारा जिनका कि "आल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन" प्रतिनिधित्व कर रहा है, 6 नवम्बर 1967 को की गयी अवैध हड़ताल के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है।

उक्त एसोसियेशन ने 7 अक्टूबर को एयर इंडिया के प्रबंधक-वर्ग को एक नोटिस दिया जिसमें यह धमकी दी गई थी कि यदि उनकी तीन मुख्य मांगें स्वीकर नहीं की गयीं तो वे 6 नवम्बर से हड़ताल प्रारंभ कर देंगे। ये मांगें निम्नलिखित थीं :—

(i) मौजूदा समझौते के अनुसार एयरक्राफ्ट मेन्टिनेंस इंजीनियरों के अलावा और किसी को विमानों के संधारण का निरीक्षण अथवा उसे प्रमाणित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए;

(ii) रोम में एयर इंडिया के कार्यालय में स्थानीय शर्तों पर एक इंजीनियर की नियुक्ति एक ऐसा करार-भंग था जिसमें इंजीनियरों के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक था, अतः उस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाना चाहिए; और

(iii) उक्त एसोसियेशन को एयर इंडिया में "तकनीकी अफसर" कहलाने वाले अधिकारियों के एक अन्य वर्ग का भी एकमात्र प्रतिनिधि माना जाना चाहिए।

केन्द्रीय श्रम आयुक्त, बम्बई ने इस मामले की जांच पड़ताल की तथा समझौते की कार्यवाही की जो नाकामयाब रही। उसने 26 अक्टूबर को सरकार को एक असफलता-रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 नवम्बर को मेरे माननीय सहकारी, श्रम तथा रोजगार मंत्री एसोसियेशन के चेयरमैन तथा सेक्रेटरी से मिले और उन्होंने उन्हें इस आधार पर हड़ताल को वापस लेने की सलाह दी कि सरकार झगड़े के पहले मसले को अनिवार्य अदालती फैसले के लिए भेज देगी। श्रम तथा रोजगार मंत्री ने उन्हें यह भी सूचित किया कि दूसरे मसले में कोई वजन नहीं था इसलिए वह अदालती फैसले के लिए भेजे जाने के काबिल नहीं था, और तीसरा मसला औद्योगिक विवाद का विषय नहीं बन सकता था। एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने यह चाहा कि इन तीनों मसलों में श्रम मंत्री द्वारा आरंभ की गई समझौते की बातचीत को और आगे बढ़ाया जायें। श्रम मंत्री इसके लिये सहमत हो गए तथा उन्होंने उनसे हड़ताल का नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि जब तक अगली बातचीत हो न जाय वे एयर इंडिया को वही स्थिति बनाए रखने के लिए परामर्श देंगे जो 3 नवम्बर, 1967 को थी। श्रम सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस

आशय का एक पत्र उन्हें उसी शाम को दे दिया गया। परन्तु एसोसियेशन ने हड़ताल की नोटिस वापस नहीं लिया और 5 नवम्बर की सुबह को सरकार के लिए विवाद के पहले मसले को अदालती फैसले के लिए भेज देना आवश्यक हो गया। एसोसियेशन के विवाद के मुख्य मसले को अदालती फैसले के लिए भेज दिए जाने के बावजूद, यूनियन ने 6 नवम्बर की शाम से हड़ताल शुरू कर दी।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जब पक्षों के बीच अदालती फैसले की कार्यवाही अभी चल रही हो तो किसी प्रकार की भी हड़ताल करना अवैध है। यह बड़े खेद का विषय है कि एक शिक्षित तथा ऊँचा वेतन पाने वाले तकनीशियनों के संघ ने इस अवैध मार्ग का अनुसरण करना पसन्द किया तथा देशी एवं विदेशी हजारों यात्रियों को असुविधा पहुंचाने के अतिरिक्त देश को कीमती विदेशी मुद्रा की हानि पहुंचाने के माध्यम से दबाव डालने का प्रयत्न किया। यह पहला ही अवसर नहीं है जबकि एयर कारपोरेशनों में नियुक्त दक्षता प्राप्त कारीगरों के एक समुदाय ने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है और सरकार, कानूनी व्यवस्था को भंग करने, तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार झगड़ों को शान्तिपूर्ण रीति से निपटाने के लिए निर्धारित क्रियाविधियों की अवहेलना की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विषय में अत्यन्त चिन्तित है। यही कारण था कि अगस्त के अन्त में श्रम मंत्रालय ने एयर कारपोरेशनों की सभी संस्थाओं और संघों को सूचित कर दिया था कि अवैध हड़तालों को सहन नहीं किया जायेगा और जो भी पक्ष इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे उन्हें अपनी कार्यवाही के परिणामों को भुगतनें के लिये तैयार रहना होगा। तदनुसार, सरकार ने हड़तालियों में से कुछ के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी है और इन पर अब बम्बई की एक अदालत में कार्यवाही हो रही है। एयर इंडिया ने भी उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विवाद का पहला मसला अदालती फैसले के लिये भेजा जा चुका है और इसलिये मेरे लिये इस झगड़े के औचित्य के बारे में कोई चर्चा करना उचित न होगा। तथापि मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि निरीक्षकों द्वारा मरम्मत के काम के निरीक्षण तथा प्रमाणित करने के लिये चालू की गई प्रणाली नागर विमानन के महानिदेशक के अनुमोदन से तैयार की गई थी और 1948 से इस उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। बहुत से उन्नत देशों की एयरलाइनों में भी ऐसी ही प्रणाली प्रचलित है और नागर विमानन के महा निदेशक ने एसोसियेशन के नाम 21 अक्टूबर, 1967 के अपने पत्र में वर्तमान व्यवस्था की पर्याप्तता पर बार बार बल दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि ऐसोसियेशन किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहता हो तो वे उसके लिये एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से मिलने के लिये प्रस्तुत हैं इससे साफ जाहिर है कि जिस व्यवस्था के बारे में एयरक्राफ्ट मेन्टिनैंस इंजीनियरों ने आपत्ति की है उसका सुरक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उसे केवल 'एकमात्र अधिकार' की दृष्टि से उठाया गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि तकनीशियनों ने मेन्टिनैंस इंजीनियरों की मांग का विरोध किया है। तकनीशियन यह नहीं चाहते कि निरीक्षण और प्रमाणित करने का समस्त कार्य एक-मात्र-मेन्टिनैंस इंजीनियरों के हाथ में रहे। अब यह एक ऐसा मामला है जिसका कि फैसला अदालत करेगी।

अन्त में मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि यह एक बड़े खेद का विषय है कि वे संघ और संस्थायें जिनके कि सदस्य ऊँचे वेतन पा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी की जगहों पर काम कर रहे हैं बड़ी तुच्छ बातों पर अवैध हड़तालें करने लगते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी तरह यह सदन भी आशा करता है कि इस देरी की स्थिति में भी ये लोग अपने रवैये की गलती को समझेंगे और अपने कार्यकलापों को सर्वथा कानून के अनुसार चलाते हुये इस हड़ताल को, जो कि इतनी ही गैर-कानूनी है जितनी कि राष्ट्रीय हितों के लिये घातक, बिना शर्त समाप्त कर देंगे।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : इन हड़तालों के बावजूद भी एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन का काम चालू रखने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं और न्यायनिर्णय समय पर क्यों नहीं कराया गया,

डा० कर्ण सिंह : मुझे आशा है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के संधारण इंजीनियर इस अवैध हड़ताल में नहीं शामिल होंगे, न्याय निर्णय के लिये मामला 5 तारीख को भेजा गया था और इस अवैध हड़ताल का कोई कारण नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : If the Government has to yield in this matter at a later stage, it will be better if they yield now and avoid the loss likely to be caused as a result of this strike. I would also like to know whether it is a fact that all the three issues were not referred to adjudication and only one matter was referred.

Dr. Karan Singh : I assure the Hon. Member that we will not yield on this question. Secondly, it is not possible to refer all the matter to adjudication.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABEL

अद्यौगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने संबंधी नीति के बारे में डा० आर० के० हजारी के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1569/67]

अखिल भारती, चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम

स्वस्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : श्रीमान्, मैं डा० चन्द्र शेखर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(i) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये** संख्या एल० टी० 1570/67]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1256 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 1571/67]

विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : श्रीमान, मैं लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, प्रत्येक के सामने दिखाये गये, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 3, 4 तथा 5	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 5	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 7	सोलहवाँ सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10	पन्द्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 14	चौदहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 14	तेरहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 17	पांचवां सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखियें संख्या एल० टी०** 1572/67]

आयात जोखिम (माल) तृतीय संशोधन, योजना, 1967 आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3588 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3589 में प्रकाशित हुई थी।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1573/67]

(3) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1947 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 5 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1170 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 1574/67]

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 7 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3218 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1575/67]

(5) वित्त अधिनियम, 1967 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी किये गये आय-कर (निर्यात लाभ का निर्धारण) (संख्या 2) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 19 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3408 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1576/67]

(6) बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनाँक 31 अगस्त, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (98) 166-फिन (ई) (आई) में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1577/67]

(7) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1462 की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) नियम, 1957 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1578/67]

(8) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280-वाई के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3419 की एक प्रति जो दिनांक 22 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1579/67]

(9) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) धन-कर (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1536 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) जी० एस० आर० 1592 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 6 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1536 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1580/67**]

(10) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1203 जो दिनांक 6 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1229 जो दिनांक 7 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1278 जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1279 जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1343 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर 1344 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 1385 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 1408 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) चालकवृन्द असबाब (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1424 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) जी० एस० आर० 1425 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1426 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी० एस० आर० 1540 जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) जी० एस० आर० 1578 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) जी० एस० आर० 1579 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1610 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1611 जो दिनकां, 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) जी० एस० आर० 1612 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 1613 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) एस० ओ० 3708 जो दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1581/67]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1293 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1174 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 52वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1345 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 51वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1406 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 53वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1407 में प्रकाशित हुए थे ।

(पाँच) जी० एस० आर० 1409 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1173 का शुद्धि-पत्र दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1582/67]

(12) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (21वां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1276 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (22 वाँ संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 30

सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1464 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1583/67]

भारतीय बिजली (संशोधन) नियम, 1967

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : श्रीमान्, मैं भारतीय बिजली अधिनियम 1910 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भारतीय बिजली (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखूंगा जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1254 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1571/67]

काफी (पांचवाँ संशोधन) नियम, 1967 तथा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत अधिकार।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत काफी (पांचवां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 14 अक्टबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1515 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1584/67]

(2) अग्रिम संविदा (विनिमयन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3961 की एक प्रति जो दिनांक 2 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1585/67]

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छठा, सातवां तथा दसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) डाक तथा तार लेखे के विषय में समिति के तैंतालीसवें तथा छियासठवें प्रतिवेदनों (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(2) राजस्व प्राप्तियों के विषय में समिति के चौवालीसवें तथा छियालिसवें प्रतिवेदनों (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवाँ प्रतिवेदन।

(3) प्रतिरक्षा सेवाओं सम्बन्धी लेखे के विषय में समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन

(तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दसवाँ प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय—कलकत्ता तथा हल्दिया पतन—के विषय में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सरसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का पंद्रहवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करूँगा ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं याचिका समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री दी० चं० शर्मा : मैं याचिका समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: PRIME MINISTER'S TOURS ABROAD

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मैं अपनी हाल ही की विदेश यात्राओं के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखती हूँ [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1586/67]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान् 20 नवम्बर, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद्-सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा ।

निम्न विधेयकों पर विचार तथा पारित किया जाना :

(2) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, 1967

(3) टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रैन्ट लेबर (निरसन) विधेयक, 1967

(4) न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1967

(5) खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर देश में खाद्य की स्थिति पर चर्चा।

(6) श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर हाल ही में काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा भारी संख्या में घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री मधु लिमये ने अनियत दिन वाला प्रस्ताव रक्खा था। उस पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस सभा में महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : We have not been intimated when the discussion on Kashmir will take place.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : साम्प्रदायिकता की परिभाषा पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : महाजन प्रतिवेदन के बारे में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये।

राज्यों के राज्यपालों के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION Re. GOVERNORS OF STATES—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये आरंभ में केवल 2 घंटे का समय निर्धारित था परन्तु उसे बढ़ा कर 4 घंटे कर दिया गया। अब इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा। श्री पी० राममूर्ति को चाहिये कि जल्दी ही अपना भाषण समाप्त कर लें।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय, पहले भी दो बार यहां राज्यपालों के अधिकारों पर चर्चा हो चुकी है और प्रत्येक बार यह देखा गया कि राज्यपालों ने कांग्रेस दल की सहायता की थी। यही बात पश्चिमी बंगाल में हुई। क्या भारत सरकार के विधि मंत्रालय के लिये यह उचित था कि उन्हें बताते कि क्या करना है ? क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार में विधि अधिकारी नहीं हैं ? यदि राज्यपाल को किसी कानूनी प्रश्न पर सलाह लेनी थी तो वहां के विधि अधिकारी से ले

सकते थे। ऐसा करने के स्थान पर उन्हें यहां से परामर्श दिया जाता है। इसका एक ही अर्थ है कि उनसे कहा जाता है कि आप एक विशेष रूप से कार्य करें।

हमें पता है कि जब यह राज्यपाल वहाँ गये तो इन्होंने वहाँ राज्य के पुलिस के मुख्य निरीक्षक तथा अन्य पुलिस अधिकरियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या करना चाहिये तथा क्या नहीं करना चाहिये। जब इस बात का भेद खुल गया तो कहा गया कि उन्हें तो केवल जल-पान के लिये बुलाया गया था। क्या उन राज्यों के राज्यपाल भी पुलिस अधिकारियों को जलपान के लिये बुलाते हैं जहाँ कांग्रेस दल का राज्य है? मुझे पता है कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल केन्द्रीय सरकार से मिलकर आरंभ से ही वहां की सरकार को समाप्त करने का षड़यन्त्र रच रहा था।

अब मैं श्री यशवन्तराय चव्हाण से कहूँगा कि उन्होंने 20 जुलाई 1967 को यहाँ बोलते हुए कहा था कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है तथा उसे केवल मुख्य मंत्री के परामर्श पर ही कार्य करना है चाहे राज्य में कांग्रेस दल का शासन है अथवा किसी गैर-कांग्रेसी दल का। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्य मंत्री अपने साथियों को वापिस लेने के लिये राज्यपाल को सभावसान की सलाह देते हैं तो इसमें क्या बुराई है? यह उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस दल का शासन था परन्तु पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को तो केवल संदेह ही हुआ है कि वहाँ की सरकार के साथ बहुमत नहीं है तथा विधान सभा की बैठक को हुए छः मास नहीं हुए। कांग्रेस दल ने वहाँ सरकार को समाप्त करने का प्रयास भी किया परन्तु असफल रहा। फिर क्या कारण है कि केवल राज्यपाल के मन में संदेह उत्पन्न होने से वहां सरकार को समाप्त कर दिया गया? मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा था कि वह विधान सभा की बैठक बुलाने को तैयार नहीं है। हम किसी भी विधायक को मंत्री बनाने का लोभ देकर अपने साथ नहीं मिलाते। हम तो केवल यह कह रहे थे कि कि जनता को फैसला करना होगा कि बहुमत किसके साथ है। हम चाहते थे कि जनता को बतायें कि उनके प्रतिनिधि किस प्रकार आचरण कर रहे हैं। हमारी अपील का उत्तर हमें यह मिला कि कलकत्ता में 5 तारीख को सब से बड़ा प्रदर्शन हुआ। श्री सेन कहते हैं कि वह भीड़ थी परन्तु हम उन्हें जनता कहते हैं।

संवैधानिक प्रश्न पर मेरे साथी श्री नाथपाई ने ठीक दलीलें दी हैं और मैं उसमें कुछ और अधिक जोड़ना नहीं चाहता।

वहां की स्थिति यह है कि एक लाख से भी अधिक व्यक्ति वहां नौकरी से निकाल दिये हैं। वहाँ की राज्य सरकार को इस बेरोजगारी से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटाना था। उसे निपटाने का एक तरीका तो यह था कि उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाता तथा उसके लिये पुलिस बल का भी प्रयोग करता। दूसरा तरीका यह था कि उन व्यक्तियों पर वह बोझ नहीं डाला जाता जिसे मालिकों ने उत्पन्न किया था। इस प्रकार यह प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न है। इसी लिए मेरा कहना यह है कि कांग्रेस तथा स्वतन्त्र दल के सदस्य एक ही प्रकार की बातें कहते हैं क्योंकि दोनों को टाटा और बिरला के हितों का अधिक ध्यान है। अन्त में इस बात का निर्णय जनता को ही करना है। हम अब वहाँ की जनता का निर्णय चाहते हैं जिसके लिये कांग्रेस तैयार नहीं है।

———

नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बि० प्र० मंडल एक निजी वक्तव्य देना चाहते हैं। परन्तु वह भाषण न करें केवल निजी स्पष्टीकरण ही करें।

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : Mr. Speaker, Hon. Shri Madhu Limaye yesterday stated that the Governor of Bihar is being replaced because he did not become a party to the formation of a Government there replacing the present Government.

I was elected a member of this house and nobody can become a minister ina state by requesting the Governor to do so. I wanted to take my seat in Parliament but I was helpless before my people who wanted me to serve there as a minister.

In Bihar, a new party has been formed called the Shoshist Dal and we have entered into a coalition alliance with the Congress party. If the 185 M. L. As. of Bihar elect me as their leader, I am not to be blamed for it. Shri Madhu Limaye was discarded by his own Bombay state and has taken shelter in Bihar. My state has not discarded me.

———

राज्यों के राज्यपालों के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION Re: GOVERNORS OF STATE—CONTD.

गृह मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : महोदय कल दोनों ओर के जो भाषण हुए वे बहुत अच्छे थे। परन्तु आज जो भाषण हुए उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

मूल रूप से राज्यपालों के कर्तव्य तथा संविधान पर चर्चा हो रही है और यह आरोप लगाया गया है। कि गत 20 वर्षों में कांग्रेस दल ने उन्हें अपने हितों के लिये प्रयोग किया है। इस संदर्भ में उन्होंने बिहार तथा बंगाल का उदाहरण भी दिया। कुछ गलत वक्तव्य भी दिये कि अयोग्य तथा चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। श्री प्रकाशा, श्री पट्टाभि सीतारमय्या, श्री हुकम सिंह तथा श्री अन्तश्यनम आयंगार के नाम भी लिये गये। वे सब कांग्रेस के थे तथा योग्य व्यक्ति थे। जब हम राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद के बारे में चर्चा करें तो हमें अपने विचारों को संयम से प्रकट करना चाहिये। गत आठ नौ मास में राष्ट्रपति को सात आठ व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करना पड़ा और उनमें से एक भी चुनाव में हारा हुआ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव में हार भी जाये तो उससे वह अयोग्य नहीं बन जाता। इसी लिये मैं ऐसे भाषणों पर एतराज करता हूँ।

बिहार तथा बंगाल के बारे में भी जिक्र किया। जब हम संविधान के बारे में बोलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिये कि अन्त में वह विचार ही तो है। विचार गलत भी हो सकने हैं तथा उनमें परिवर्तन भी हो सकता है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen hours of the clock.

[उपाध्याक्ष महोदय पीठासीन हुए
The Deputy Speaker in the Chair]

श्री यशवंतराव चव्हाण : श्री दांडेकर ने ठीक रूप से संवैधानिक स्थिति बताई और कहा कि मुख्य मंत्री से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में परामर्श तो लेना चाहिये परन्तु अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति का होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल इतने दिन अपने पद पर रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे परन्तु हमने एक प्रथा बना दी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्य मंत्री से परामर्श कर लिया जाये।

बिहार के मामले में भी हमने वहाँ के मुख्य मंत्री से इस संदर्भ में बात की थी और उन्होंने मुझसे श्री कानूनगो के बारे में कोई विरोध नहीं किया। हां, वह वर्तमान राज्यपाल के जारी रहने के लिये अवश्य थोड़ा समय मांगते रहे जो हमने उन्हें दिया। परन्तु जब अधिक समय हो गया तो मैंने उनसे कहा कि अब श्री कानूनगो की नियुक्ति की हम घोषणा करते हैं क्यों कि मैंने श्री महामाया प्रसाद को कहा था कि हम अब यह प्रथा स्थापित करना चाहते हैं कि किसी भी राज्यपाल को दो बार एक ही राज्य में राज्यपाल नहीं रहने देना चाहिये तथा किसी की अवधि वहां रहने में छः मास से अधिक नहीं बढ़ानी चाहिये। वैसे संविधान के अनुसार तो मुख्य मंत्री से परामर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री के बीच असहयोग का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसका अर्थ तो संविधान का पालन न करना माना जायेगा और जो ऐसा करना चाहते हैं उन्हें मैं अभी चेतावनी देना चाहता हूँ।

महोदय, यह सब मैंने बिहार के बारे में कहा है।

सभा में पश्चिमी बंगाल के बारे में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति तथा उसके संवैधानिक अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाये गये। मेरा विचार अब भी वही है जो मैं पहले व्यक्त कर चुका हूँ। हमने सदा कहा है कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिये। परन्तु कुछ मामलों में संविधान ने राज्यपाल को स्वविवेक का अधिकार दिया हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 163 (2) में दिया हुआ है। यह स्वविवेक का अधिकार कहां प्रयोग में लाना है यह तो परिस्थितियों पर निर्भर है।

जब मुख्य मंत्री की नियुक्ति होती है तो वहां किसी से परामर्श नहीं किया जाता। हां मंत्रियों को अवश्य मुख्य मंत्री के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है इसी प्रकार मुख्य मंत्री के हटाने में भी किसी से परामर्श नहीं लिया जाता। यह उस समय किया जाता है जब मुख्य मंत्री के साथ बहुमत न रहे।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राज्यपाल को विधान सभा बुलाने का कोई अधिकार नहीं तथा न ही उसे विधान सभा का सत्रावधान करने का अधिकार है। परन्तु वह मुख्य मंत्री को परामर्श दे

सकता है कि वह उचित समय में सभा का सत्र बुलाये । जो लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें बुराई क्या है ?

कई सदस्यों ने छः मास की अवधि का जिक्र किया । परन्तु क्या इसका यह अर्थ है कि कोई मुख्य मंत्री अल्पमत में रहते हुए भी छः मास तक शासन चलाता रहे। इसमें राज्यपाल के तानाशाही होने का प्रश्न ही कोई नहीं । उसे दूसरे व्यक्ति को मुख्य मंत्री नियुक्त करना होगा। मैं इसमें दलगत भावना से बात नहीं कर रहा हूँ । हमें इस मामले में देशभक्त होना चाहिए तथा राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिये ।

पिछली बार यह कहा गया कि यदि राज्यपाल श्री मिश्र को बर्खास्त नहीं करते हैं तो उसे महाभियोग करना चाहिये । अब उसी प्रकार की बात की जाती है तो कहा जाता है कि राज्यपाल तानाशाह बनाया जा रहा है । परन्तु राज्यपाल इन सारी बातों को खेल की तरह देखता न रहे। उसे कुछ करना चाहिये । कुछ समय पूर्व श्री अजोय मुखर्जी ने स्वयं हम से कहा कि वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही हैं । इसमें केन्द्रीय सरकार का कोई हाथ नहीं है । विरोधी दलों को चाहिये कि अपने साथियों को अनुशासन में रखें । इसका अर्थ यह नहीं कि यदि आप विधान सभा में बहुमत नहीं रख सकते तो आप यह मामला गली कूँचों में निपटायें ।

राज्यपाल को एक ही ध्यान सदा रखना है कि मुख्य मंत्री के साथ बहुमत है या नहीं। यह लोकतन्त्र के लिये मूलभूत है। जब श्री चन्द्र भानु गुप्त के साथ बहुमत नहीं रहा तो उसने तुरन्त त्यागपत्र दे दिया । परन्तु हरियाणा में क्या हुआ ? यह लोकतान्त्रिक नहीं है ।

मैंने स्वयं राज्यपालों के पिछले सम्मेलन में कहा था कि राज्यपालों को इस प्रकार के संवैधानिक झगड़ों से स्वयं निपटना होगा । इसका हल वे संविधान में ही खोजें ।

श्री लिमये ने अनुच्छेद 160 का उल्लेख किया । मेरे बिचार में उन्होंने उसे ठीक प्रकार से समझा नहीं । यहां मैं अपने विपक्ष के साथियों से यह कहूँगा कि वे इस समस्या का राजनीतिक हल तलाश करें । यह सब मैंने प्रस्ताव के बारे में कहा ।

मैं श्री नि० चं० चटर्जी का संशोधन भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि केन्द्रीय सरकार उन्हें निर्देश दे । मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूँ ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय मैं इस मामले को दो भागों में विभक्त करता हूँ ।

एक संवैधानिक और दूसरा राजनीतिक । इस समय मैं संवैधानिक मामले को लेता हूँ ।

श्री चव्हाण ने बड़ी चतुराई से कहा कि 'विभार' आखिर 'विचार' ही है। उन्होंने श्री ांडेकर के साथ अपनी आवाज मिलाई है । मैं यह मानता हूँ कि प्रत्येक को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है तथा मतभेद भी प्रकट किया जा सकता है । मेरा बिचार है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख हैं ।

संविधान सभा में श्री कामथ ने प्रश्न किया था कि यदि राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श को नहीं मानते है तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहे

हैं तथा क्या उन पर महाभियोग का आरोप लगेगा ? इसके उत्तर में श्री अम्बेदकर ने कहा कि "इसमें कोई संदेह नहीं है ।"

मेरे विचार में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ राज्यपाल की भी राष्ट्रपति जैसी ही स्थिति है ।

डा० राजेन्द्र प्रसाद इस प्रश्न पर बड़ा जोर देते रहे और 1960 में उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को मंत्रियों का परामर्श अवश्य ही मानना होगा । उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि उस समय मंत्रियो में इसके विरुद्ध बड़ी भावना थी और हम यहाँ संसद भवन में सुना करते थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलाना चाहिये । इस प्रकार के आरोप हमारे एक बड़े देश भक्त के विरुद्ध लगाये गये क्योंकि वह एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहे थे । श्री सेन ने कहा है कि ब्रिटेन की बातें यहाँ बिल्कुल लागू नहीं हो सकती ।

श्री दांडेकर को समझना चाहिये कि कुछ मामलों में राज्यपाल को स्वविवेक दिया हुआ है परन्तु ऐसे मामले बहुत कम हैं । श्री बसु ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कंडिका 9 तथा 18 के अन्तर्गत केवल आसाम के राज्यपाल को कुछ स्वविवेक के अधिकार हैं । बाकी कोई मामला ऐसा नहीं है जहां किसी अन्य राज्यपाल को यह अधिकार हो । यह एक नवीन पुस्तक है । श्री सीरवाई ने भी अपनी पुस्तक में कहा है कि राज्यपाल को स्वविवेक का अधिकार पालन करने के बहुत कम मामले हैं तथा वे तो स्पष्ट हैं । इतना कहने के बाद मैं यह कहूँगा कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख हैं । इसी प्रकार का मत सर्वोच्च न्यायालय का है ।

अब मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में क्या हुआ । वहाँ के बहुसंख्यक विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के पास गये और पेश हुए । परन्तु उनसे कहा गया कि आप अपनी बहुसंख्या का प्रमाण विधान सभा में ही प्रकट कर सकते हैं । परन्तु बंगाल में क्या हो रहा है ? क्या वहां के राज्यपाल को यह कहने का अधिकार था बिना विधान सभा की बैठक बुलाये कि मंत्रिमंडल का बहुमत समाप्त हो गया है ? फिर एक ही प्रश्न रह जाता है कि विधान सभा की बैठक बुलाई जाये ।

श्री चव्हाण ने श्री दांडेकर द्वारा इस विषय पर कही गई बातों का आश्रय लिया हैं परन्तु श्री दांडेकर के दल द्वारा उड़ीसा राज्य में चलाई जा रही सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि राज्यपाल को मंत्री द्वारा दिये गये परामर्श में इस प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । **(अन्तर्बाधायें)**

किसी भी सरकार के सम्बन्ध में निर्णय सभा भवन में किया जाना चाहिये न कि राष्ट्रपति भवन अथवा राज्यपाल भवन में । संबिधान में यह उपबन्ध है कि कोई व्यक्ति, जो विधान मण्डल का सदस्य न हो छः माह तक मंत्री रह सकता है । इसी प्रकार मुख्य मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं कि विधान सभा की बैठक छः मास से पहले बुलाये ।

श्री चव्हाण ने कहा था कि तुम भी किसी समय कांग्रेस में थे। हमें इस बात पर गर्व है कि हम एक समय कांग्रेस में थे परन्तु जब से हमने कांग्रेस छोड़ी है, तब से वह कांग्रेस समाप्त हो गई है। श्री चव्हाण ने श्री गाडगिल का भी उल्लेख किया है परन्तु उससे मेरी बात ही सिद्ध होती, श्री चव्हाण की नहीं। इससे मेरी यह दोनों बातें सिद्ध हो गई हैं कि जिन राजनीतिज्ञों को सत्तारुढ व्यक्ति नहीं चाहते, उन्हें राज्यपाल बना कर अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है और पराजित राजनीतिज्ञ राज्यपाल बना दिये जाते हैं।

श्री दांडेकर के बंगाल में व्यापारिक हित हैं परन्तु हमारा बंगाल में हित इस प्रकार का नहीं है। प्रजा समाजवादी दल के सदस्य श्री कुन्दू ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल मंत्रिमण्डल में रहते हुए कहा था कि मैं घेराव का विरोध करता हूँ। उन्होंने नक्सलबाड़ी के मामले की निन्दा संसद सदस्यों की कोठियों में बैठ कर नहीं बल्कि नक्सल बाड़ी जा कर की है। हमने सब से पहले यह कहा है कि राजनैतिक मतभेद राज्यपाल का आश्रय लेकर नहीं बल्कि जनता की स्वीकृति से हल किये जाने चाहिये। हम संविधान की किसी धारा का आश्रय लेकर नहीं बल्कि जनता की सम्मति से सरकार को उलटेंगे।

हमें यह कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के तत्व मिले हुए हैं। हम मानते हैं कि हमारा अस्तित्व भिन-भिन है। हम में मूल मतभेद हैं। हम उन्हें छुपाते नहीं हैं परन्तु कांग्रेस में तो राजनैतिक खिचड़ी बनी हुई है। उस में ऐसे लोग भी हैं जो प्रगतिवादी समाजवादी होने का दावा करते हैं और ऐसे भी है जिन्हें वे प्रतिक्रियावादी कहते हैं।

श्री चव्हाण ने कहा है कि बिहार में संवैधानिक संकट कैसे हो सकता है। मैं उन पर कृत्रिम संकट पैदा करने का आरोप लगाता हूँ। वहाँ पर एक व्यक्ति लादा जा रहा है जिसे वहाँ की सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। श्री चव्हाण ने कहा है कि "मुख्य मंत्री की मनमर्जी नहीं चल सकती"। यदि मुख्य मंत्री की इच्छा को मनमर्जी कह कर उसकी निन्दा की जाये तो क्या आपकी मर्जी को संविधान के अनुसार माना जायेगा। मेरे विचार में इस समय संविधान खतरे में है। मुख्य मंत्री को विधान सभा का सामना करने से बचने तो न दिया जाये परन्तु भारत सरकार को ऐसा राज्यपाल नहीं लादना चाहिये जिसे लोग नहीं चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे संकल्प को समर्थन मिलेगा।

अब मैं श्री मी० रू० मसानी का संशोधन मतदान के लिये रखता हूँ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव में,

"as examplified by Current developments in Bihar and West Bengal" ["जिसका उदाहरण बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में हाल ही की घटनाओं से मिलता है"] शब्द निकाल दिये जायें।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 27; विपक्ष में 248

Ayes 27, Noes 248

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नि० चं० चटर्जी का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment of Shri N. C. Chatterjee was put and negatived.

श्री बदरुदूजा (मुर्शिदाबाद) : मैं अपने संशोधन के प्रस्तुत न किये जाने पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा में मतदान लिये रखता हूँ प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही का निरनुमोदन करती है कि वह राज्यों के राज्यपाल-पद को संविधान के समुचित प्रवर्तन का माध्यम न बना कर उसका उपयोग केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में कर रही है, जिसका उदाहरण बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में हाल ही की घटनाओं से मिलता है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 97, विपक्ष में 199

Ayes 97, Noes 199

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTION

तेरहवां प्रतिवेदन

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए।
Shri G. S. Dhillon in the chair]

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I beg to move that this House agrees with the Thirteenth Report of the Committee on private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th November 1967.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 13वें प्रतिवेदन से जो 15 नवम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (Amendment) BILL, 1967
(Amendment ef Eighth Schedule)

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

डा० मैत्रयी बसु : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
आठवीं अनुसूची का (संशोधन)

CONSTITUTION (Amendment) BIILL, 1967
(Amendment ef Eighth Schedule)

श्री सेक्विरा (गोआ दमण तथा दीव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर सशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री सेक्विरा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1967
(धारा 2,3 आदि का प्रतिस्थापन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (Amendment) BILL, 1967
(Substitution of Sections 2, 3 etc.)

Shri Nitiraj Singh Chaudhury (Hoshanghbad) : I beg to move for leave to introdnce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952.

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : I oppose this Bill although the intention of the Member to introduce is good. He has thought of paying a consolidated pay to the Ministers instead of extravagent expenditure or perquisites and amenities with the passage of the Bill the Ministers will get four thousand and five thousand as salarias and all the extravagent expenditure will still contiuue. The need at present is to curb these perquisites. The increase in the salaries of the Ministers was not at all justified in the prevalent economic conditions in the country.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस विधेयक को पुरः स्थापित करने पर आग्रह न करें। एक ऐसे समय पर जब कि देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है मंत्रियों के वेतन में वृद्धि करने के लिये विधेयक लाना उचित नहीं है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhuri : The object of the Bill is not only to raise the salaries and allowances of Ministers but also to make them pay for the maintenance of their bungalows, electricity and water. It is proposed to save the exchequer from paying water, electricity and maintenance bills of the residences of Ministers. I would request the members who are opposing it, to give their opinion and suggest amendments to the Bills.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967
अनुच्छेद 291,362 आदि का हटाया जाना
CONSTITUTION (Amendment) Bill, 1967
(Omission of Articles 291, 362 etc.)

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक का पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri George Fernandes ; I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967
(अनुच्छेद 326 का संशोधन)
CONSTITUTION (Amendment) Bill, 1967
(Amendment of Article 326)

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri George Fernendes : I introduce the Bill.

समाचारपत्र (आयोजन तथा स्वतन्त्रता) विधेयक, 1967

PRESS (Planning and Freedom) BILL, 1967

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the planning and the freedom of the Press.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समाचार पत्रों संबंधी आयोजन एवं उनकी स्वतंत्रता के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Shiv Chandra Jha : I introduce the Bill.

उच्चतम न्यायालय (अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना) विधेयक, 1967

SUPREME COURT (CONFIRMENT OF ADDITIONAL POWERS) BILL, 1967

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move for leave to introduce a Bill to confer on the Supreme Court additional powers to issue certain writs.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय को कतिपय रिट जारी करने की अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(Omission of article 314)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967
(अनुच्छेद 100 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(Amendment of Article 100)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir. I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consttiution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967
(धारा 2,38 और 43 का संशोधन)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 1967

(Amendments Sections 2, 38 and 43)

Shri Nitiraj Singh Chaudhury (Hoshangabad) : I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the code of Civil Prodcedure, 1908.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Nitiraj Singh Chaudhury : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा) 7 और 33 का संशोधन और नयी धारा 11-ग का रखा जाना

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1967

(Amendment of Section 7 and 33 and insertion of new section 11 C.)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

लोकपाल बिधेयक, 1967

LOKPAL BILL, 1967

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय मामलों में प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए लोकपाल नामक एक प्राधिकारी की नियुक्त एवं उसके कृत्यों के लिए तथा सत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय मामलों में प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए लोकपाल नामक एक प्राधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कृत्यों के लिए तथा सत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्र० के० देव : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967

(नयी धारा 7 क और 7 ख का रखा जाना

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1967

(Insertion of new Sections 7 A and 7 B.)

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri O. P. Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 156 क का प्रतिस्थापन तथा नये अनुच्छेद 159 क का रखा जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967.

(Substitution of Article 156A and insertion of new Article 159 A)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्र० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 164 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL. 1967

(Amendment of Article 164)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्र० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

गन्ना (संशोधन) विधेयक, 1967

SUGAR-CANE (Amendment) BILL, 1967

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Sugar-cane Act, 1934.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि गन्ना अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेतक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

हानिकारक पौधे नष्ट करना विधेयक, 1967

WEEDING OF HARMFUL PLANTS BILL, 1967.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for weeding of harmful plants throughout the country with a view to protect agricultural crops.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं "कि कृषि फसल के सांरक्षण की दृष्टि से देश भर में हानिकारक पौधे नष्ट करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

कम्पोस्ट विधेयक, 1967

COMPOST BILL, 1967

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for preparation of compost.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि कम्पोस्ट तैयार करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

कृषक ऋण (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 4 का संशोधन)

AGRICULTURISTS, LOANS (AMENDMENT) BILL 1967

(Amendment of Section 4)

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Agriculturists' Loans Act, 1884.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि कृषक ऋण अधिनियम, 1884 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

सविधान (सशोधन) विधेयक, 1967

अनुच्छेद 59, 66 आदि का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967.

(Amendment of Articles 59, 66 etc.)

श्री स० चं० समान्त (तामलुक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है 'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 1967

(धारा 309 का हटाया जाना)

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL 1967

(Omission of Section 309.)

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दन्ड संहिता 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दन्ड संहिता 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

समवन्य (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL--CONTD.

धारा 263 क, 324 आदि का स्थापनापन्न

सभापति.: अब सभा श्री मधु लिमये द्वारा 4 अगस्त 1967 को पुरस्थापित किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि समवाय अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chairman, this is a very important Bill. It has two parts. One part of it deals with the objection to the giving of Contribution by companies to the political parties. It wants to remove that section from the Companies Act.

In the second part of the Bill we want the Managing agency system to go atonce.

Both the above suggestions are very important. Regarding the first suggestion that Companies should not give contribution to political parties, I have to state that the three Judges of the Bombay High Court, Shri M. C. Chagla, Shri Gajendragadkar and Shri Vyas criticised this practice. They gave the example of TLSCO where in the managment had advocated that Congress Party should be given contribution as its continuance in power would be good for the Company.

In answer to a question, it was stated in Parliament that between August 1962 and March 1966 the Companies had given a total sum of Rs. 126 Lakh to political parties as contribution, out of which Congress Party alone got Rs. 109 Lakh. Next comes the Swatantra Party. The Congress party claims and suggests that they want to end Privy purses and will nationalise Banks but they are not doing any of these things as they do not want to do anything against big business because they are getting huge sums as contribution from them for their party funds. It is how proved that the big business played a notable part during the last general elections. It is also proved that the big business even supported the candidature of Smt. Indira Gandhi in her election to Prime Ministership. It is very costly these days to contest to Parliament for the people who are not rich enough. Even a modest election was once described as the one in which only Rs. 1.50 lakh was spent whereras the maximum limit is Rs. 25,000. Even the Indian Labour Commission has suggested that in the light of these contributions there would be no such thing as free voting.

Regarding the abolition of the Managing Agency System I would say that the protagonists of it say that if this is abolished it would retard the industrial growth in India. I may say in this connection that the Joint Select Committee of Parliament recommended the abolition of it. I may also add that during the last two years about 1365 Companies have been formed and only 6 of them adopted the system of Managing Agents. This shows that companies can do without it. I advocate its abolition on the ground that its continuance is coming in the way of moderinzation of our industries. We are not in a position to compete with other countries in our industrial trade because of the continuance of this system. If this is abolished a new class of professional people will come up who will look after the business in a better manner than the one who are there because of their money.

If you accept my suggestion as given in the Bill, the system of Managing Agents would end by 31st March, 1968. With these words I move my motion.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, I support the Bill brought forword by Hon. Shri Madhu Limaye. I do not agree with all that he stated about the election of our Prime Minister. I think Shrimati Indira Gandhi is even more progressive than her father, Congress party will also implement its 10- point for programme:

The big business is controlling every aspect of our life. They are in journalism in the Government and in the Legislatures too and are intending to overpower even judiciary.

There should be ban on the contribution which the big business makes to political parties. These people give money to all political parties according to the political influence of these parties so that whichever party comes into power, these people may enjoy their patronage. I may therefore be in favour of the ban on contribution to political parties.

There is substance in what Shri Madhu Limaye has said and we should accept his Bill. Mr. Chairman, we want the 50 crore people of this country to be rulers and not any particular group. I again support the Bill of Shri Madhu Limaye.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, I fully support the Bill and the two sections which he has advocated for substitution.

We have to decide whether the ordinary people of India are to become the rulers of India or only a section of the big people will rule over us.

I saw just now Shri Randhir Singh from the Congress side was supporting the Bill. I am not happy about it because I know that the Congressmen have two standards one for showing sympathy for the common causes and the other in which they do nothing about the common causes. They would advocate nationalisation of general insurance and banks but in fact while they go on advocating this, they will not do any of these things.

In the history of the world, Congress is the only party which has brought about this suers in the nation.

Shri Limaye presented some figures to show that Congress party was the greatest beneficiary of the funds given by the Companies to political parties. It is not that they love Congress more than other parties. It is because they want to get permits and quotas in return for the money which they give to these parties. They want to control the politics and the policies.

The Hazari Report has squarely condemned this aspect of the big business. Even the Santhanam Committee stated that companies in India should not be allowed to participate in politics through their donations.

It is stated that someone told Shri Morarji Desai that he could become the Prime Minister of India if he could spend Rs. 2 crore. This is a sad conmmentary on the political affairs of this nation. If the people in India lose faith in ballot, they would lose faith in politics and then they would turn to Shri Ramamurthy.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

I want that Government should make a probe into the affairs of big business as to how many sons and relatives of ministers are employed there. They should try to find out as to how many ministers have vested interest.

I am also in favour of the abolition of the system of Managing Agency. That should be replaced by a better system.

The big business is dodging the taxation in the name of funds for entertainment and publicity.

I would also ask the Government to improve its tax structure as it does not encourage people to work hard.

I hope the Bill of Shri Madhu Limaye will be passed unanimously and the minister will not remain content with paying lip service to it.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Mr. Deputy-speaker, I fully support the Bill of Shri Madhu Limaye.

I know that the Managing Agency system was introduced by the Britishers and in the initial stages it did some good also to the nation.

But later on there came degeneration in it and now the Managing Agents are making money at the cost of the share holders. They are looking after themselves only and not the Company. They have centralised the power. The centralisation of wealth in this country in the hands of a few people is attributable to the Managing Agency System.

We do not find it on that scale even in America. The Universal Fruits is a big Company in U. S. A. but they are content with the business of fruits, its juices and packing for it. Wherever we find in India that Birlas are manufacturers of textiles, motors, cycles utensils, pencils and even lipsticks.

It is stated that there would be loss of managerial skill if the Managing Agency system is abolished in India. But I want to say that many budding scientists, technicians and managers have been virtually crushed in their enthusiasm because of this system. It is not in the interest of the nation.

Swatantra Party talks of inefficiency and nepotism in the public secter but I say that you will find it in greater degree in the private sector.

The private sector and its managing agents are the most corrupt people in India and they are bent upon corrupting the democratic end political atmosphere of this country. Hence it is necessary to put an end to the system of Managing Agents and the system which breeds the political corruption.

The then Financc Minister, Shri C.D. Deshmukh promised in this House to put an end to the Managing Agency system. Even the committee of Dr. I. G. Patel recommended that this system should immediately end in 1965 in respect of textile sugar and cement industries and stated that in jute and paper industries it may be finished later on. The Government had decided to end this system immediately even in jute and paper industries as the government felt that if this step is taken there would be no mismanagement in there two industries.

The Monopolies Inquiry Commission had felt that this system was instrumental in concentration of power in the hands of a few family groups. Dr. Hazari called this system as irrational. I would therefore say that this system of Managing Agency should end.

I would support Shri Madhu Limaye when he stated that this big business and big money is currupting the politics of this country as they are helping condidatures in their elections. The money obtained as a result of de-control of cement was used for buying candidates. Shri G. D. Somani who is playing a notable part in this respect should be put behind the bars.

श्री रा० की० अमीन (ढ़ढंका) : जो विधेयक श्री मधु लिमये ने पेश किया है उसमें कहा है कि राजनीतिक दलों को चन्दा नहीं दिया जाना चाहिये। मैं भी इसी मत का हूँ परन्तु मेरे ऐसा करने में उन से कुछ भिन्नता है। जो सदस्य कांग्रेस की ओर से बोले हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यदि वे वास्तव में इसका विरोध करते हैं तो उन्हें सदन के इस ओर आकर बैठना चाहिये।

मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्तियों को अलग-अलग कर देना चाहिये अन्यथा जन साधारण के साथ अन्याय होता रहेगा। यदि ऐसा कर दिया तो एक शक्ति दूसरी शक्ति को रोक थाम करती रहेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन यहां लोक सभा में केवल

धनी लोग ही आ सकेंगे। यदि आप उसे रोकना चाहते हैं तो एक तो राजनीतिक दलों को चन्दा देना वर्जित करो और दूसरे चुनाव की पद्धति में सुधार करो ताकि संसद में जनता के सच्चे प्रतिनिधि ही आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यदि सभा अनुमति दे तो श्री कामेश्वर सिंह अपना विधेयक पुरास्थापित कर सकते हैं। क्योंकि वे पहिले अनुपस्थित थे।

द्विविवाह निषेध विधेयक, 1967

PROHIBITION OF BIGAMOUS MARRIAGES BILL, 1967

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Mr. Deputy Speaker, Sir. I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to prohibit bigamous marriages in India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्विविवाह निषेध विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Kameshwar Singh : I introduce the Bill.

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 5 का संशोधन)

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 1967

(Amendment of Section 5)

Shri Kameshwar Singh : Mr. Deputy Speaker, I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करनेवाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की सामायिक चिकित्सा परीक्षा) विधेयक 1967

HELTH (PERIODICEL MEDICAL-CHECK-UP OF PRESIDENT AND PRIME MINISTER OF INDIA) BILL 1967

Shri Kameshwar Singh : I introduce the Bill.

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में सामयिक चिकित्सा परीक्षा के लिये तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पेश हुआ :

"कि भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में सामायिक चिकित्सा परीक्षा के लिये तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार आपको मुझे लिख कर नोटिस देना चाहिये था। इसलिये अब आप विरोध नहीं कर सकते।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री अ० कु० किस्कु: मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

उडीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल में आये भारी तूफान के फलस्वरूप उत्पन्न हुई भीषण स्थिति के बारे में चर्चा

Discussion Re : **Serious Situation resulting from recent cyclone in coasted areas of Orrisa.**

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह दुःख का विषय है कि इस मामले की चर्चा भी एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा उठाई जा रही है। हम तो सोचते थे कि सरकार स्वयं इस प्रकार की चर्चा आरम्भ करेगी तथा इस कठिन समस्या का निवारण करेगी।

9 अक्तूबर को एक बड़े तूफान के कारण उड़ीसा में 700 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई परन्तु मेरे विचार में 1000 के लगभग व्यक्ति मरे और पशुओं की संख्या का तो पता ही नहीं है तथा 12,000 मकान गिर गये और गांव के गांव नष्ट हो गये हैं। लगभग 2000 स्कूल समाप्त हो गये हैं। इतनी हानि होने के बाद भी दिल्ली की सरकार इस दिशा में उदासीन है। उड़ीसा से बाहर तो लोंगों को पता भी नहीं है कि वहां ऐसी हानि हुई है। श्री सत्य नारायण सिंह जोकि केन्द्रीय मन्त्री हैं वहां एक मास के पश्चात गये परन्तु एक मास पश्चात भी उन्हें दिखाई दिया कि कितनी क्षति वहां हुई है। इसकी तुलना बिहार के 1934 के भूकम्प से की जा सकती है। दिल्ली में तो ऐसा भी नहीं प्रतीत होता कि उड़ीसा भारत का एक भाग भी है। उड़ीसा सरकार के पास एक पैसा भी नहीं है कि इस कार्य पर व्यय करे क्योंकि कांग्रेस के 20 वर्ष के राज्य ने वहां की स्थिति ही ऐसी कर दी है। मैं उपप्रधान मन्त्री से भी मिला और उन्होंने सहायता का विश्वास दिलाया परन्तु हुआ कुछ भी नही है। प्रधान मन्त्री स्वंय वहां का दौरा रद्द कर के रूस चली गई।

प्रश्न तो लगभग 10 लाख व्यक्तियों के पुनः बसाव का है। वहां रहने के लिए कोई मकान नहीं है। उनके ग्राम बिल्कुल नष्ट हो गये हैं। वह क्षेत्र जहां यह तूफान आये हैं वे ऐसे स्थान पर हैं कि वहां पहुंचना कठिन है ऐसा दिखाई देता है कि अधिक लोग भूखे मरेगे क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत तो फसल नष्ट हो गई है। इस तवाही की तुलना हीरोशिमा तथा नागासाकी की तबाही से की जा सकती है।

उन गांवों तथा वहां के स्कूलों को फिर निर्माण करना है। इस कार्य पर लगभग 20 से 25 करोड़ रु० व्यय होगा और केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि यह राशि दे क्योंकि प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मन्त्री इस समय सदन में उपस्थित हैं, इसलिये मैं आशा करता हूँ कि वह कुछ आश्वासन देंगे तथा उसे पूरा करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रहीं (भुवनेश्वर) :

मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के समय प्रधान मन्त्री तथा उपप्रधान मन्त्री सदन में उपस्थित हैं। जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा इस तूफान के कारण 10 लाख लोग बेघर हो गये हैं। श्री राधा नाथ, विधान सभा सदस्य ने वहां का दौरा कर के कहा कि लगभग 50,000 पशु मर गये हैं तथा राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। कुल मिला कर 15,000 वर्ग मील पर इसका प्रभाव पड़ा है।

श्री सत्य नारायण सिंह ने वहां का दौरा किया और इस तूफान की तुलना 1934 के बिहार के भूकम्प से की। यह राष्ट्र के लिये बहुत बड़ा संकट है।

कोई सरकारी इमारत दूर भाष तथा डाकघर इसकी तबाही से नहीं बचा। वहाँ की सरकार ने लगभग 3 करोड़ रु० व्यय किया है।

इस सहायता के लिये कोई केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिये। मैं तो कहूँगा कि एक सर्व-दलीय संसद दल वहाँ का दौरा करने जाये।

इन समस्याओं के होते हुए मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री तथा उप प्रधानमंत्री जो भी हो सकेगा सहायता करेंगे। 1965-66 से लेकर अब तक वहां कुल 135 करोड़ रु० की हानि हुई है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 35 करोड़ रु० मंजूर किया जाये तथा 10 लाख व्यक्तियों को काम दिया जाये। मैं पुंनः प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मन्त्री से वहां तुरन्त सहायता देने का अनुरोध करूंगा।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल): 9 अक्तूबर को उड़ीसा में पुरी, कटक और बालासोर जिलों में जो एक विनाशकारी तूफान आया था, सरकार को उसकी जानकारी अवश्य होगी। इस तूफान से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुँचा था। वहाँ का संचार साधन ठप्प हो गया था और वहाँ अब तार का एक खम्भा तक खड़ा नहीं रह गया है।

उड़ीसा राज्य के कटक स्थित मौसम विभाग का कार्य देखकर मुझे और भी दुःख हुआ है। इतना तो भूगोल का एक साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि दो वर्ष निरन्तर सूखा पड़ने के बाद वहाँ पर अधिक वर्षा होना स्वाभाविक है जिस के फलस्वरूप वहाँ पर बाढ़ भी आई और तूफान भी आया। परन्तु मौसम विभाग ने आने वाले तूफान की सूचना तब दी जब वह पारादीप चांदबाली तथा अन्य क्षेत्रों में पहुंच गया था। इस तूफान में 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, 10 लाख से अधिक लोग इस तूफान से पीड़ित हैं और उड़ीसा सरकार को उन्हें राहत देने तथा उनके पुनर्वास की तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु इस छोटे-से राज्य के संसाधन सीमित हैं। सूखा, बाढ़ तथा तूफान का प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था की कमर टूट गई है। ऐसी स्थिति में उड़ीसा सरकार इन विपत्तियों से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को राहत देने में

असमर्थ है। ऐसी स्थिति के कारण वहाँ की सरकार योजना के कार्यक्रम को पूरा करने में भी भारी कठिनाई अनुभव कर रही है। इसलिये सरकार को इस बात को समझना चाहिये कि अस्थायी सहायता कार्य से इस समस्या का अन्तिम समाधान नहीं होगा बल्कि कोई स्थायी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे इस प्रकार की स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।

केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में केन्द्रीय योजनायें चालू करनी चाहिये जिससे वहाँ की जनता को राहत भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा और उनके पुनर्वास कार्य में भी सहायता मिलेगी।

यदि पारादीप से कटक तक की रेलवे लाइन पूरी की जाय तो उससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जायेगा जिससे वहाँ के अत्यधिक पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी। इससे पारादीप को रुरकेला और किरीबुरु के खनिज बाहुल्य क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे उड़ीसा को विशेषकर तथा शेष समस्त भारत को भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूँ कि क्या मौसम विभाग के कार्य संचालन में कोई सुधार हो सकता है या नहीं। इस प्रकार की विनाशकारी घटनाओं की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस घटना के बाद ही लोगों को मौसम विभाग से सूचना मिली थी कि इस प्रकार की घटना हुई है। इस तूफान के कारण सभी संचार साधन ठप्प हो गये थे, इसलिये कुछ दिन तक हानि का अनुमान नहीं लग सका। इस तूफान के बाद मौसम विभाग ने रेडियों के माध्यम से सूचना दी कि एक और विनाशकारी तूफान आने वाला है परन्तु वह सूचना गलत सिद्ध हुई। इसलिये मौसम विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।

उड़ीसा में गैर-सरकारी संगठनों ने कटक तथा अन्य स्थानों पर राहत कार्यों में सर्वप्रथम सहायता दी है। उड़ीसा सरकार ने हमें बताया है कि वहाँ 327 लोगों तथा 10249 पशुओं की मृत्यु हुई है। 99 हाई स्कूल, 304 मिडल स्कूल और 1493 प्राथमिक स्कूलों को क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त 1,39,452 मकानों को क्षति पहुँची है।

जब कि गैर सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिये सहायता दी है, तो केन्द्रीय सरकार को भी इस कार्य में सहायता करनी चाहिये। राज्य सरकार ने शायद एक प्रतिवेदन तैयार करके भारत सरकार को भेजा है जिसमें विभिन्न राहत कार्यों के लिये सहायता माँगी गई है। कटक से पारादीप तक की रेलवे लाइन शीघ्र बनाई जानी चाहिये। इससे वहाँ के तूफान से पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी।

Shri Rabi Ray (Puri) : There has been heavy loss of life and property as a result of present cyclone in Orissa was first hit by a cyclone and flood as early as in 1955. But this time many people have died and thousands have been rendered homeless. Atleast our Prime Minister should have visited the cyclone hit areas. She could go to Russia but she has not paid a visit to backward areas of Orissa, though she promised to do so.

Orissa is a backward State and small amount of assistance would not matter much. The per capita income of the inhabitants of this area is 3 annas perday. The main problem is that of rehabilitation of 10 lakh people. The State Government and the Central Govern-

ment should chalk out joint rehabilitation scheme for the rehabilitation of the people living in Balasour, Cuttack and Puri districts and Mareechpur village.

When Orissa was hit by floods in 1955, there was Congress Government in Orissa and rice was dropped in the flood affected areas by helicopters. But as this time it was a non-congress Government, helicopters have not been used and people in those areas could not get food for 8 days.

So much so the Ministry of Information and broadcasting could not produce a documenrary film on the cyclone hit areas of Orista. A railway line from Paradeep to Cuttack should be laid immediately. Government should also pay their attention to the seheme of connecting Cuttack with Paradeep and Talchar with Rourkela.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 9 अक्तूबर को उड़ीसा राज्य के 1200 वर्ग मील में भयानक तूफान आया था। परन्तु यह कहना उचित नहीं कि केन्द्रीय सरकार बड़ी उदासीन रही है या हम उड़ीसा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते । मैंने श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी को आश्वासन दिया था कि आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जायेगी। सरकार ने तूफानग्रस्त क्षेत्र में स्थिति का अध्ययन करने के लिये दो अधिकारियों को तत्काल भेजा था । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। जब यह अधिकारी वहाँ पर पहुंचे तो वे राज्य सरकार के अधिकारियों तथा मंत्रियों से मिले हैं और उनके साथ सब पहलुओं पर विचार किया हैं। उड़ीसा सरकार ने 2.30 करोड़ रुपये की सहायता माँगी है। जो अधिकारी वहा गये थे उन्होंने 1.75 करोड़ रुपये की सहायता के लिए कहा है । हमने पहले ही इस कार्य के लिये 50 लाख रुपये की अनुमति दे दी हैं। जहाँ तक तूफान ग्रस्त लोगों को 20, या 40 रुपये देने का सम्बन्ध है वह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है केन्द्र सरकार ने नहीं। यदि राज्य सरकार मकान बनाने के लिये ऋण माँगती है तो हम अवश्य देंगे परन्तु अन्त में उसे वापिस तो उन्हें करना ही पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ी) : मैंने इस सम्बन्ध में वहाँ के मुख्य मंत्री से बात की थी और मैंने उन से कहा था कि थोड़ी धन राशि देने के बजाय उन्हें कुछ न देना अच्छा है। उन्होंने कहा कि यह धन राशि भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार है।

श्री मोरारजी देसाई : कम हानि के लिये 20 या 40 रुपये थे। वहां के मकान छप्पर के थे और इसलिए उन पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। नये मकान के लिये 200 रुपये थे। यह ठीक है कि हानि बहुत अधिक हुई है। परन्तु जब ऐसी घटना होती है तो हर स्थान पर पूरी-पूरी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। यदि राज्य सरकार मकान बनाने के लिये ऋण देना चाहती है तो वह 1500 से 3000 रुपये तक दी जा सकती है परन्तु प्रतिभूमि के बारे में उन्हें स्वयं निर्णय करना होगा क्योंकि हमें अन्त में राज्य सरकार से धन वापिस लेना है जनता से नहीं ; यदि वे ऋण की बजाय अनुदान के रूप में धन देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं परन्तु हमें इस धन को वापिस लेना है । उन्हें अपनी सीमा के अन्दर खर्च करना चाहिये । तूफान सम्बन्धी सहायता का रेलवे लाइन बनाने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वे अन्य कामों पर खर्च की जाने वाली धनराशि को इस कार्य पर खर्च कर सकते हैं। वे ऐसा क्यों नहीं करते। राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिये अपने साधनों का उपयोग करना चाहिये ।

तूफान के सम्बन्ध में हमारा अनुमान है कि 1,75,00,000 रुपये की सहायता दी जायगी यदि इससे अधिक आवश्यकता हुई तो हम यह नहीं कहेंगे कि हम उस राशि से अधिक नहीं देंगे। हम वहाँ पर किये जा रहे सहायता कार्य पर ध्यान रखेंगे। परन्तु यदि इस बहाने से अन्य उद्देश्यों के लिये अधिक धन माँगा जाये तो यह सम्भव नहीं।

सरकार ने उड़ीसा को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक अनुदान दिये हैं। पारादीप पत्तन का कार्य भी आरम्भ किया गया है। परन्तु उनकी हर माँग को पूरा नही किया जा सकता।

यह ठीक है कि हमारा ऋतु विज्ञान तंत्र सभी बातों का अनुमान लगाने में असमर्थ है। इसके लिये काफी मात्रा में राडार स्टेशनों की तथा विमानों की आवश्यकता है जो वेग का पता लगा सकें। हम इस तंत्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हमारे पास अभी पर्याप्त साधन नहीं है। फिर भी हम अपने साधनों के अनुसार यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 20 नवम्बर 1967/29 कार्तिक, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjournd till Eleven of the Clock on Monday, November 20, 1967 Kartika 29, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.